छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **अष्टम् सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026

(फाल्गुन 22, शक सम्वत् 1947)

[अंक 10]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026

(फाल्गुन 22, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए}

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, आप आते हैं तो नजरें इनायत हमारी तरफ नहीं होतीं ।

सभापति महोदय :- जी ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आपकी नजरें इनायत हमारी तरफ नहीं होतीं ।

सभापति महोदय :- मैं आपको ही देखते हुए प्रणाम करते हुए आता हूं । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उनको मालूम था कि आप गुलाबी जैकेट पहनकर आ रहे हैं इसलिये वह गुलाबी शर्ट पहनकर आये हैं । उनकी जैकेट सफेद है और आपकी शर्ट सफेद है । आप देख लीजिये कि एकदम कितना मिलता-जुला है, उसके बाद आपको शिकायत है ।

डॉ. चरणदास महंत :- हम लोग तो पहले से ही मिलते-जुलते हैं, यह आज की बात थोड़ी है ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- आप दोनों की बहुत ही भयंकर-भयंकर केमेस्ट्री है । (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- है न, मैं गलती से उनके क्षेत्र का सांसद रहा हूं ।

निधन का उल्लेख

श्रीमती मंगलीबाई रावटे, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य ।

सभापति महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मंगलीबाई रावटे का दिनांक 04 मार्च, 2026 को निधन हो गया है ।

श्रीमती मंगलीबाई रावटे का जन्म 1 फरवरी, 1947 को केशकाल, जिला-कोण्डागांव में हुआ था । उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था । वे प्रारंभ से ही सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय रहीं । वे जनता पार्टी की टिकट पर सन् 1977 में केशकाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा की

सदस्य निर्वाचित हुईं । उनकी समाजसेवा तथा कृषि कार्य में विशेष अभिरूचि थी । उन्होंने अपने क्षेत्र में बिजली तथा सड़क निर्माण के लिये महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेत्री तथा समाजसेवी को खो दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन गहरे दुख के साथ अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मंगलीबाई रावटे के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त कर रहा है । वह अत्यंत सरल, विनम्र और समाजसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की धनी थीं । अपने जीवनकाल में उन्होंने समाज के लोगों के सुख-दुख में सदैव सहभागिता निभाते हुए सेवा और सहयोग की भावना से कार्य किया । उनके व्यक्तित्व में मानवीय संवेदनायें, सामाजिक प्रतिबद्धता और सेवा का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था, उनके निधन से समाज ने एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है जिसकी कमी सदैव महसूस की जायेगी । मैं इस सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकसंतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं । ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, श्रीमती मंगलीबाई रावटे जी का निधन हम सदन के सभी साथियों के लिये दुखद है । जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वह सीधा-सरल और सामाजिक कार्य में व्यस्त रहतीं थीं और सन् 1977 में जनता पार्टी से विधायक बनीं ।

माननीय सभापति महोदय, वह हलवा जाति की सदस्य थीं और मेरे ख्याल से पहली महिला हैं जो बस्तर से विधायक बनकर आयीं थीं । यह बहुत सौभाग्यशाली इसलिये भी है कि उनके पतिदेव भी सांसद रहे और दोनों ने मिलकर खूब क्षेत्र की सेवा की । केशकाल के आसपास बड़े अच्छे परिवारों में उनकी गिनती रही है । हम सब लोग उनके जाने से, उनके निधन से उस पारिवारिक क्षति को अनुभव करते हैं । हम अपनी पूरी पार्टी की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपनी दिव्य ज्योति में उनकी आत्मा को लीन कर चिर शांति प्रदान करे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती मंगलीबाई रावटे जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा और समाज को समर्पित किया। क्योंकि बस्तर संभाग की दृष्टि से उन्होंने महिला शक्ति के रूप में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। जब वर्ष 1977 में मातृ शक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को साबित करे और जनसेवा के लिए अपने आप को समर्पित करे, ऐसे उदाहरण बस्तर के लिए हैं। आज हमारे बस्तर में बहुत सारी बहनें विधायक के रूप में और अन्य दायित्वों का निर्वहन लगातार कर रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह हल्बा समाज से रहीं और हल्बा समाज एक बहुत संगठित समाज होने के नाते, उन्होंने समाज

को संगठित करने का भी काम किया। केशकाल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1977 में विधायक बनीं और उन्होंने पार्टी के दायित्व के साथ में सत्ता और संगठन के महत्वपूर्ण दायित्वों का भी निर्वहन किया । आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वह बस्तर की उन बेटियों, बहनों के लिए एक आवाज के रूप में थीं और उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को बुलंद करने का काम किया है। हम उन्हें अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और इस दु:ख की घड़ी में परिवारजनों को भगवान दु:ख सहने की क्षमता प्रदान करें।

सभापति महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर का मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

सभापति महोदय :- दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(11.08 से 11.13 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :-

11:13 बजे **(सभापति महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए)**

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

<u>छत्तीसगढ़ में गौवंशीय पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान हेतु संचालित योजनाएं</u>

[पशुधन विकास]

1. (*क्र. 1055) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) राज्य में 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में कुल कितने गौवंशीय पशु हैं ? राज्य में कौन-कौन से पशुओं की, कितनी-कितनी संख्या है और उसमें कितने नर एवं मादा हैं तथा इनमें कितने प्रजनन योग्य हैं ? दुग्ध उत्पादन में क्या छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है ? प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ? (ख) उक्त पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? राज्य में कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र व प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं ? गौवंशीय पशुओं की संख्या के आधार पर कितने केन्द्रों की आवश्यकता है ? वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कितने कृत्रिम गर्भाधान किये गये और उसमें कितनी लागत आयी ? (ग) प्रदेश में चिराग परियोजना कब से लागू की गयी ? कार्यावधि कितनी थी ? कब बंद हुयी ? क्या निर्धारित समयावधि के पूर्व बंद हुयी? यदि हां, तो उसके कारण क्या थे ? इसका वित्तीय पोषण कैसे किया गया ? कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुयी तथा राज्य सरकार का कितना अंश रहा? प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यो के लिये किया गया तथा उसमें कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी और कितनी राशि किन कारणों से लेप्स/समर्पित की गयी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राज्य में 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार कुल 99.84 लाख गौवंशीय पशु हैं। राज्य में पशुओं की संख्या से सम्बधित विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'अ'[1] अनुसार है। जी नहीं, दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर नहीं है। भारतीय मानक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् अनुसार दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम निर्धारित है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024-25 की भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े अनुसार प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 194 ग्राम प्रतिदिन है। (ख) राज्य में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालित है। राज्य में 1585 संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्य किये जा रहे है। राज्य में 800 प्रशिक्षित प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता कार्यरत हैं। वर्तमान में गौवंशीय पशुओं की संख्या के आधार पर 412 केन्द्रों की आवश्यकता है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 16.93 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये। उक्त कार्य हेतु राशि रू. 1071.55 लाख की लागत आई। (ग) प्रदेश में चिराग परियोजना दिनांक 12.02.2021 से लागू की गई तथा परियोजना की स्वीकृत निर्धारित अवधि 12-02-2021 से 31-07-2026 तक कुल 05 वर्ष 05 माह 19 दिन थी। भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21-03-2025 में दिए गए निर्देश अनुसार चिराग परियोजना अंतर्गत गतिविधियों का क्रियान्वयन दिनांक 26.03.2025 से बंद की गई है। हॉ, चिराग परियोजना में अपेक्षा अनुरूप प्रगति नहीं होने के कारण निर्धारित समयावधि के पूर्व बंद हुई है। चिराग परियोजना का वित्तीय पोषण विश्व बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और राज्य सरकार द्वारा किया गया। चिराग परियोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य शासन द्वारा दिनांक 24.09.2021 को राशि रू. 10.00 करोड़ तथा दिनांक 16.12.2021 को राशि रू. 87.50 करोड़, इस प्रकार कुल राशि रू. 97.50 करोड़ प्राप्त हुई, जिसमें राज्य शासन का शत् प्रतिशत् अंश रहा। परियोजना अंतर्गत प्राप्त राशि के विरूद्ध परियोजना के गतिविधियों में व्यय राशि में से विश्व बैंक एवं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का निर्धारित 66 प्रतिशत अंश राज्य शासन के कोष में प्रतिपूर्ति कर दी गई है। प्राप्त राशि का उपयोग तथा व्यय की जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'ब' अनुसार है। वित्तीय 2023-24 में कोविड-19 आर्थिक सुधार प्रतिक्रिया मद की परियोजना अंतर्गत प्रावधानित कुल राशि रू. 183.96 करोड़ के उपयोग की अनुमति कोविड लहर के समय प्राप्त नहीं हो पाने के कारण कोविड लहर समाप्ति पश्चात् संपूर्ण प्रावधानित राशि समर्पित की गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप यह प्रश्न है कि एलाइड सेक्टर में किसानों की आय को हम दोगुनी करें तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर के एलाईड सेक्टर को भी हम ध्यान दें । मेरा प्रश्न उसी आशय से हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मादा गौवंशीय कितने हैं ? आपने बताया है कि कुल पशुओं में लगभग

[1] परिशिष्ट "एक"

53 लाख मादा पशु हैं । उसके गर्भाधान के लिए आपके पास क्या नीति है ? पशु प्रजनन नीति कह लें, पशु प्रजनन नीति क्या है, कौन सा टीकाकरण किस तरह से आप करते हैं, किस माध्यम से करते हैं ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय चन्द्राकर जी, आपने मादा पशुओं की संख्या तो बता दी, लेकिन आपने नर की संख्या नहीं बताई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब नर में तो ऐसा है कि रामविचार जी खुद..। अब क्या आगे बोलूं ? नर में इनसे बड़े क्षमतावान वीर पुरूष और कोई है ही नहीं । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- हंसना बंद करिए, उत्तर दीजिए भई ।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति जी, अब इसमें क्या उत्तर दें ?

श्री रामविचार नेताम :- अब उसमें क्या उत्तर दें ?

श्री भूपेश बघेल :- अब इसमें बोलते नहीं बन रहा है। आपने पहले ही बता दिया, प्रधानमंत्री जी का नाम ले दिया, फिर क्षमता के बारे में बता दिया तो उनको अपनी वास्तविकता पता है न।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय,

श्री भूपेश बघेल :- हां, अब ठीक हुआ है। नार्मल हुए हैं।

श्री रामविचार नेताम :- हां, तै फिर से रिपीट कर। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- सब भूल गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पूछा है कि गौवंशीय के टीकाकरण, गर्भाधान के लिए आपकी नीति क्या है ? आप उसको पशु प्रजनन नीति कह लें, कौन से नस्ल की पैदा होगी, कैसे होगी, आप कितने दिन में गर्भाधान करवाते हैं ? उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है, इस पर आपने बताया है। मैं उसको पूछ लूंगा। तो इसके लिए आपका क्या कार्यक्रम है ? आप उसको बता दीजिये कि इतने पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए नीति क्या है, पशु प्रजनन नीति क्या है ? कौन सा टीका किस कार्यक्रम में लगाते हैं और उसमें कितना व्यय हुआ है ? यदि आप व्यय नहीं बतायेंगे तो भी चल जायेगा।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, आपने पूरे प्रदेश भर की जानकारी चाही है, हमने उसके अनुसार जानकारी दी है। आप कृत्रिम गर्भाधान के सम्बन्ध में जानकारी चाह रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारे गौवंशीय है, दुधारू पशु हैं, उनके गर्भाधान के लिए प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र, उप ग्राम खण्ड, उप केन्द्र, पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय की पर्याप्त व्यवस्था है, जहां कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। पूरे प्रदेश में कैसे अच्छे नस्ल विकसित कर सके, जिससे हमारे प्रदेश के दूध उत्पादन की आवश्यकता में वृद्धि करके राष्ट्रीय औसत के बराबर ला सकें, इसके लिए हमारे पास व्यवस्था है।

सभापति महोदय, मैं आपके संरक्षण में यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप तथा देश में दूध उत्पादन का संकट है। उसको लेकर हम लोगों ने एन.डी.डी.बी. के साथ यहां समझौता किया है। उसके तहत हम दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाये तथा धीरे-धीरे क्रमश: लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर, दूध उत्पादन में अच्छे नस्लों का कैसे सुधार कर सकें, अच्छे नस्ल की जो गायें हैं, वह लोगों तक कैसे वितरण करके वहां तक पहुंचा सके। इसके साथ ही चारा का उत्पादन हो सके, हम इस तरह की योजना लेकर काम कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, सर। आप विद्वान है, यह ठीक है। मैं तो आपको पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी है। आपने उत्तर दिया है। एक तो हम दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। हम देश में 7वें, 8वें नंबर पर हैं। दूसरा हमारे यहां प्रति व्यक्ति दूध की खपत तो बी.पी.एल. से भी नीचे है। आपने कहा कि हम अच्छे नस्ल, उन्नत नस्ल पैदा करना चाहते हैं। आपने 53 लाख गौवंशीय पशुओं के गर्भाधान की नीति कार्यक्रम को नहीं बताया। पशु प्रजनन नीति क्या है ? आप कौन सा टीका लगाते हैं ? होलस्टायइन गाय पैदा करेंगे और भी जो नस्लें हैं, थारपारकर गाय र पैदा करेंगे, गीर गाय पैदा करेंगे, कितने दिन में क्या करेंगे, यह आपने नहीं बताया है। इस बारे में आपकी नीति क्या है ? आपने केन्द्रों की संख्या का भी उल्लेख किया है आपने 53 लाख गौवंशीय के लिए कहा कि 1585 संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्य किए जा रहे हैं। तो ये संस्थाएं सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं ? एक तो यह बता दीजिये। आपको 412 केन्द्रों की और आवश्यकता है। तो आप 412 केन्द्र खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं ? इन लक्ष्यों के पूर्ति के लिए एन.डी.डी.बी. का उल्लेख किया तो वह दुग्ध संग्रहण विपणन का काम करती है। नस्ल सुधार में उसका कोई योगदान नहीं है। इसलिए मुझको इसमें स्पेसिफिक बता दीजिए कि टीकाकरण के आपके कार्यक्रम किस आधार पर कैसे संचालित करते हैं? यह संस्थागत क्या है? 412 केंद्र की जरूरत है, तो दुग्ध उत्पादन के लक्ष्यों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में आप क्या कर रहे हैं? फिर आपसे छोटा सा और प्रश्न कर लूंगा, उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बाद में बताऊंगा बोलेंगे, तो यह भी मैं मान लूंगा भैया, लेकिन आपको यह बता दूं, यह बहुत कमज़ोर है। चिराग परियोजना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मैं एकाध पूछ ही लूंगा।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बछिया उत्पादन हेतु सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लगभग 90 प्रतिशत तक बछिया प्राप्त किया जा सकता है। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन (R.G.M.) के अंतर्गत त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (A.B.I.P.) संचालित है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत इसी प्रकार से त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत सेक्स सॉर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान से लगभग 90 प्रतिशत मादा वत्स प्राप्त होने की संभावना होती है। इसके तहत इसे सभी जगह योजना अंतर्गत सेक्स

सॉर्टेड सीमेन से 1 करोड़ 10 लाख 1228 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के लक्ष्य के अनुरूप में 33,484 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य संपादित किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, पढ़ मत न। छोटे-छोटे प्रश्न में चलथन।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, जिसमें 7,883 संतति पैदा हुई, जो 87 प्रतिशत मादा वत्स है। इस प्रकार से लगातार इसमें काम हो रहा है और जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी गर्भाधान कार्यकर्ताओं हेतु उसके लिए भी व्यवस्था है, प्राइवेट सेक्टर से भी हम उनका भी सहयोग लेते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय, मैं जिस विषय को पूछ रहा हूं, उसको डिटेल में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि आपकी नीति आपने राष्ट्रीय गोकुल मिशन नीति बताई, उसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, मैं आगे बोल दूंगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि 53 लाख यदि हैं और मैंने आपसे यह पूछा कि जो 1585 है, वह संस्थागत आपने लिखे हैं, वह प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, एक। दूसरी बात, जितना आपने गर्भाधान किया है, कितने पशु का कृत्रिम गर्भाधान किया? आप एक साल भर का बता दीजिए, चलिए। एक साल में इतने पशु का गर्भाधान किया और इसमें इतने का लक्ष्य था और कितने किए हो यह बता दीजिए, आप पूरा उत्तर नहीं देंगे तो भी हमको कार्यक्रम की गति पता लग जाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारी बहुत दयनीय स्थिति है ।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए, अलग से उपलब्ध करा दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय..।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- मैं भी इसमें पूछूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी-जी, पशु प्रजनन नीति और उसका लक्ष्य और उसके लायक कार्ययोजना और आत्मनिर्भर और स्वस्थ छत्तीसगढ़ और किसानों की इनकम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अब मैं दूसरे खंड में चिराग परियोजना में आ जाता हूं । आप यह बता दीजिए महोदय, चिराग परियोजना...।

श्री राम विचार नेताम :- इसका जवाब देने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब इसमें रहने दीजिए न, अब तो अलग से दे दूंगा बोले हैं न?

श्री राम विचार नेताम :- मैं लक्ष्य अभी बता दे रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, बाद में दे दीजिएगा। अब रहने दीजिए, मैं जो बात आपके ध्यान में लाना चाहता था..।

श्री भूपेश बघेल :- आप दोनों अगल-बगल में हो भैया।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पूछिएगा न। मैं आखिरी प्रश्न दूसरे खंड में आ रहा हूं। आप पूछ लीजिएगा। 183 करोड़ रुपए की जो चिराग परियोजना लागू हुई, वह समय से पहले क्यों बंद हुई? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक। दूसरी बात, भारत सरकार ने कोविड कब समाप्त घोषित किया और परियोजना कब बंद हुई? कोविड का आपने कारण बताया, भारत सरकार ने अनाउंस किया कि इस तारीख को कोविड बंद हुआ और कोविड बंद होने के बाद समय के बाद वह परियोजना सरेंडर हुई है। तो मेरे को इसका कारण बता दीजिए और इतनी बड़ी राशि को वापस करने के लिए दोषी कौन है?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, चिराग परियोजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के हित में, खासकर छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, कृषि प्रणाली को सुदृढ़ करना, कृषि आधारित आजीविका को सशक्त करना, किसानों को बाजार तक बेहतर संसाधन पहुँचाना है और खासकर जो ट्राइबल क्षेत्र के किसान एवं ट्राइबल वर्ग समाज है, उनकी आय को कैसे बढ़ा कर उन्हें कैसे समृद्ध कर सकें, इसी उद्देश्य को लेकर के यह बहुद्देशीय चिराग परियोजना स्वीकृत की गयी थी। सभापति महोदय, निश्चित ही हम यह कह सकते हैं कि हमारे सामने बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ था, जिसके चलते यह योजना लगातार पिछड़ती गई। (शेम-शेम की आवाज) उसमें कोई काम ही नहीं हुआ था। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, तब हम लोगों ने इस योजना को Takeover किया और उसमें प्रगति लाया, काफी तेजी से हम लोगों ने उसमें काम करना शुरू किया। लेकिन पहले का इनका जो Internal Working Progress आना चाहिए था, वह नहीं आने की वजह से भारत सरकार ने लगातार इस परियोजना की समीक्षा की और समीक्षा में पाया गया कि उसमें जो अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए थी, वह अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने की वजह से नोटिस देकर के इस परियोजना को बंद किया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, मेरा एकदम स्पेसिफिक प्रश्न था। सरकार इसकी थी, उसकी थी, वह तो ठीक है।

सभापति महोदय :- आप अंतिम प्रश्न कर लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हाँ। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, भाई। प्रश्न नहीं देते तो भी मैं तैयार हूँ। मैं जो बात फ्लोर में जानना चाहता था, वह आ गई है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर ने अंतिम प्रश्न बोला है, इसके बाद मैं बैठ रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, मैंने स्पेसिफिक पूछा है कि परियोजना बंद होने के कारण क्या हैं? आपने स्वीकार किया है कि अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं होने के कारण वह योजना बंद की गई। वह योजना गरीबों के लिए थी, यह भी आपने स्वीकार किया। उसके लिए दोषी कौन है? कोविड काल का भी उल्लेख है। कोविड काल में भारत

सरकार ने घोषित किया कि देश कोविड मुक्त है, उस अवधि के बाद राशि सरेंडर की गई। दोषी अधिकारी इतनी बड़ी परियोजना को वापस कर दिया, उसमें आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? राजनीतिक कारण चाहे जो भी हों कि यह मुख्यमंत्री थे, वह मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो काम करने वाले हैं, वह तो स्थायी हैं। इतनी बड़ी परियोजना छत्तीसगढ़ के हित के लिए थी, उसमें प्रगति नहीं हुई इसलिए हम पैसा वापस कर देंगे? फिर हम किस बात की तनख्वाह खा रहे हैं? आप उसके ऊपर जांच करवा कर क्या कार्रवाई करेंगे, यह बताइए? मुझे बस इतना ही जानना है। आप तो दमदार आदमी हैं, आगे पूरा कृत्रिम गर्भाधान आपके ही कंधों पर चलेगा। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- भैया, अब आपको कुछ पूछना है?

श्री अजय चन्द्रकार :- पहले आप मेरा जवाब दीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- चन्द्राकर जी, आपके प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं है।

श्री रामविचार नेताम :- नहीं, जवाब है। नेता प्रतिपक्ष जी, मैं जवाब दे रहा हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- दे दीजिए, दे दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बताया वह बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके लिए यहां अलग-अलग पदों पर तमाम भर्तियां समय पर किया जाना चाहिए था। विषय विशेषज्ञों से लेकर के हमारे खंड स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक उसके माध्यम से जितनी भर्तियां थीं, उसमें से कुछ भर्तियां हमारी सरकार बनने के बाद प्रथम चरण में 267 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था और 445 पदों का सृजन करके उसकी भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की थी। इसी बीच में...।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या उसमें कार्रवाई बनती है? आप कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, बाकी बात छोड़ दीजिए। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अन्याय किया गया है। अब यह आपके विवेक में है। धन्यवाद। अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- नहीं, मैं आपकी नाराजगी दूर करना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- श्री अटल श्रीवास्तव।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे, उनको मौका नहीं देंगे?

सभापति महोदय :- अच्छा। क्या वह पूछना चाह रहे हैं?

श्री भूपेश बघेल :- हाँ। क्योंकि उन्होंने पिछली सरकार, मेरे नाम का उल्लेख किया है, इसलिए मैं भी उनसे प्रश्न पूछूंगा।

श्री रामविचार नेताम :- हमारे आदरणीय वरिष्ठ सदस्य, विद्वान सदस्य और इस सदन के बड़े आक्रामक नेता की जो भावना है, उसके अनुरूप जो आप चाहते हैं कि वास्तव में कौन दोषी है, मैं इसका

निश्चित ही परीक्षण कराऊँगा और इसमें जवाबदेही तय होना चाहिये । हम इसके लिये भी कार्यवाही हेतु अनुशंसा भेजेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी हमारे गांव के गरीब किसानों के लिये चिन्ता पाल रहे हैं, मैं यहां पर छत्तीसगढ़ के गांव की बात आरंभ करता हूँ । हर गांव में सैकड़ों की संख्या में छोटे-छोटे बछिया जिसको बोलते हैं, वह बहुतायत पर है और उनका कृत्रिम गर्भाधान करके दूध उत्पादन में सहयोगी बनाया जा सकता है । आपने 53 लाख मादा की संख्या बताई है और आपने उसमें संरक्षण का जिक्र किया है तो क्या उसमें बछिया शामिल है जिसे बाहर कटवाने के लिये भेजा जाता है ? आप लोग तो उनके बारे में इतने चिंतित हैं और जब कलकत्ता की ओर काटने के लिये ले जाते हैं तो सड़क में जो जुल्म होता है मैं उसे यहां नहीं कहना चाहता हूँ । गांव-गांव में सैकड़ों की संख्या में बछिया हैं, उसके लिये आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई नीति बनाई जा रही है कि दूध उत्पादन में शामिल किया जाये ?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने बताया है कि निश्चित ही सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में हमारे दूध का उत्पादन कैसे बढ़े और राष्ट्रीय औसत के बराबर हम कैसे आ सकते हैं, हमारी सरकार ने इसकी चिन्ता करते हुये एनडीडीबी के साथ समझौता करके हम उनका क्नॉलेज शेयर के साथ-साथ अनुशंसा के आधार पर सभी जगह इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर अच्छी नस्ल की गाय वहां पर वितरण कर रहे हैं, चारे का वितरण कर रहे हैं, चिलिंग प्लाण्ट की योजना बना रहे हैं, यहां तक कि हमारा कलेक्शन सेंटर है वहां किस तरह से हमारे यूनिट काम करेंगे, यहां स्व-सहायता समूह का उपयोग कैसे हो, अलग-अलग सब जगह से हमारी कमेटियां दूध उत्पादन के लिये बन रही है । जो हमारे यहां देशी नस्ल है, उसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इसके लिये भी हमारी योजना है और इसमें यह सब शामिल है ।

डॉ.चरणदास महंत :- देखिये, आप यहां पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, मैंने सीधा-सीधा गांव में रहने वाले छोटे-छोटे बछिया के बारे प्रश्न पूछा है, बछिया यानी जो फिमेल होते हैं, उनको दूध उत्पादन में सहयोगी बनाने के लिये, भागीदार बनाने के लिये, आपके पास कोई योजना है ? मैं माननीय मंत्री जी को पूछते हुये यह बोल रहा हूँ कि क्या चन्द्राकर जी के पास जानकारी है कि जो कृत्रिम गर्भाधान करने के लिये जो टीकाकरण करते हैं, उसमें असफलता का प्रतिशत कितना है और मेरी जानकारी में सबसे खराब स्थिति छत्तीसगढ़ की है । उसमें हमको 20 प्रतिशत भी....।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की बात से सहमत हूँ । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर कहना चाहूँगा कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे कमजोर सेक्टर है । यहां आरोप-प्रत्यारोप से परे हटकर इंकम बढ़ाने की दृष्टि से गंभीरतापूर्वक काम करने की जरूरत है ।

डॉ.चरणदास महंत :- आप इसमें शरमाईये मत, इसमें शरमाने लायक कोई बात नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं नहीं...।

डॉ.चरणदास महंत :- मैं इनकी बात कर रहा हूँ । कृत्रिम गर्भाधान कोई शरमाने लायक प्रश्न नहीं है, यह तो अब आदमियों में होने वाला है । यह तो बेचारे जानवर है ।

श्री अजय चंद्राकर :- ये वह सब विषय के तो विशेषज्ञ हैं। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- अरे यार।

सभापति महोदय :- श्री भूपेश बघेल जी।

डॉ. चरणदास महंत :- आप उसका रेट बता दीजिये न कि छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट सफल हुए?

सभापति महोदय :- सबका एक साथ बता देंगे।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मेरा आपसे व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अजय चंद्राकर :- प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री रामविचार नेताम :- व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था फैला रहे हैं। (हंसी) नहीं इस शब्द को निकालिये।

डॉ. चरणदास महंत :- प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठता ही नहीं।

श्री रामविचार नेताम :- नहीं इसको उससे निकालिए। मैं निवेदन करता हूं कि इन्होंने जो शब्द कहा है...।

डॉ. चरणदास महंत :- प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भूपेश बघेल :- वे क्या बोले हैं ?

श्री रामविचार नेताम :- आप दिखवा लीजिये, लेकिन ये आपत्तिजनक है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं कि किसको निकलवाना है?

श्री भूपेश बघेल :- इसमें क्या आपत्तिजनक है?

श्री रामविचार नेताम :- आपने जो उद्धृत किया है, जिस शब्द का प्रयोग किया है। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- शब्द बोलिए न, शब्द बोलिए न। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- अरे क्या बात कर रहे हैं, ये बोलने लायक है? (हंसी)

सभापति महोदय :- मंत्री जी, मैं उसको दिखवा लूंगा। भूपेश बघेल जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने ये उल्लेख किया कि हमारे शासनकाल में इसकी स्वीकृति हुई और चिराग परियोजना है, वह राज्य सरकार की शत-प्रतिशत योजना है और वर्ल्ड बैंक से इसे लोन लिया गया है, उससे ये संचालित है। इसमें आपने बता दिया वर्ष 2021-2022 में लगभग 10 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत की गई। उसके बाद आपने कहा कि कोविड के कारण से

ये संचालित नहीं हो पाया। लेकिन आपसे प्रश्न ये है, ये समर्पण किस तारीख को किया गया? जो पैसा आया था, उसको समर्पण किस तारीख को किया गया है और क्यों किया गया है?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा परियोजना की समीक्षा में पाया गया कि ऋण संवितरण की गति अपेक्षित स्तर पर धीमी है। लगभग चार वर्षों में कुल स्वीकृत ऋण का मात्र 1% ही उपयोग हो सका था। इसलिए 18 मार्च, 2025 द्वारा राज्य शासन को यह अवगत कराया गया कि विश्व बैंक अपेक्षाकृत कम प्रगति के कारण परियोजना अनुबंध समाप्त करना चाहती है। तदनुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार IFAD से प्राप्त ऋणों का वित्तीय सहभागिता को दिनांक 26 मार्च, 2025 से समाप्त कर दिया गया।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आपने समर्पण किया है और आरोप हम पर लगा रहे हो? 2025 में तो आप सरकार में हो भाई। समर्पण आपके शासनकाल में हुआ। ढाई साल से आप सरकार में हो, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो और आरोप हम पर लगा रहे हो?

श्री अजय चंद्राकर :- आपके समय काम धीमे चल रहा था जिसके कारण उनको करना पड़ा। आप उसको थोड़ा उल्टा समझ रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- सही कारण बताईए न। 2021 में कोरोना था, कोरोना हमारे समय था, 10 ही करोड़ आया। लेकिन उसके बाद 2023 में जो पैसा आया, उसके बाद 2024 और 2025 में आपने इसमें कुछ काम किया ? मंत्री जी, आपको अजय जी बड़े क्षमतावान बता रहे हैं, ये तो पता चलता है आप कितने क्षमतावान हैं। आपके विभाग में कोई कंट्रोल नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, हम लोगों ने तो आकर नियुक्ति भी की, सभी जगह समितियां गठित कर दी, मैंने इसके पहले भी बताया। हमने समिति गठित की, नियुक्ति कर दी, महिला स्व-सहायता समूहों को दिया। लेकिन शुरूआत में ही आपने नहीं किया जिसके चलते इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ से आज बंद करना पड़ा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय नियुक्ति का परिणाम क्या है? नियुक्ति का परिणाम बताइये। नियुक्ति का परिणाम ही नहीं आया है।

सभापति महोदय :- एक प्रश्न में आधा घंटा से ऊपर चर्चा हो रही है, बाकी माननीय सदस्यों का भी प्रश्न लगा हुआ है, उतना ही महत्वपूर्ण है।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मेरा 7वें नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आरोप लगाना बंद करना पड़ेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गौवंशीय को है 32.99 प्रतिशत बताया, मतलब लगभग 33% प्रजनन योग्य हैं और भैंसवंशीय, सरकार भैंस भी तो दूध देती है।

श्री भूपेश बघेल :- बकरी भी देती है।

डॉ. चरणदास महंत :- बकरी तो दे ही रही है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- इनके शासनकाल में बकरा भी दूध देता है।

श्री रामकुमार यादव :- इखर सरकार में पररू भी दे दिही।

डॉ. चरणदास महंत :- आप भैंसवंशीय में देख लीजिये 3.7% है। आप भैंस की उन्नति, प्रगति और प्रजनन के लिए क्यों व्यवस्था नहीं कर रहे हैं?

श्री अटल श्रीवास्तव :- अमृतकाल है, बकरा भी दूध देता है ।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने पहले बताया कि हम दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। हम पशुओं का संवर्धन करना चाहते हैं, गौवंशीय हो या भैंसवंशीय हो। लेकिन हम सब यहां पर बैठे हैं, ग्रामीण परिवेश के भी लोग हैं, हम सब जानते हैं कि आज अपने घरों में गाय रखते हैं, भैंसें रखते थे। लेकिन आज उनके चारागाह के लिए कोई जगह नहीं बची है। चारागाह नहीं होने की वजह से इनका क्षरण होते गया। जितना हमें संरक्षित करना चाहिए था, उन ढंग से रख-रखाव होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। इस वजह से चाहे गौवंश हो चाहे भैंसवंश हो, उनकी संख्या लगातार धीरे-धीरे कम होते जा रही है।

सभापति महोदय :- आपका जवाब आ गया है। अटल श्रीवास्तव जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, गरवा-बइला में रामकुमार जी को अवसर मिलना चाहिए।

मंडी निधि से स्वीकृत सामुदायिक भवन का निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

2. (*क्र. 1858) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या कोटा विकासखंड में विगत दो वर्षों में मंडी निधि से सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? अगर हां, तो कौन-कौन से ग्रामों में कब सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) क्या उक्त सामुदायिक भवनों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है? अगर हां, तो कब की गई है? (ग) क्या उक्त सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु टेंडर जारी किया गया है? अगर हां, तो कब जारी किया गया है? कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है? (घ) अगर टेंडर जारी नहीं हुआ है तो किन कारणों से नहीं हुआ है? किस स्तर पर कब से लंबित है और कब तक टेंडर जारी किया जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) हाँ, कोटा विकासखंड में विगत दो वर्षों में मंडी निधि से सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम रमदेई, केन्दा में दिनांक 10.01.2025 एवं ग्राम कुसमुली, अमने, लिटिया, धुमा, बिल्लीबंद, परसापानी में दिनांक 29.05.2025 को सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) हां, उक्त सामुदायिक भवन की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कार्यपालन अभियंता मंडी बोर्ड जिला बिलासपुर के पत्र दिनांक 17.01.2025 एवं 30.05.2025 में तकनीकी स्वीकृति तथा कृषि उपज मंडी समिति कोटा के पत्र दिनांक 24.01.2025 एवं 03.06.2025 में प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। (ग) हाँ, उक्त सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु टेंडर दिनांक 25.02.2026 को जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से हरिभूमि सामाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। (घ) टेंडर जारी किया जा चुका है। अतएव शेष जानकारी निरंक है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या कोटा विकासखंड में विगत दो वर्षों से मंडी निधि सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? कब सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई? क्या उक्त सामुदायिक भवन को तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिली? इनका जवाब आया है कि इनके द्वारा दिनांक 10.01.2025 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। जब मैंने यह प्रश्न लगाया, तब उनका उत्तर आया कि हम इसका टेंडर लगा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के एक साल बाद आपके डिपार्टमेंट ने उसका टेंडर लगाया है। लगभग यह हर चीज में चल रहा है। अगर एक-एक साल डिले होगा और अभी टेंडर लगेगा तो काम कब होगा? आखिर कहां पर समस्या है, कौन अधिकारी इसको रोकते हैं, किन कारणों से रोकते हैं? आपने तो स्वीकृत कर दिया, उसको प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई, परंतु टेंडर की प्रक्रिया में एक साल लग गया और जब मेरा प्रश्न लगा, तब यह टेंडर हुआ है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री रामविचार नेताम :- अटल जी, आपको धन्यवाद देना चाहिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- एक साल में हो गया, इसलिए?

श्री रामविचार नेताम :- नहीं, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि टेंडर भी लग गया, अब आपका काम शुरू होने वाला है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, इनको धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि टेंडर एक साल में लग गया और अब निर्माण पांच साल बाद होगा। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एमन वर्ष 2047 तक निर्माण कर करही।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, टेंडर लगा है और काम भी शुरू हो जाएगा। आप चिंता मत करिये।

सभापति महोदय :- श्री उमेश पटेल।

अलसी उत्पादन हेतु बीज का प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

3. (*क्र. 2127) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिलान्तर्गत सीजन 2024-25 में अलसी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ के किन-किन किसानों को कितने हेक्टेयर में अलसी की खेती करने के लिए कृषि विभाग द्वारा बीज प्रदान किया गया था? विकासखंडवार जानकारी देवें? बीज निगम द्वारा प्रदत्त बीज से किसानों द्वारा कितना अलसी उत्पादन किया गया? बीज प्रमाणीकरण संस्थान से बीज प्रमाणित हुआ या फेल हुआ? यदि फेल हुआ तो किस कारण से हुआ? किसानों को कितना नुकसान हुआ? नुकसान की प्रतिपूर्ति की गयी कि नहीं? यदि नहीं तो कब तक कर दी जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अलसी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल योजनांतर्गत 17 किसानों को 6.00 हेक्टेयर रकबा हेतु 1.20 क्वि. एवं टारगेटिंग राइस फेलो एरिया योजनांतर्गत 175 किसानों को 150.00 हेक्टेयर रकबा हेतु 30 क्वि. इस प्रकार कुल 192 किसानों को 156.00 हेक्टेयर हेतु कुल 31.20 क्वि. बीज प्रदाय किया गया। विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. अंतर्गत बीज प्रक्रिया केन्द्र बोईरदादर जिला रायगढ़ द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीकृत 02 कृषकों को कुल 0.60 क्वि. अलसी बीज प्रदाय किया गया था, जिससे 12 कि. कच्चा बीज प्राप्त हुआ। अन्य किस्मों तथा खरपतवार के बीज मिश्रित होने के कारण बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा 9 कि. बीज अमानक (फेल) श्रेणी का पाया गया। इसी प्रकार बीज प्रक्रिया केन्द्र चपले जिला-रायगढ़ द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीकृत 19 कृषकों को 8.40 क्वि. अलसी बीज प्रदाय किया गया था, जिससे 186.50 क्वि. कच्चा बीज उत्पादित किया गया। 158.49 क्वि. बीज मात्रा अन्य किस्मों एवं खरपतवार के बीज मानक स्तर से अधिक होने तथा बीज की भौतिक शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता मानक स्तर से कम होने के कारण बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अमानक (फेल) श्रेणी का पाया गया। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा जारी "बीज नीति", जिसका अनुपालन करते हुए बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए जाते हैं, में बीज के

नमूने फेल होने की स्थिति में नुकसान की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है, अतः शेष जानकारी निरंक है। बीज उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न अलसी की खेती से संबंधित है और सरकार की यह नीति है। मुख्यमंत्री जी और कई मंत्रियों ने इस बात पर बयान भी दिया है कि हम धान के रकबे से दूसरे रकबे की तरफ जाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा जो प्रश्न लगा था, उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि रायगढ़ जिले में इन्होंने जो बीज वितरण किया था और उसके एवज में किसानों ने जो कच्चा बीज उत्पादित किया, वह लगभग 186.50 क्विंटल था और उसमें से इन्होंने जितने बीज को रिजेक्ट किया, वह 158.49 क्विंटल है। यह 85 प्रतिशत होता है। आपने किसानों के 85 प्रतिशत रकबे को रिजेक्ट किया तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका कारण क्या है? क्या किसानों की जानकारी का अभाव था, या हमारी मिट्टी अलसी की खेती के लिए सही नहीं है या किसानों को ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, जो नहीं हुई?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, निश्चित ही यह बात सही है कि जितना हमें उत्पादन मिलना चाहिए था और जब उत्पादन हुआ तो स्वीकृत होना चाहिए था, लेकिन उसके स्वीकृत नहीं होने का कारण यही है कि एक तो उन क्षेत्रों में किसानों को जब बीज दिया गया तो लोगों ने काफी विलम्ब से बोहनी की। दूसरी बात, किसानों को पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया था, इसलिए भी जितना उत्पादन आना चाहिए था और जिस ग्रेड का आना चाहिए था, उस ग्रेड के बीज का उत्पादन नहीं हो पाया।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मंत्री जी का उत्तर आ गया है। मंत्री जी ने माना है कि उनको जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, वह ट्रेनिंग उनको नहीं मिली तो इसके लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और आप किनके ऊपर कार्यवाही करेंगे?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, निश्चित ही हमारे लिए यह एक गंभीर विषय है और हमने इसे गंभीरता से लिया भी है। आगे हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में किसानों के लिए अच्छा बीज उत्पादन करके देना चाहते हैं, उनकी फसल की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं। हमारे किसान जब फसल पैदा करते हैं तो समय-समय पर उनके फसल की ग्रेडिंग भी होती रहती है, अच्छे से देख रेख हो, अच्छे सुझाव मिले, वहां उनको अच्छे बीज मिले, हम इसका प्रयास कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है।

श्री रामविचार नेताम :- मैं आप के ही प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। सभापति महोदय, इसमें जहां तक जो भी कमियां रही है, जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती है, मैं उसका परीक्षण करवा रहा हूं और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह तो तय हो गया है कि ट्रेनिंग नहीं हुई थी। इसमें मेरा दूसरा प्रश्न है, आपने अपने उत्तर में कहा है कि खरपतवार के कारण अधिकतम लोगों का बीच रिजेक्ट हुआ। आप खरपतवार के लिए ग्रेडिंग करते हैं। आपने कितनी बार ग्रेडिंग की और कब-कब की ? यह मेरा प्वाईंटेड प्रश्न है।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं इसको देखकर बता दूंगा कि कितने बार ग्रेडिंग हुई है। मैंने कहा है कि अनियमितता हुई है और उसमें जो कमियां हुई हैं, उसको मैंने पहले ही स्वीकार किया है।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, मैं समझ गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि किसने कहां-कहां कितनी बार किया, कैसे किया, किसकी जिम्मेदारी थी, मैं वह सब दिखवा रहा हूं और उसको दिखवाकर हम उसमें कार्रवाई करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूं। आपने जब ग्रेडिंग की होगी तो हर फसल की ग्रेडिंग करने के लिए एक स्पेसिफिक छन्नी होती है। क्या जब आपने अलसी की ग्रेडिंग की तो स्पेसिफिक अलसी के लिए छन्नी उपलब्ध थी ?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं सभी विषयों को शामिल करते हुए इसकी जांच करवा रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं इसमें बड़ा विषय बता रहा हूं। अभी उसका उत्तर आयेगा तो उसमें मंत्री जी अपने आप बता देंगे। वहां छन्नी थी कि नहीं थी ?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं सभी विषयों को शामिल करके ही जांच करवा रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, जो अलसी खेती के लिए स्पेसिफिक छन्नी होती है, वह उपलब्ध नहीं थी और किसानों की 186 क्विंटल अलसी की फसल को रिजेक्ट कर दिया गया। (शेम-शेम की आवाज) इसके लिए आपके जो बीज प्रमाणिकरण अधिकारी होते हैं, उसने एम.डी. को चिट्ठी लिखी कि हमें अलसी के लिए छन्नी प्रदान की जाये ताकि हम इसको फिर से रिग्रेडिंग करें और किसानों को वह बीज दे सके। जिस एम.डी. को उन्होंने चिट्ठी लिखी, आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की ?

सभापति महोदय :- उमेश जी, जो भी कमियां और खामियां थीं, उसके लिए मंत्री जी ने स्वयं बोला है कि हम उसका परीक्षण करवायेंगे और परीक्षण करवाने के बाद कार्रवाई करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह लोग बीज निगम में अपने स्पेसिफिक ठेकेदार से बीज लेने के लिए यह सब कार्रवाई कर रहे हैं।(शेम-शेम की आवाज) यह पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है। जब आप नीति बनाते हैं कि हम धान की खेती से दूसरे रकबे की तरफ जा रहे हैं और आप

अलसी की खेती करवाते हैं और उसके बाद किसानों को ट्रेनिंग भी नहीं देते हैं। आप लोग अफीम की तरफ जा रहे हैं। वहां पर छन्नी उपलब्ध नहीं थी इसलिए आपके जितने खरपतवार बीज है, वह खरपतवार बीज उसमें ग्रेड ही नहीं हुए।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने छन्नी के बारे में मान लिया। लेकिन वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं उसको दिखवा रहा हूं, यह मैंने बताया।

श्री उमेश पटेल :- चलिये, आप उसको दिखवा लीजिये। मंत्री जी, यह चिट्ठी आपके पास उपलब्ध है। नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की बात नहीं है। क्या आप एम.डी. के ऊपर कार्रवाई करेंगे ?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, सभी प्रश्न आ चुके हैं। मैंने अपने जवाब में भी बताया है कि इसे हम पूरी गंभीरता से लेते हुए इसकी संपूर्ण जांच करवा रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आप किस स्तर से जांच करवा रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, किस स्तर में, कहां पर क्या गड़बड़ी हुई है, हम उसको दिखाकर कार्रवाई करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- आप किससे जांच करवा रहे हैं, आप यह बता दीजिये ?

सभापति महोदय :- नेता जी, आप पूछेंगे ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- जी, मैं पूछ रहा हूं। सभापति महोदय, मैं इनको परेशान करने के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। इनको जानकारी देने के लिए प्रश्न पूछ रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में अलसी के डंठल से कपड़े बनते हैं। इसका मतलब यह किसानों के आर्थिक स्त्रोत को और बढ़ाने का एक साधन हो सकता है। अलसी के डंठल से बनी हुई जैकेट हमने नरेन्द्र मोदी जी को पहनाई है।

श्री रामविचार नेताम :- हम भी पहने हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- अलसी का बना हुआ जैकेट आप कब पहने ?इससे पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों को बहुत बड़ी आर्थिक आय होगी तो आप अच्छे वाले बीज दीजिए। उसके बढ़ाने का साधन करिये और अलसी की खेती को दूसरी फसल के रूप में हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा एडाप्ट कर सकें, इसके लिये कुछ योजना बनाने की तैयारी करेंगे ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जांच करायेंगे तो किस स्तर के अधिकारी से करायेंगे ? चूकि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि गड़बड़ी हुई है मैं जांच करा रहा हूं। केवल इतना है। क्योंकि उसमें एम.डी शामिल है, जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने कहा, आप किस स्तर के अधिकार से जांच करायेंगे ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, सक्षम स्तर के अधिकारी से जांच करवा लेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि आप मेरे क्षेत्र में आईये, चांपा मे जहां कोसा भी बनता है, वहां अलसी के भी कोसा जैसे वस्त्र तैयार होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, घूमाऊंगा कि किस तरह से उससे महिलायें कपड़े बनाती हैं।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही इसका क्षेत्र बढ़ना चाहिए और इस दिशा में हम अभी प्रयास भी कर रहे हैं और पहले जो कमियां हुई हैं, उन कमियों को सुधार करके आगे हम बेहतर करना चाहेंगे।

सभापति महोदय :- श्री इन्द्र साव।

मंदिरों का जीर्णोद्धार व धर्मशाला निर्माण कार्य की स्वीकृति

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

4. (*क्र. 2212) श्री इंद्र साव : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत कितने धार्मिक स्थानों पर मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य तथा धर्मशाला निर्माण के लिए कितने प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं? प्राप्त प्रस्तावों पर धार्मिक स्थान में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धर्मशाला निर्माण के लिए कब-कब कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? स्वीकृत राशि द्वारा कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने अपूर्ण हैं ? इसकी जानकारी उपलब्धं कराएं? (ख) विधानसभा क्षेत्र भाटापारा अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थानों में, मंदिरों में जीर्णोद्धार कार्य, सौंदर्यीकरण कार्य तथा धर्मशाला निर्माण, बिजली व शुद्ध पेयजल कार्यो के लिए, प्राप्त प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति प्रदान दी जाएगी? समय सीमा बताएं ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) प्रश्नांश में दर्शित जिले में धार्मिक स्थानों पर मंदिरों के जीर्णोद्वार तथा धर्मशाला निर्माण के लिए कुल 73 प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुए है। जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ''[2] अनुसार है।(ख)विभाग द्वारा बिजली एवं पेयजल संबधी कार्य नही किया जाता है। विधानसभा भाटापारा अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थानों, मंदिरों में जीर्णोद्वार स्वीकृति की जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

श्री इन्द्र साव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में जिला बलौदाबाजार भाटापारा में मंदिरों के जीर्णोद्धार और धर्मशाला निर्माण के लिये कुल 73 प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। प्रपत्र ''अ'' में दी गई जानकारी अनुसार वर्ष 2018 से 2023 तक ये सभी प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हुई और सभी कार्य पूर्ण भी बताये गये हैं। लेकिन मेरे द्वारा वर्ष 2024 में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये 11, 12 प्रस्ताव शासन को भेजे गये थे जिसमें

[2] परिशिष्ट "दो''

मात्र 1 मंदिर पर सिद्ध शक्तिपीठ महिषासुर मर्दिनी ढेकुना ग्राम पंचायत में स्थित है, वहां कार्य की स्वीकृति दी गई है, लेकिन वहां का कार्य अपूर्ण है मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा और इस कार्य में क्यों विलंब हो रहा है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2025 में यह कार्य की स्वीकृति दी गई थी और ग्राम पंचायत उसकी एजेंसी है। वह कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अलावा आपके जो प्रस्ताव बाद में आये थे जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा प्राक्कलन बनकर 7 प्रस्ताव और प्राप्त हुए हैं जो स्वीकृति के लिये प्रक्रियाधीन है जिनकी वित्त व्यवस्था के हिसाब से स्वीकृति हो जायेगी।

श्री इन्द्र साव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे विधान सभा में सिमगा विकासखंड में आप सबको विदित है कि धर्मनगरी दामाखेड़ा सदगुरू कबीरसाहब का संत समागम की जो स्थली है। अभी विगत माह बहुत बड़ा पंथश्री हुजूर उदितमुनि नाम साहेब का चादर तिलक का भी आयोजन हुआ और वहां 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालू कबीरपंथ को मानने वाले शामिल हुए और वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हमारी पिछली माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखकर के 22 करोड़ 43 लाख रुपये की स्वीकृति करके कबीर सरोवर का जो निर्माण कराया जा रहा है, सौन्दर्यीकरण का जो कार्य हो रहा है, इसमें राशि की कमी महसूस की जा रही है। इसमें कम से कम 10 करोड़ रुपये लागत की और आवश्यकता होगी। साथ में वहां शौचालय की समस्यायें हैं। वहां पर कम से कम 500 शौचालय का निर्माण अति आवश्यक है, सर्वसुविधायुक्त 100 कमरों की धर्मशाला का निर्माण अति आवश्यक है, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन मांगों को पूर्ण करने की कोई समयावधि या इसमें स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप दामाखेड़ा के जिस मेले की चर्चा कर रहे हैं । पूर्व में उस मेले में जितनी धनराशि दी जाती थी । माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वह राशि भी डबल कर दी गयी है और आप जो मांग रख रहे हैं तो जैसे-जैसे प्रस्ताव आयेंगे, परीक्षण कराकर वित्त व्यवस्था के अनुसार निश्चित रूप से हम स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

सभापति महोदय :- श्री मोतीलाल साहू ।

श्री इंद्र साव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है ।

सभापति महोदय :- बता दिया न, डबल कर दिये और उसके बाद प्रस्ताव का बताया है ।

श्री इंद्र साव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा बस एक और छोटा सा प्रश्न है कि हमारे विधानसभा में कल्चुरी वंश के 3-4 ऐसे स्थान हैं जहां पर आठवीं-दसवीं, बारहवीं शताब्दी के समय में जो निर्माण कार्य हुए हैं उनके भी संरक्षण और संवर्धन के लिये माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां के जो प्रस्ताव, वहां के लिये जो दिया गया है उस पर भी विचार करके उसको अतिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे क्या ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बताया कि जैसे-जैसे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं । हम जिला प्रशासन के पास परीक्षण के लिये भेज रहे हैं, जैसे ही वहां से प्रस्ताव होकर आयेंगे, वित्त व्यवस्था के आधार पर हम निश्चित रूप से स्वीकृति प्रदान करेंगे । माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हम लगातार सनातन की सरकार है, मंदिरों के प्रति, धर्म स्थानों के प्रति विशेष रूप से हमारी सरकार चिंतित है और निश्चित रूप से...। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- पहली बार, पहली बार । विधायक जी ।

श्री इंद्र साव :- माननीय सभापति महोदय, इस कार्यकाल में मात्र एक कार्य की स्वीकृति मिली है वह भी कार्य अपूर्ण है और आप बोलते हैं कि इस शासन में बहुत सारे काम हो रहे हैं । आप लोग मंदिर के नाम पर भले ही चुनाव जीत जाते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हैं लेकिन काम कहीं दिखता नहीं है । (व्यवधान) अभी ढ़ाई वर्ष होने जा रहे हैं लेकिन एक भी काम नहीं हुआ । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- यह पहली बार राम भक्त बन रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप यह कैसे बोल सकते हैं ? (व्यवधान)

कौशल विकास मंत्री (श्री गुरू खुशवंत साहेब) :- हम मंदिर बनवाते तो हैं । (व्यवधान)

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- गलत बात है । (व्यवधान)

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा :- ऐसी भाषा का उपयोग न करें । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए, श्री मोतीलाल साहू । (व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- रामलला हम आये हैं, मंदिर वहीं बनायेंगे । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप लोग 5 साल से केवल यही कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- धर्म की आड़ में लूटने का काम किया है । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव - धर्म के नाम पर वोट लेते हैं । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- यह मत करो । (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- क्या बात कर रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों के वह बने थे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठ जायें, प्रश्नकाल में सहयोग करें । अटल जी । (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- यह धर्म का अपमान करने वाले धर्म की बात करते हैं ।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए । (व्यवधान)

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, मात्र एक मिनट का समय बचा है । (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- आप लोग भगवान विरोधी हो । (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- धर्म की आड़ में पैसा कमाना बंद करो । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्म की आड़ में आप लोग कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- देखिये निषाद जी, राम जी की जो मूर्ति है । ये उसको भी पूरा परिवर्तन कर दिये ।(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप ही लोग नहीं छोड़े । (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- राम की सूरत को बदल दिये और हमारे संस्कृति मंत्री जी से पूछ रहे हैं और संस्कृति मंत्री जी यह जवाब दे रहे हैं (व्यवधान) कि इसका टी.एस. करके ले आना, मैं पूरे को स्वीकृति कर दूंगा । (व्यवधान) इतना दिलदार मंत्री आपको खोजने में नहीं मिलेगा । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता जी की जयंती है । (मेजों की थपथपाहट) जिन्होंने इसका अधिनियम लाया था, मैं सदन के माध्यम से उनकी जयंती की पूरे प्रदेश को और पूरे सदन को और देश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं । आज गऊ माता की बात चल रही थी और आज ऐसी पहली महिला सांसद की जयंती है, मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं । मैं चाहूंगा कि सभी उनके लिये एक-बार...।

सभापति महोदय :- मोतीलाल जी ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्नकाल है । मंत्री जी क्या बोल रहे हैं ।

<u>आर.डी.ए.एवं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल किया जाना</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 2216) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या आरडीए एवं हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल किये जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद् में निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त संबंध में कॉलोनी में सफाई, गारबेज कलेक्शन, विद्युतीकरण, पेयजल संकट, स्ट्रीट लाईट, मेंटेनेंस एवं सुविधा देने के संबंध में क्या कार्ययोजना तैयार की गई है? जानकारी उपलब्ध करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :जी हां, रायपुर विकास प्राधिकरण की 03 एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 32 कॉलोनियों को नगरीय निकायों को हस्तांतरित करने हेतु मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 04.02.2026 में निर्णय लिया गया है। मंत्रि-परिषद के निर्णय उपरांत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कॉलोनियों के हस्तांतरण हेतु निर्देश प्रसारित करना प्रक्रियाधीन है, तदुपरांत हस्तांतरण की कार्यवाही होगी। कॉलोनी में सफाई, गारबेज कलेक्शन, विद्युतीकरण, पेयजल संकट, स्ट्रीट लाईट, मेंटेनेंस एवं सुविधाओं हेतु कार्ययोजना संबंधित नगरीय निकायों द्वारा तैयार की जावेगी।

हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण होने तक, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू-संधारण एवं सामान्य रख-रखाव शुल्क प्राप्त कर, इन कॉलोनियों में नियमित रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी से है कि रायपुर विकास प्राधिकरण की 3 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 32 कॉलोनियों को...।

सभापति महोदय :- अच्छा, आप केवल एक प्रश्न कर लीजिये । बस हो गया ।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, नगरीय निकायों को हस्तांतरित करने का निर्णय मंत्रि परिषद ने लिया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं ? क्या इन कॉलोनियों में खेल मैदान, गार्डन, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, विद्यालय, आंगनबाड़ी ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी का उत्तर आने दीजिये, आप बैठ जाईये ।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, क्या इनका निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं हुआ है तो यह किस प्रकार से हस्तांतरण होगा क्योंकि एक भी...।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, हाऊसिंग बोर्ड जो नगर-निगम है ।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय
12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ.एन.रूल/716/2025-कॉमटैक्स सेक्शन (93), दिनांक 17 दिसम्बर 2025

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ.एन.रूल/716/2025-कॉमटैक्स सेक्शन (93), दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 पटल पर रखता हूँ।

पृच्छा

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। रायपुर शहर में सैकड़ों की संख्या में छातिम वृक्ष लगाये गये हैं। जिसको शायद सप्त पड़नी भी कहते हैं और इन वृक्षों के कारण लोगों को दमें की बीमारी हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है और जो हमारी गर्भवती बहनें, माताएं हैं, उनके बच्चोंन पर भी असर पड़ रहा है। हमारे सामने में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आये हैं। इस वृक्ष से जल स्त्रोत भी समाप्त् हो रहे हैं। पूरे देश नहीं, विश्व के वैज्ञानिकों ने इसके खिलाफ में रिपोर्ट दी है। मेरा एक प्रश्न है कि क्याच इस वृक्ष को हटायेंगे? और देश भर के राज्यों ने इसको हटाने के लिए निर्णय लिया है। मेरे हाथ में मध्यप्रदेश का आदेश है। गुजरात और तमिलनाडु में भी इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मैं पर्यावरण मंत्री जी से यह कहूंगा कि यहां से उस वृक्ष को हटायेंगे क्या ?

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गयी।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा):- माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में छत्तीरसगढ़ में बजट भी आया है, परन्तु बजट में यह देखने को मिल रहा है कि सरकार के मनरेगा के...।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का एक लाईन का जवाब आ जाये। यह बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए। उसका जवाब नहीं आएगा। आपने शून्यकाल में अपनी बात रख दी।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, अभी छत्तीसगढ़ के जो मनरेगा के मजदूर हैं । उन्हें 3 महीने से अधिक हो गया है उनको अभी राशि नहीं मिल पायी है । चिकित्सा विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी राशि नहीं मिल पायी है। ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विभाग हैं,

उन विभाग के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कृपा करके छत्तीपसगढ़ सरकार बजट की व्यवस्था करके, उनको समय में वेतन दिया जाये, यह मेरी मांग है।

समय
12.03 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्य-सूची में 77 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक- 22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

पहले क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जावेगी।

(1) ध्यानाकर्षण संख्या 01 : श्री पुरन्दर मिश्रा, श्री इंद्र साव (अनुपस्थित)

(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशों की अवहेलना की जाना.

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा), (डॉ. चरण दास महंत), (श्रीमती शेषराज हरवंश) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-केन्द्र सरकार शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाकर गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और व्यवहारिक शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी.-2020) लेकर आई है। जिसका राज्य सरकार प्रदेश में शत-प्रतिशत् क्रियान्वयन का दावा करती है। किन्तु प्रदेश की जमीनी हकीकत उन उद्देश्यों से मेल खाती नहीं दिख रही है। सरकार द्वारा इस वर्ष शालाओं का युक्तियुक्तकरण करके प्रदेश के लगभग 10 हजार स्कूलों का समायोजन कर दिया गया, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बिन्दु क्रमांक-7.4 पैरा-45 में स्कूलों के समायोजन के संबंध में ''छोटे पैमाने पर समेकन एवं बच्चों के पहुंच पर कोई प्रभाव न पड़े" उल्लेखित है। उसके बाद भी

प्रदेश में व्यापक स्तर पर स्कूलों का समायोजन किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बिन्दु क्रमांक-2.3 में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात (पी.टी.आर.) समाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में 25:1 से कम हो उल्लेखित किया गया है, किन्तु युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में एक समान शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात प्राथमिक शालाओं में 30:1 रखने हेतु निर्देश जारी किया गया, जो एन.ई.पी.-2020 के मूल भावना के विपरीत है। प्रदेश में एन.ई.पी.-2020 के गलत क्रियान्वयन से शिक्षकों के लगभग हजारों पद भी समाप्त हो गए। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुरानी व्यवस्था के बदले 3-18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचार्य और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर शिक्षण की एक नई व्यवस्था को पुर्नगठित करने की बात कहती है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश क्रमांक-जी.ई.एन.एस.-22308/2025 नवा रायपुर दिनांक 16/12/2025 में आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालय में नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश को बंद कर सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने का आदेश जारी किया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21-ए. (शिक्षा का अधिकार) की मूल भावना के विपरीत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन विभाग द्वारा की जा रही निर्देशों की अवहेलना से पालकों एवं वंचित वर्ग के छात्र-छात्राओं में शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- माननीय सभापति महोदय, प्राप्त जानकारी अनुसार यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाकर गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और व्यवहारिक शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी.-2020) लागू किया गया है, जिसका क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि सरकार द्वारा इस वर्ष शालाओं का युक्तियुक्तकरण करके प्रदेश के लगभग 10 हजार स्कूलों का समायोजन कर दिया गया है। सही यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को ध्यान में रखते हुए शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है।

सत्य यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत एक परिसर की शालाओं तथा कम दर्ज संख्या वाली शालाओं को अधिक दर्ज संख्या वाली शालाओं के साथ युक्तियुक्त किया गया है। यह कहना सही नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात (पी.टी.आर.) सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में 25:1 से कम है। सत्य यह है कि पूरे राज्य में प्राथमिक शालाओं में छात्र शिक्षक अनुपात 20:1, माध्यमिक शालाओं में 18:1 है।

यह कहना सही है कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा अर्थात् नर्सरी, पी.पी.-1 तथा पी.पी.-2 की सुविधा को आर.टी.ई. के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से समाप्त कर दिया है, क्योंकि "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 केवल 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों

के लिये प्रभावी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा निर्देशों की अवहेलना नहीं की गई हैं, अपितु नीति के मानक अनुसार प्रभावी कार्य किया जा रहा है। फलस्वरूप पालको एवं वंचित वर्ग के छात्र-छात्राओं में कोई रोष एवं आकोश व्याप्त नहीं है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । जो युक्तियुक्तकरण किया गया, उसकी वजह से शिक्षकों के पद समाप्त हो गए और जो केन्द्र सरकार की शिक्षा नीति है, उसकी सीधे-सीधे अवहेलना की गई है । यह आप ही के विभाग का आदेश है-क्रमांक एफ/224/2024/20-3 । यह पत्र 28.4.2025 को समस्त कलेक्टरों को लिखा गया था, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि युक्तियुक्तकरण करने वाले प्राथमिक विद्यालयों की कुल दर्ज संख्या 60 या उससे कम है तो वहां एक प्रधान पाठक एवं एक सहायक शिक्षक होगा । बाकी अतिशेष की श्रेणी में आएंगे । दर्ज संख्या 61 से 90 होगी तो एक शिक्षक और दर्ज संख्या 90 से 120 होगी तो चौथे शिक्षक रहेंगे । मतलब आपने 30 के अनुपात में एक शिक्षक किया है, लेकिन आप शिक्षा नीति को देखें तो उसमें कंडिका 2.3 में अनुपात के बारे में बहुत साफ लिखा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में राज्य का औसत नहीं, प्रत्येक स्कूल में शिक्षक-विद्यार्थियों का अनुपात 30:1 से कम हो और सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में शिक्षक-विद्यार्थियों का अनुपात 25:1 हो । आपने यह पूरे राज्य का औसत दे दिया, लेकिन क्या आपने यह सुनिश्चित किया है कि हर स्कूल में इस अनुपात का पालन किया गया है ? क्योंकि आपके आदेश में यहां कहीं भी नहीं है।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, माननीय राघवेन्द्र सिंह जी बहुत विद्वान सदस्य हैं। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात कर रहे हैं। क्योंकि 5 साल आपकी सरकार थी। सन् 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति चालू हुई है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ओर देखा तक नहीं है, लागू करना तो बहुत दूर की बात है। आपने कम से कम उस विषय को उठाया है, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, चूंकि यहां मामला एक स्कूल को लेकर नहीं करते हैं। सरकार पूरे प्रदेश के हर बच्चों की चिंता करती है। उसके हिसाब से मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 36 लाख बच्चे हैं। (सदस्य श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह के खड़े होने पर) मैं बोल रहा हूं, पहले आप मेरी बात सुन लीजिये। प्रदेश में 36 लाख बच्चे हैं और 36 लाख बच्चों में 1 लाख 84 हजार शिक्षक हैं। यदि हम एवरेज देखें, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपात है, वह 22:1 है। 22 बच्चों में 1 शिक्षक होना चाहिए, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तुलना करें तो हमारे राज्य में बच्चों की दर्ज संख्या और हमारे राज्य में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अनुपात देखें तो वह अनुपात 19:1 आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बेहतर पूरे देश में राज्य की शिक्षा नीति का अनुपात है।

सभापति महोदय, अब रही बात युक्तियुक्तकरण की, मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मेरा इसी पर स्पेसीफिक सवाल है।

श्री गजेन्द्र यादव :- आप मेरी बात सुन लीजिये। फिर आप प्रश्न करेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, युक्तियुक्तकरण से कहीं भी कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ है, यह पहली बात है। (मेजों की थपथपाहट) सरकार की यह मंशा है, आपको प्रदेश के माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि पूरे देश में नई शिक्षा नीति के तहत युक्तियुक्तकरण प्रणाली की बात कही गई थी। आपने जो प्रश्न किया, कण्डिका 7.4 के बारे में कहा, आपने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे ध्यान में नहीं है। कण्डिका 7.4 में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्थानीय स्तर पर, राज्य शासन अपनी सुविधा के अनुसार वहां सेटअप कर सकता है, युक्तियुक्तकरण कर सकता है। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पहली हमारी सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो पूरे देश में पहला युक्तियुक्तकरण किया है, छत्तीसगढ़ के हमारे विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। हमने युक्तियुक्तकरण क्यों किया, मैं उस पर जाना चाहता हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, स्पेसीफिक सवाल है।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, चूंकि विषय है। मैं यह बोलना चाहता हूं, हमने आपको जो 19:1 अनुपात का आकड़ा दिया है। 19:1 अनुपात का आकड़ा हमारे यहां बच्चों की दर्ज संख्या और स्कूलों के शिक्षकों संख्या को देखा जाये तो वह है। उसके बावजूद भी करीब-करीब 8 प्राथमिक शालाएं ऐसी थी, जहां 15 शिक्षक थे, जहां दो कक्षाएं होती थीं। 61 प्राथमिक शालाएं ऐसी थीं जहां पर 10 से 14 शिक्षक थे। 749 ऐसे स्कूल थे जहां पर 6 से 9 शिक्षक थे, मैं प्राथमिक स्कूल की बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, 211 ऐसे स्कूल हैं, जहां शून्य दर्ज पर शिक्षक थे। प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं, जहां शिक्षक विहीन थे। मैं बताना चाहता हूं प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और हाईस्कूल मिलाकर कुल 453 स्कूल ऐसे थे, जो पूर्णत: शिक्षकविहीन थे। लगभग 5,936 ऐसे स्कूल हैं, जहां पर एक शिक्षक हैं। सभापति महोदय, जो असमानता है, हम एक तरफ बात करते हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं, 211 ऐसे स्कूल हैं, जहां बच्चे नहीं है, वहां पर्याप्त शिक्षक हैं। 8 स्कूल ऐसे हैं, जहां 2 कक्षाएं हैं और 15 शिक्षक हैं। 61 स्कूल ऐसे थे, जहां दो कक्षाओं में 10 से 14 शिक्षक हैं। 749 ऐसी स्कूलें हैं, जहां पर 6 से 9 शिक्षक हैं। हम एक तरफ देखते हैं कि हमारे यहां 453 शिक्षक विहीन स्कूल हैं। तो जो असमानता है, उस असमानता को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने युक्तियुक्तकरण लाया। वह युक्तियुक्तकरण नई शिक्षा नीति के तहत ही है। नई पॉलिसी की कण्डिका क्रमांक- 7.4 पढ़ा था, उसी में 7.5 में स्पष्ट लिखा गया है, जहां शिक्षक की जो चुनौती है, उस चुनौती को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के द्वारा स्कूलों के समूह बनाने एवं उनकी संख्या को समुचित रूप में देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान किया जाएगा।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, थोड़ा संक्षेप में उत्तर देंगे न।

श्री गजेन्द्र यादव :- जी, मेरा निवेदन है, हम जो नई शिक्षा नीति का पालन कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति के तहत हमारा मूल उद्देश्य है, जहां बच्चे हैं, वहां पर्याप्त शिक्षक हों। शिक्षक व्यवस्था हमको उपलब्ध कराना, यह हमारे युक्तियुक्तकरण का मूल उद्देश्य था।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, आपके भाषण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। शिक्षा नीति यह कहती है, मैं साफ पढ़ देता हूं, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपात का पालन किया जाएगा। आप मुझे प्रदेश का बता रहे हैं कि इतने टोटल स्टूडेंट्स हैं, इतने हमारे टोटल शिक्षक हैं, आपने डिवाइड कर दिया और बता दिया कि उसका इतना हमारा एवरेज है । इसमें साफ लिखा हुआ है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से जो वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्र हैं, उनका अनुपात अलग होगा और जो बाकी जगह का अनुपात है, वहां अलग होगा। तो मेरा स्पेसिफिक दो सवाल है इस पर पहले :- 1. क्या हमारे जितने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित स्कूल और नॉर्मल स्कूल हैं, उसकी क्या आपने एक अलग सूची बनवाई? 2. क्या हर स्कूल में, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हू, शिक्षा नीति कहती है प्रत्येक स्कूल में। तो क्या प्रत्येक स्कूल में इस अनुपात का पालन किया गया है? ये दो मेरे स्पेसिफिक सवाल हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, बिल्कुल आप जो पूछ रहे हैं कि सामाजिक जनसंख्या का अनुपात, वनांचल क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र और इन सब के अलावा जो युक्तियुक्तकरण का 30:1 का जो पहले हमारा अनुपात था, उसको सुधारकर हम 19:1 में किए और...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मेरा स्पेसिफिक सवाल है, क्या आपने दो लिस्ट अलग करीं और क्या यह हर स्कूल में, जैसे 19:1 का आप दे रहे हैं, तो क्या यह हर स्कूल में इसका पालन हुआ है? मैं बस इतना ही तो पूछ रहा हूं ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, सभी स्कूल के लिए पहले समिति बनी। ब्लॉक लेवल की समिति बनी, जिला लेवल की समिति बनी। जहां मैं बता रहा हूं, जहां पर अनुपात जो देखा गया, उसमें जो नई शिक्षा नीति के तहत जो युक्तियुक्तकरण का जो नियम बनाया गया, उस नियम में अगर शहरी क्षेत्र में 500 मीटर के अंदर में दो स्कूल हैं, जिसमें एक स्कूल...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। इसमें जवाब नहीं आ रहा है।

श्री गजेन्द्र यादव :- मैं उसी का जवाब दे रहा हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि जो रेशियो ये मुझे बता रहे हैं 19 का, क्या यह हर स्कूल में, क्योंकि शिक्षा नीति प्रत्येक स्कूल में कहती है । मुझे आपका एवरेज नहीं चाहिए,

न डिस्ट्रिक्ट का, न इसका। क्या प्रत्येक स्कूल में इसका पालन किया गया? बस इतना ही पूछ रहा हूं, हां-न में जवाब दे दें।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभी स्कूलों का पालन किया गया। पालन के लिए पहले हमने नियम बनाए। उन स्कूलों को देखा गया जहां पर अगर 2-5 किलोमीटर के दायरे पर दो स्कूल हैं, जहां पर एक स्कूल में दोनों स्कूल में अगर एक स्कूल में मान लीजिए संख्या 10, संख्या 30 से कम है, तो उसमें दूसरे उस स्कूल को मर्ज किया गया। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की, पालन किया गया, मैं आपको बोल रहा हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- महोदय, मेरा सिर्फ स्पेसिफिक सवाल यह है कि जो आपके आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जहां पर ज्यादा हैं और जो एक सामान्य रूप से जहां पर शिक्षा नीति के हिसाब से जो 25:1 और 30:1 का रेशियो का पालन करना था, मैं आपसे स्पेसिफिकली एक सवाल पूछ रहा हूं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि क्या प्रत्येक स्कूल में पालन किया गया है? क्योंकि मेरी ही constituency में कई ऐसे स्कूल हैं, जहां पर यह पालन नहीं किया गया है, मैं उसकी सूची भी उपलब्ध करवा दूंगा और आप अगर पालन किए हैं तो आप बता दीजिए कि हां, हमने प्रत्येक स्कूल में प्रदेश में पालन किया है, बस इतना ही मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षा नीति का जो युक्तियुक्तकरण, शिक्षा नीति में पालन की बात अलग है, युक्तियुक्तकरण की बात अलग है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, मैं अनुपात पर पूछ रहा हूं कि क्या प्रत्येक स्कूल में अनुपात का पालन किया गया? बस इतना ही मेरा स्पेसिफिक सवाल है, हां-न में जवाब दे दें।

श्री गजेन्द्र यादव :- हमने उन स्कूलों में किया है, जिन स्कूलों में अनुपात ज्यादा है। सारे स्कूलों को नहीं लिया।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- इसका मतलब आपने सारे स्कूलों में पालन नहीं किया।

श्री गजेन्द्र यादव :- नहीं किए हैं, समिति जो बोली।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, इसका मतलब यह है कि मंत्री जी की तरफ से जवाब आ रहा है कि शिक्षा नीति का पालन यहां पर नहीं हुआ है। यह तो उनकी तरफ से जवाब आ गया। मैं दूसरा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आपके यू-डाइस कोड जिनको आपने मर्ज किया है, सारे जीवित हैं या जिनको मर्ज कर दिया गया है, उसके यू-डाइस कोड खत्म हो चुके हैं?

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, एक सेंटर में अगर एक से अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उन स्कूलों को जहां पर एक परिसर में स्कूल चल रहे हैं। सभापति महोदय, हेड मास्टर का अलग यू-डाइस कोड है, मिडिल स्कूल का अलग यू-डाइस कोड है, मिडिल स्कूल का अलग यू-डाइस कोड है,

प्राइमरी स्कूल का अलग यू-डाइस कोड है और हाई स्कूल-हायर सेकेंडरी स्कूल का अलग यू-डाइस कोड है। हमने उस यू-डाइस कोड को एक किया है। एक यू-डाइस कोड में एक प्रिंसिपल के अंडर में प्रशासकीय कसावट आए, शिक्षकों की जो Unbalancing है। अभी तक यह होता था कि एक परिसर में चार अलग-अलग स्कूल, मिडिल के, प्राइमरी के, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के स्कूल लगते थे। मान लीजिये हाई स्कूल में कोई साइंस का टीचर है, तो वह मिडिल में पढ़ाने नहीं जाता था। मिडिल स्कूल में कोई इंग्लिश का टीचर है तो वह हाई स्कूल में पढ़ाने नहीं जाता था। मिडिल स्कूल में कोई टीचर है तो वह प्राइमरी में पढ़ाने नहीं जा सकता था। उन सब में एकरूपता लाने के लिए हमने युक्तियुक्तकरण किया। युक्तियुक्तकरण के तहत एक परिसर या एक संस्था, जो सबसे बड़ा जैसे प्राचार्य है, उस प्राचार्य के अंडर में बाकी सारे स्कूल आएंगे। इसलिए सब जगह यू-डाइस कोड सिंगल रहेगा, लेकिन बाकी जो पद हैं, वह As It Is रहेंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि पहले आपने इस बात को कबूला है कि शिक्षा नीति का प्रत्येक स्कूल में पालन नहीं हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं फिर इस बात का दावा कर रहा हूँ कि यू-डाइस कोड समाप्त नहीं किया गया है। स्कूल मर्ज हुए हैं, मैं आपको अपने जिले का आँकड़ा दे दूँगा। हमारे यहाँ कई ऐसे स्कूल हैं, जिनको ऑन पेपर मर्ज कर दिया गया है और उसके यू-डाइस कोड को समाप्त नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी, क्या आप इसकी जाँच कराएँगे?

श्री गजेन्द्र यादव :- चूँकि अभी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया चल ही रही है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। (हंसी) मेरी बात सुन लीजिए। नई शिक्षा नीति सभी जगहों पर लागू नहीं हुई है। अभी वह प्रक्रियाधीन है। अगर ऐसा सही में शिकायत आ रही है कि यू-डाइस कोड मर्ज...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, क्या अभी प्रक्रियाधीन है?

श्री गजेन्द्र यादव :- हाँ अभी प्रक्रियाधीन है। क्योंकि आज भी प्रक्रिया चल रही है। बहुत से जो लोग कोर्ट में चले गये हैं, जिसके कारण अभी भी कुछ लोगों का, कई जगहों का रुका हुआ है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय मंत्री महोदय, मैं स्कूल के मर्जर की बात कर रहा हूँ कि मर्जर कंप्लीट हो गए हैं या नहीं हुए हैं? अभी जो स्कूल मर्ज हो गए हैं, उसका यू-डाइस कोड जीवित है या खत्म कर दिया गया है?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, यू-डाइस कोड की पूरी मॉनिटरिंग भारत सरकार करती है। हम अपनी ओर से संबंधित स्कूलों को उच्च स्कूलों में मर्ज किया है। भारत सरकार चेक करेगी। चूँकि इस सत्र के बाद फिर से जब मीटिंग होगी, तब हम सूचना देंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय सभापति महोदय, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है। इसका हाँ या ना में भी जवाब आ सकता है। जो मर्ज स्कूल हैं, क्या उसके यू-डाइस कोड को समाप्त किया गया

है या वह अभी जीवित है, एक्टिव है, लाइव है? इतना ही प्रश्न का जवाब आप हाँ या ना में बता दीजिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमने समाप्त कर दिया है। उसको समाप्त करना भारत सरकार का काम है। हमने अनुशंसा भेज दिया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आपने समाप्त किया है या समाप्त करना भारत सरकार का काम है? सभापतिम होदय, यह दो अलग-अलग बातें आ रही हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- यू-डाइस कोड को भारत सरकार जनरेट करती है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- फिर आपने कैसे समाप्त किया, अगर उन्होंने...?

श्री गजेन्द्र यादव :- हमने उसको समाप्ति के लिए भेज दिया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अच्छा, आपने अनुशंसा करके समाप्त करने के लिए भेज दिया है, मैं ऐसा समझूँ?

श्री गजेन्द्र यादव :- जी।

सभापति महोदय :- ठीक है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय मंत्री जी, राघवेन्द्र सिंह जी ने आपको काफी उलझा दिया है। इसलिए आप थोड़ा-सा शांत हो जाइये। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-45 में उल्लेख है कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करेगा। ठीक है? यह 6 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए है। आपकी जो नई शिक्षा नीति बनी है, उसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आपने कितने प्राइवेट स्कूल खोलने का या कितने शासकीय स्कूल खोलने की व्यवस्था की है? आप पूरे प्रदेश की संख्या बता दीजिये।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो 6 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों की बात कही है। चूँकि आर.टी.ई. और नई शिक्षा नीति हम 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों के ऊपर लागू करते हैं। जो नई शिक्षा नीति है, उसके लिए भारत सरकार बालवाड़ी स्वीकृत करता है और अभी छत्तीसगढ़ में 11,000 बालवाड़ी स्वीकृत हैं। जिसमें प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचरों को हम अलग से वेतन भुगतान करते हैं कि आप बालवाड़ी के भी बच्चों को नर्सरी पैटर्न में पढ़ाई कराएँगे। वर्तमान में 3 से 6 तक के जो बच्चे हैं, उनको आँगनवाड़ी से शिक्षा दी जा रही है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आपके पास शासकीय व्यवस्था तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो अशासकीय शालाएँ चलाई जा रही हैं, उनकी संख्या कितनी है, यह आप बताएँगे?

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, चूँकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे स्कूलों के लिए हमने लागू की है। हम प्राइवेट स्कूलों का कैसे जवाब दे पाएँगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ.चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, हमारे गांव-गांव में प्रायवेट नर्सरी स्कूल खुले हुये हैं, जिसका फीस 10 हजार रूपये से लेकर लाखों रूपये तक है। गांव के गरीब लोग अपने बच्चों को लाख-लाख रूपये फीस देकर अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे ? क्या इसकी चिन्ता करना आपके विभाग की जवाबदारी नहीं है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, प्रायवेट स्कूलों की जो संख्या बढ़ी है, हम लोगों ने कहीं न कहीं लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाये हैं । अंधाधुंध ट्रांसफर किये हैं, शहर और ग्रामीण असमानतायें आई, उसकी वजह से प्रायवेट स्कूल बहुत बड़ी संख्या में जनरेट हुआ है । हम लोग अभी लगातार आंगनबाड़ी के प्ले स्कूलों को बढ़ा रहे हैं । हमारी कोशिश यह होगी कि जो शासकीय स्कूल हैं, युक्तियुक्तकरण करने का हेतु वही है कि अलग-अलग परिसर में शिक्षा व्यवस्था देना और वह क्वालिटीपूर्ण न होकर एक परिसर में अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली से लैस हो । सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत बेहतर हो, गुणवत्तापूर्ण हो, जब हमारा सरकारी स्कूल अच्छा हो जायेगा तो स्वाभाविक रूप से लोग पुन: सरकारी स्कूलों की ओर आयेंगे और लोगों की समस्यायें भी दूर होगी । हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमने उसके पहले क्रम में युक्तियुक्तकरण किया है । असमानता को दूर करने का प्रयास किया है । आने वाले समय में स्मार्ट क्लास, ई-क्लाज यह सब चीज हम लोग लायेंगे । आपने डिमांड में लगभग 7700 स्कूलों की जो चिन्ता की है, जो अशासकीय शालाये हैं, उसमें में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में कैसे लाये । यह हमारी सरकार की चिन्ता है ।

डॉ.चरणदास महंत :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का कुछ जवाब सत्य पर आधारित नहीं है, आप 7700 स्कूल के लगभग बता रहे हैं, यह तो वही स्कूल है, जिसकी जानकारी है और आपने जो पहले बताया है कि इसकी जानकारी नहीं है, आज गांवों और शहरों में अलग-अलग स्कूल हैं । हमें चिन्ता उन गरीबों की है जो अपने 3 साल से 6 साल तक के बच्चों की फीस नहीं जमा कर सकते हैं और जो प्रायवेट स्कूलों का फीस है, उसको रेगुलर करने के लिये कोई निर्देश या आदेश आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, आप कानून बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं ? आप नई नीति नहीं बनाये हैं तो क्या उसको शामिल करेंगे कि ऐसे बच्चों का फीस 10 हजार, 20 हजार से ज्यादा न हो, यहां तो लाखों रूपये में गरीबों से फीस वसूल किया जा रहा है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है तो पहला यह है कि जितने भी गांवों में प्ले स्कूल खुलते हैं, वह हमारे नियंत्रण में तब आता है जब वह बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जब वह कक्षा पांचवी में पहुंचते हैं तब आते हैं । उसके पहले हम यह नहीं बता पाते हैं कि कहां कितने स्कूल चल रहे हैं । जब वह प्ले स्कूलों से पहली, दूसरी और पांचवी में पहुंचता है तो पांचवी में पहुंचने के बाद वह रजिस्ट्रेशन कराता है, तब हमें मालूम होता है कि वास्तव में कितने स्कूल हैं । दूसरी बात, प्रायवेट स्कूलों में हमारा सीधा नियंत्रण नहीं रहता है। आपने जो इसकी चिंता की है,

कई बार राज्य शासन ने सर्कुलर जारी किया है, आदेश जारी किया है कि लिमिट फिक्स होना चाहिये कि एनसीआरटी की बुक्स ही खरीदें । लोगों को महंगाई से बचायें, लोगों के ऊपर जो अनावश्यक व्यय होता है, उसकी सीमा हो । सरकार ने इस संबंध में कई बार प्रायवेट स्कूलों को निर्देश जारी किया हुआ है।

श्रीमती शेषराज हरिवंश :-माननीय सभापति महोदय...।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण में आपका नाम नहीं है ।

श्रीमती शेषराज हरिवंश :- है, है, है । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि नर्सरी, पी.पी.1 और पी.पी.2 में आरटीई के तहत प्राप्त सुविधा को समाप्त करने का कारण क्या है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, देखिये, कभी भी और कहीं भी न छत्तीसगढ़ सरकार में और न भारत सरकार द्वारा पी.पी.1 और पी.पी.2 में यह प्रावधान था ही नहीं ? राज्य सरकार के द्वारा जब आत्मानंद स्कूल खोले गये तो 54 स्कूलों को पूर्व सरकार ने बिना किसी वित्तीय सहमति के आदेश जारी कर दिये गये कि इन 54 स्कूलों में नर्सरी, पी.पी.1 पी.पी.2 खोला जायेगा । बाद में उनको स्थानीय व्यवस्था चलाने के लिए बात कही, वह डी.एम.एफ. कि राशि से स्कूल चलाने लगे। जब नया डी.एम.एफ. का नियम आया, तो जहां-जहां 54 स्कूल चल रहे हैं, उन जिलों के जिला कलेक्टरों ने कहा कि हमारे पास अब इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम स्कूल चला पाएं। यहां पर शासन ने उनको एक निर्देश जारी किया कि जो बच्चे जिनका एक बार चयन हो गया है, उन बच्चों की पढ़ाई केजी-2 तक चलना चाहिए। उसके बाद, जैसे बाकी सेजेस के स्कूल चलते हैं, उसी पैटर्न में चला जाए। बाकी प्ले स्कूल के लिए 3 से लेकर 6 साल तक के हमारे यहां आंगनबाड़ी चलती है, उसमें भी बेसिक शिक्षा दी जाती है। जो बच्चे पीपी-1, पीपी-2 नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी एक विकल्प है जिसमें वह पढ़ाई कर सकते हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- राघवेन्द्र जी आगे बढ़ गए हैं। महंत जी, महंत जी के बाद हरवंश जी, हो गया, बढ़ गया है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे थे कि युक्तियुक्तकरण में स्कूल बंद नहीं हुए। मैं जांजगीर जिला के अकेले का आंकड़ा बता रही हूं। युक्तियुक्तकरण से पहले शासकीय प्राथमिक शाला 762 थी, उसके बाद घटकर 457 हो गया, उसमें 305 स्कूल बंद हो गए। दूसरा युक्तियुक्तकरण से पहले शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, जो 409 संख्या थी और युक्तियुक्तकरण के बाद वह 351 हो गया, 58 स्कूल बंद हो गए। माननीय मंत्री जी आप बताएं।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, पहली बात, कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ, स्कूल का समायोजन हुआ है, मैंने इसके पहले भी पूर्व में कहा है। जो स्कूल एक परिसर में चार अलग-अलग क्लासेस लगते थे, बच्चा प्राइमरी स्कूल का है, अगर उसको मिडिल में जाना है तो उसे एक बार टीसी

लेना पड़ता था। मिडिल स्कूल के बच्चे को हाई स्कूल में जाना है तो दूसरी बार टीसी लेना पड़ता था। तीन बार वह प्रक्रिया से गुजरता था, उसका एक कारण ये रहा कि हमारे यहां जो स्कूल छोड़ने की संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। उसी समस्या को दूर करने के लिए 87% स्कूल ऐसे हैं जो एक ही बिल्डिंग में, एक परिसर में लगेंगे। स्वाभाविक है, स्कूल में अभी दर्ज संख्या चार है, मान लो हम एक स्कूल में मर्ज किए तो संख्या एक हो जाएगी। कहीं भी स्कूल बंद नहीं हुआ, हम उनको बड़े स्कूलों में समायोजित किए हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, इस पर मेरा एक सवाल है, मुझे एक बार मौका दिया जाए। आदरणीय मंत्री जी, आप 2009 का जिसका 6 से 18 साल तक में उल्लेख कर रहे हैं। 2013 में जब पूर्ववर्ती सरकारें थीं तो उन्होंने इसको 2009 के बाद भी नर्सरी में लागू किया था। अगर हम आर्टिकल 45 को देखें तो सभी बालकों 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसी में जो 2009 के एक्ट में प्रावधान है, अगर आप 12 देखेंगे तो 12 में भी इसका उल्लेख किया गया है, नंबर एक। नंबर दो, मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल है, चूंकि आपने ये माना है कि शिक्षा नीति सारे स्कूलों में लागू नहीं हुई है, क्या आप फ्रेश गाइडलाइन जारी करेंगे कि शिक्षा नीति के अनुसार सारे स्कूलों में अनुपात का ध्यान रखा जाएगा? नंबर तीन, उसमें जो शिक्षक की कमी हो रही है, जो आपने 57,000 से 34,000 और अब 5,000 की भर्ती निकाली है, क्या उस अनुपात को ठीक करने के लिए आप शिक्षकों की भर्ती में इजाफा करेंगे? आपसे मेरे ये तीन स्पेसिफिक सवाल हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, उसमें एनईपी में स्पष्ट कहा गया है कि उम्र 3 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में ही भर्ती करना है। उनके लिए आंगनवाड़ी में प्राथमिक शिक्षा, ईसीसीई जो बोलते हैं, वह उनको प्रारम्भ शिक्षा देनी है। दूसरी बात आपने शिक्षक भर्ती की बात कही। हम लोगों ने जहां शिक्षकों की जो कमी थी...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय मंत्री जी, जैसा आपने कहा, अनुपात का पालन हर स्कूल में नहीं हुआ है तो क्या आप एक फ्रेश गाइडलाइन जारी करेंगे कि उसका पालन हर स्कूल में हो जाए जो शिक्षा नीति कहती है? बाकी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री गजेन्द्र यादव :- एक बार नई शिक्षा नीति पॉलिसी पास करने के बाद सरकार ने कही है, एक बार ऑर्डर निकला है तो क्रमशः जहां-जहां अनुपात में कमी है, उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय मंत्री जी, अभी तक कोई भी ऐसा आदेश आपकी विभाग से नहीं निकला है।

सभापति महोदय :- राघवेंद्र जी, सामान्यतः ध्यानाकर्षण में दो से तीन प्रश्न पूछा जाता है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैंने तीन प्रश्न पूछा है।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, इसके पहले आप सात-आठ प्रश्न निकाल लीजिए। उसके बाद मैं समझता हूं कि आप लोग कार्रवाई में सहयोग करें। आगे बढ़ना है, अभी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। माननीय सभी सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा, उसमें आपके सुझाव भी आएंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आप जो वह सात-आठ प्रश्न बता रहे हैं, उसमें से चार-पांच प्रश्न रिपीटेड हैं। बार-बार वही-वही प्रश्न पूछना पड़ रहा है। एक्चुअल में उन्होंने 3 प्रश्न ही पूछे हैं।

सभापति महोदय :- उमेश जी, मैं यह नहीं बोल रहा हूं। आप जो मुझे बता रहे हैं, लेकिन सामान्यतः यही होता है कि मूल प्रश्नकर्ता पहले प्रश्न कर ले, फिर उसके बाद के प्रश्नकर्ता, फिर उसके बाद के प्रश्नकर्ता प्रश्न कर करते हैं और उसके बाद समाप्त हो जाता है। उसमें भी हम सीरियल से 10-12 प्रश्न नहीं करते हैं। आपने भी देखा है कि सामान्यतः दो-तीन प्रश्न करते हैं तो मेरा कहना है कि आप सहयोग करें और आपके प्रश्न का जितना जवाब मंत्री जी ने दिया है, वह दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय सभापति महोदय, उसमें मैंने स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप सहयोग करें। कार्यसूची के पद चार के उप पद 3 से 77 तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुईं तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जाएंगे। सदस्यों का नाम कार्रवाई में मुद्रित किया जाएगा। (व्यवधान)

(3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह

(4) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह

(5) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह

(6) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह

(7) डॉ. चरणदास महंत

(8) श्री रोहित साहू

(9) श्री उमेश पटेल

(10) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते

(11) श्रीमती अंबिका मरकाम

(12) श्रीमती अंबिका मरकाम

(13) श्री उमेश पटेल

(14) श्री अटल श्रीवास्तव

(15) श्री दलेश्वर साहू

(16) श्री दिलीप लहरिया

(17) श्रीमती अंबिका मरकाम

(18) श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती शेषराज हरवंश

(19) श्रीमती भावना बोहरा

(20) श्री अटल श्रीवास्तव

(21) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(22) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(23) श्री कुंवर सिंह निषाद

(24) श्री धरमलाल कौशिक

(25) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(26) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(27) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(28) श्री दिलीप लहरिया

(29) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते

(30) श्रीमती अंबिका मरकाम

(31) श्री देवेन्द्र यादव

(32) श्री देवेन्द्र यादव

(33) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(34) सर्वश्री लखेश्वर बघेल, विक्रम मण्डावी

(35) श्री लखेश्वर बघेल

(36) डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश

(37) श्री सुशांत शुक्ला

(38) श्री सुशांत शुक्ला

(39) श्रीमती कविता प्राण लहरे

(40) श्रीमती कविता प्राण लहरे

(41) श्री अटल श्रीवास्तव

(42) श्री बालेश्वर साहू

(43) श्री संदीप साहू

(44) श्री इंद्रशाह मण्डावी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(45) श्री द्वारिकाधीश यादव

(46) श्री सुशांत शुक्ला

(47) श्रीमती कविता प्राण लहरे

(48) श्रीमती चातुरी नंद

(49) श्रीमती चातुरी नंद

(50) श्रीमती चातुरी नंद

(51) श्रीमती चातुरी नंद

(52) श्री इंद्रशाह मण्डावी

(53) श्री द्वारिकाधीश यादव

(54) श्री विक्रम मण्डावी

(55) श्री रामकुमार यादव

(56) श्री लखेश्वर बघेल

(57) श्री राजेश मूणत

(58) श्री राजेश मूणत

(59) श्री अनुज शर्मा

(60) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(61) श्री राजेश मूणत

(62) श्रीमती अनिला भेंडिया

(63) श्रीमती शेषराज हरवंश

(64) श्री राजेश मूणत

(65) श्री इंद्रशाह मण्डावी

(66) श्री ब्यास कश्यप

(67) श्री ब्यास कश्यप

(68) श्री संदीप साहू

(69) श्रीमती अंबिका मरकाम

(70) श्री ब्यास कश्यप

(71) श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, श्रीमती शेषराज हरवंश

(72) श्री सुनील कुमार सोनी,

(73) श्री संदीप साहू

(74) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(75) डॉ. चरणदास महंत

(76) डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश

(77) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, बस आखिरी हे। आप सुनो न। एक मिनट। मोर प्रश्न नहीं हे, केवल सुझाव हे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अभी अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी, उसमें आप अपना सुझाव दे दीजियेगा। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- रामकुमार जी, [xx][3] (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वह सुझाव दे रहे हैं। वह माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, सबेच बात ला पढ़े-लिखे मन नहीं जाने, कुछ बात ला बिना पढ़े-लिखे घलो जानथे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शून्यकाल। रामकुमार जी, द्वारिकाधीश जी, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, या तो आप विलोपित करिए। माननीय सदस्य को बार-बार अपमानित किया जाता है। पढ़ा-लिखा नहीं है। आप इसी विभाग में बोलो, पशुपालन विभाग में बोलो। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, इनको चन्द्रपुर की जनता ने भेजा हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह ग्रेजुएट हैं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपको कानून में होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- यह चुन कर आए हैं। लगातार यही हो रहा है। इनको अपमानित करने का अधिकार नहीं है। आप अभी कार्यवाही में से विलोपित करिए।

सभापति महोदय :- इसको कार्यवाही से विलोपित करते हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, यहां गरीब के भावना भी आना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अब आप बैठिए। उमेश जी, आप तो रामकुमार जी को विलोपित करवा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शून्यकाल की सूचना। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आप मोला बोले के मौका दो या मत दो, लेकिन मोला चंद्रपुर के जनता हा चुन के भेजे हे। मैं एक शब्द बोलना चाहत हो।

---

[3] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति जी, लेना तोरे पक्ष में बोलत हन। थोड़ा से चुप तो रहाव। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- ऐसा नहीं होता है। जब भी खड़े होते हैं, हाथ उठाते हैं तो आपको सहयोग करते हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, कोई बात नहीं हे। लेकिन आज मे गरीब के भावना ला रखना चाहेव तो आप मोला मोर बात ला बोले बर नहीं रखन देव। मोला बोलन देव। ए मेर गरीब के बात आही। आप इतना जिद कइसे करत हो?

सभापति महोदय :- आपको आसंदी इतना सहयोग करती है। मुझे लगता है कि बाकी सदस्यों को इतना सहयोग नहीं करती है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, यह सदन में किसी बहस में मैं गरीब हूं, अमीर हूं, इस जात का हूं, उस जात का हूं, ये इमोशनल बातें नहीं होती हैं, व्यावहारिक बातें होती हैं। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप किसी को भी अनपढ़ नहीं बोल सकते हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह गरीब के हित में बात करना चाहते हैं और आप उनको रोकना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप किसी सदस्य को अनपढ़ भी नहीं कह सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- यह गरीब-अमीर का नहीं, सबका है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भांचा जी, सुनिये। सरकार की ओर से भी कई बार यह बात आई है कि गरीब के हित में नीति बनाये हैं। माननीय सदस्य भी गरीब के हित में बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, नीति बनाये तो हैं, लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं तो क्या करें? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, मेरा यह कहना है कि आप कार्यवाही देख लेना, उनको हम लगभग अवसर देते हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मंत्री जी, ओखर इम्प्लीमेंट होए, तब तो फायदा उठाये। खाली नीति बनाये ले थोड़ी न चलथे। (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अभी उतने जोड़े का विवाह हुआ। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, आप बोल रहे हैं कि उतने जोड़े का विवाह हुआ। आपने उस जोड़े का विवाह करवाया जो पहले से विवाह कर चुका था। डेढ़ साल पहले, तीन साल पहले जो शादी हुई थी, उनका डबल विवाह हुआ है। (शेम-शेम की आवाज) (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, वह गरीब के लिए बोलना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाये। (व्यवधान)

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में उद्योगपति के साथ विवाह हुआ है। (व्यवधान)

समय
12:44 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- अब आप सहयोग करें। ब्यास जी, आप बैठिये। नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 13 मार्च को मैंने सदन में 17 सूचनाएं लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे :-

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री राम कुमार यादव
3. श्रीमती चातुरी नंद
4. श्री अनुज शर्मा
5. श्रीमती अनिला भेंडिया
6. श्री इंद्रशाह मंडावी
7. श्रीमती शेषराज हरवंश
8. श्री द्वारिकाधीश यादव
9. श्री राघवेंद्र कुमार सिंह
10. श्रीमती अंबिका मरकाम
11. श्री कुंवर सिंह निषाद
12. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
13. श्री अटल श्रीवास्तव
14. श्री देवेंद्र यादव
15. श्री बालेश्वर साहू
16. श्री दिलीप लहरिया
17. श्री भोलाराम साहू

समय:
12.40 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री भोलाराम साहू

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2. श्रीमती अनिला भेंडिया
3. श्री रिकेश सेन
4. श्री धरमलाल कौशिक

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय श्री केदार कश्यप, वन मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

समय:
12.41 बजे

वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

1.	**मांग संख्या**	**8**	**भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन**
	मांग संख्या	**9**	**राजस्व विभाग से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या	**58**	**प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय**
	मांग संख्या	**35**	**पुनर्वास**
	मांग संख्या	**44**	**उच्च शिक्षा**

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, कल पेश हो चुका है, आज चर्चा शुरू होनी है। हम लोग यहां बैठे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी अभी उपस्थित नहीं हैं, दो मिनट के लिए रोक दीजिए और माननीय मंत्री जी को बुला लीजिए।

सभापति महोदय :- मंत्री जी आ जाएंगे। यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे नोट करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, उनके आने के बाद शुरू कर लेंगे।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बैठे हुए थे, अभी गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां पांच-पांच मंत्री बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। आप शुरू करिये न। वे आ जाएंगे, हम खबर भी करवा रहे हैं, आप आप शुरू करिये।

श्री उमेश पटेल :- उनको आने दीजिये शुरू कर लेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भैया, लिखही कौन कहात हे ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, यहां उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं कहां मना कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ दो-तीन मिनट रूक जाइये।

सभापति महोदय :- माननीय टंकराम जी आ गए हैं। वे अभी बैठे हुए थे। वे पानी पीने गए हुए थे, अब वे आ गए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- तुमने पुकारा और टंकराम चले आये रे और जान हथेली पर ले आये रे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैंने वही बोला कि दिल पुकारे, आ रे, आ रे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति महोदय, वह जान नहीं वह भात हथेली पर ले आये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदानों मांगों की मांग संख्या 8, भू-राजस्व जिला प्रशासन, मांग संख्या 9, राजस्व विभाग से संबंधित हुए, मांग संख्या 58, प्राकृतिक आपदाओं सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत पर व्यय, मांग संख्या 35, पुनर्वास और मांग संख्या 44, उच्च शिक्षा का विरोध करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्व विभाग आम जनता के लिए या किसी भी वर्ग के लिए कितना महत्वपूर्ण विभाग है । मैं थोड़ी-सी भूमिका के रूप में कहना चाहूंगा। जब मैं 2013 में विधायक बनकर आया। मैं पहली बार विधायक बना था और शुरुआती दौर पर मेरे पास एक कम्प्लेन आयी कि एक पहाड़ी की जमीन को विलोपित करके पांच आदमी को उसकी जमीन दे दी गयी है। मैंने कहा कि ऐसा कैसे संभव होगा कि एक पहाड़ी को विलोपित करके किसी को दे दी जाये? वह पहाड़ी आज भी विराजमान है। मैंने विश्वास भी नहीं किया। जब मैंने इस प्रकरण को गंभीरतापूर्वक लेकर वहां गया, तो जिस आदमी ने कम्प्लेन की हुई थी उस आदमी ने मुझे दिखाया तो उस नक्शा खसरा में जो पहाड़ी चिन्हांकित होती है, वैसे ही राउंड-राउंड था। उसे देखने के बाद मैंने विश्वास नहीं किया फिर भी मैंने उस प्रकरण को प्रश्नों और उत्तर के माध्यम से इसी सदन में लगाया, तो पता चला कि उस जमीन को किसी व्यक्ति को उपजाऊ जमीन के नाम से पट्टा दे दिया गया था। मैंने कहा कि पहाड़ी को कैसे पट्टा के रूप में दे दिया गया? कैसे वहां धान उपजाऊ है? फिर हमने दूसरे प्रश्न के माध्यम से लगाया तो हमको पता चला कि रायपुर के बहुत प्रतिष्ठित पांच व्यक्ति को उसे दिया गया है। उसका नाम टिकेवाल था इस जमीन को उसे बेच दिया गया। हमने कहा कि आपको पट्टा

दिया गया और आप उस पट्टा की जमीन को कैसे बेच देंगे? तो उस समय अर्जुन सिंह के जमाने का कोई हवाला देते हुए उनको पट्टा दे दिया गया था। यदि शुरुआती तौर पर विधायक के पास इस तरह का कोई प्रश्न आये कि किसी पहाड़ी को उपजाऊ जमीन मानकर किसी को पट्टा दे दे और पट्टा देने क बाद किसी एक नियम का हवाला देकर उस जमीन को रायपुर के एक बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति को बेच देना ये हमारे लिए कितना चुनौतीपूर्ण था । उस समय पाण्डेय जी थे। लगातार 3-4 बार प्रश्न उठाने के बाद कार्रवाई हुई, पूरे तहसीलदार से लेकर तक कार्यवाई हुई और उसकी जमीन की रजिस्ट्री भी कर दिये थे। तो समय ही अनुभव कराता है चाहे आप कितना भी पढ़-लिख लो। और यह राजस्व प्रकरण का ऐसा राजस्व विभाग है, हमेशा प्रतिदिन जब हम जनदर्शन में बैठते हैं तो निश्चित रूप से एक-दो शिकायत किसी का नक्शा, खसरा, बटांकन, बटवारा के ही केस आते हैं। जिसकी नियमावली है कि हमको इसको 30 दिन में निराकरण कर देना चाहिए। पर आज हजारों, सैकडों की संख्या में प्रकरण लंबित है और वह प्रकरण महीनों, तीन महीनों, सालों तक गुजरने के बाद भी आदमी का नामांकन, बटांकन और सीमांकन का कार्य नहीं होता है। फिर थोडे दिन के बाद मेरे मेरे विधानसभा क्षेत्र की जंगल की 3 हजार एकड जमीन बिकने का समाचार आया। मैंने कहा कि यह कैसे संभव है? और वह पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से उस साढे 3 हजार एकड़ जमीन को बिना आदिवासी की जानकारी के बेच दिया गया और उस आदिवासी को पता ही नहीं है। उस आदिवासी की जमीन को बेच दिया गया, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई। उसमें भी कुछ राजनांदगांव और भिलाई के उद्योगपति ने उस जमीन को खरीद लिया। जब आप गंभीरतापूर्वक किसी का हित करना चाहते हैं, हमें उस 2 शिकायत से बहुत अनुभव मिला और उस पहाड़ी की जमीन की रजिस्ट्री को हमने निरस्त कराया है और 3 हजार एकड जमीन की रजिस्ट्री को भी हमने शून्य कराया है। पर हमारे जीवन में अनुभव इतना आया कि पटवारी, तहसीलदार, रजिस्ट्रार से लेकर इनका जो कुमदा है, इनका जो अमला है। मैं कहना चाहूंगा कि इसी पर मेरी थोड़ी सी टीप है।

जो डलहौजी न कर पाया, वह काम कर देंगे।
कमीशन दो तो हिन्दुस्तान को नीलाम कर देंगे।
आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे
तो अनजाने में हमारी जमीन को दूसरे के नाम भी कर देंगे।

यह है आपका विभाग। ये वंदे मातरम का गीत गाते-गाते सुबह उठकर बाजार में जमीनों को दोगुना दाम कर देंगे। यह इस विभाग की परिभाषा है। यह जो दोहा है, इसी के माध्यम से इनका मिलान होता है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, पिछले कार्यकाल में शासकीय जमीनों को आवंटन करने के लिये कानून बनाया था और उसमें किनको-किनको, कितनी-कितनी जमीन आवंटित की गई, उसका भी सम्माननीय सदस्य जिक्र करेंगे, यह मैं आग्रह करता हूं। (शेम-शेम की आवाज)

श्री उमेश पटेल :- आप उसके लिये विधान सभा में प्रश्न लगाना। आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, सरकार को 02 साल हो गये। सरकार के पास सारे संसाधन हैं, आप सदन में बोलने के बजाय मंत्री जी को बोलिये वह जांच करवा दें।

श्री मोतीलाल साहू :- उसकी भी व्यवस्था होगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप प्रश्न लगवा दीजिए, आपका समाधान हो जायेगा।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापित महोदय, आयुक्त भू-अभिलेख में योजना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- कई जांच हुई और उसमें अभी कई लोग अंदर हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं हो रही है। आप और जांच के लिये बोल रहे हो, आप किसको भिजवाने के चक्कर में हो ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, जांच में कुछ नहीं पाया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके टारगेट में उधर कौन है जिसको आप जेल भिजवाना चाहती हैं ?

श्री उमेश पटेल :- सुनिये न वह दो तोते भी मेरे पास रहेंगे न तो कोई नहीं बचेगा।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- उमेश भाई, राजस्व मंत्री खुदै रहिस।

श्री रामकुमार यादव :- हुजूर ए डहर जांच होगी तो पारी उही मन के लगही, ध्यान रखे रहिहा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- एक साल तक आपकी पूरी सरकार जांच ही करती रही कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, वह तो जांच में ही निकला है।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, आप तो गौठीनिन हो, आपको तो कुछ मिला भी नहीं था। आप बैठे-बैठे किसको जेल भिजवाने के चक्कर में जांच की मांग कर रही हैं ? मत करिये, रहने दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने लालबहादुर को एक तहसील का दर्जा दिया। तहसील का दर्जा होने के बाद उनको कौन से पटवारी हल्का नंबर को कहां पर अलग-अलग करके करना है तो मेरे विधान सभा में 02 तहसील थी, वह 03 तहसील में तब्दील हुआ और तब्दील होने के बाद आज भी किसानों को धान बेचते तक के अन्यानवागांव, नवागांव, ऐसे दो-तीन गावों का अलग-अलग तहसील में नाम होने के बाद किसी का गांव किसी तहसील में और वहां की तहसील का इस तहसील में था। हमने आखिरी दम तक हम उन किसानों का धान बेचने के लिये प्रयासरत रहे । ले-देकर, मैं सचिव महोदय मेडम जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा कि मैं जब यहां से उसको सुधारने के लिये चले जाता था ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग का डिस्कशन हो रहा है । न सेक्रेटरी हैं, न डॉयरेक्टर हैं । मंत्री जी बैठे हैं लेकिन जो बोल रहे हैं उसको कम से कम नोटडाउन तो

करें ।

सभापति महोदय :- यहां पर बैठे हुए हैं ।

श्री उमेश पटेल :- कहां हैं ?

सभापति महोदय :- राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा है उमेश जी, मंत्री जी वन मेन आर्मी हैं ।

श्री उमेश पटेल :- वन मेन आर्मी से नहीं भैया, हम जो बोल रहे हैं वह कम से कम नोटडाउन तो हो । वहां कम से कम सेक्रेटरी तो होना चाहिए ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- बैठे हैं न ।

श्री उमेश पटेल :- कहां हैं सेक्रेटरी लेवल के, कौन हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- यही सरकार के गंभीरता दिखथे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भैया, टंकराम जी के क्षमता पर कोई संदेह नहीं है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि आप बुलवा लीजिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उनका जो प्रशासनिक अमला है उनके ऊपर संदेह है।

श्री रामकुमार यादव :- यह सुशासन है, सुशासन ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, दो मिनट के लिये स्थगित कर दीजिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, दो मिनट स्थगित कर देते हैं, जब सेक्रेटरी नहीं हैं । दो मिनट स्थगित करा दें, आ जायेंगे तो कर लेंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जब अधिकारी आ जायेंगे तो चर्चा कर लेंगे ।

सभापति महोदय :- राजस्व विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, नहीं हैं ।

सभापति महोदय :- स्थगित कैसे होगा, राजस्व अधिकारी बैठे हुए हैं । आपके मंत्री बैठे हुए हैं, पूरा संसदीय सचिव बैठे हुए हैं, कैसे स्थगित होगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप बुलवा लीजिये फिर उसके बाद चर्चा शुरू कर लेंगे ।

सभापति महोदय :- अधिकारी बैठे हुए हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, सब स्मार्ट-स्मार्ट अधिकारी हैं इसलिये आपको लग रहा है कि ये सचिव नहीं हैं, सब सचिव हैं, बड़े अधिकारी हैं, आई.ए.एस. लोग बैठे हैं। खुश होना चाहिए न, कितने सुंदर-सुंदर, स्मार्ट अधिकारी बैठे हैं । चलने दीजिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह छत्तीसगढ़ के लिये सौभाग्य है ।

श्री उमेश पटेल :- भैया, आपका काम नहीं हो रहा है क्या ? अधिकारियों को भारी टाईप ।

श्री धर्मजीत सिंह :- काम तो वह मान लो कर भी दें, यहां से ही होता है न तो यहां के लोगों से तो ।

श्री उमेश पटेल :- यहां से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आप भी जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- थोड़ा बहुत चलता है ।

श्री उमेश पटेल :- उन्हीं की मेहरबानी होगी तभी काम होगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बस-बस वही मेहरबानी लेने के लिये यहां बैठे हैं ।

सभापति महोदय :- साहू जी अपनी बात रखें, आगे बढ़ें ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जिस बात को इस सदन में इंगित करने का प्रयास किया । आज भी उन किसानों को धान बेचने में इतनी परेशानी हुई है । गनीमत मैं यहां फिर सचिव महोदय के पास आया कि फिर वह किसान कैसे धान बेचेगा ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, कम से कम राजस्व विभाग का सेक्रेटरी रहे ।

सभापति महोदय :- राजस्व विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं ।

श्री उमेश पटेल :- अगर सेक्रेटरी नहीं हैं तो इस चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है ।

सभापति महोदय :- आपके राजस्व मंत्री बैठे हुए हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, सेक्रेटरी कौन है, वह बताईये न । (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- मंत्री स्वयं बैठे हुए हैं, भई । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपके अधिकारी बैठे हुए है, मंत्री जी बैठे हुए हैं । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सेक्रेटरी कौन हैं, बतायें न ? (व्यवधान) हम लोग भी तो देखें कि सेक्रेटरी कौन है ।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री से बड़े सचिव । (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- उमेश भाई, आप उनको चढ़ाकर क्यों बात कर रहे हैं ?

श्री उमेश पटेल :- अरे, भई । नोटडाऊन कौन करेगा ?

श्री केदार कश्यप :- आपको मंत्री जवाब देंगे । सचिव जवाब नहीं देंगे । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप भी जानते हैं, हम भी सरकार में रहे हैं । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मतलब आप सेक्रेटरी को बुलाने की स्थिति में नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसा नहीं है कि अधिकारी बैठेंगे तभी चर्चा होगी । (व्यवधान) अधिकारी चाहे बैठें, चाहे मत बैठें । (व्यवधान) विधानसभा में चर्चा होगी, यह चर्चा विधानसभा के लिये हो रही है भई ।

श्री उमेश पटेल :- राजस्व पर चर्चा हो रही है । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह बात आयी कि सचिव लोग नहीं दिख रहे हैं इसलिये हमें बोलना पड़ा है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, दो विभागों की चर्चा हो रही है, उच्च शिक्षा की और राजस्व की । क्या सेक्रेटरी हैं ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वह जरूरत ही नहीं समझते हैं न ।

सभापति महोदय :- आपके राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं और उस रैंक के अधिकारी बैठे हुए हैं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, उनको बुलवा लीजिये । कितनी देर लगती है । (व्यवधान) अभी तक खबर कर दिये रहते तो वे लोग आ जाते ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अगर इन लोग विधानसभा को सीरियसली लेते । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहती है, क्षेत्र की जनता की आवाज यहां विधानसभा में उठती है । (व्यवधान) यहां सेक्रेटरी वर्ग के रहेंगे, अधिकारी वर्ग के रहेंगे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मंत्री जी बैठे हुए हैं । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी तो बैठे हुए है लेकिन...।(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- उमेश जी यह बताईये कि क्या आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं ? (व्यवधान) जनता के प्रति जवाबदेह बनिये, यह सबसे बड़ी पंचायत है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- जनता के प्रति जवाबदेह हैं इसीलिये तो चाह रहे हैं कि अधिकारी रहें ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपके प्रति जवाबदेह नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- क्या आपको अधिकारियों के लिये चुना गया है ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इस बात के जिम्मेदार सचिव नहीं हैं तो फिर कैसे चर्चा होगी । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- देखिये, आपके प्रति अधिकारी लोग जवाबदेह ही नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- जिसके प्रति जवाबदेह हो, आप लोग उसका काम करो । (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- जनता के प्रति जवाबदेह हो या नहीं, अधिकारी बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं । (व्यवधान) आप जनता के प्रति जवाबदेह हो या अधिकारियों के प्रति जवाबदेह हो ?

श्री उमेश पटेल :- आप बुलवा लीजिये न, कितनी देर लगती है । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अच्छा, आप यह बताईये कि सेक्रेटरी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए ।

श्री रिकेश सेन :- नहीं रहना चाहिए, हमारे मंत्री जी सक्षम हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- लिखने वाला कोई चाहिए, विभाग से जानकारी कौन देगा ? फिर विभाग से जानकारी कौन देंगे ? (व्यवधान)

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा :- मंत्री जी यहां पर हैं ।

श्री सुनील सोनी :- आप लोग जवाब से मतलब रखिये ।

श्री रिकेश सेन :- देखो, कोर्सेवाड़ा जी कुछ बोल रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह - वह आ जाएंगे ।

श्री रिकेश सेन :- आप केवल भावनाओं को समझिये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, अधिकारी दीर्घा में न तो सचिव हैं और न ही संचालक हैं.।

सभापति महोदय :- यहां पर राजस्व विभाग के आई.ए.एस. अधिकारी बैठे हुए हैं, विशेष सचिव बैठे हुए हैं। संचालक भू अभिलेख बैठे हुए हैं यहां सब आई.ए.एस. अधिकारी बैठे हैं। यह चर्चा जारी रहेगी।

श्री रिकेश सेन :- उमेश पटेल जी आप केवल भावनाओं को समझिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम किसकी भावना को समझें।

श्री रिकेश सेन :- हमारे मंत्री जी सक्षम हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सेन साहब, हम भावनाओं को भी समझ रहे हैं और भावना को भी समझ रहे हैं।

श्री रिकेश सेन :- अभी भावना कहीं गयी है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, सदन में चर्चा नहीं करने का बहाना है। इस आसंदी से बोला गया है कि संचालक भू अभिलेख बैठे हुए हैं यहां सब आई.ए.एस. अधिकारी बैठे हैं।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री दलेश्वर साहू जी, आप बोल रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं जा रहा हूँ।

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहां पर आपके आई.ए.एस. अधिकारी बैठे हैं। विशेष सचिव बैठे हुए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर राजस्व सेक्रेटरी, मैडम नहीं है।

सभापति महोदय:- राजस्व विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं और अन्य अधिकारी बैठे हुए हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, आप उनका नाम बता दीजिए कि वहां राजस्व विभाग के कौन से सेक्रेटरी बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय :- यहां पर आपके राजस्व मंत्री बैठे हुए हैं। यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सेन साहब, हम भावनाओं को भी समझ रहे हैं और भावना को भी समझ रहे हैं। हम इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय
12.56 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मुझे सिर्फ अजय चन्द्राकर जी के पहले दो मिनट का समय दे दें। फिर मैं यहां से आपकी तरफ आ जाउँगा।

सभापति महोदय :- जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के विभागों की मांगों का समर्थन पुरजोर तरीके से कर रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, वह बहुत अच्छे मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के किसान के बेटे हैं। वह गरीबों की तकलीफ को जानते हैं और गांव के लोगों की समस्या से वह परिचित हैं। इसीलिए वह पूरी ताकत से राजस्व विभाग को चुस्त-दुरूस्त करने का काम कर रहे हैं। मैं उनकी सराहना करता हूँ और बधाई देता हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि राजस्व विभाग में उन्होंने अनेक रिफार्म लायें और उनके कामों के कारण रिकार्डों में जो कई प्रक्रियाएं हैं उसमें बहुत अच्छे स्तर पर काम हो रहा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से और आपके काम के कारण, आपकी बहुत तारीफ करते हुए, मैं आपसे सिर्फ एक मांग करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तखतपुर विधान सभा के अंतर्गत विजयपुर गांव में एक उप तहसील की जरूर घोषणा करियेगा। यह उप तहसील विजयपुर के 9 पटवारी हलके और बेलपान के 8 पटवारी हलकों को मिलाकर, दोनों राजस्व निरीक्षक मण्डल को मिलाकर एक उप तहसील बना दीजिए। आपका नायब तहसीलदार वहां काम कर ही रहा है। आप उसे दर्जा दे देंगे तो वहां के गांव वालों को बहुत फायदा होगा, राजस्व के मामलों का निपटारा होगा, उनको जो प्रमाणपत्र और फावती और दुनिया भर की चीजों की व्यवस्था है, उसके लिए उनको राहत मिलेगी और आपका नाम भी लेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो हमारी सरकार का भी नाम होगा। मैं आपसे यही आग्रह करते हुए, मैं आपकी

मांग का समर्थन करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- माननीय सभापति महोदय, मेरी आवाज को पक्का विपक्ष के साथी सुन रहे होंगे। जो वह चाहते थें वे उपस्थित हो गये हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वे उपस्थित हो गये हैं, जो उनकी मांग थी। वह जनता के प्रति जवाबदेह तो है नहीं। यह नकारात्मक विपक्ष है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के मांग संख्या 08, 09, 58, 35, 44 में उल्लेखित राशि की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय टंकराम जी वर्मा बड़े क्षमतावान मंत्री हैं। वह छत्तीसगढ़ के मिट्टी के लाल हैं और वह छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण विभागों को देखते हैं। दोनों विभागों में जल्दी बात करनी है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा कि यह दोनों विभाग जनता से जुड़े हुए हैं, एकाध छत्तीसगढ़ के भविष्य को गढेंगे। जो अभी जो भू राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं और रोजगार, शिक्षा के जिन क्षेत्रों में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ क्या भूमिका निभा सकता है, छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका होनी चाहिए, आप उसको किस तरह से परिभाषित करते हैं, किस तरीके से योजना बनाते हैं, यह छत्तीसगढ़ एक ग्रोथ का इंजन बने । उसमें एजुकेशन की जो भूमिका है, उसमें आप क्या करेंगे, यह देखना है । उसमें आपकी क्षमता की परीक्षा होगी ।

समय :-
1.00 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, राजस्व विभाग जो है, मैं हमेशा कई बार बोलता हूं कि राजस्व का उल्लेख राजा टोडरमल से मिलता है । माननीय टंक राम जी, जब मैं कभी-कभी बोलता हूं तो यह बात बोलता हूं कि टोडरमल से पहले भूमि प्रबंधन का काम छत्तीसगढ़ में होता था । कभी इतिहास का लेखन और अध्ययन होना चाहिए तो ये बात लोगों के सामने आएगी कि राजा कल्याण साय जहांगीर के रतनपुर दरबार में रहते थे । आप बिलासपुर गजेटियर पढ़ेंगे तो वे भूमि प्रबंधन करते हैं, ये देखने और सुनने को आपको मिल जाएगा । भूमि प्रबंधन में छत्तीसगढ़ का इतिहास सबसे अच्छा है और किसी भी समय से ज्यादा ज्ञानी हम लोग और हमारी भूमिका रही है। अब दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, मैं क्या बोलने वाला हूं, वह आगे दिखेगा ।

माननीय सभापति महोदय, जब बजट आया तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था । यदि जगरगुण्डा में, बस्तर में कुछ खोलने जा रहे हैं, नालंदा परिसर की परिकल्पना हुई, मैंने एक शब्द दिया । माननीय वित्त मंत्री जी ओ.पी. चौधरी साहब की प्रशंसा की कि हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं । आप छत्तीसगढ़ में बौद्धिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि इसका

मतलब क्या है ? मैंने कहा कि इसका मतलब यही है कि आप भविष्य के लिए जिन चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वह इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद आप डाल रहे हैं और इसका परिणाम अब दिखेगा या दिखना शुरू होगा । दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैंने उनसे कही कि देश के बजट में पहली बार एक शब्द उपयोग हुआ-आरेंज इकानॉमी । मैं जितने दिन से सार्वजनिक जीवन में हूं, आरेंज इकानॉमी शब्द किसी केन्द्रीय बजट में नहीं सुना । उसका मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, आगे हम बात करेंगे । शिक्षा से भी इकानॉमी में कैसे भूमिका निभा सकते हैं । यूनिसर्विटी जो है, शिक्षा के संस्थान् जो हैं, उसको कैसे तैयार किया जाये । पहली बार देश में अब यह सोचना शुरू किया कि शिक्षा का एक साझा लक्ष्य एकमात्र नहीं है कि सिलेबस को शैक्षणिक ईयर में पूरा किया जाये कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया, परीक्षा ले लो । ये शैक्षणिक अवधारणा बदलने का काम माननीय मोदी जी ने किया और उन्होंने देश के सामने इस बजट में यह कहा कि इस देश को आरेंज इकानॉमी की ओर बढ़ना चाहिए, शैक्षणिक संस्थाओं को इस ओर तैयार होना चाहिए । आज एनीमेशन आया । हमने आरेंज इकानॉमी में नेतृत्व किया है, छत्तीसगढ़ ने शुरूआत की थी । हमने दो फैकल्टी खोले । इंदिरा खैरागढ़ विश्वविद्यालय में हमने थियेटर खोला था, जो चल रहा है । मुम्बई में छत्तीसगढ़ के बच्चे काम कर रहे हैं । एनीमेशन भी डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने स्वीकृत किया था । दुर्भाग्य से उसकी फैकल्टी नहीं मिली । वह शुरू नहीं हो पाया । आज की स्थिति क्या है, यह मैं नहीं जानता । मैं 12-14 साल पहले उस विभाग में काम कर रहा था । उस आरेंज इकानॉमी की ओर छत्तीसगढ़ ने उस समय कदम उठाया था, लेकिन वह दौर वहीं पर स्थगित हो गया। दुनिया में गैमिंग कामिक्स का बाजार 270 अरब डालर के आसपास होगा, उसमें भारत की भूमिका 3-4 अरब डालर की होगी । उसमें 30 लाख लोग काम करते हैं और इन 10 सालों में कम से कम 20 लाख लोगों की और जरूरत पड़ेगी । हमारी यूनिवर्सिटी उसके लिए तैयार है क्या, हम कोई तैयारी कर रहे हैं क्या ? जो दुनिया में जिस तरह के नये क्षेत्र आ रहे हैं, हमारे शिक्षा के संस्थान् उस तरह से तैयार हो रहे हैं क्या ? लाईव इंटरटेनमेंट, डिजाईन, डिजीटल मार्केटिंग, डिजीटल मीडिया, विजूअल इफेक्ट, स्टोरी टेलिंग, ए.आई., डाटा साइंस, यह सब नये सबजेक्ट हैं। यदि माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करना है । छत्तीसगढ़ उभरता हुआ राज्य है, स्टेबलिस राज्य नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी है। उसमें इन विषयों को लागू कर सकते हैं, भूमिका दे सकते हैं, आगे तैयारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आरेंज इकानॉमी मे जो परिकल्पना है, उमसें छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर नवजवानों को देगी। परम्परागत सिलेबस पढ़ाई पूरा करने की इस अवधारणा को बदलेंगे, इसके लिए काम करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। मैं आपकी क्षमता का दिन भर प्रशंसा कर सकता हूं।

सभापति महोदय, दूसरी बात, लोकव्यापीकरण, क्वालिटी एजुकेशन, उच्च शिक्षा का लोकव्यापीकरण हो। इस विधान सभा का रिकार्ड है कि एक दिन में 3 यूनिवर्सिटी लेजिसलेट हुई और तीनों अलग-अलग थीं। जी.ई.आर. मेरा हमेशा प्रिय विषय रहा है। जब छत्तीसगढ़ बना, उस समय

अधिकारियों को मालूम नहीं था कि छत्तीसगढ़ का जी.ई.आर. कितना है ? जब हमने पूछा तो बताया कि दो-ढाई प्रतिशत होगा, कैलकुलेट करके बताते हैं। ये चले गये। 50 साल के बाद इनका योगदान इतना था कि अगर छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा में ढाई प्रतिशत को गिने तो अनपढ़ था। यह कांग्रेस का योगदान है। वह कैसे सुनेंगे ? आज आपके नेतृत्व में, श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अवधारणाओं के बीच में हम 27-28 प्रतिशत तक पहुंच गये हैं। विकसित देश 50 प्रतिशत से ऊपर है। जब हम दूसरे राज्य के आकड़ें से तुलना करते हैं तो मैं हमेशा उसके विरोध में रहता हूं। हम अपनी तुलना दूसरों से क्यों करेंगे ? हम उससे आगे क्यों न रहे ? लोग हमसे तुलना करें, हम अपनी तुलना दूसरों से न करें। ये राज्य नहीं कर रहे हैं, वह नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा न हो। हम करेंगे। विकसित राष्ट्र जी.ई.आर. 50 प्रतिशत से ऊपर है। मुझे कई बार बोलते हैं कि आपके यहां 3 कालेज हैं, चौथे कालेज के लिए क्यों लिखते हैं। मैं बोलता हूं कि यदि आप कालेज को पढ़ाने के लिए खोलते हैं, मैं तो बोलता हूं कि लोकव्यापीकरण के लिए कालेज खोलने की मांग करता हूं। छत्तीसगढ़ में जी.ई.आर. 50 प्रतिशत से ऊपर जाये, अमेरिका के बराबर कुरूद खड़ा है, मैं यह बोल सकूं। मैं भाषण में कुरूद शब्द का तो उपयोग ही नहीं करता, छत्तीसगढ़ 50 प्रतिशत से ऊपर जायेगा, आप इस तरह से काम करेंगे।

सभापति महोदय, आपको लोक व्यापीकरण में बता देता हूं कि हमने 9 यूनिवर्सिटी खोलीं, हम लगभग 9 तक पहुंच गये। प्रायवेट यूनिवर्सिटी को तो छोड़ दीजिये। आप कौन-कौन सा कदम उठायेंगे। आप कालेज की संख्या बढ़ाईये। आप निजी विश्वविद्यालय लाये हैं, निजी विश्वविद्यालय आपके जी.ई.आर. को बढ़ाने में क्या योगदान दे रहे हैं ? मैं जब भी निजी विश्वविद्यालय के ऊपर बात करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालय के आने से लोकव्यापीकरण हो रहा है या व्यवसायीकरण हो रहा है, इसमें चिंतन की जरूरत है। वह जितनी फीस ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे उतनी कैपेसिटी के हैं ? क्या वह उतनी फीस दे सकते हैं ? उतनी चीजें कर सकते हैं ? निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग में जितने लोग पदस्थ हैं, आपने 21 यूनिवर्सिटीज बनाई है, उसके गेट में जाने के लिए, देखने जाने भर के लिए एक साल निकल जायेगा। चेकिंग करना तो अलग बात है। कितनी यूनिवर्सिटीज में कितनी अध्ययनशालाएं हैं ? कितने सेटअप हैं ? प्रायवेट यूनिवर्सिटी में भी रिक्त पद होना चाहिए क्या ? आप मुझको उत्तर में जरूर बताइयेगा। सरकारी यूनिवर्सिटी में रिक्त पद हो सकते हैं, उसके कारण दूसरे होते हैं। निजी क्षेत्र के लोग प्रतिवेदन में लिखकर देते हैं। आपके प्रतिवेदन में लिखा है कि इतने पद रिक्त हैं। यह नहीं चलेगा, साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि वह पढ़ा नहीं सकते , सिर्फ फीस भर लेते हैं तो वह बस्ता बांधे और यहां से जाये। उनको रिक्त पद रखने के लिए इतनी ऊंची फीस नहीं दी जा रही है। आपको इसमें निर्णय लेने की जरूरत है और आप निर्णय ले सकते हैं।

सभापति महोदय, लोक व्यापीकरण के लिए चाहे सुकमा हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे नारायणपुर हो, चाहे कोण्डागांव हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे मोहला-मानपुर हो, इसमें विकासखण्ड में एक हो गया, ऐसा नहीं है। मैं एक बार की बात को बता देता हूं। शिक्षा को पैसे और दूरी से जोड़ते हैं। हमरे कुशाभाऊ यूनिवर्सिटी खोली तो एक बड़े अधिकारी ने मुझसे पूछा कि कितने छात्र हैं ? पहले साल में सिर्फ 17 छात्र प्रवेश लिए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप वर्धा जाईये। वर्धा यूनिवर्सिटी में, हिंदी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं और उसको केंद्र सरकार कितना अनुदान देती है, उसको देखकर आइएगा फिर मुझसे बात कीजिएगा। शोध की संस्थाएं हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, क्या है, यह नहीं देखा जाता। यदि एक शोध सफल हो गया तो आपकी यूनिवर्सिटी की लागत निकल जाती है। एक पेटेंट– हार्वर्ड के पास कितना पेटेंट है? कैम्ब्रिज के पास कितना पेटेंट है? स्टैनफोर्ड के पास कितना पेटेंट है? मोदी जी ने जो कैंपस को अनुमति दी है, वह इसीलिए दी है कि वह शोध के केंद्र बनें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ अधिनियम। 117 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तीन साल के अंदर नहीं, दो साल के अंदर। हालत यह थी कि लूना में कुलपति करके लिखा रहता था । एक कमरे की यूनिवर्सिटी। आ गए क्या? अब ज़्यादा कड़ा बोल दूंगा तो फिर मामा खड़े हो जाएंगे। माननीय महोदय, अब मैं थोड़ा सा आपके प्रतिवेदन को खोलता हूं । आप अपने प्रतिवेदन में कहीं पर नहीं लिखे हैं कि आप कौन-कौन से अधिनियम से गवर्न होते हैं। आपके प्रतिवेदन में कहीं पर नहीं है, बिना अधिनियम के आपका विभाग चलता है क्या? किस-किस से गवर्न होते हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा है। आपने अब तेज़ी के साथ बनाया है। पदों का विवरण तो दे दिया है, रिक्त पद कितने हैं, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? माननीय महोदय, स्वीकारोक्ति जो है न, एक बार आलोचना देगी, पर जो छिपाना है, वह रोज का कलंक है। हमारी स्थिति यह है, हम स्वीकार करते हैं, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है । लेकिन प्रतिवेदन का मतलब यही होता है कि विभाग की वस्तुस्थिति को रखना। आप बता ही नहीं रहे हैं, आप भगवान भरोसे चल रहे हैं ऐसा दिखता है, इसमें आपके एक अधिनियम नहीं हैं, न आपके प्रतिवेदन में कोई नियम लगे हैं । चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब अगली बार जोड़ लीजिएगा, अभी तो बहुत दिन तक आपको जनता की सेवा करनी है। अब आपके नव विश्वविद्यालय में में आ जाते हैं। नव विश्वविद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण होती है अध्ययनशालाएं। डिग्री देना तो यूनिवर्सिटी का सेकेंडरी काम है । दुर्भाग्य है कि हम यह समझ लिए हैं कि हमारा डिग्री देना ही और बराबर परीक्षा लेना ही यूनिवर्सिटी होती है। उसकी अध्ययनशालाएं, मोदी जी के सपनों को, विष्णु देव साय जी के सपनों की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं क्या? कितने पद खाली हैं? कितने नए कोर्सेस शुरू किए गए? आपकी किसी अध्ययनशाला, किसी यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी मैंने A.I. शब्द नहीं पढ़ा है। क्या आजकल जो सबसे करेंट इशू है कि हम A.I. पर काम कर रहे हैं, हम डेटा साइंस पर काम कर रहे हैं, हम विजुअल इफेक्ट पर काम कर रहे हैं, या हम गेमिंग में काम कर रहे हैं या किसी तरह की नई चीजें हैं? एक भी ऐसी चीजें अध्ययनशालाएं इसके लिए गवर्नमेंट एड भी न दे,

तो स्व-वित्तीय कोर्स–वह लागू कर सकते हैं कि यह स्व-वित्तीय है। एक यूनिवर्सिटी इसमें काम नहीं कर रही। सरकार के संसाधनों की ओर रोना रोएंगे तो स्व-वित्तीय कोर्स खोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। स्व-वित्तीय महाविद्यालय आपके पास सात या नौ हैं, उसमें आप शुरू करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक इच्छाशक्ति की जरूरत है। हेमचंद विश्वविद्यालय, ऐसा है जिसमें अध्ययनशालाएं आज तक नहीं खुल पाई हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या परीक्षा लेने के लिए बनी है? डिग्री बांटने के लिए बनी है? यह तो मूल अवधारणाओं के खिलाफ है । महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 30 अध्ययनशालाएं हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके मुख्यालय की यूनिवर्सिटी है। नक्सली मूवमेंट खत्म होने के लिए दिन गिनती के शेष हैं। अभी हम सिर्फ उसको सरेंडर करवाने में और बाकी चीजों की ओर देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि विचारधाराएं कभी खत्म नहीं होतीं। नक्सल समस्या वारंगल से निकलती है, नक्सल समस्या J.N.U. से निकलती है । आपकी यूनिवर्सिटी वहां पर उन कौन से राष्ट्रवादी विचारों के लिए काम कर रही है? बस्तर के परिवेश और परिदृश्य के लिए कौन से कोर्स तैयार कर रही है कि नक्सलवाद जैसी वैचारिक लड़ाई के लिए हमारी अध्ययन की संस्थाएं तैयार हैं और अगली पीढ़ी तक नक्सलवाद नाम की चीज़ नहीं पहुँचेगी। भारत देश से प्रेम करने वाला, भारत की संस्कृति से प्रेम करने वाला, आदिवासी संस्कृति से प्रेम करने वाला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से प्रेम करने वाली एक पीढ़ी तैयार होगी। क्या बस्तर की यूनिवर्सिटी या सरगुजा की यूनिवर्सिटी एक वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार है? क्या बस्तर की जनता अब नक्सलवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? इसमें यूनिवर्सिटी की एक बड़ी भूमिका होती है। माननीय अमित शाह जी की नक्सल उन्मूलन नीति सिर्फ सशस्त्र के छोड़ वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए आप उसमें क्या करेंगे? मैं उसको जरूर सुनना चाहूँगा। अभी तुरंत नहीं तो आप आगे करिए। मैंने निजी विश्वविद्यालय के संबंध में बात की कि उसमें रिक्त पद नहीं रख सकते। कोई भी ऐसा Extraordinary Course नहीं चला रहे हैं, जिसको हम Orange Economy की तरह बात कर सकें। अब मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में बोल देता हूँ। आपको मालूम है, साहब कि हमारे प्रदेश में एक हिंदी ग्रंथ अकादमी है। मैं दुख व्यक्त करूँ, क्षोभ व्यक्त करूँ या क्या करूँ, आप बता देना? भा.ज.पा. की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में पहली हिंदी ग्रंथ अकादमी बनी और सौभाग्य से हिंदी ग्रंथ अकादमी को मैंने बनवाई थी। आप सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, फिर मैं दुख के साथ कहता हूँ कि हम नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए अगर बोली को संरक्षण देना है, भाषा को संरक्षण देना है, साहित्य को संरक्षण देना है, कला को संरक्षण देना है तो उनको प्रकाशन का अवसर देना, उसके लिए प्रोजेक्ट स्वीकार करना, उसमें काम करवाने की आवश्यकता है। साहब, मुझे गोंडी भाषा को मान्यता दिलवानी है तो क्या-क्या काम करना पड़ेगा? उसके प्रकाशन कितने हैं, पूछे जाएँ। अब प्रकाशन नहीं है तो उस गरीब साहित्यकार को प्रकाशित करवाने का अवसर कौन देगा? यूनिवर्सिटी अपनी किताब कहाँ से छपवाती है? आप इसमें शब्द लिखते हैं कि उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। इसमें

क्या कोशिश की जाएगी? नौ यूनिवर्सिटी है, कहाँ से किताबें खरीदती हैं? S.C.E.R.T. कहाँ से किताब छपवाती है? जितने लोग हैं, वह कहाँ से छपवाते हैं, क्या करते हैं? हमारी संस्था, हमने बनाई और काम किया और उसके बाद उसको हमने खड़ा कर दिया। भूपेश बघेल जी बोलते थे कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया तो माननीय दलेश्वर जी ये ताली बजाते थे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया के लिए यह हिंदी ग्रंथ अकादमी असली तत्व है, जिसको आपने बीमार कर दिया, खत्म कर दिया आपने और वहां पानी टपक रहा है। इसलिए आप उसमें सोचिए। अब मैं N.E.P. के विषय पर बोल देता हूं। स्कूल शिक्षा विभाग में माननीय विष्णु देव जी की सरकार ने वर्ष 2024 से N.E.P. को स्वीकार किया है। आप जो-जो कार्य कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि नौ यूनिवर्सिटी में भारतीय ज्ञान परंपरा के कौन-कौन सी चीज़ों को आपने नाम लिखा है? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, रामानुज, दीनदयाल उपाध्याय, विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह ठीक है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के एकाध नाम तो बताइए, जिसमें इसको शामिल कर सकते हैं। दिल्ली से यदि आया, एन.सी.ई.आर.टी. से आया या और नियामक संस्थाओं ने 10 नाम भेज दिए तो हम उसमें 11वाँ नहीं कर सकते? हम 12वाँ नहीं कर सकते जो छत्तीसगढ़ का योगदान है, जिन्होंने देश-दुनिया को योगदान दिया है? मैं आपको दो-तीन नाम बता देता हूँ। बौद्ध में हीनयान-महायान परंपरा के प्रवर्तक नागार्जुन सिरपुर में रहे हैं, पढ़ाए हैं। हम उसकी जीवनी को क्यों प्रकाशित नहीं कर सकते हैं? उनके योगदान को क्यों प्रकाशित नहीं कर सकते हैं? जब आप यहाँ से छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी के दर्शन विभाग में जायेंगे, तब आप वहां देखिएगा कि भारतीय दर्शन की जितनी शाखाएं हैं, चाहे अद्वैत-द्वैत या जो भी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने शुद्ध-विशिष्टाद्वैत दर्शन को भारत को दिया, सनातन को दिया। किसने दिया? छत्तीसगढ़ की धरती ने दिया, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने दिया। यदि पूरा पढ़ेंगे तो उत्तर-दक्षिण को जोड़ने वाला है। भगवान के अवतार उत्तर में हुए हैं, संतों के जन्म दक्षिण में हुए हैं। वह उत्तर और दक्षिण के बीच पुल हैं, थे वह साऊथ इंडियन, बने वह छत्तीसगढ़िया, वह क्यों नहीं आ सकता ? माननीय सभापति महोदय, जो चीजें हैं अब इसके बाद जहां मैं बोलना नहीं चाहता था, ऊषा और रूषा, यह कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास है या वृत्यानुप्रास है ? इसके सिलेक्शन का आधार क्या था, यह रूषा में शामिल होगा या रूषा में शामिल होगा ? आपने इसमें तो लिखा नहीं है तो यह पाकेट मनी की तरह इस्तेमाल होता है कि जिस कॉलेज को हमारी मर्जी आयेगी । आपने लिख दिया कि एक्सीलेंस बनायेंगे तो 3000 छात्रसंख्या होनी चाहिये ? आप बताईये कि छत्तीसगढ़ के कितने कॉलेजों में छात्रसंख्या 3000 है। यहां 3-4 कॉलेज निकलेंगे । छत्तीसगढ़ के हिसाब से मापदण्ड तय होनी चाहिये कि छात्रसंख्या इतनी होगी । मेरा कॉलेज है वह दे या न दे मैं नहीं बोलता । मानलो यह 2700 है, दुर्गा महाविद्यालय है, एस.बी.आर. महाविद्यालय है, सी.एम.डी. कॉलेज है, साईन्स कॉलेज है, 3000 से ऊपर वाले 4-5 कॉलेज निकलेंगे ।

सभापति महोदय, अब आपको बता दूँ कि एनसीसी की सीट बहुत दिनों से स्थिर है । एनसीसी का इतिहास पढ़िये कि कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, किसने शुरू की है, आप उसे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं शुरू करवाते हैं ? हम जो लोकव्यापीकरण में बात कर रहे थे, क्वालिटी एजूकेशन में बात कर रहे थे और जो नई चीजें आई है, आप स्व-शासी महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाईये । मैंने बलरामपुर का नाम लिया और बलरामपुर वाले आ गये । कॉलेजों की संख्या के लिये छात्र नहीं, दूरी नहीं, लोकव्यापीकरण के लिये उनको देखिये कि कितने किलोमीटर दूर से कुंआकोण्डा के बच्चे कॉलेज आते हैं ? कितना बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र भी देखिये और पांच बच्चे मिलेंगे, दस बच्चे मिलेंगे, वहां इसकी चिन्ता नही होती है । मैंने अभी आपको वर्धा का उदाहरण दिया है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, पिछले साल बेलगहना में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे और घोषणा की है कि वहां शासकीय महाविद्यालय बनाया जायेगा । अभी तक एक भी काम आगे नहीं बढ़ा है । आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा का ही सम्मान कर दीजिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि डिमांड मांग में बात नहीं हो सकती है क्योंकि नीति में कितना क्रियान्वयन हुआ है और कितने क्रियान्वयन की आपकी तैयारी है, बजट कितना मिला है, यह बड़ा वृहत विषय है, लेकिन आपको शत-प्रतिशत एनएपी लागू करना चाहिये । सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहूँगा और संस्कृत महाविद्यालय के बारे में आपको बता दूँ कि भारतीय ज्ञान परम्परा में यह भी आयेगा, जब 50 वर्ष उसके पूरे हुये तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, मैंने उनको वहां ले गया था । मेरा एक संकल्प भी इसी में पारित है, इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिये । आप मुझे उत्तर में बतायेंगे कि आपके विभाग ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिये संकल्प को स्वीकार किया तो आपने क्या किया और कितने साल हो गये संस्कृत महाविद्यालय में एक भी सबजेक्ट आपने नहीं खोला है, यह बताईये या पूछ लीजिए और अभी से पर्ची भेज दीजिए । भारतीय ज्ञान परम्परा को यदि सबसे नीचे तक ले जायेगा तो एकमात्र भाषा है, वह संस्कृत है । यह आपके राष्ट्रवाद को, आपके सनातन मूल्यों को, आपके भारतीय ज्ञान को, लोगों तक पहुंचायेगा । भारतीय ज्ञान परम्परा में भारतीय कृषि है, स्थापत्य कला है, अब आपके पास एक खैरागढ़ है । यह अलग तरह की यूनिवर्सिटी है, भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, जिसके बंगलादेश, श्रीलंका और नेपाल में कैंपस है और बाद में किसी प्रायवेट यूनिवर्सिटी के होंगे तो मुझे नहीं मालूम है । गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एकमात्र थी जिसके कैंपस थे । मेरा एक अशासकीय संकल्प है, मैं उसमें चर्चा करूँगा, परन्तु आपको बता देता हूँ कि इसे भले ही मेरा निजी मत मान लीजिएगा और मैं निजी मत है करके बोलूँगा कि आप अध्ययन करवाईये कि उसका सेट अप और रिजर्वेशन और उसको कितने बार विज्ञापित किया गया तथा कब से खाली है ? मतलब एक बॉसूरी वादक, एक संगतकार, एस.सी. का होगा, एस.टी. का होगा ? उच्च विशेषज्ञता या कला के पद हैं वह

आरक्षण से मुक्त हों, यह मैं लाने वाला हूं, मेरा अशासकीय संकल्प है। राजा चक्रधर सिंह कौन से समाज के थे, यह मुझको बताइये? आदिवासी समाज के थे। यदि उनकी किताबें आ जाएं, दुनिया की संगीत की पहली किताब होगी। ताल तोयनिधि, नर्तन सर्वस्व जैसी चीजें हैं। (मेजों की थपथपाहट) वह आदिवासी थे, ऐसा नहीं लिखते थे, वह जन्मजात कलाकार थे और उस दौर के हिंदुस्तान के जितने कलाकार थे, वे रायगढ़ के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, वहां उनके लिए सारी व्यवस्था होती थी। (मेजों की थपथपाहट) मोदी जी बोलते हैं, आप रिफॉर्म क्या कर रहे हैं ? रिफॉर्म टू परफॉर्म। आप परंपरागत चीजों से अलग हटकर क्या कर रहे हैं? जो आपके पास मौजूद है, उसको कैसे कर रहे हैं? उसी खैरागढ़ में ही थिएटर है, उसी खैरागढ़ में ही हमने एनिमेशन स्वीकृत किया था। भारतीय ज्ञान परंपरा की जितनी चीजें हैं, जो छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, उसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अब जो रोजगारमूलक कोर्स हैं, कुछ का मैंने आर.एन.जी. इकानॉमी की बात कही, इसलिए मैंने बोल दिया है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो मुख्य रूप से बात है, मैं काफी देर बोल चुका हूं। शोधपीठ, साहब मैंने एक भाषण दिया था, आप सुने होंगे, शोधपीठ का अध्ययन करने के लिए एक और शोधपीठ बनाना चाहिए। जितनी शोधपीठ आपके पास है, कितने उसमें क्या काम कर रहे हैं, कितने पर संचालित हैं और कितने क्या हैं ? उसको भगवान जानते हैं। जब मैं शोधपीठों की स्थिति को पढ़ता हूं, देखता हूं तो मुझे भगवान के ऊपर श्रद्धा होने लगती है, आप हैं तभी ये नाम जिंदा है। अब एक बात है, जिसको मेरी व्यक्तिगत बात मान लें। आपने जितने कुलपति नियुक्त किए हैं, अंबिकापुर, दुर्ग और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो एक भी आदमी छत्तीसगढ़ के नहीं है। छत्तीसगढ़ में मेधा नहीं है क्या? क्या आपका दबाव नहीं है? क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया वाले लोग ऐसी हमको बाबा जी का ठूल्लू पकड़ा दिए थे। आज भी वही सिलसिला चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में पढ़े-लिखे लोग हैं, छत्तीसगढ़ में एकेडमिक लोग हैं, मैं दसों नाम बता सकता हूं जिसके पेपर कहां-कहां प्रकाशित हुए, कितने पेपर प्रकाशित हुए। फिर आगे चलें, क्वालिटी एजुकेशन, लोकव्यापीकरण इधर-उधर की बात किए। मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री था, डॉक्टर साहब ने कहा, अब आप स्कूल शिक्षा में आ जाईए, ठीक साहब आ जाते हैं। हमने नया सेटअप बनाकर PSC को बिजनेस भेज दिया था। कल पेपर में छपा था, ये भी उच्च शिक्षा मंत्री भर्ती नहीं कर पाए। हमने भेज दिया था, पद की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आप अतिथि शिक्षक, शिक्षक की नीति बना रहे हैं। आप एक को भरें, दो को भरें, लंबा नहीं भरेंगे तो कैडर गैप होगा, फिर आपके पास प्रिंसिपल नहीं रहेंगे, फिर आपके पास प्रोफेसर नहीं रहेंगे। अब गैप का मतलब वित्तीय स्थिति नहीं है, नहीं भर पा रहे हैं, वह अलग विषय है, जो कैडर गैप होगा वह बिल्कुल अलग विषय है। आज जब मैं आर.एन.जी. इकानॉमी की बात कर रहा हूं तो अब सेटअप को रिवाइज करने की जरूरत है कि AI के लिए हमको क्या-क्या पद चाहिए। हम विजुअल इफेक्ट में बात कर रहे हैं, हम डेटा साइंस में बात कर रहे हैं, साहब उसकी किस तरह से

संरचना बनेगी? एक-दो यूनिवर्सिटी थी, तब तो हम बात नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे पास नौ यूनिवर्सिटी हैं, साहब हम क्या पढ़ा रहे हैं ? अभी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के बारे में डिसीजन दिया जो NCERT ने एक किताब तैयार की थी । यह जानना जरूरी है कि हमारी यूनिवर्सिटी कॉमर्स में ये पढ़ा रही हैं तो सभी के कोर्स एक ही हैं। चाहे आप उसके लिए जो सिस्टम बनाना चाहें, यह आपका विषय है विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके बनाईए। PSC में यह चीज पूछे जाते हैं पता चलता है, हम दूसरी चीज पढ़ा रहे हैं । हमारा कैरिकुलम आउटडेटेड तो नहीं है? हमारा शैक्षणिक कैलेंडर UPSC के लायक, अखिल भारतीय परीक्षाओं के लायक तो नहीं है। अखिल भारतीय परीक्षाएं हो गईं, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है ऐसा तो नहीं है? इसमें सख्ती की जरूरत है। इसको देखने की जरूरत है कि जो करंट अफेयर्स है, उसमें हमारे कैरिकुलम अपडेटेड होते हैं या नहीं होते हैं। विद्या परिषद काम करती है या नहीं करती है। मेरा ये कहना है कि मैंने पर्याप्त बात कर दी, आप विद्वान आदमी हैं। मैंने छोटे-छोटे सभी विषयों को स्पर्श करने की कोशिश की, जितनी मेरी बुद्धि ने काम किया।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, आधा घंटा हो गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैं 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं। मैंने बोला कि यदि आप एन.ई.पी. में बात करोगे तो यह लंबी चर्चा का विषय है, जो प्रतिवेदन की चर्चा में नहीं हो सकती, परंतु एन.ई.पी. को लागू करना चाहिए बोलकर मैं आगे बढ़ गया। मैं आपको एक विषय बता देता हूं कि उच्च शिक्षा में बी.एड. अब आपके पास आ गया है। (दर्शक दीर्घा से ताली की आवाज) सभापति महोदय, LLB के लिए जो 5 वर्षीय कोर्स खोलना है। आपको जो मान्यता लेनी है, जो प्रक्रिया करनी है, जो भी करना है, वह अगले शैक्षणिक सत्र में शुरू हो जाए। वे सभी संस्थाएं, जो आपने खोली हैं, तब उनका मतलब है। उसमें जो गैप है, उसको आप फुलफिल करिए, लोगों की मदद करिए और उसको खुलवाइए। माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि जो परिकल्पना देश को सन् 1987 के बाद माननीय मोदी जी ने कस्तूरी रंगन जैसे महान वैज्ञानिक के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के रूप में दी, उससे लगभग 36 साल बाद इस देश को नई शिक्षा नीति मिली। हमने उसको किश्तों में लागू किया। उसकी इस देश के लिए निर्णायक भूमिका है। अब उससे आगे चलकर विदेशी विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं। ज्ञान परंपरा आगे बढ़े। इस बीच में ज्ञान परंपरा की चिंता की। इसके बाद इकोनॉमी में भी शैक्षणिक भूमिका क्या हो सकती है, उन्होंने अरेंज इकोनॉमी की बात की। इस बदलते परिवेश में जो इकोनॉमी में शैक्षणिक क्षेत्र की भूमिका है, उसकी बड़ी दु:खद स्थिति है। मैं आपको बता देता हूं कि आई.आई.एम., ट्रिपल आई.टी. जैसी संस्थाओं को छोड़ दें तो आप अध्ययन करवाइये कि आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आपके जो एम.बी.ए. के कॉलेज चलते हैं, उसमें कौन सी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं और कौन सी कंपनियां कितने पैकेज में प्लेसमेंट लेती हैं और यदि हमारे छात्रों को नहीं लेती हैं तो क्यों नहीं लेती हैं? छत्तीसगढ़

में इसके अध्ययन करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि जहां पर गैप है, उसके लायक तैयारी करने की जरूरत है। आप करेंगे, इस अपेक्षा के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूं।

सभापति महोदय :- अभी दोनों तरफ की बहुत लंबी सूची है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, राजस्व विभाग में केवल 5 मिनट बोल देता हूं। इसमें भी आपने धोखे से नहीं बताया है कि आपके पास कितने कानून हैं? समझ रहे हैं? मुझे यह लगता है कि क्या बिना कानून के राजस्व विभाग चलता है? इसमें कहीं पर प्रिंट नहीं है कि आपके अधिनियम कौन-कौन से हैं? नियम-निर्देश को कोई नहीं छापता, लेकिन प्रतिवेदन में अधिनियम तो छपते हैं। इसमें क्या छिपाने की जरूरत है? क्या कुछ जरूरत है? आप बता दीजिएगा कि इस कारण से आप छिपाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हम आपसे सहमत हो जाएंगे कि आप छिपा रहे हैं। मैं आपको छोटी-छोटी चीजें बता देता हूं। आपने बहुत सारी चीजें तय की हैं, सुधार किए हैं, नामांतरण में क्रांतिकारी निर्णय लिये हैं। असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण। आप विगत 25 सालों का प्रतिवेदन पढ़िए। यह सब में आता है। गांव की संख्या एकाध ऊपर-नीचे होती है। लगभग 700-800 ग्राम होंगे। मैं अभी देखा नहीं हूं। इसको पढ़ लेता हूं। 717 ग्राम हैं। छत्तीसगढ़ में जिस गति से सर्वेक्षण हो रहा है तो लगता है कि दो-तीन सदी लगेगी। यह कौन कर रहा है? आप उसको बोलिए कि कहां से निकला है, कहां पहुंचेगा, किधर जाएगा? आप उसको बताइयेगा। लिखा है कि अपलोड किया जा चुका है। यह कब पूरा होगा? आपने कुछ का किया है। बिल्कुल नहीं किया है, ऐसा नहीं है। परंतु यह 25 सालों से चल रहा है। जब से छत्तीसगढ़ बना है, तब से चल रहा है। क्या-क्या बात करते हैं, यह समझ में नहीं आता है। आपने रिकॉर्ड रूम बना दिया है। यह ठीक है। जैसे नक्शा प्रोजेक्ट है। धमतरी में भी यह लागू है, जगदलपुर, अंबिकापुर में भी लागू है। आप यह बताइये कि क्या यह समय से चल रहा है? यहां प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं। आप इनसे पूछ लीजियेगा। आपको नक्शा को 31 मार्च तक पूरा करना है। यदि आप तीनों में से एक जगह भी पूरा कर देंगे तो मुझे बता देना। वह 31 मार्च तक तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं उसके बाद अगले सत्र में आपसे पूछूंगा कि क्या 31 मार्च तक नक्शा का प्रोजेक्ट पूरा हो गया? क्या व्यवहारिक दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है? कार्रवाई करना तो आप लोग भूल गए हैं। कार्रवाई आप कर नहीं सकते। अभी हमारे अग्रज का उदाहरण आया कि चिराग परियोजना के 183 करोड़ रूपये आदिवासियों के वापस चल गये। डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्री स्टैक। डिजिटल क्रॉप सर्वे कब करते हैं, कैसे करते हैं? आप बताइयेगा तो मैं एकाध में उपस्थित रहूंगा। किसान रजिस्ट्री ठीक है। अब स्वामित्व योजना में आपने लिखा है कि कराया जा रहा है। साहब थोड़ा सा आप छत्तीसगढ़ के सपूत हो, कितने को कब करवाओगे? एक लक्ष्य होना चाहिए। मैं उस दिन विभाग में बोला था कि सरदार पटेल ने अरब सागर का जल उठाकर प्रतिज्ञा की कि साहब मैं पुनर्निर्माण करूंगा और 02 साल के अंदर राष्ट्रपति को उद्घाटन करवाने के लिये ले गये, हालांकि वह नहीं थे। लेकिन सुनिये मालिक, बुनियाद डाली तो वह पूरा हो गया। ये कराया जा रहा

है, ये किसानों का है, गरीबों का है। आप दीनदयाल उपाध्याय योजना में पैसा दे रहे हैं, ई-धरती इसमें प्रक्रियाधीन है। कोई समय-सीमा है। हम लोग बोलते हैं तब तो, मैं अभी निश्चयादिबोधक शब्द बोला, हिन्दी का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो प्रक्रियाधीन है तो यह आश्वासन बनता है। आप विधान सभा में आश्वासन के शब्द को निकाल लीजिए। अभी निकल जायेगा। सचिवलाय को बोल दीजिए कि कौन-कौन से शब्द आश्वासन के हैं, उसी को इसमें प्रिन्ट करवा दीजिए, फिर किसी विभाग की जरूरत नहीं है। ये सब प्रक्रियाधीन है, हो रहा है, चल रहा है। जैसे सर्वेक्षित ग्राम का 25 साल से सर्वे चल रहा है, 26वां साल लग गया है, रजत जयंती वर्ष से आगे निकल गये। तो आप अपनी क्षमता का संपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। नामांतरण पोर्टल किया जा रहा है, हर पंचायत में संप्रेषित किया जा रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान जानते हैं और आप जानते हैं कि ये कब तक पूरा होगा। मैं फिर बोलता हूं कि भविष्यवाचक संज्ञा का इस्तेमाल करना बंद करिये। मोदी जी, रिफार्म की बात कर रहे हैं, उसको भी हम लोग सुने और निश्चयादिबोधक शब्दों में बात करें कि ये-ये प्रक्रिया इतने दिन में पूरी जायेगी, किसानों की सेवा होगी। ये शब्द हैं। ये प्रक्रियाधीन है और हो रहा है और चल रहा है तो उसमें फिर हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ती है। आप फसल कटाई में प्रयोग करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बड़ा गंभीर विषय है। हमारे यहां कहीं 15 क्विंटल, 14 क्विंटल, 9 क्विंटल, 10 क्विंटल धान पैदा होती है और हम खरीदते 21 क्विंटल धान हैं। यह एकमात्र राज्य है जो यह स्वीकार करता है कि इतना धान पैदा होता है और हम उससे ज्यादा खरीदते है। ये स्टेट एक मात्र छत्तीसगढ़ है।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, अब समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, अब मैं पढ़ देता हूं।

सभापति महोदय :- हां, पढ़ दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल, हुजूर मैं तो आपके हुकूम का गुलाम आदमी हूं।

सभापति महोदय :- ऐसा मत बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एकात लाईन को पढ़ देता हूं। आप प्रतिवेदन के 33 नंबर पेज को पढ़ लीजियेगा। बिलासपुर मुख्यालय में राजस्व मंडल में दर्ज प्रकरण 291 है और निराकृत 350 प्रकरण हैं। इसमें लिखा है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। फिर रायपुर सर्किट कोर्ट में सदस्य दर्ज संख्या 174 है और निराकृत 227 लिखा है। अब मेरी बुद्धि तो इसमें काम नहीं करती। यह समझ में नहीं आता, आप ही इसको बताना। आप प्रतिवेदन के 33 नंबर पेज को पढ़ लेना। अब राजस्व मंडल में इतने पद रिक्त हैं कि वह तो 50 साल एक पीढ़ी निकलेगी। वह तो राजस्व मामले निपटते तक यदि हम पटवारी से राजस्व मंडल तक जायें और लौटकर फिर से सिविल कोर्ट तक पहुंचे तो कम से कम 50 साल निराकरण में लगेंगे और पद रिक्त हैं तो एक सदी मान लीजिए। उसमें क्या है, यह पीढी नहीं देखेगी। हम 2047 में पूरा फैसला को लेंगे। साहब, जनता की सेवा यही है। यदि राजस्व विभाग मजबूत

हो गया तो आप यह समझ लीजिए कि आप 3-4 बार उस विभाग के मंत्री बनोगे। क्या है उसको, अब इसका आशय आप समझ लीजिए। सभापति महोदय, मेरे को दो बार बोल चुके हैं। देखिये, मैं एक शब्द पढ़ रहा हूं, वह इतना जोरदार है। आपके अधिकारी लोगों को बोलिये कि कैसे प्रतिवेदन बनता है, शासकीय मुद्रणालयों में रिक्त पदों की पूर्ति उपरांत नवीनतम तथा अत्याधुनिक मुद्रण संबंधी मशीनों की स्थापना करने की योजना है। वाह-वाह। रिक्त पदों की पूर्ति कब होगी, यह बताने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन लिख दिये हैं कि रिक्त पदों की पूर्ति के बाद हम आधुनिक मशीन लगायेंगे। माननीय मंत्री जी, आप क्यों ऐसा लिखते हैं ? आप कोई अवधि बताईये नहीं तो यह लिखने की क्या जरूरत है। ऐसे व्यर्थ शब्दों को लिखकर हंसी का पात्र बनते हैं। आधुनिकीकरण के लिये इसकी त्वरित कार्यवाई की जा रही है । कौन सी त्वरित कार्रवाई है उसको बताना ? अब राजस्व न्यायालय में आपके जो प्रकरण लंबित हैं । दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर में जैसे त्रुटि सुधार में, मैं एक उदारण के तौर पर दंतेवाड़ा का पढ़ देता हूं । 1 वर्ष से 4, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक 1, 2 वर्ष से अधिक शून्य, बीजापुर में एक शून्य, दो शून्य । यह सभी जो प्रकरण हैं उसमें ऐसे ही हैं । या तो मैं आपको बधाई दे दूं कि साहब, नक्सल उन्मूलन के लिये राजस्व रिकॉर्ड को ठीक करने के लिये आपने अद्भुत काम किया है, जितनी चीजें हैं वह शून्य 1-2 लंबित हैं और या नहीं तो आश्चर्य का विषय है, वहां तहसील कार्यालय बंद कर दीजिये । वहां पटवारी की जरूरत नहीं है, यह जांच का विषय है । आप इसको मजाक में मत लीजियेगा या तो वह बधाई लीजिये कि आप रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण में बहुत हिंदुस्तान में टॉप हैं इस तरह के प्रकरण लंबित नहीं होना हिंदुस्तान के किसी और जिले में नहीं मिलेगा । सभी में लंबित में आप जीरो, 1, 2 दिख रहे हैं । दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा पढ़ लीजिये । मैंने तीनों को ही विशेष रूप से देखा और नहीं तो आप इसकी जांच करवाईये और वहां से तहसील ऑफिस बंद करवाईये । मैं 1-2 छोटी-छोटी चीजें बोल देता हूं । सरकार, गजट । पहले जब हम लोग मध्यप्रदेश में विधायक थे तो हम लोगों को गजट मिलता था । क्यों माननीय रामविचार नेताम जी ? अब छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम लोगों ने गजट को देखा भी नहीं है कि कैसा होता है । हमने विधायकों की बैठक में भी इस बात को उठाया था कि आप लोग हमें गजट क्यों नहीं देते हैं ? व्यपवर्तन के जो प्रकरण हैं, डॉयवर्सन । इसकी जांच करने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत इसलिये है कि आप जांच करेंगे तो सरकार को फायदा होगा । अवैध प्लाटिंग जितने हैं, एक भी व्यपवर्तित नहीं हैं और धान खरीदी में भी इसका प्रभाव दिखेगा कि लाखों एकड़ अवैध प्लाटिंग में है और वह रकबा, गिरदावरी कुछ भी हो रहा है और सरकार को राजस्व क्षति भी हो रही है, एक और दूसरा, बिना व्यपवर्तन के अवैध कॉलोनी भी बन रही है और कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है । अब एक आपदा मोचन निधि और जो नवीनीकरण इसके आप जो पैसे देते हैं न, ठीक है तो धोए मुरई अउ बिन धोए मुरई के भाव एके नइ रहए, समझ गेस साहब । एक प्रश्न है, आप छोटा सा बता दीजिये कि सर्पदंश क्या है, बताईये तो । आप सर्प को पालतू जानवर में लेते हैं या जंगली जानवर में लेते हैं,

बताईये ? उसका मुआवजा कैसे देय होना चाहिए ? आप उसको किसमें मानते हैं, 6-4 क्या बोलती है ? पालतू है या जंगली है, क्या है ? सर्पदंश का मुआवजा कैसे निर्धारित करेंगे ? किस आधार पर ? भालू-बंदर का तो आप मान लेंगे कि श्रेणी है लेकिन सर्प की क्या श्रेणी है ?

माननीय सभापति महोदय, आप इसका निर्धारण तो जरूर करें, यह मेरा मौलिक प्रश्न है कि सर्पदंश का निर्धारण, मृत्यु का निर्धारण आप कैसे करते हैं ? और मुझे यह जरूर बताईयेगा कि उसको पालतू मानते हैं या जंगली मानते हैं ? अब सब प्रयत्नों के बाद लगभग 50,000 से ऊपर मामले लंबित हैं, यह चलते रहता है, ठीक है लेकिन एक टाईम फ्रेम होना चाहिए । अभी का सीजन है । साहब, मुझे सीमांकन जीरो चाहिए । मुझे सीमांकन के बाद अविवादित जीरो चाहिए । इस तरह की जो चीजें हैं, जीरो सीजन है । यह बारिश में नहीं होगा । दूसरी बात, इसको अंतिम बात मान लें, मैं एकाध बात और बोलूंगा । मैं एक सुझाव हमेशा देता हूं, किसान आता है, कलेक्ट्रेड गया, उस दिन डेट है तो भी कलेक्टर साहब राजस्व कोर्ट में नहीं हैं । क्यों नहीं हैं ? माननीय रामविचार जी आये हैं, मंत्री जी । माननीय लखनलाल जी आये हैं, मंत्री जी । आप जिस दिन कोर्ट डे निर्धारित करते हैं, तहसीलदार से लेकर राजस्व न्यायालय तक, किसान भटकें मत । माननीय मंत्री गण राज्य का कार्य करते हैं, मनोरंजन के लिए नहीं जाते, मैं इस बात से सहमत हूं । क्या आप अपने सेटअप में प्रत्येक जिले में एक प्रोटोकाल अधिकारी रख सकते हैं ? कि माननीय मंत्रीगण को यह मालूम रहेगा कि कोर्ट में कलेक्टर आपको अटेंड नहीं करेगा, एस.डी.एम. अटेंड नहीं करेगा, तहसील नहीं करेगा । यह प्रोटोकाल अफसर हैं, 1 लाख 75,000 करोड़ रूपये बजट हो गया । अब 5000 करोड़ रूपये नहीं है। अगर कोई छुट्टी में चला गया तो एक-दो और हमें 36 पद चाहिए। लेकिन उससे जनता को कितनी राहत मिलेगी? उसके कागज-पत्र, निर्देश सब कलेक्टर साहब तक पहुंच जाएगा तो यह रिफार्म हैं और साहब, अब जो परम्परागत दे दिया, उसकी दिल्ली से कुछ योजनाएं आयी हैं, यह रिपोर्ट आयी है, ई.ई. आया है इतने सारे ई.ई. हैं तो वह अनपढ़ किसान ई.ई. को पढ़ ही नहीं पायेगा। उसमें कुछ मैनुअल भी रखिये। कुल मिलाकर जो चीजें हैं । यह राजस्व विभाग जनता से जुड़ा विभाग है। आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बीजापुर और दंतेवाड़ा का बताया, उनकी जांच करवाईये और तहसील ऑफिस बंद करवाईये। आप बधाई लीजिए और तहसील ऑफिस बंद करवाईये। मैंने जो-जो चीजें कहीं हैं आप उस पर ध्यान देंगे और उनका उत्तर देंगे। मैंने सर्पदंश के बारे में पूछा है तो आप बतायेंगे और उच्च शिक्षा में मुझे ज्यादा बोलना था। यह विभाग ऐसा है इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया। उच्च शिक्षा में नये परिवेश में जो अपेक्षाएं माननीय मोदी जी की हैं, जो भू राजनीतिक परिवर्तन और शैक्षणिक परिवर्तन दुनिया में हो रहे हैं, नये क्षेत्र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नवजवानों के लिए अवसर खुलें। छत्तीसगढ़ के जो पेयिंग लोग हैं, जो लो पेयिंग कैपिसिटी के लोग हैं उनके लिए हमारे विश्वविद्यालय तैयार हो और हमारी साहित्य संस्कृति लोकव्यापीकरण के साथ-साथ साहित्य संस्कृति भारतीय ज्ञान परम्परा में दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए आप काम करेंगे।

इस भाव के साथ आपकी बजट मांगों का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

सभापति महोदय :- श्रीमती शेषराज हरवंश।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मेरा भी नाम था।

सभापति महोदय :- ऐसी परम्परा नहीं है कि आप भाषण छोड़कर चले गये और बाद में फिर आएंगे तो बोलेंगे। आप अभी बैठिए। श्रीमती शेषराज हरवंश।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 8, 9 और 58 में प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों का समर्थन एवं अनुदान मांगों के विरोध में चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

प्रदेश की तहसील से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न कार्यालयों में सबसे ज्यादा राजस्व विभाग की शिकायतें समाधान हेतु लंबित हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने सरकार के पहले बजट में भाषण एवं किसानों एवं कृषि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने हेतु ऑनलाईन ई.गजट ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से करने की घोषणा की थी। परन्तु जब हकीकत में धरातल में इसकी स्थिति जस की तस है। जैसे पहले थी वैसी आज भी है। आज भी किसान अपने भू-अभिलेख में प्रमाणित...।

सभापति महोदय :- मैं इनको जरूर मौका दूंगा, लेकिन ऐसी व्यस्था नहीं है इसलिए मैं आसंदी के क्रम में चलूंगा।

श्री उमेश पटेल :- आपको धन्यवाद्।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, आज भी किसान अपने भू-अभिलेख की प्रमाणित प्रति बटांकन, नामांतरण, बंदोबस्त, त्रुटि सुधार, सीमांकन आदि कार्यों के लिए भटक रहे हैं। किसी भी राज्य की व्यवस्था का रीढ़ उसका राजस्व विभाग होता है। लेकिन आज प्रदेश का यह विभाग भ्रष्टाचार और लेट लतीफी का केन्द्र बन चुका है। सरकार सुशासन का दावा करती है, लेकिन नामांतरण के हजारों मामलें आज भी लंबित हैं। ऑन लाईन प्रक्रिया के बावजूद पटवारी और तहसीलदार स्तर पर फाईलें महीनों तक दबी रहती हैं। फौती, नामांतरण जैसे संवेदनशील मामलों में भी किसानों को परेशान किया जाता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि नामांतरण के लिए एक सख्त समय-सीमा तय हो और पोर्टल पर लंबित मामलों का जिलेवार डेशबोर्ड सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पारिवारिक बंटवारे के मामले वर्षों तक सुलझते नहीं हैं, जिससे गांवों में रंजिश और मुकद्मेंबाजी बढ़ रही है। आपसी सहमति के बंटवारे में भी राजस्व अधिकारी अनावश्यक अडंगें लगाते हैं। प्रदेश के छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह कोर्ट कचहरियों का चक्कर काटते रहे। पंचायत स्तर पर राजस्व शिविर लगाकर, मौके पर ही बंटवारे की कार्यवाही संपन्न करायी जाये, यह मैं सरकार से मांग करती हूँ। सीमांकन सिर्फ खानापूर्ति ही है। यहां आधुनिक मशीनों की कमी है, पुराने नक्शों और आज की

जमीनी स्थिति में भारी विसंगति है। हमारा किसान शुल्क जमा करता है, लेकिन सीमांकन के लिए तारीख पर तारीख ही मिलती रहती है। प्रत्येक तहसील में आधुनिक सर्वेक्षण, उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये और सीमांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाये, मुआवजा वितरण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है । सड़क, बांध या अन्य परियोजनाओं के लिए जब किसी किसान की जमीन ली जाती है तो उसे उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है । अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वितरण दोषपूर्ण होता है। परियोजनाओं में जमीन छीन जाती हैं, लेकिन मुआवजा 5 साल बाद भी नहीं मिल पाता है । भू अर्जन अधिनियम के तहत बाजार दर से 4 गुना मुआवजा तत्काल डिजीटल माध्यम से सीधे किसान के खाते में जमा हो, तभी किसानों के साथ उचित न्याय होगा।

सभापति महोदय, हमारी सरकार बड़े जोर-शोर से कहती है कि हमने सब कुछ ऑन लाईन कर दिया है, लेकिन डिजीटल इंडिया की जमीनी हकीकत क्या है, यह गांव के ग्रामीण अंचल के व्यक्तियों से पूछेंगे तो पता चलेगा । जब किसान खसरा, खतौनी के लिए जाता है तो सर्वर डाउन मिलता है । वह घंटों कार्यालय दफ्तर में ही बैठे रहते हैं और ऐसी स्थिति रहती है कि न तो उनको पानी मिल पाता है, न उनको छाया मिल पाता है और कई घंटे तक तो बैठने की व्यवस्था नहीं रहती है । पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं रहता है । सिर्फ एक ही चीज सुनने में आता है कि सर्वर डाऊन है, सर्वर डाऊन है । आज भी बिना सुविधा शुल्क के एक साधारण सीमांकन या नामांतरण नहीं होता है । पटवारी मुख्यालय से गायब रहते हैं । अभी हमारे वरिष्ठ वक्ता चन्द्राकर जी कह रहे थे कि न कभी तहसीलदार मिलते । तहसीलदार अपने फील्ड विजिट की बात करते हैं । पटवारियों की बात तो पूछिए ही मत, दुनिया के सबसे प्रमुख अधिकारियों में सबसे पहले नाम आता है-पटवारी, जिन तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है ।

सभापति महोदय, राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामले सरकार की प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर प्रश्न-चिह्न खड़ा करता है । भूमि सुधार के नाम पर केवल फाईलों को भरा जाता है । चकबंदी का अभाव है । प्रदेश मे चकबंदी की प्रक्रिया ठप्प पड़ी है । किसानों के खेत टुकड़ों में बिखरे हुए हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और मशीनीकरण संभव नहीं हो पा रही है । अभिलेख त्रुटि में रिकॉर्ड आफ राईट्स में इतनी गलतियां हैं कि किसान को अपने ही खेत के लिए बैंक से लोन लेने में पसीने निकले जाते हैं । यह बहुत बड़ा मुद्दा है और गंभीर मामला है। सरकार ने कितनी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया और कितनी बंजर भूमि का विकास किया, इसके आंकड़े केवल कागजों तक सीमित हैं । भूमि अधिग्रहण आज किसानों के लिए अभिशाप बन गया है । औद्योगिक गलियारों और सड़कों के लिए जमीन ली जाती है, लेकिन किसानों को मुआवजा 10 साल पुरानी गाईड लाईन दरों पर दी जाती है । औद्योगिक विकास से भूमि अधिग्रहण किसानों के विनाश का कारण बनती जा रही है । अधिग्रहण के नाम पर जिन किसानों की जमीन छीनी जाती है, उन्हें न तो नौकरी मिलती है और न ही कोई वैकल्पिक

जमीन मिलता है । उपजाऊ भूमि, कृषि भूमि अधिग्रहण करके उसे कांक्रीट के जंगल में बदला जा रहा है, जो भविष्य के खाद्य संकट का निमंत्रण है । इतना ही नहीं धारा 4 और धारा 6 का नोटिस थमाकर किसानों को डराया जाता है । उनकी आपत्तियों का निराकरण किए बिना ही कब्जे पर लिए जा रहे हैं । पता है कि किसान उद्योगपति एवं सरकार के सामने घुटने टेक देते हैं ।

सभापति महोदय, लंबित नामांतरण और बंटवारा मामलों के लिए हर महीने ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य राजस्व लोक अदालत लगाई जानी चाहिए, यह मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं । भूमि अधिग्रहण में सुधार किया जाये । पहले सामाजिक सुझाव, मूल्यांकन को पारदर्शी और मुआवजा वर्तमान बाजार दर से 4 गुना ज्यादा दिया जाये । सेट-अप के अनुसार प्रत्येक कार्यालयों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाये, ताकि राजस्व प्रकरणों का शीघ्रतापूर्ण निपटारा हो सके एवं अन्य समस्त समय सीमा पर कार्य पूरा हो सके । नामांतरण धारा 110, सीमांकन धारा 129 एवं बंटवारा धारा 178 जैसे महत्वपूर्ण राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु संहिता या नियमों में अधिकतम 30 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए । इसके साथ ही प्रत्येक प्रक्रिया हेतु स्पष्ट एस.ओ.पी. (स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) निर्धारित किया जाना आवश्यक है । सीमांकन एवं नक्शा बटांकन के त्वरित निराकरण हेतु राजस्व निरीक्षकों को अधिकृत किया जाये । उनके लिए अलग लागिन आई.डी., डिजीटल प्लेटफार्म बनाया जाये । वर्तमान में प्रचलित चांदा-मुनारा की बाध्यता समाप्त कर ऑन लाईन प्रणाली, स्थायी संरचना जी.पी.एस., जी.आई.एस. आधारित माप को विधिक रूप से मान्यता प्रदान की जाये । नोटिस की तामिली कोटवार के माध्यम से डिजीटल नोटिस, ई नोटिस, इश्तश्हार को वैधानिक मान्यता दी जाये। साथ ही इश्तहार की अवधि नियमों में ही 7 दिवस निर्धारित की जाये। अन्य न्यायालयों से नोटिस तामिली हेतु ऑनलाईन प्लेटफार्म पर प्रावधान हो।

माननीय सभापति महोदय, धारा 27 से धारा 43 तक की न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए एक आधुनिक एस.ओ.पी.बनाया जाये, जिसमें प्रत्येक कार्यवाही हेतु समय सीमा, नोटिस प्रक्रिया, साक्ष्य प्रक्रिया, आदेश लेखन जैसे सभी चरण स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। धारा 59 के अन्तर्गत भूमि का पुनर्निर्धारण कर उसे जनता के मोबाइल नंबर से लिंक किया जाये तथा ऑनलाईन भुगतान प्रणाली डिजीटल रिकार्ड अपडेट का प्रावधान किया जाये। सभापति महोदय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा अविवादित प्रकरणों में पुनार्वलोकन हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजे जाते हैं, उन्हें ऑनलाईन प्रेषण के माध्यम से ही भेजा जाये। एस.डी.ओ. द्वारा ऑनलाईन अवलोकन के आधार पर अनुमति देने का प्रावधान हो। आफलाईन केस भेजने की बाध्यता समाप्त की जाये। धारा 131 में संशोधन कर यह स्पष्ट किया जाये कि किसी खेतिहर को उसके खेत तक पहुंचने हेतु किस प्रकार से रास्ता निर्धारित किया जायेगा, न्यूनतम चौड़ाई, प्राथमिकता नियम ताकि मार्ग विवादों का अस्थाई समाधान हो सकें।

सभापति महोदय :- चलिये अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, बस दो मिनट। भू-राजस्व की वसूली को मोबाइल लिंक कर आनलाईन भुगतान के माध्यम से करने का प्रावधान किया जाये। धारा 165 हेतु एस.ओ.पी. के अन्तर्गत भूमि हस्तान्तरण के दस्तावेजों की सूची समय-सीमा में निर्धारित की जानी चाहिए। धारा 178 के अन्तर्गत खाता विभाजन करते समय नवीन खातों के निर्माण, रिकार्ड अपडेट, संशोधन के लिए मानकीकृत एस.ओ.पी. निर्धारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय :- हो गया। अब आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं। पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। क्षेत्र की मांग कर लीजिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, मैं, माननीय मंत्री जी को अपने क्षेत्र की एक बात कहती हूं। अभी हर एक ग्राम पंचायत में , मैं सिर्फ पामगढ़ की बात करूंगी। हमको एक भी शासकीय भूमि नहीं मिलता है। वहां बहुत अवैध कब्जे हो गए हैं दूसरी तरफ भू-माफियाओं का बोलबाला बहुत बढ़ गया है कि वह पहले शासकीय भूमि को अपने नाम करवाते हैं, फिर उसको 17 टुकड़ों में बेच रहे हैं। इसमें सिर्फ भू-माफिया ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें पटवारी, तहसीलदार, एस.डी.एम. से लेकर उप पंजीयक तक शामिल रहते हैं। अभी कुछ समय पहले अवैध प्लाटिंग को रोक लगाने के लिए पत्र लिखा था। उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। 5 डिसमिल पर रोक लगा दिए हैं तो अब 13 डिसमिल का अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछंगी कि आप 5 डिसमिल..।

सभापति महोदय :- आप जनरल बात बोल रही है। आप अपने क्षेत्र का नाम बताईये और भाषण समाप्त करिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बात है। पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्रापर पामगढ़ की बातहै। पामगढ़ को नगर पंचायत बना दिया गया है।

सभापति महोदय :- ऐसा नाम बतायेंगी तभी तो कोई संज्ञान में लेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा। अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, मैं बता रही हूं। पामगढ़ क्षेत्र के अन्दर प्रापर पामगढ़ में यह समस्या है। आज वह नगर पंचायत बन गया है। लेकिन वहां एक भी शासकीय भूमि नहीं है। वहां इतना अधिक अवैध प्लाटिंग हो गया है कि आज नगर पंचायत में कचरा डंपिंग के लिए जगह नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय :- अब हो गया, अब समाप्त करें। 12 मिनट हो गए हैं।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, वह चाहे शिवरीनारायण का हो, चाहे पामगढ़ का हो, अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने की मांग माननीय मंत्री जी और सरकार से करती हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री आशाराम नेताम (अनुपस्थित) श्री रिकेश सेन।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- धन्यवाद सभापति महोदय। इस बजट सत्र में पहली बार बोलने का अवसर मिला है। कहीं न कहीं बहुत लंबे अंतराल से बोलने का अवसर नहीं मिला था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं अजय चन्द्राकर जी की जो आत्मा है, उनकी 2 प्रकार की आत्मा है। एक पॉजीटिव, एक नेगेटिव। तो कहीं ऐसा न हो कि वह मेरे अंदर आ जाये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, केवल पॉजीटिव आत्मा आये तो ज्यादा अच्छा है। नेगेटिव आत्मा मत लो।

श्री सुशांत शुक्ला :- स्वयं में विवादित आत्मा हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- रिकेश जी, सुनिये। आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बजाय भूमिका के, आप सीधे विषय में ही आ जाईये। आप अपना भाषण उसी में दीजिये। क्या होता, क्या नहीं होता..।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, मेरे साथ यही दिक्कत है कि एक तो बहुत बाद में बोलने का अवसर मिला। हमारे सारे सीनियर लोग भूमिका बांधते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी भावना को कोई नहीं समझता।

सभापति महोदय :- आप मेरी बात सुनिये। आप उसको अन्यथा ले लिये।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर भावना ला मैं समझथव, बस।

समय :
2:00 बजे

सभापति महोदय :- एक मिनट, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोक रहा हूं और मैं यहां बैठकर अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि आपको पूरा अवसर दूं। आपसे यह बोल रहा हूं कि आप सीधे-सीधे टॉपिक में आइये, क्योंकि अभी बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्री राम विचार नेताम :- नहीं सभापति जी, लेकिन आपको तो यह भी चिंता करनी है कि एक समाज विशेष का..।

श्री रिकेश सेन :- अति पिछड़ा।

श्री राम विचार नेताम :- राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र विधायक एकमात्र विधायक है।

श्री रिकेश सेन :- अति पिछड़ा जाति का एकमात्र विधायक है।

श्री राम विचार नेताम :- एक सिंगल, उनकी आत्मा भी भटकती है तो यही शांत करते हैं।

सभापति महोदय :- नहीं उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विभाग भले देर से सही, लेकिन ऐसे विभाग में अनुदान मांगों पर मांग संख्या 8, 9, 58, 35 और 44 की चर्चा और समर्थन में खड़ा

हुआ हूं। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है। सारी चर्चा सभी सदस्यों ने कर ली है, मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पर ही आऊंगा जैसा आपका आदेश हुआ है। मैं समझता हूं कि कोई भी विधान सभा सत्र में जब प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल में जब सम्मानित मंत्री जी किसी विषय पर जवाब देते हैं और कोई घोषणा करते हैं तो मुझे लगता है कि नए सदस्यों के आधार पर कि शायद उसे उसकी मान्यता होती है।

श्री सुशांत शुक्ला :- चर्चा पर आइए।

श्री रिकेश सेन :- सीधे ही तो आ रहा हूं भाई, बोलने तो दीजिए।

सभापति महोदय :- आप बोलिए न, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं।

श्री रिकेश सेन :- मैं माननीय से चाहता हूं कि अगली बार जगह को उधर कहीं दे दीजिए। (हंसी)

सभापति महोदय :- आसंदी से कुछ नहीं बोला जा रहा है, आप बोलिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, उनको आपका विशेष संरक्षण चाहिए ।

श्री रिकेश सेन :- देखिए, मुझे डॉक्टर रमन सिंह जी की कमी मुझे खल रही है। इस बजट सत्र में डॉक्टर रमन सिंह जी की कमी मुझे बहुत ज्यादा खली है।

श्री रामकुमार यादव :- ब्लैक कमांडो मिलिस कि नहीं भैया।

श्री रिकेश सेन :- [XX][4] और जब भी हम कोई विपक्ष को कटाक्ष करने के लिए जाते हैं तो हमारे आजू-बाजू वाले बैठा देते थे। (हंसी) कम से कम भिलाई जैसे शहर से प्रतिनिधित्व करता हूं।

सभापति महोदय :- एक मिनट सुनिए न।

श्री रिकेश सेन :- जी।

सभापति महोदय :- [XX], ये सब बात विधान सभा में नहीं बोली जाती।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, नहीं बोला जाता, कई लोग कई बार बोल देते हैं, लेकिन उन लोग बोल देते हैं।

सभापति महोदय :- आप बिल्कुल ठीक बोले। हमारे डॉक्टर साहब स्वस्थ हो गए हैं, आ गए हैं और बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे।

श्री रिकेश सेन :- चलिए, मैं अपनी महत्वपूर्ण बातों पर आता हूं। मुझे दो मिनट रोका-टोका न जाए। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। उमेश जी।

श्री उमेश पटेल :- यह किसके लिए था?

श्री रिकेश सेन :- उमेश जी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। देखिए महत्वपूर्ण विभाग है, मेरे विधान सभा क्षेत्र वैशाली नगर में एक कुरुद गांव है, जो शहरी क्षेत्र में है, वह वार्ड में तब्दील है । मैंने विधान सभा सत्र में कई बार उसे प्रश्नकाल में भी लगाया था कि उसे तत्कालीन

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

सरकार भूपेश बघेल जी कांग्रेस की सरकार ने लास्ट में जाते-जाते अंतिम समय में 500 एकड़ के लगभग है, 500 एकड़ में गांव बसा हुआ है और जाते-जाते लास्ट समय में उसे घास भूमि में परिवर्तित कर दिया गया और उसे वक्फ बोर्ड को देने की पूरी तैयारी कर ली गई। उस पूरे गांव में लोग हैरान और परेशान हैं। न किसी का पट्टा है, न किसी को जो आपकी योजना है, उस योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री जी, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, आपने इस सदन में घोषणा की थी कि जो गलत तरीके से घास भूमि किया गया है, निश्चित रूप से वह गलत है और फिर से उसे आबादी में घोषित किया जाएगा और वहां के लोगों को उसका मालिकाना हक मिले, इसके लिए सरकार और मेरा जो विभाग है, उसकी पूरी तैयारी करेगा। लेकिन क्या यह सिर्फ वहीं तक सीमित था और उसके बाद ये डेढ़ सालों में अभी तक किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हुई और न आपने जिला प्रशासन को किसी भी प्रकार का कोई आदेश दिया, न सचिवालय से गया, न विधान सभा से कोई कॉपी गई और इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। पहला तो यह था, जिस पर मेरी मांग है कि इसे वापस घास जमीन से हटाकर इसे आबादी में किया जाए और वहां के लोगों को शहरी क्षेत्र में जब भी आप उनकी स्वामित्व योजना लाएंगे तो उसमें उनको लाभ मिले, इसकी चिंता आपको अवश्य करनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप भी और साथ में सम्मानित अधिकारी भी हैं, चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे अवश्य आप नोट कर लें। दूसरा विषय है वैशाली नगर विधान सभा में लगातार अवैध प्लॉटिंग चल रही है। एक तरीके से अखबारों में खबर छपती है, जनप्रतिनिधि एक्टिव होते हैं, अधिकारी एक्टिव होते हैं कि अवैध प्लॉटिंग ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपका विभाग अवैध प्लॉटिंग की रजिस्ट्री कर देते हैं। कल कोई माननीय सदस्य सदन में कह रहे थे कि नगर निवेश विभाग में कोई कड़ा कानून लाना पड़ेगा। वह कानून आपने नहीं लाया है, जिसके कारण लगातार अवैध प्लॉटिंग चल रही है। अवैध प्लॉटिंग के विषय पर कहीं ना कहीं सरकार पर भी आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। वहां पर जब आपका विभाग रजिस्ट्री कर देता है, रजिस्ट्री करने के बाद जवाबदारी नगर निगम की बन जाती है कि उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है और वह जिस बात को लेकर जो रजिस्ट्री करता है, उस बात को लेकर वह दावा करता है, वह धरने में बैठता है, प्रदर्शन करता है कि मैंने तो रजिस्ट्री करा ली है। अगर मेरा प्लॉट अवैध था तो आपने रजिस्ट्री क्यों नहीं रोका? मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में हो रही है। जिसका खसरा नंबर अभी मैंने आपको दिया है। मैंने आपको इतने सारे जो खसरे नंबर उपलब्ध कराया है। मेरा विश्वास इस बात को लेकर होना चाहिए क्योंकि कई लोग उसमें फंस जाते हैं। जो हितग्राही हैं, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही जनता उसे खरीदती है। उनको लगता है कि अगर Town and Country Planning से प्राप्त नक्शे से यदि हम भूखंड खरीदते हैं तो 2000 रूपये per square feet में मिलता है, लेकिन अवैध प्लॉटिंग में वह 500 per square feet में मिल जाता है। इसलिए वह 500 रूपये देखकर हमारे विधान सभा क्षेत्र की जनता उस भूखंड को ले लेती है, लेकिन

उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा यह निकलता है कि वह लोग 500 रूपये per square feet में लेकर फंस जाते हैं। उसे मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश भर में इस अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए हम नाकाम रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कुछ खसरे नंबर दिया है, जो बहुत विवाद की स्थिति में है। मैं चाहूंगा कि उस पर आप संज्ञान लें और तत्काल अधिकारियों को निर्देशित करें क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय नहीं है। आप चाहेंगे तो अभी तुरंत Whatsapp करके भी उस खसरे नंबर को बैन करके रोका जा सकता है। अब होता यह है कि विधायक खसरा नंबर को बैन कराते हैं, अवैध प्लॉटिंग के प्रति हम सजग रहते हैं। लेकिन उसके बाद आप बैन भी करते हैं, फिर पता नहीं किसके आदेश से उसे खुलवाकर फिर से उसमें अवैध प्लॉटिंग चालू हो जाती है। कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई ना हो क्योंकि मेरी जनता ने मुझे मजबूत विधायक के रूप में चुना है। इसलिए वहां ऐसी कोई परिस्थिति विपरीत परिस्थिति ना आए।

श्री दिलीप लहरिया :- पूरे प्रदेश के लिए बोलिए, भाई।

श्री रिकेश सेन :- मैंने पूरे प्रदेश का ही हवाला दिया है, लेकिन मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात ज्यादा करूँगा।

श्री दिलीप लहरिया :- आप सही बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं।

श्री रिकेश सेन :- इस अवैध प्लॉटिंग के साथ-साथ कई ऐसे कॉलोनाइजर हैं, जो Town and Country Planning से प्लाट approved कराकर कॉलोनी बनाने का झांसा देकर एक सड़क, एक नाली और पेड़ लगाकर कहीं ना कहीं लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, जिसमें आधे लोग जेल में भी हैं। लेकिन हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी पर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है और क्यों नहीं की है? ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित करने का काम करना चाहिए। मुझे लगता है यह स्थिति सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति है कि कई कॉलोनाइजर भाग गए हैं, लेकिन आपके विभाग के द्वारा उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी, आप तो नोट भी नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे प्रदेश के ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कम से कम आप जब कभी भी समीक्षा बैठक करेंगे, तब उसमें वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र में कितनी जगहों पर यह स्थिति निर्मित है, उसका आप अवश्य उल्लेख कर लें। सम्माननीय मंत्री जी, इसी प्रकार से वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र में राजस्व की जो जमीनें हैं, जिसमें सड़क और नाली की जमीनों को लोग खसरा बैठा-बैठाकर रजिस्ट्री करा रहे हैं और लोग उन जमीनों को बेच दे रहे हैं। बाद में पता चलता है कि यह तो सड़क की जमीन है, बाद में पता चलता है कि यह तो धरसा की जमीन है, बाद में पता चलता है कि यहां से नाला जाने वाला है। अभी मैं आपको बता दूँ कि आज के समय गृह विभाग में जितना क्राइम नहीं है, छत्तीसगढ़ में में जितना कोई गैंगवार नहीं चलता, लेकिन भू-माफिया सबसे बड़े गैंगवार हैं। हर विधान सभा क्षेत्र में इतने भू-माफिया हो गए हैं, जो लोगों

को लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग के द्वारा आज दिनांक तक एक भी प्रकरण पर एफ.आई.आर. नहीं किया गया है । विधान सभा के विधायक होने के नाते कि प्रकरण साबित कीजिए तो मैं कल पटल पर कम से कम 500 से ज्यादा भूमाफियाओं का दस्तावेज दे दूँगा । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह संज्ञान लेने का काम सरकार के विभाग का नहीं है, आपके अधिकारियों का नहीं है, ऐसे भूमाफियाओं से क्या प्रदेश की जनता को नहीं बचाना चाहिये ?

श्री उमेश पटेल :- रिकेश जी, जब आवास एवं पर्यावरण की चर्चा हो तो उसमें यह सब बात करना । यहां राजस्व विभाग की चर्चा करें ।

श्री रिकेश सेन :- नहीं, यह राजस्व विभाग का भी हिस्सा है । जो नाले और सड़क की जमीन को बेच देते हैं, जिसको रजिस्ट्री बताकर बेच देते हैं, उसकी रजिस्ट्री हो भी जाती है । मैं ऐसे भूमाफियाओं की बात कर रहा हूँ ।

श्री रामकुमार यादव :- विधायक जी, किसान हा तहसीलदार में काम नइ कराय सकय, पटवारी मेर काम नइ कराय सकय, भूमाफिया मेर बहुत झन तहसीलदार मन किंजरथ ए । भूमाफिया अतका पॉवरफुल हे ।

श्री रिकेश सेन :- मैं आपकी बात से सहमत हूँ । सभापति महोदय, सरकार को कहीं न कहीं इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता है कि राजस्व के अधिकारी इस पर मौन क्यों है, जबकि यहां हितग्राही थाने जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं ? माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार से एक मांग है कि हर जिले में कम से कम एक शिविर अवश्य लगना चाहिये कि ऐसे भूमाफियाओं से कौन लोग प्रताड़ित है तथा इस पर अपराध दर्ज करना चाहिये, जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके । मान लीजिए, मेरे पिताजी बीएसपी एम्पलाईज हैं, अगर मेरे पिताजी को 50 साल की नौकरी के बाद 30 लाख रूपये मिलते हैं और अपने जीवन की सारी कमाई का वह जमीन खरीदने जाता है और वह फर्जी साबित हो जाता है तो सोचिये कि परिवार पर क्या बीतेगा, आपको इसके लिये चिन्ता करने की जरूरत है ।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में पूरे प्रदेश में बायोटेक्नॉलाजी एक ऐसा सबजेक्ट है, जहां 10 से ज्यादा जगह पर बायोटेक्नॉलाजी नहीं है । आपने हर जगहों पर कॉलेज खोल दिये हैं, लेकिन आपने कभी इस बात की चिन्ता की है, मेरे यहां वैशाली नगर महाविद्यालय है, एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है । कभी विभाग ने जानने की कोशिश की है कि 35 साल उस महाविद्यालय को हो गये हैं, आज दिनांक तक बहुत मुश्किल से बी.ए. एम.ए. चालू हो पाया है और एक सबजेक्ट चालू हो पाया है, बाकी सबजेक्ट क्यों चालू नहीं हो पाया है, आपने क्या इसकी चिन्ता की है । मेरे महाविद्यालय से 10 किलोमीटर दूर बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिये दूसरे विषय में जो करना पड़ता है, उस विषय के लिये 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है । आपने उसकी चिन्ता करने का काम कभी किया है । यह मेरी मांग भी है, आप इसे नोट कर लीजिए, शिकायत के साथ-साथ मांग

में भी दर्ज कर लीजिए । आज महाविद्यालयों में कहीं न कहीं टीचर्स की कमी है, फैकल्टीज की कमी है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है । सभापति महोदय, हम किस प्रकार की समीक्षा करते हैं, किन महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, हम लोगों ने इसकी चिन्ता करने का काम कभी नहीं किया है। ऐसे ही एक महिला महाविद्यालय है, मैंने जिस वर्ष जन्म लिया है, 78 मेंरा बर्थ इयर है । मंत्री जी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- विधायक जी, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं । लेकिन मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा न्याय उधर से ही आता है ।

सभापति महोदय :- बात-बात में मंत्री जी को आकृष्ट मत करिये ।

श्री रिकेश सेन :- मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ ।

सभापति महोदय :- सुन तो लीजिए, आप पूरी बात तो सुनिये ।

श्री रिकेश सेन :- मैं आप ही को देख रहा हूँ ।

सभापति महोदय :- बड़ी मुश्किल यह है कि आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं । मैं आपको आसंदी की बात बता रहा हूँ । यह सारी बात जो आप बोल रहे हैं वह रिकार्ड हो रहा है । यह रिकार्ड उन तक पहुंचेगा । इसमें जरूरी नहीं है कि मंत्री हर बात को नोट करें और वह आपकी तरफ देखें । चलिये, बोलिये ।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे लगा कि अजय चंद्राकर जी भी बार-बार उधर ही देखकर बोलते हैं तो मैं भी वैसे ही कर रहा था। (हंसी) सेक्टर 9 में एक भिलाई महाविद्यालय है । जब मेरा जन्म हुआ 1978 में हुआ तभी वह महाविद्यालय खुला। प्रदेश भर के अलग-अलग जिलों के, अलग-अलग तहसील के लोग उस महाविद्यालय में पढ़ने जाते थे। 1986 में यू.जी.सी. के नियम के तहत प्रारंभिक बी.एस.सी. होम साइंस, बी.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी, बी.एस.सी. मैथ्स और गृह विज्ञान, बाल विकास पाठ्यक्रम, 20 शैक्षणिक और 17 अशैक्षणिक तात्कालिक कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यू.जी.सी. के द्वारा सैलरी ग्रांट प्रदान करना चालू किया गया। उस महाविद्यालय में मात्र चार लोगों को ही अभी शासन की तरफ से ग्रांट सैलरी उपलब्ध किया जा रहा है। आज वहां पर 50 साल, 45 साल से जो शिक्षक वहां पर पढ़ा रहे हैं लेकिन सरकार के द्वारा 34 लोगों को ग्रांट सैलरी नहीं दिया जा रहा है। कभी चिंता करने की बात हुई, प्रदेश भर के जितने ऐसे कॉलेज हैं, जहां पर किनके प्रभाव में, किनके दबाव में, लोगों को जो ग्रांट सैलरी दिया जाता है, उसी महाविद्यालय में बाकी लोगों को नहीं दिया जाता? क्या कभी इसकी समीक्षा हुई है कि क्यों नहीं दिया जाता? क्या ऐसा दोनों में अंतर है? दोनों की नियुक्ति एक साथ हुई, दोनों एक साथ शिक्षक बने, दोनों एक साथ 45 साल से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि वह ग्रांट सैलरी कुछ शिक्षकों को मिलता है, बाकी

को नहीं मिलता? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय अधिकारी महोदय इसकी चिंता करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी मैंने आपसे वैशाली नगर महाविद्यालय में गर्ल्स महाविद्यालय की मांग की थी। वह मांग मैं अभी भी करता हूं। वैशाली नगर विधानसभा में, उसमें मुझे एक ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में एक भी गर्ल्स महाविद्यालय नहीं है। मुझे किसी अधिकारी ने कहा था कि अब जमाना बदल गया है। अब लड़के और लड़की एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमें शासन ने लगभग 14 एकड़ जमीन आवंटित की है। आज भी कई पेरेंट्स को लगता है कि कहीं ना कहीं गर्ल्स महाविद्यालय होना चाहिए । क्योंकि एक शांत दिमाग से बच्चे पढ़ना चाहते हैं। जब सुविधा है, जमीन है, सारी व्यवस्था है तो क्यों ना जो है जमाने को ना देखकर आज के जमाने को देखकर मैं वहां पर गर्ल्स महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, बात तो बहुत कुछ करनी है लेकिन मुझे लगता है कि समय की कमी है, जिसकी वजह से लगातार मुझे टोका-रोका भी जाता है। लेकिन ठीक है, आज मैं सारे विषयों को आपके पास रखा हूं। इसके साथ-साथ आपके बहुत सारे अच्छे काम भी चल रहे हैं। जिसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, भू-सर्वेक्षण है, भू-पुनः सर्वेक्षण है, किसान पंजीयन है, डिजिटल फसल सर्वेक्षण है, आपदा प्रबंधन है। माननीय सभापति महोदय, आपदा प्रबंधन भी माननीय मंत्री जी का विभाग है। शहरी क्षेत्रों में जहां पर डूबान की स्थिति बनती है, कई जगह ऐसे हैं कि जहां पर बड़े-बड़े नाले हैं और वहां पर भी आपदा प्रबंधन की स्थिति बन जाती है। उस समय सम्मानित हमारे जो जिला कलेक्टर हैं, उस पर संवेदनशील होकर उससे निपटने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए हमारे माननीय मंत्री जी का बजट भी आता है कि आप दे दीजिए क्या बजट आपको देना है। लेकिन धरातल पर हमको आपदा प्रबंधन की कोई स्थिति कोई बजट हमें दिखता नहीं है जिस पर हम वह मुहैया करा सकें। मेरा निवेदन है, बरसात आने वाला है। बरसात आने से पहले पूरे प्रदेश की चिंता होनी चाहिए कि इसके लिए क्या रोड मैप तैयार करें। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं बिहार में बाढ़ आता है। छत्तीसगढ़ की वह स्थिति ना बने उसके लिए सजग होने की आवश्यकता है क्योंकि आज भी अवैध प्लॉटिंग की वजह से आपदा प्रबंधन की स्थिति और बाढ़ की स्थिति लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। मैंने अपनी मांगे कर ली हैं।

सभापति महोदय :- आप समाप्त कीजिये। आपको बोलते 22 मिनट हो गये। आप बैठिये। आप लोग क्यों हाथ उठा रहे हैं? अभी तो यह वक्ता हैं। इनका नाम है, यह बोलेंगे। अभी इनका भाषण समाप्त होगा। अब आप बिल्कुल समाप्त कर दीजिये।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के विभागों से संबंधित सभी मांग संख्याओं का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री लालजीत सिंह राठिया।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं मांग संख्या 8, मांग संख्या 9, मांग संख्या 58, मांग संख्या 35, मांग संख्या 44 से संबंधित विभागों की चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, यदि हमारे प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है तो वह राजस्व विभाग है और राजस्व विभाग ऐसा विभाग है जो नीचे तबके से लेकर, गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर व्यक्ति तक सबसे संबंधित है। राजस्व विभाग में हर व्यक्ति का केस जुड़ा रहता है, मामला रहता है। हमारे इस प्रदेश का सबसे बड़ा अन्नदाता किसान है। वह पूरे देश और प्रदेश में अनाज मुहैया कराता है, लेकिन आज उसी किसान को अभी धान खरीदी के समय बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। चाहे वह एग्रीस्टेक कराने का विषय हो, चाहे वह गिरदावरी कराने का मामला हो। वह पटवारी के पास अपनी जमीन व खेती-बाड़ी का रकबा चेक कराने के लिए जाता है कि मुझे मेरे धान का टोकन कटवाना है और उसके पास 10 एकड़ जमीन है, लेकिन आपके रिकॉर्ड में 5 एकड़ दिखाया जा रहा है और उसकी 5 एकड़ जमीन गायब है तो इस तरह से हमारे राजस्व विभाग के द्वारा किसानों के रकबे में लापरवाही की गई है। हमारे वित्त मंत्री जी के पिछले बार के बजट भाषण में आया था और उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था कि ऑन द रिकॉर्ड किसानों का कम्प्यूटराइज्ड होगा। उन्होंने पिछली बार बजट भाषण में अपनी बहुत वाह-वाही ली थी। यह देखने में आया है कि ऑन द रिकॉर्ड करने के चक्कर में, कम्प्यूटराइज्ड करने के चक्कर में किसानों के सारे रकबे गायब हो गए हैं और गांव के गांव गायब हो गए हैं। इस तरह से देखने को मिला है। इस तरह से राजस्व विभाग में बहुत सारी खामियां हैं। चाहे आप फौती नामांतरण की बात कर लें, चाहे बटवारा की बात कर लें, चाहे रकबा सुधार करने की बात कर लें। इतना लापरवाही की गई है कि आज एक-एक पटवारी दो-दो, तीन-तीन हल्के को संभाल रहा है। इस तरह से कैसे हो पाएगा? आज गांव में किसानों को चाहे जमीन का रिकॉर्ड चाहिए, चाहे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, चाहे वंशावली चाहिए, चाहे उसकी जमीन की खरीदी-बिक्री करने की व्यवस्था चाहिए तो वहां पर भी राजस्व विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन आज जिस तरह से अव्यवस्थाएं हुई हैं तो पटवारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। पटवारी की नियुक्ति नहीं होने से एक-एक पटवारी के अंडर में तीन-तीन, चार-चार हल्के हैं तो हमको पटवारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है ताकि रकबे में सुधार हो सके। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से किसान लोग परेशान हुए हैं, उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति ने हो। हमको यह सुधार करने की आवश्यकता है ताकि जो किसान पहले से खेती करता है, चाहे वह धान की खेती करता हो, चाहे दलहन-तिलहन की खेती करता हो, ऑन द रिकॉर्ड उसमें रहना चाहिए। जमीन की गिरदावरी होनी चाहिए ताकि भविष्य में उसको परेशानी न हो। आज हम सब किसान लोग खेती-बाड़ी करके प्रदेश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसी प्रकार जमीन के मुआवजा के संबंध में बोलना चाहता

हूं। जैसे मेरे क्षेत्र में भारत माला की सड़क गुजर रही है। वहां पर आज तक किसानों का, पेड़-पौधों का, जमीन का मुआवजा बढ़ते जा रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण बढ़ते जा रहा है, जमीन मुआवजा, जमीन अधिग्रहण बढ़ते जा रहा है, जिससे कई सारे किसानों का रकबा छूट गया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कई बार यहां इस सदन में भारत माला के विषय में प्रश्न उठाया था, उनको दो-दो तीन-तीन बार प्रश्न लगा है लेकिन हमारे शासन के द्वारा सन् 1965 से जो पुराना वनाधिकार पट्टा दिया गया था उन सब पट्टों का मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। जहां-जहां पर किसान और गांव के गांव प्रभावित हुए हैं, वहां-वहां पर किसानों की जमीनें गई है, उनकी जमीन के अगल-बगल से जो बायपास गया है, उसके बाद उनको अपनी जमीनों में जाने के लिए रास्ता तक नहीं दिया गया है। जहां पर बहला जमीन, गड्ढा जमीन, पहाड़ी जमीन है, उन जमीनों पर आने जाने का रास्ता नहीं दिया गया है और किसानों के द्वारा कई बार मांग की जा रही है कि हमको आने जाने का रास्ता दिया जाए। हमको इस गांव से दूसरे गांव में खेती करने के लिए आवागमन की सुविधा मिलनी चाहिए। इस तरह से गांव में कई प्रकार की आपत्तियां आ रही है, दावा आपत्तियां आ रही है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि यदि किसानों को अपने खेत की दूसरी तरफ सड़क पार करके जाना हो, तो उनको वहां रास्ता मिलना चाहिए। उनको कम से कम 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसको उस गांव के अनुसार, उस सिवाना के हिसाब से, धरसा के अनुसार जो पहले से आने जाने का साधन, रोड बनी हुई है, उस हिसाब से भारत माला की रोड में सुधार करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी तरह से हमारे यहां खरसिया से धरमजयगढ़ की जो रेल लाइन गई हुई है , वह रेलवे की भी लाइन प्रभावित हो रही है। वहां भी अगल-बगल, क्रॉसिंग में गांव वाले खेती-बाड़ी करते हैं। वहां किसी का इस पार खेत है तो किसी का उस पार खेत है, हमको वहां भी मको रास्ता देना चाहिए। उसके कारण उनको काफी दूर से घूमना पड़ रहा है। सभापति महोदय, किसानों की ऐसी जमीन जो छूटी हुई है, जहां पर उनका रकबा, उनकी जमीन डूबान में आ गयी है जो रेलवे लाइन के अगल-बगल में सड़कें बन रही है, उस रेलवे की डूबान वाली जमीन का भी किसानों को मुआवजा देना चाहिए। सरकार जो मुआवजा तय करती है, वह पुराने दर पर तय करती है लेकिन उनको नई दर मिलनी चाहिए। अभी नई दर में हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मुआवजा को जो चार गुना किया है, महंगाई को देखते हुए, बढ़ता हुआ कृषि रकबा, कृषि महंगाई और सब चीजों को देखते हुए हमको उसमें मुआवजा तय करना चाहिए ताकि किसानों को उनकी जमीन की अच्छी कीमत मिल सके। इससे किसानों को राहत मिलेगी।

समय :
2:27 बजे **(सभापति महोदय (श्री दलेश्वर साहू) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय भूमि, रेलवे का भूमि अधिग्रहण हो गया। हमारे क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. भी आता है। छत्तीसगढ़ में पूरा माइंस एरिया है। एस.ई.सी.एल. से भी कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। वहां किसान जमीन देना नहीं चाह रहे हैं तो सरकार क्यों जबरदस्ती उनका भूमि अधिग्रहण करना चाह रही है। अब किसान धीरे-धीरे आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी खेती-बाड़ी करते आ रहे हैं और आज वह खेती से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आज खेती उनके आर्थिक आय का स्त्रोत बन चुकी है, आज खेती से वे मजबूत हो चुके हैं, आज किसान हर प्रकार का साधन ले चुके हैं। आज सरकार जबरदस्ती उनका भूमि अधिग्रहण कर रही है। बिना ग्राम पंचायत की सहमति के, बिना भूमि मालिक की सहमति के उनकी जमीनों का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि किसानों के प्रति भी हमारी सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, किसानों के साथ भी उनको न्याय करना चाहिए ।

सभापति महोदय :- राठिया जी, जल्दी करिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सभापति महोदय, मैं बस थोड़ा-थोड़ा बोल रहा हूं। जैसे हमारे यहां बाढ़ आपदा आती है तो हमारे बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र, जंगल, नदी नाले, किनारे के क्षेत्र, महानदी के किनारे, मांड नदी के किनारे के क्षेत्र, बहुत सारे पुल पुलिया बह जाते हैं। वहां पर गांव के किनारे जो कटाव होता है, उस कटाव को भी रोकने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाना चाहिए। वहां बाढ़ आपदा में पैसे स्वीकृत करना चाहिए। बाढ़ आपदा में बहुत सारी राशि आती है। हर साल हमसे प्रस्ताव मंगवा लिया जाता है लेकिन प्रस्ताव पर भी कोई विचार नहीं किया जाता है। हम लोग कई वर्षों से प्रस्ताव देते आ रहे हैं लेकिन राशि स्वीकृत नहीं होती है। इस तरह से बाढ़ आपदा की राशि को भी सरकार को स्वीकृत करके देना चाहिए। सभापति महोदय, जब अकाल मृत्यु होती है, तब भी राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है। यदि किसी को सांप, बिच्छु काट दिया तो उसको मुआवजा दिया जाता है। मेरा क्षेत्र जंगली क्षेत्र, जंगल प्रभावित क्षेत्र है। वहां पर हाथियों वगैरह से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। वन विभाग का भी क्षेत्र है। इस तरह से अकाल मृत्यु में भी मुआवजा की राशि तत्काल स्वीकृत करनी चाहिए। लेकिन दो, ढाई साल तक केस पेंडिंग रहता है। इसमें सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे यहां धरमजयगढ़ और घरघोड़ा में दो महाविद्यालय संचालित है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां पर बी.ए तक की कक्षाएं संचालित हैं। वहां एम.ए., एम.एस.सी. और पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षाएं संचालित की जाये और वहां पर विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि घरघोड़ा और धरमजयगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षाएं संचालित करने की कृपा करेंगे। सभापति महोदय, इस तरह से राजस्व विभाग किसानों का बहुत बड़ा विभाग है। उसमें फावती, नामांतरण के जो आवेदन आते हैं, वह भी शीघ्र-शीघ्र हो जाये। मैं इस

सरकार से इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा (महासमुंद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों में श्री टंक राम वर्मा, राजस्व मंत्री के विभागों से संबंधित मांग संख्या 8, मांग संख्या 9, मांग संख्या 58, मांग संख्या 35 और मांग संख्या 44 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग केवल जमीन का रिकॉर्ड नहीं संभालता बल्कि यह किसानों के अधिकार, विकास की दिशा और आम नागरिकों के भरोसे की नींव संभालता है। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को पारदर्शिता तकनीक और जनहित के साथ जोड़ने का कार्य किया है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के हजारों राजस्व ग्रामों के नक्शों के जिओ रिफरेंस का कार्य किया जा रहा है। 33 जिलों के लगभग 19,000 से अधिक ग्रामों में यह कार्य पूरा हो चुका है। यह केवल नक्शे बनाने का काम नहीं, यह विकास को जमीन पर उतारने की वैज्ञानिक तैयारी है। इसी प्रकार भू-सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण के माध्यम से असर्वेक्षित और वन ग्रामों को राजस्व रिकॉर्ड में जोड़ने जा रहा है। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा यह कार्य आने वाले समय में भूमि विवादों को कम करने और लोगों को न्याय दिलाने में बहुत मदद करेगा।

श्री संदीप साहू :- टेबल में रख दे न जी।

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :- पढ़ लेव हव। मैं पहली बार तो बोलत हव।

श्री उमेश पटेल :- का हे कि ऐसे पढ़े के परंपरा नई हे। तै एक्सटेंपोर बोल दे न जी। जो तोर खुद के अनुभव है ना ओला बोल।

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। मुझे खुशी है कि एग्रीस्टैक परियोजना के माध्यम से 32 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन किया जा चुका है और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसलों की वास्तविक जानकारी एकत्र की जा रही है।

श्री उमेश पटेल :- संसदीय कार्य मंत्री, आपका फ्लोर मैनेजमेंट दिख रहा है कि आपका फ्लोर मैनेजमेंट कैसे चल रहा है।

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :- (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। पिछले वर्षों में राज्य आपदा मोचन निधि में 321 करोड़ रूपये तथा 252 करोड़ रूपये प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता के रूप में प्रदान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, युवा आपदा मित्र योजना के माध्यम से हजारों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और 1070 टोल फ्री नंबर के माध्यम से आपातकालीन सहायता की व्यवस्था

भी की गई है। अब नागरिक घर बैठे अपने प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही पारदर्शी और सुशासन की सरकार है। आज हमारी सरकार अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने हेतु डिजिटल रिकार्ड और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर रही है तो यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, यह आम नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा का संकल्प है। माननीय सभापति महोदय, पहले जमीन के कागज ढूंढने में महीनों लग जाते थे। आज हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, री-फाईन भी आनलाइन और प्रक्रिया भी आनलाइन और न्याय की उम्मीद भी आनलाइन हो गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्व एवं आपदा विभाग के समर्थन में विभागीय अधिकारी और हमारी सरकार के नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्व व्यवस्था को आधुनिक पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विभाग के बजट का समर्थन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी के विभाग की अनुदान मांग संख्या 8, 9, 58, 35 और 44 के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं अपनी बात की शुरूआत करना चाहता हूं कि 13 साल पहले इसी सदन में कानून आया था जिसके विज्ञापन के लिये केवल 1 करोड़ रुपये नहीं, 2 करोड़ रुपये खर्च किये गये और सभापति महोदय वह कानून का मूल सार यही था कि जो छत्तीसगढ़ के किसान नहीं हैं वह छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। लेकिन इस सदन में कानून तो बना, लेकिन धरातल पर आज भी वह कानून लागू नहीं हुआ है और यदि वह कानून लागू हुआ है तो माननीय मंत्री जी आप अपने भाषण में जरूर बतायेंगे। 2 करोड़ रुपये विज्ञापन में खर्च किया गया और इस कानून के 13 साल बनने के बाद अगर आप जांच करायेंगे तो सर्वाधिक जमीन खरीदने वाले हरियाणा, पंजाब के लोग हो सकते हैं और दिल्ली के लोग हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही कम से कम 1 हजार एकड़ से ऊपर जमीन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लोग खरीदे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस सदन में जो कानून बना है, वह 13 साल में लागू नहीं हो पाया, लेकिन आप वह कानून को लागू करेंगे या केवल और केवल वह कानून पुस्तक में रहेगा? अगर शासन ने वह कानून पारित किया है, उसके बाद विभाग उस कानून को कठोरता से लागू नहीं किया तो इसमें भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर जो कानून बना, उस कानून का पालन प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है? यह भी एक विषय है। जब यह कानून आया तो समूचे छत्तीसगढ़ में इस कानून का स्वागत भी हुआ था। जनता ने पसंद किया, पत्रकारों ने पसंद किया, सभी बुद्धिजीवी ने पसंद किया, अखबारों में छपा। लेकिन ऐसी कौन सी साजिश हुई, ऐसी कौन सी बात हुई कि सदन में पारित कानून 13 साल तक धरातल में नहीं आया और यह कानून धरातल में दशमलव 1 में भी आया होगा तो आप बताईयेगा। कोई बाहर के लोग

रजिस्ट्री कराना चाहे होंगे या जमीन खरीदना चाहे होंगे तो उसको रोकने का प्रयास विभाग के द्वारा किया गया होगा तो जरूर बतायेंगे। उस वजह को भी बतायेंगे कि आखिर ये कानून बनने के बाद क्यों लागू नहीं हुआ? अगर वह कानून लागू नहीं हुआ तो इसमें संशोधन लाना चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से चाहता हूं कि इसमें आप स्पष्ट जरूर करेंगे क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें आगे आपके द्वारा कार्रवाई क्या होगी, यह भी आप जरूर बतायेंगे । माननीय सभापति महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के सभी साथी राजस्व विभाग की हर नीति की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ होनी चाहिए लेकिन जनता के हित में जो बात होती है उसमें तारीफ होनी चाहिए । मैं इस सदन में आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि अगर आप जो बात बोल रहे हैं वह सच है तो विधायक दल से एक जांच समिति बना दी जाये और किसी भी राजस्व कार्यालय में या आप लॉटरी निकाल लीजिये । अगर कोई भी ब्लाक मुख्यालय में सर्वाधिक भीड़ और सर्वाधिक आवेदन और सर्वाधिक पीड़ित लोग होंगे तो राजस्व विभाग में होंगे । आप एक तरफ डिजिटल के लिये धनराशि खर्च कर रहे हैं और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्व विभाग में धन वालों के लिये कोई असुविधा नहीं है, रात के 1 बजे उनके काम हो सकते हैं लेकिन 70-80 साल के बुजुर्ग घूमते रहते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है । मैं माननीय मंत्री जी से भी इस बात को कहना चाहता हूं और प्रशासन से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि वह तहसीलदार भी यहीं छत्तीसगढ़ में पढ़ा है, यहीं पैदा लिया है, वह बाबू भी, एस.डी.एम. भी लेकिन पता नहीं उस कुर्सी में बैठने के बाद जनता के एक आवेदन में केवल और केवल वकील और तहसीलदार, एस.डी.एम. मिलकर केवल पेशी की तारीख देते हैं उस गरीब के लिये उनके पास मानवता की कोई चीज नहीं है । आप जानते हैं कि वह किस चीज से प्रेम करते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात । मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्व विभाग का आज भी गरीब के ऊपर, किसानों के ऊपर यह दहशत है कि जनप्रतिनिधि के पास नहीं आते, वह इस डर से नहीं आते कि विधायक के पास जाउंगा तो कहीं फोन कर देंगे तो पटवारी मेरा नक्शा न बिगाड़ दे या तहसीलदार और ज्यादा न घूमा दे । मैं इस बात को धरातली बोल रहा हूं । मैं एक गांव में 11 बजे रात को पहुंचा, एक बुजुर्ग बोला कि महोदय 2 साल से पटवारी मोर जमीन ला नापत नइ हे तो मैंने बोला कि क्यों नहीं आये ? मेरे पास आना था, मैं बात किये रहता, मैं आपकी मदद करता । उस बुजुर्ग का यह कहना था कि विधायक महोदय मैं डर से नहीं गया कि आप फोन करेंगे तो कहीं पटवारी और न बिगाड़ दे, यह राजस्व विभाग की छवि है । माननीय मंत्री जी, मैं राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि सिटीजन चार्ट लागू है, जाति प्रमाण-पत्र में 15 दिवस, आय प्रमाण-पत्र में वही दिन है । मूल निवास प्रमाण पत्र में 15 दिन और सॉल्वेंसी में 15 दिन लेकिन आप पूरे प्रदेश में जांच करवाईये, सिटीजन चार्ट का कितना पालन हुआ है तो मैं सोचता हूं कि 2 प्रतिशत आ जायेगा तो भी बहुत है और कुछ प्रतिशत बढ़ेगा भी तो वह सक्षम लोगो का बढ़ेगा अगर गरीबी के हिसाब से आप

इसका सर्वे करवायेंगे तो यह जीरो भी हो सकता है । आर.बी.सी. 6-4 के अंतर्गत आपदा दुर्घटना, सर्प काटने से, बिजली गिरने से मृत्यु पर, पानी से डूबने पर मृत्यु में आपकी नीति में है, 1 महीने में उनको मदद करने की व्यवस्था है लेकिन...।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय द्वारिकाधीश जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया । मैंने पूर्ववर्ती सरकार में सर्पदंश का घोटाला इसी सदन में उठाया था । (शेम-शेम की आवाज) मैंने इसी सदन पर लू में मुआवजे का घोटाला उठाया था और पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था कि जशपुर जिसे तथाकथित तौर पर सर्पलोक कहा जाता है, वहां 90 मौतें हुई थी और बिलासपुर जैसे शहरों में 500 के आसपास मौतें हुई थीं और उसका मुआवजा दिया गया था । मैंने यह भी उठाया था कि छत्तीसगढ़ में केवल 3 जगह लू चलती है, बिलासपुर, सक्ती और दुर्ग जहां पर लू के नाम पर 200-200 लोगों को मृत्यु का मुआवजा दिया गया था ।

सभापति महोदय - चलिये, बोलने दीजिये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि उसकी भी जांच की मांग करें । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर घोटाले की बात नहीं चल रही है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, भारत माला में स्केवयर फीट के हिसाब से अभी जो जांच हुई, जो नपाई हुई है । तहसीलदार सब नपे हुए हैं, वह भी याद रखना चाहूंगा ।

श्री सुशांत शुक्ला :- किसके कार्यकाल में हुआ ? (व्यवधान) कार्रवाई तो हमने की न ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- कुंवर जी, यह सब तो आपके समय में हुआ । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- घोटाला आपके कार्यकाल में हुआ । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बड़े-बड़े लोग आपके ही थे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अभी दो विभागों पर और चर्चा होनी है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- भारतमाला रोड में किसके कार्यकाल में, राजस्व में संरक्षण मिला। आपके ही लोग हैं और यह कब शुरू हुआ है, आप बताईये तो ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, एक पूरा विषय रख लेते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में क्या-क्या हुआ। इस पर एक दिन चर्चा रख लेते हैं। मैं भी निकालूंगा कि 15 सालों में क्या-क्या हुआ। उनकी जमीन ली जाने पर किसान को 5 रूपये मुआवजा मिला है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश यादव जी, अपनी बात ररिखे।

श्री रिकेश सेन :- किसानों की जमीनों को आप लोग वक्फ बोर्ड को देने लगे थे, आप लोग क्या बात करेंगे(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपकी लापरवाही से..।

श्री सुनील कुमार सोनी :- अभी किसी ने भारतमाला कहा तो भारतमाला किसके कार्यकाल का है। उस समय मैंने आपकी सरकार को आधा दर्जन शिकायत की थी। अगर उस समय दम होता तो अब तक जांच हो जाती। अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी भी दिखा देता हूँ।

श्री उमेश पटेल :- मैं तो अभी भी बोल रह हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार में क्या-क्या हुआ, इस पर एक दिन पूरी चर्चा रख लीजिए, हम भी आपके 15 सालों का बतायेंगे कि आपने (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार सोनी :- इस सरकार का धन्यवाद् दीजिए कि यहा जांच करवा रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक-एक साल का भी रखिये, हम बात करने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- यहां चारा का बड़ा घोटाला, एन.टी.पी.सी का घोटाला, गोवंश का घोटाला, सड़कों का घोटाला... (व्यवधान)

श्रीमती रायमुनी भगत :- सब घोटाला आपके कार्यकाल में हुआ है। (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- शराब के घोटाला, गोबर में घोटाला, आपने भारत माला में घोटाला किया और हमको बता रहे हैं।

सभापति महोदय :- इस तरह से कार्यवाही कैसे होगी। (व्यवधान)द्वारिकाधीश जी आप बोलिए।

श्री सुशान्त शुक्ला :- आप लोग 5 साल सरकार में थे तब आप लोगों ने जांच क्यों नहीं करवायी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, इनकी लापरवाही के कारण कई किसान धान नहीं बेच पाये। शासन की लापरवाही के कारण कई किसान धान बेचने से वंचित रह गये। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कई नहीं, हजारों किसान अपना धान नहीं बेच पाये।

श्री रिकेश सेन :- दलाल लोग नहीं बेच पाये।

सभापति महोदय :- रिकेश जी, आपकी बारी थी।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, रिकेश जी को बाउंसर मिला या नहीं ?

श्री आशाराम नेताम :- यह ऑनलाईन हुआ तो हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिला है, आप उनसे फोन करके पूछिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप किसानों को तरसा के सम्मान निधि दे रहे हैं।

सभापित महोदय :- इस तरह के अनावश्यक हस्तक्षेप न करें और मेन वक्ता को बोलने दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं 6-4 की नीति की बात कर रहा था। आप यह स्वयं महसूस कर सकते हैं कि उस समय सक्षम लोगों को तो नहीं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको धनराशि की कितनी आवश्यकता होगी। माननीय मंत्री जी, आप मंत्री बन गये हैं, लेकिन आपको अपने

ऊपर लेकर देखना चाहिए। आज किसान तहसील में कैसे परेशान हैं। मैंने एक तहसीलदार को कहा था कि आप यहीं पर पढ़े और आपने यही जन्म लिया। लेकिन एक गरीब के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है। जो यह स्पष्ट है कि वर्ष 1960-1980 के रिकॉर्ड में, सब रिकॉर्ड में पूर्व बता रहा है, लेकिन मात्र वकील से दोस्ती निभाने के लिए 4 साल पेशी में आता था। मैंने कहा कि आप पढ़े-लिखे हैं आपको आपके माता-पिता ने पढ़ाया है। यह सही है, लेकिन आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, आप जनता के टैक्स से पढ़े हैं। आप केवल य न समझिये कि मैं पढ़-लिखकर तहसीलदार बना हूँ। आप तहसीलदार बने हैं, लेकिन ऐसे मामलों में आप प्रदेश में गरीबों के हित में काम कीजिए। आपको सही विभाग मिला है। आप केवल और केवल तारीफ में खुश मत होईये। आप एक भी तहसीलदार कार्यालय गये हैं। जबकि आपको अचानक जाना चाहिए। मेरा जो सुझाव है और आपको धरातल में देखना चाहिए। आप इसे स्वप्रेरणा में लीजिए। ठीक है यहां न्यायालय के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन आप कुछ समीक्षा तो लीजिए। कि वास्वत में जो अलग से कोई बात आ ही नहीं सकती है। जो रिकॉर्ड से प्रमाणित है, जो पूर्व के रिकॉर्ड में है उसमें भी 3-3 और 4-4 साल होता है। अगर गरीब लोग डायवर्सन कराने जाएंगे तो उनका डायवर्सन नहीं होता है। यहां सक्षम आदमी का डायवर्सन हो रहा है। आपके डायवर्सन में भी सिटीजन चार्ट है, लेकिन सक्षम लोगों का ही डायवर्सन हो रहा है, छोटे लोगों को डायवर्सन का लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, मैं आपके विभाग के हित में, शासन के हित में बोलना चाह रहा हूं । राजस्व विभाग के अतिक्रमण को केवल और केवल ग्रामीण रोकते हैं, अन्यथा आप पूरे प्रदेश की जानकारी मंगाईए कि आपका विभाग स्वप्रेरणा में अपने से पटवारी के माध्यम से, आर.आई. के माध्यम से कितने प्रकरण चला रहे हैं । सरकार के जमीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए गांव वाले 10-20 बार आते हैं । यहां तक उनको विधायक से फोन करवाना पड़ता है, तब भी अतिक्रमण नहीं रूकता । जमीन आपके राजस्व विभाग की है । मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अतिक्रमण रोकने में वन विभाग का अमला जरूर सक्रिय रहता है, जो सच है । अतिक्रमण रोकने में राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच में आप तुलना कर लीजिए, आपका विभाग 10 प्रतिशत अतिक्रमण नहीं रोकता है । सरकार की जमीन बिक रही है । स्वप्रेरणा में एसडीएम या तहसीलदार कितने प्रकरण चलाएं हैं । शहर में एक जमीन तीन-चार बार राजधानी में बिक रही है।

श्री आशाराम नेताम :- इसीलिए तो ऑनलाईन कर रहे हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ऑनलाईन में मैं बताऊंगा कि कितने एकड़ जमीन बिक गई । यह मैं आनलाईन में ही बताऊंगा न ।

श्री आशाराम नेताम :- गड़बड़ी न हो करके भुईयां पोर्टल को ऑन लाईन कर रहे हैं । आप मोबाईल में खोलकर देख सकते हैं ।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए, सहयोग करिए ।

श्री उमेश पटेल :- सरकार का सर्वर डाऊन है भई ।

सभापति महोदय :- आप लोग ऐसे ही इंट्रप करेंगे तो कैसे चलेगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सर्वर डाउन है, आप ऑनलाईन की बातें कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ए सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हे तो पटवारी से प्रताड़ित हे ।

श्री सुशांत शुक्ला :- ये वही लोग हैं, जो पहले आओ, पहले पाओ पर सरकारी जमीन की नीलामी कर रहे थे । क्या बात करेंगे ।

श्री दिलीप लहरिया :- आज दोनों इंजन फेल हे ।

श्री आशाराम नेताम :- सर्वर डाऊन न हो करके हमारे माननीय विष्णु देव जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में टावर की व्यवस्था की है ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश को बोलने दीजिए, समय बहुत कम है । अभी दो विभागों की चर्चा और करानी है ।

श्री उमेश पटेल :- डबल इंजन में इस सरकार का सर्वर डाऊन है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपका अपने आप में नेटवर्क डाऊन है, सर्वर तो दूर की बात है ।

श्री दिलीप लहरिया :- डबल इंजन में सर्वर डाऊन है ।

श्री रामकुमार यादव :- डबल इंजन ले धुंआ निकलथे धुंआ ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सुबह से लेकर शाम तक रजिस्ट्री नहीं होती है, सर्वर डाउन रहता है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, देखिए, बड़ा गंभीर विषय है । पूर्ववर्ती सरकार पहली आओ, पहले पाओ की तर्ज पर शासकीय जमीन की नीलामी आवेदन के आधार पर कर रहे थे । मैं ही वह व्यक्ति हूं, जो माननीय उच्च न्यायालय जाकर पी.आई.एल. के माध्यम से इस विषय को रोकवाया । सरकार की जमीन किसने बेची, यह आपको बताना पड़ेगा ।

सभापति महोदय :- आप लोगों को बार-बार उठने की कोशिश ना करें ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति जी, या तो आप उनको रोक दीजिए या एक दिन चर्चा रख दीजिए, फिर पूर्ववर्ती सरकार की बात करेंगे ।

सभापति महोदय :- मैं उनको भी रोक रहा हूं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पूर्ववर्ती सरकार पर डिबेट करवा लीजिए, एक घंटा चर्चा करेंगे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, बैठिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछली सरकार ह सरकारी जमीन के नीलामी करवाके बेचे रिहीस हे । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ए मन का बताही । एक हजार करोड़ के धान ला तुंहर सरकार के समय मा मुसवा खा दिस । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इसमें मेरा प्रश्न लगा था । आरीडोंगरी वाला 74 एकड़ जमीन किसके हक में दिया गया । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप इकलौते व्यक्ति हो, जो बचे हुए हो ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वह 74 एकड़ और 85 एकड़ की जमीन थी। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- एक हजार करोड़ के धान ला मुसवा खा दे हे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अभी अन्य विभागों में भी चर्चा करनी है । सब लोगों को यहां पर सम्मिलित होना है । द्वारिकाधीश जी, अब आपका भी समय होने वाला है, आपका समय बहुत जल्दी समाप्त होगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मुझे बोलने का मौका ही कहां मिला है ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, कौन सा टाईम होने वाला है ।

श्री रामकुमार यादव :- अभी तो पिक्चर बाकी हे ।

सभापति महोदय :- आप अपने विषय पर आएं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, शिकायत के आधार पर कितना हटाया गया । मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आपका विभाग कितने अतिक्रमण को स्वप्रेरणा में लिया, आप समीक्षा करेंगे क्या और कितने शिकायत पर कार्रवाई की ? मेरा अंदाजा है कि आपका विभाग दो प्रतिशत समस्या का निराकरण करता होगा और जनता की शिकायत 98 प्रतिशत होगी । मतलब आपकी जमीन को बचाने का काम जनता कर रही है और आपके विभाग अतिक्रमण पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है । वे किसान से जमीन कैसे हासिल करनी है, उसी में व्यस्त हैं ।

सभापति महोदय, प्रदेश में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो सरकारी जमीन को अपना भूमि स्वामी बताकर बेचा गया है ? मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, न ही इसमें आपका कहीं कुछ रोल है, लेकिन आप इसमें चुप हैं, इसमें नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, इसमें सख्त नहीं हैं । यह सरकार के हित में नहीं है । मैं आप पर कहीं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । आपक केवल उसमें समय नहीं दे रहे हैं। आपके अधिकारी समय नहीं दे रहे हैं और दूसरा, अभी आप ही के पक्ष से कोई सदस्य आये थे, उन्होंने कहा कि पहले मध्यप्रदेश के समय से कलेक्टर का शिविर लगता था, वह बंद कर दिया गया है और दूसरा, आपने एक अभियान चलाया था, जिसमें गांव-गांव गए थे । कलेक्टर कार्यालय में आवेदन आये हैं, लेकिन उसको बहुत होशियारी से निराकृत बता दिया गया है । आप शिविर लगा लीजिये, फिर से वही आवेदन आयेंगे।

सभापति महोदय :- चलिये द्वारिकाधीश जी, हो गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट। प्रदेश और सरकार के हित में कहना चाहता हूं कि सरकार की जमीन न बिकें। आप उस सरकारी जमीन के मालिक हैं न कि जमीन दलाल लोग हैं। आप जमीन को उनसे बचाईये। निश्चित रूप से बचाईये। मंत्री जी, एक और खेल शुरू हआ है, आप सावधानी बरतिये। मैं जितनी बात बोल रहा हूं उसमें आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सरकार के हित में बोल रहा हूं। एक नया खेल चालू हुआ है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति जी, द्वारिकाधीश जी, आपको कैसे मालूम कि नया खेल चालू होने वाला है ? उसमें आप भी तो शामिल नहीं हो ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सुनिये, आप जितनी बात बोलते हैं मतलब आपको कैसे मालूम ?

सभापति महोदय :- मुद्दे पर बात करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं। आप जितनी बात सदन में बोलते हैं तो क्या आप उसमें शामिल रहते हैं ? आपके विभाग में कई घोटाले हो रहे हैं वह जानकारी में है। आप मंत्री हैं। मंत्री जी, आप ऐसा मत बोलिये। मैं सरकार के हित ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- समय का ख्याल रखें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, आपने ले-देकर एक तो 5-6 दिन बाद अवसर दिया है। एक नया खेल चालू हो रहा है। मंत्री जी, आपके हित में, सरकार के हित में बोल रहा हूं। तबादला नीति में कलेक्टर को पॉवर है, यह मैं मानता हूं। लेकिन गांव की सस्ती जमीनों को दे रहे हैं और चूंकि आपने गाईड लाईन लाया था, वह कुछ दिन रूका था, आप उसको रोके थे, मैं मान रहा हूं। लेकिन जहां की जमीन का रेट, गाईड लाईन कम है, उस जमीन को दे रहे हैं और महंगी जमीन को ले रहे हैं। यह नीति में है।

श्री रामकुमार यादव :- कका, येला खेल नइ कहय, ये ला खेला कहथे, खेला। ओकर ले बड़े हे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, आप इसमें कुछ ऐसा कानून लाईये, हालांकि नीति में है कि कलेक्टर दे सकता है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन चूंकि अब दर का अंतर ज्यादा आ चुका है। इसलिए आपको नये कानून पर विचार करना चाहिए। एक जमीन कितनी बार बिक रही है, वह भी जांच का विषय है। मैं उच्च शिक्षा विभाग में 2 मिनट बोल देता हूं।

सभापति महोदय :- जल्दी बोलिये। ज्यादा समय हो गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, दो मिनट। मैं सिर्फ दो मिनट बोल रहा हूं। माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा में कोमाखान में महाविद्यालय है, लेकिन भवन नहीं है, आपसे उसके लिए निवेदन कर रहा हूं। आप वहां महाविद्यालय जरूर खोल देंगे। खल्लारी में नया महाविद्यालय खोलने की मांग कर रहा हूं। खल्लारी में काफी समय से तहसील कार्यालय की मांग हो रही है। आप इसको जरूर पूरा करेंगे, मै ऐसा आपसे निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आपके राजस्व विभाग में बाढ़ आपदा में बहुत धनराशि है। यह बहुत अच्छी बात है कि वह राशि लेप्स नहीं होती है। लेकिन आप हमारे विधान सभा क्षेत्र में देने को तैयार भी नहीं हैं। लेकिन जहां देना चाहते हैं, वहां दीजिये, लेकिन आप राशि खर्च कीजिये। उसमें कितने सौ करोड़ रूपये हैं। उसकी स्वीकृति नीति क्या है, वह आप अपने भाषण में बताईयेगा। वह किस तरह से स्वीकृत होता है ? आज तक दो साल में हमारे क्षेत्र को एक रूपया भी नहीं मिला है।

श्री रामकुमार यादव :- जहां बाढ़ आथे तिहां एको रूपया नहीं दय, जिहां ठन-ठन सूखा पड़े हे, उहां पैसा देवत। ये ही बाढ़ आपदा के नीति हे।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप थोड़ा सा जल्दी करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट। उच्च शिक्षा विभाग के जेम पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित तरीके से खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है। 20 से 30 प्रसार कर्मचारी, प्रोफेसर, मंत्री महोदय जी, मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं। करोड़ो रूपये का भ्रष्टाचार हुआ है और आपने प्रथम दृष्टयां निलंबित किया। लेकिन ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी जरूरत थी कि आप उनको एक महीने में ही बहाल कर दिया। आपके निर्देश से बहाल हुए हैं। कौन अधिकारी हैं, जिनको एक महीने के अंदर बहाल किया गया है ? यह जांच का विषय है। क्या आप जांच करायेंगे ? माननीय मंत्री जी, आपने निलंबित किया, मतलब प्रथम दृष्टयां स्वीकार किया कि उनके द्वारा गलत खरीदी की गई। उसमें उन पर आर्थिक गबन का एफ.आई.आर. होना चाहिए। उनको निलंबित करके पहले सहुलियत दिया, बाद में एक ही महीने में।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, समय बहुत हो गया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, अब मैं माननीय मंत्री जी से एक बात का जरूर निवेदन करूंगा कि बाढ़ आपदा की सभी राशि को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अत: जो जरूरी है, उसको जरूर स्वीकृति देने का कष्ट करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं।

समय :
3:00 बजे **(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)**

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- सभापति महोदय जी।

सभापति महोदय :- एक लाइन में बता दीजिए न?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी, जी। माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा के संबंध में माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा..।

श्री धर्मजीत सिंह :- देवेन्द्र यादव जी, आपको वहां पर बैठे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बैठिए। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपके बाजू में भी अच्छे लगते हैं।

श्री उमेश पटेल :- वैसे वह जगह ठीक नहीं है, वह पूर्व का है, इनको वर्तमान में ही रहना है। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक योजना चालू की गई थी एंबेसडर प्रोफेसर योजना। माननीय सभापति महोदय, इस योजना में, जहां शहरों में जो प्रोफेसर रहते थे, उनको सुदूर अंचल और गांव के कॉलेजों में भेजे जाते थे। यह योजना बढ़िया जनहित में और बच्चों के हित में अच्छी योजना थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यही चाहूंगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के जो प्राध्यापक थे, वह गांव में जाकर बच्चों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में दो-दो माह के लिए ऐसे पदस्थ किए जाते थे। ऐसी एक योजना अगर छत्तीसगढ़ में चले तो शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही एक और मैं सुझाव आपके माध्यम से दूंगा कि जो सेमेस्टर की परीक्षा अभी जो चल रही है, 6 माह में और वर्ष में दो बार हो रही है। बच्चे कॉलेजों में तैयारी के लिए थोड़ा सा बंक मार रहे हैं माननीय सभापति महोदय, अगर यह पूर्व की तरह फिर सेमेस्टर बंद कर एक बार परीक्षा ली जाए, तो निश्चित ही परिणाम में बहुत कुछ आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि सेमेस्टर के कारण मैं स्वयं देख रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नौ-नौ साल तक था तो सेमेस्टर के जहां एग्जाम होते हैं, बच्चे बंक मारते हैं । माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें जरूर एक बार परिवर्तन करें और साल में एक बार परीक्षा लें।

सभापति महोदय :- संगीता, एक-एक लाइन में न? एक-एक लाइन में।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय जी, गुरुर, संजारी बालोद विधान सभा के गुरुर ब्लॉक का बासिन गांव है, वहां वर्ष 2023-24 में मतलब नाबार्ड के द्वारा महाविद्यालय हो चुका है । 17 महाविद्यालय एक साथ हुए और आज उसका सब चीज हो चुका है। मतलब टेंडर सब हो गया है सभापति महोदय जी, पैसा नहीं आने के कारण ठेकेदार ने अपना काम रोक दिया है। तो उसको जरूर ध्यान में रखिए और उसके लिए पैसा डालिए।

सभापति महोदय :- श्री दिलीप लहरिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, दूसरी बात यह कहना चाहूंगी कि आपने धान खरीदी में रकबा का पोर्टल नहीं खोला। आपकी लापरवाही के कारण सैकड़ों लोग धान नहीं बेच पाए और बालोद विधान सभा के गुरुर में सर्वर डाउन रहता है...।

सभापति महोदय :- दिलीप लहरिया जी। अब मांग करिए न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मांग नहीं चाहिए, जन समस्या का जो प्रॉब्लम है, जो जनता की प्रॉब्लम है, मैं उसको रख रही हूं।

सभापति महोदय :- दिलीप लहरिया जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सर्वर डाउन रहता है। सभापति महोदय जी, मेरा विशेष निवेदन है कि गांव के लोग दूर-दूर से रजिस्ट्री के लिए आते हैं, दो दिन तक रजिस्ट्री नहीं हो पाती है तो निवेदन है कि वहां का सर्वर अच्छा किया जाए। धन्यवाद।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में पचपेढ़ी में एक नया कॉलेज का हुआ है, उसका भवन का हो जाए मेरी एक और मांग है। भौगोलिक दृष्टि से जोंधरा में और नीचे बेल्ट में जेवरा में, दो जगह कॉलेज की मांग है। दोनों जगह कॉलेज की स्थापना हो जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जनक ध्रुव (बिंद्रानवागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा गरियाबंद के बिंद्रानवागढ़ के अंतर्गत है, पिछली बार मैं प्रश्न में भी बात रखा था और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दिया था, संतोषप्रद जवाब भी दिया था, लेकिन आज पर्यंत जो वन ग्राम है, राजस्व ग्राम में तब्दील नहीं हो पा रहा है। उसको गति देने की कृपा करेंगे, ऐसा आपके माध्यम से चाह रहा हूं।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को, टंकराम वर्मा जी को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले तो आज बहुत पुरानी शिक्षा नीति को छोड़कर के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लाए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसमें अपने मनपसंद अनुसार, अपनी इच्छानुसार विषय चयन कर हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं , वे कोर्स ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अपना भविष्य गढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय :- मेरा यह कहना है कि अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ मांग है, वह आप मंत्री जी को बता दीजिये।

श्री दीपेश साहू :- जी। मैं उसी को बोल रहा हूँ, सभापति महोदय जी। पहले हम रोजगार लेने की बात करते थे, लेकिन अब हम रोजगार देने की बात करेंगे।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, समय नहीं है, फिर मैं सीधा मंत्री जी को बुलाऊँगा। आप अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित मांग रखिये।

श्री दीपेश साहू :- सभापति महोदय जी, मैं माँग रख रहा हूँ।

श्री दीपेश साहू :- भिंभौरी और देवरबीजा कॉलेज...।

सभापति महोदय :- अभी इसके बाद में दो और विभाग विभागों की अनुदान मांगें हैं, उसके बाद में अशासकीय संकल्प हैं। कल रात को 9:00 बजे थे, आज 10:00 बज जाएगा।

श्री दीपेश साहू :- भिंभौरी और देवरबीजा कॉलेज अनुदान के लिए माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं माननीय मंत्री जी से बेमेतरा विधान सभा के दारगांव में कॉलेज भवन के लिए माँग करता हूँ और बेमेतरा जिला मुख्यालय है। वहाँ के लॉ कॉलेज के लिए भी मैं माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ। बहुत समय से बेमेतरा में पी.जी. कॉलेज में यूजी में कंप्यूटर साइंस और बायो टेक्नोलॉजी की माँग रही है, लेकिन अभी तक वह मांग पूरी नहीं हो पायी है। साथ ही साथ पी.जी. में एम.एस.सी. फिजिक्स और जूलॉजी की भी माँग रही है। बी.ए. इंग्लिश लिटरेचर कोर्स की बहुत दिनों से माँग हो रही है। बेमेतरा में एम.ए. इंग्लिश है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर बी.ए. इंग्लिश लिटरेचर नहीं होगा तो एम.ए. भी समाप्त हो जायेगा। मैं दो सालों से मंत्री जी से, वहां के अधिकारियों से बार-बार निवेदन, आग्रह कर रहा था, लेकिन अभी तक वहां बी.ए. इंग्लिश लिटरेचर की मान्यता नहीं मिली है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि बी.ए. इंग्लिश लिटरेचर जल्द से जल्द बेमेतरा में प्रदान किया जाए। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू जी।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, मुझे प्रथम वक्ता के रूप में पेश किया गया था और मैंने अपनी बात की शुरूआत की ही थी, उसके बाद हमारे नेता की बात को मानकर मुझे जाना पड़ा। लेकिन मैं अब सारी चीजों को अपने आप में पी लेता हूँ, सिर्फ अपनी मांग रखूंगा। (हंसी) सभापति महोदय, मैंने एक अधोसंरचना विकास, पर्यावरण और न्यूट्रीकरण में एक प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव में आपने पत्र भी लिख दिया था कि इसकी स्वीकृति करें। मंत्री जी, आपने एक बार नहीं, दो बार पत्र लिखा था। आपके पत्र लिखने के बाद हम लोगों को कह दिया गया कि मंत्री जी लिख दिए हैं तो हम लोग आश्वस्त रहे। उसके बाद एक कार्यकर्ता मेरे से एक चिट्ठी लिखवा लेता है। चूंकि मैं प्रस्ताव नहीं लिखता तो वह नाराज हो जाता। लेकिन अब वह वहां पर किसके साथ गठबंधन करके, क्या लेन-देन करके, मैंने जो प्रस्ताव मंत्री जी को लिखा था, उसको छोड़ कर मैंने उसका पत्र को लिखा था, वही स्वीकृति हो गया। स्वीकृति होने के पहले मैं मंत्री जी से भी मुलाकात किया। मंत्री जी ने संशोधन लेटर भी लिखा। वहाँ पर कोई एक्का साहब हैं, मैंने उनसे टेलीफोन से बात भी की थी कि एक्का जी, आपका आदेश निकला नहीं है और निकालने के पहले जो मंत्री जी लिख दिए हैं और मैं जो चाह रहा हूँ, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन पता चला कि आनन-फानन में एक-दो दिन पहले निकला तो वही सूची निकली जो इसके साथ मंत्री बंगले में साठ-गाँठ रहा होगा या मंत्रालय में या डायरेक्टरेट में साठ-गाँठ रहा होगा। वही निकला जो विधायक नहीं चाह रहा था। मैंने एक्का साहब को भी निर्देशित किया कि अगर मंत्री जी उसमें संशोधन कराते हैं तब ठीक और संशोधन नहीं होगा तो जैसे ही विधान सभा सत्र खत्म

होगा, फिर मैं एक्का साहब के ऑफिस में जाऊँगा क्योंकि उसमें मेरा अधिकार था। देखिये, कोई भी काम करें तो प्रामाणिकता से करें। अगर इस ढंग से विधायक के साथ में मंत्री जिम्मेदारी के साथ निर्वाहन न करे और वहाँ पर मंत्री जी भी लेटर लिखता है, पर ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है कि वह किसी को भी कह देता है कि नहीं, हम जो करवा लिए वही होगा। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपको इस सदन के माध्यम से इनफार्मेशन करूँगा कि या तो मैं मंत्री बंगले में बैठूँगा या तो मैं मंत्रालय के एक्का साहब के सामने में बैठूँगा।

सभापति महोदय :- आप सभी से मेरा यह कहना है कि इसके बाद में दो और विभागों की अनुदान की माँगों पर चर्चा होनी है। एक मिनट सुन लीजिये। उसके बाद में आज अशासकीय संकल्प दिवस है। अभी 3:00 बज गया है। अभी एक विषय राजस्व विभाग का पूरा नहीं हुआ है और उसमें आप सभी अपनी बात रखेंगे, फिर या तो आपको 10:00 बजे रात तक बैठने के तैयारी में आपको रहना पड़ेगा। फिर यह आग्रह नहीं आयेगा कि हम जल्दी समापन करें। या तो फिर आप लोग सभा के संचालन सहयोग करें ताकि समय पर कार्यवाही हो जाए और अशासकीय संकल्प आ जाए। आप लोग अपनी बात केवल एक लाइन में रखते नहीं।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, प्वाइंटेड मांग है।

सभापति महोदय :- जो माँग करना है, वह मंत्री जी नोट कर लेंगे।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, पाईंटेड मांग है । (व्यवधान) पाईंटेड मांग रहेगी ।

सभापति महोदय :- भोलाराम साहू जी ।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि पिछले टाईम ...।

सभापति महोदय :- अब वह पिछले टाईम को छोड़ो ना और क्या कहना चाहते हो उसको बोलो । भूमिका में मत जाओ ।

श्री भोलाराम साहू :- सभापति महोदय, खुज्जी विधान सभा का पुराना मांग है और वहां पर गैंदाटोला में महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पिछले टाईम विधान सभा में लगाया था । दूसरा जो है, उमरवाही में महाविद्यालय खोलने का है, माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि दोनों जगहों पर महाविद्यालय खेलने की असीम कृपा करें, धन्यवाद ।

श्रीमती सावित्री मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, के.के. शासकीय महाविद्यालय दुर्गकोंदल में स्नातक स्तर पर हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, लोक प्रशासन, भौतिकी, गणित, भूविज्ञान और स्नातकोत्तर के लिये मान्यता प्रदान करेंगे ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति जी, मैंने पिछला ध्यानाकर्षण लगाया था कि मेरे विधान सभा डोंगरगढ़ के ठेलकाडीह में एक ही भवन में कॉलेज और स्कूल चलता है लेकिन

आज तक उसके लिये स्वीकृति नहीं मिली है और यह भवन बनाना अति आवश्यक है । दूसरा, हमारे डोंगरगढ़ विधान सभा में राजस्व विभाग के द्वारा बैन लगा दिया गया है कि रजिस्ट्री नहीं होगी । अभी अगर मास्टर प्लॉन सेंक्शन नहीं है और बजट में नहीं है तो बैन को हटा देंगे । मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ । धन्यवाद ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ) :- माननीय सभापति महोदय जी, सारंगढ़ विधान सभा के अंतिम छोर डोंगरीपाली में एक कॉलेज के घोषण कर देतिस त ज्यादा अच्छा रहतिस । वोहा आदिवासी क्षेत्र हरय । ऊँहा कॉलेज नइ ए, बस एक कॉलेज बरमकेला में हे । वो भी कॉलेज प्रायवेट में चलथे । आपसे निवेदन हे कि कोसीर में कॉलेज अऊ बरमकेला में जो कॉले खुलथे, वोला वित्त मंत्री जी हा अपन क्षेत्र सरिया में लेगना चाहथे । वोहा बरमकेला ब्लॉक में खुलना चाही । इही आपसे आग्रह हे, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय जौन सारंगढ़ के हे ऊँहा बहुत दूर ले आना जाना होथे, वोला भी बरमकेला में खोले के मांग करथंव । जहां सारंगढ़ के स्वीकृति हे वोला अपन सरिया में लेगना चाहथे । हर विभाग ला सरिया में लेगथे । आपसे आग्रह हे कि सारंगढ़ ब्लॉक म ही होवय ।

श्रीमती चातुरी नंद (बसना) :- माननीय सभापति महोदय, मोर क्षेत्र वनांचल क्षेत्र हरय । ऊँहा एस.टी.एस.सी. के लइका मन निवासरत् हे । खासकर बालिका मन ला आय जाय बर 30-40 किलोमीटर के दूरी तय करे ला परथे । मैं सिंघोड़ा में एक कन्या महाविद्यालय के मांग करथंव अऊ साथ में केदवा में भी एक महाविद्यालय के मांग करथंव ।

श्री बालेश्वर साहू (जैजेपुर) :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से डायरेक्ट मांग करना चाहँगा और मुझे विश्वास है कि दो मांग करूँगा तो कम से कम एक मांग दे दे । मेरा क्षेत्र जैजेपुर विधानसभा आज तक सत्ता सरकार का सुख नहीं पाया है और क्षेत्र का बहुत सारा मांग है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो छपोरा में महाविद्यालय की बहुत बड़ी मांग थी । मैं छपोरा में एक महाविद्यालय का मांग कर रहा हूँ और हसौद ब्लॉक के नरयेरा गांव में वहां ग्रामीणों और छात्र के द्वारा लगातार आवेदन लगाया गया था, मैं इस बजट से नरयेरा और छपोरा में कॉलेज की मांग कर रहा हूँ ।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी (मोहला मानपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मानपुर ब्लॉक के खड़गांव में महाविद्यालय की मांग कर रहा हूँ और मोहला ब्लॉक के गोटाटोला में तहसील की मांग है ।

श्री कवासी लखमा :-माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो अनुमति दिया है, मुझे अपने क्षेत्र के लिये थोड़ा मांग करना चाहूँगा ।

सभापति महोदय :- आप सहयोग करें । आप तो सीनियर हो । आप कृपया मांग कर लें ।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, एक ही मांग है । पोलावरम जो आन्ध्रप्रदेश में बन रहा है, उसमें आन्ध्रप्रदेश के बार्डर के गांव में मुआवजा मिला है । हमारे कोण्टा विकासखंड में कोंटा नगर

पंचायत, डोंड्रा, वोलाकिसौली ग्राम पंचायत, इंजराम, एर्राबोर लगभग आधा, 3 ग्राम पंचायत और 1 नगर पंचायत जो है पूरा डूब रहा है । उनको बसाहट कहां करना है, उनको जगह दें । उनको मुआवजा कैसे मिलेगा ? सर्वे तो चल रहा है, अभी खत्म हो गया। सर्वे किए हैं, उसके लिए बधाई दूंगा लेकिन उनको जल्द से जल्द मुआवजा दीजिए। उसको जल्दी से जल्दी बसाहट कराएं, यही मेरी मांग है और कुछ नहीं है।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के बकावंड कॉलेज में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने के लिए घोषणा की थी, प्रशासकीय स्वीकृति भी मिली थी लेकिन दो साल, दो बजट में बोलते आ रहा हूं, उसमें बजट में नहीं आ रहा है, शुरुआत करिए। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे बकावंड में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू की जाए।

श्री चैतराम अटामी (दंतेवाड़ा) :- सभापति महोदय, दंतेवाड़ा जिला में पिछले बार बहुत बाढ़ आपदा हुई है और वहां जिला मुख्यालय नगरपालिका पूरा प्रभावित है। वहां मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी हुई है, अभी तक वहां किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं हुई है। दो महीना बाद फिर से बारिश आने वाली है।

श्री भूलन सिंह मराबी (प्रेमनगर) :- माननीय सभापति महोदय, प्रेमनगर विधानसभा में वर्ष 2017-18 और 2022-23 में दो तहसील, उप तहसील खुला हुआ है। एक ग्राम पंचायत मानी में है और एक ग्राम पंचायत देवनगर में है। दोनों प्राथमिक शाला भवन में लग रहा है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि दोनों तहसील भवन स्वीकृति करने का कृपा करें।

श्री आशाराम नेताम (कांकेर) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं हमारे मंत्री जी से कांकेर जिले में उच्च शिक्षा के लिए ऑडिटोरियम और छात्रावास मांग करता हूं । हमारा जो क्षेत्र है, वह बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। मंत्री जी, बाढ़ आपदा से भवन स्वीकृति करने का कष्ट करेंगे। एक नारा गांव है, एक साले टोला धनोरा जो दुधावा से लगा हुआ है, उस गांव में बाढ़ आपदा से भवन स्वीकृति करने का कृपा करेंगे।

श्री प्रणव कुमार मरपची (मरवाही) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। पिछले सत्र में मंत्री जी द्वारा रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही के लिए भवन की घोषणा आश्वासन सहित मिला था, जो इस बजट में नहीं जुड़ पाया है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जोड़ लेंगे। माननीय मंत्री जी, दूसरा मरवाही के लिए मेरी कन्या महाविद्यालय की मांग है तो नोट कर लेंगे, प्लीज।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई है।

श्री प्रेमचंद पटेल (कटघोरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कटघोरा विधानसभा बाकीमोंगरा में उप तहसील की मांग करता हूं।

श्री इंद्र कुमार साहू (अभनपुर) :- माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में 2024-25 में अभनपुर विधानसभा के बिन्द्री में नवीन कॉलेज की घोषणा की गई थी, जो आज तक नहीं खुला है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि बिन्द्री में कॉलेज खोली जाए।

श्री ललित चंद्राकर (दुर्ग ग्रामीण) :- माननीय सभापति जी, हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में अंडा गांव है, वहां बहुत जनसंख्या है और जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वहां पर कॉलेज की आवश्यकता है, मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां एक महाविद्यालय खोली जाए। दूसरा, हमारा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा नदी से घिरा हुआ है, वहां पर बहुत सारे गांव बाढ़ प्रभावित हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उन गांवों को बाढ़ प्रभावित में लेंगे।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरी बहुत छोटी सी दो बातें हैं। पहला, वीरेन्द्र नगर में एक कॉलेज की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की थी तो कृपया इस बजट में उसको मंत्री जी शामिल कर लें, मैंने पहले भी पत्राचार किया हुआ है। दूसरा, पंडरिया और पाण्डातराई महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कोई भी सिंगल ऑडिटोरियम नहीं है तो ऑडिटोरियम का भी मैंने पत्राचार किया है, कृपया मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आज के इस पूरे बहस को दलेश्वर साहू जी डिरेल किए हैं, बहिष्कार कर देते हैं और सबकी बोलने की इच्छा रहती है। ऐसा बार-बार बहिष्कार मत करिए ना, समय को समझिए। समय की नजाकत को समझ के बोलना चाहिए ना। कितने गंभीर विषय में चर्चा हो रही है, आप लोग एक घंटे बाहर रहकर आ गए। अब दो-दो मिनट बोलोगे तो लोगों को क्या बात समझ में आएगी ? हम तो चाहते हैं कि आप खूब बोलिए और आपकी बात सुनी जाए। आप लोग बिना किसी कारण के बहिष्कार बहिष्कार कर देते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- आज द्वारिकाधीश जी उधर अकेले काफी थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी कोई समस्या का समाधान होता तो कहने का औचित्य है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरा मतलब है, बिना कोई आधार के बहिष्कार नहीं करना चाहिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, औचित्य तब है जब हमारी बात को नोट किया जाए, अधिकारी वर्ग सुनें। उस समय तो अधिकारी वर्ग थे ही नहीं।

सभापति महोदय :- इस विषय को आगे मत बढ़ाइए।

श्रीमती भावना बोहरा :- मंत्री जी से बड़ा अधिकारी कौन हो सकता है ? मंत्री जी स्वयं यहां पर उपस्थित हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमको भी तो बोलने दीजिए। आज जो अधिकारी वर्ग, सीनियर आई.ए.एस. अफसर जो डायरेक्टर हैं, आसंदी ने कहा कि वह बैठे हैं और भी दूसरे बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, वह भी

तो अधिकारी हैं। अब यह कहां लिखा है कि सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी आएगा तभी चर्चा होगी? आप लोग बिना किसी आधार के मत किया कीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में आप भी थे। ऐसे ही हुआ था। उस समय भी बहिष्कार हुआ था। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, यह कितना महत्वपूर्ण विभाग है। आपने एक छोटे से जिद में पूरे विभाग की चर्चा। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, सदन की गरिमा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, उस समय आप थे। पिछले पंचवर्षीय में भी यही बात आई थी।

सभापति महोदय :- वह बात हर समय आएगी और आगे भी आएगी। पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मुंगेली जिले की पुरानी सेतगंगा उप-तहसील को तहसील बनाने की मांग करता हूं। मैंने पूर्व में भी मंत्री जी को पत्राचार किया है तथा चकरभाठा उप-तहसील को आपने स्वीकृति दी है, परंतु वहां भवन नहीं है तो उसके लिए भवन स्वीकृत करेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, प्रतापपुर विधान सभा अंतर्गत ग्राम गोविंदपुर है जो माता राजमोहिनी जी की जन्मस्थली है, वहां पर मैं कॉलेज की मांग करती हूं। वाड्रफ नगर में रानी दुर्गावती स्नातकोत्तर कॉलेज है, उसे पी.जी. कॉलेज में उन्नयन करने की मांग करती हूं। मंत्री जी, कृपया मेरी मांगों पर ध्यान देंगे।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष एक विषय को रखना चाह रहा हूं। ये मेरे विधान सभा लुण्ड्रा में विकासखंड लखनपुर है। उसमें ग्राम जमगंवा है और ऐसे ही लुण्ड्रा में उदारी ग्राम है। वहां के राजस्व नक्शे हैं ही नहीं, गायब हो गए हैं या खराब हो गए या विलुप्त हो गए हैं, उसके चलते विवाद हो रहा है। कई जगहों में नक्शों की स्थिति ऐसी नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार जब विभाजित मध्य प्रदेश था तो ग्वालियर में जो राजस्व अभिलेखागार था, वहां ओरिजनल कॉपी उपलब्ध होगी। या तो उसको लाकर ठीक करें या उसको ठीक करने की अन्य जो विधि होगी, उससे नक्शे को दुरुस्त कराकर उसको जरूर ठीक करें।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं अपनी मांग को बजट में शामिल करने के लिए भेजी थी, लेकिन वह बजट में शामिल नहीं हुई। हमारा ब्लॉक मुख्यालय से बहुत दूर है। एक हमारा चांदो मंडल है, वहां पर मैं नया कॉलेज खोलने की मांग करती हूं।

श्री पुरंदर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं। मेरा गांव दुर्गापाली है। एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी

के साथ उच्च शिक्षा मंत्री जी भी गए थे और सिंदूर के 501 पेड़ लगाकर हमने पार्क को, जो देश की रक्षा करते हैं, उन सैनिकों को समर्पित किया। (मेजों की थपथपाहट) वहां पर मांग की गयी थी कि एक कॉलेज होना चाहिए। 50 गांवों में 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई कॉलेज नहीं है। मैंने फाइल भेजी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उसकी घोषणा कर दें।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ दो छोटी-छोटी मांगें हैं। एक, खरोरा कॉलेज में बायो फैकल्टी की शुरुआत हो जाए और दूसरी है कि सिलयारी में एक महाविद्यालय खोला जाये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि सिलयारी में एक कन्या महाविद्यालय और खरोरा में बायो फैकल्टी की शुरूआत हो जाए।

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- सभापति महोदय, सब लोग बोल रहे हैं तो मैं भी बोल देता हूं। भाटागांव कॉलेज में दो प्रॉब्लम हैं। एक तो सरकार के बजट में 5 करोड़ रुपये थे। अभी का मुझे मालूम नहीं है। मैंने आपसे भी बात की थी तो उसी स्थान पर जहां पर अभी कॉलेज चल रही है, वहीं पर भवन बनाने की यदि आपके यहां कोई फाइल आयी होगी तो उसको स्वीकृत कर देंगे। दूसरा, वहां पर कॉमर्स और आर्ट्स की पी.जी. क्लासेस पहले आपने दी थी, लेकिन वह दोनों पी.जी. क्लासेस अभी भी चालू नहीं हुई हैं। मैं अन्य फैकल्टी की बात कर रहा हूं। वहां पर साइंस भी चालू किया जाए। वहां पर अभी लगभग 1,278 बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे एक अच्छे कॉलेज के रूप में उस क्षेत्र के अंदर में आएगा।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- धन्यवाद, सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करत हो कि जो चंद्रहासिनी मां के मंदिर है वो महानदी किनारे में है अउ आए दिन बाढ़ से वो धसत जात हे तो ओला बाढ़ आपदा में तटबंध बना दिया जाए। ओ शक्तिपीठ हे और वइसे तो अद्भुत हे, जो हमला इहां मिले हे अउ बजट में भी हे तो साराडीह अउ चंद्रपुर में महानदी के किनारे तटबंध बनाया जाए और अगर हो सकते तब, वइसे तो मुख्यमंत्री जी के घोषणा नहीं होवत हे लेकिन फिर भी मांग करत हो कि अड़भार में महाविद्यालय खोल देव। सबके ला खोलिहो तो मोरो ला खोलिहो अउ काखरो ला नही खोलिहो तो मैं का करहूं। मैं ओ बात ला समझ गे हो। ठीक है।

सभापति महोदय :- राजस्व मंत्री, श्री टंकराम वर्मा जी। (मेजों की थपथपाहट)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा, वर्ष 2026-27 की मांग संख्या 8, 9, 58, 35 और 44 की चर्चा में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया और उनका विचार हम सब तक पहुंचा। जिसमें श्री दलेश्वर साहू जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी, श्री रिकेश सेन जी, श्री लालजीत सिंह राठिया, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, श्री द्वारिकाधीश यादव, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री दिलीप लहरिया जी, श्री जनक ध्रुव जी, श्री दीपेश साहू जी, श्री भोलाराम साहू जी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, श्रीमती उत्तरी

गनपत जांगड़े जी, श्रीमती चातुरी नंद जी, श्री बालेश्वर साहू जी, श्री इन्द्रशाह मंडावी जी, श्री कवासी लखमा जी, श्री लखेश्वर बघेल जी, श्री चैतराम अटामी जी, श्री भूलन सिंह मराबी जी, श्री आशाराम नेताम जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी, श्री प्रणव कुमार मरपच्ची जी, श्री प्रेमचंद पटेल जी, श्री ललित चन्द्राकर जी, श्रीमती भावना बोहरा जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, श्री प्रमोद मिंज, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री अनुज शर्मा जी, श्री सुनील सोनी जी और श्री रामकुमार यादव जी ने अपने बहुत अमूल्य विचार रखें और आप सब के विचार मुझ तक पहुंचे। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस बजट प्रस्ताव पर हमारे जितने भी विधायकों के सुझाव मिले हैं, निश्चित तौर पर हम आपके सुझावों पर प्राथमिकता के साथ आगे काम करेंगे और हमारा यह जो बजट आया है, यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है बल्कि यह हमारे विकसित छत्तीसगढ़, 2047 के संकल्प को सिद्ध करने वाला एक रोडमैप है। हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत 3,503 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और हमारा लक्ष्य है कि राजस्व शासन को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाएं ताकि आम नागरिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें।

सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल ऋण पुस्तिका, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑटो डायवर्सन और लोक सेवा गारंटी जैसी व्यवस्थाओं से हमारे राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है।

सभापति महोदय, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी हमारी सरकार पूरी तरह से सजग और प्रतिबद्ध है। बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए राहत एवं पुनर्वास व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा जिला स्तर पर बेहतर समन्वय के माध्यम से आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं प्रशासनिक पुनर्गठन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उस समय हमारे प्रदेश में 16 जिले थे। शासकीय योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन और प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने के दृष्टिकोण से शासन की योजनाओं को और मूलभूत सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनका विस्तारीकरण किया गया है। आज प्रदेश में 33 जिले हैं। इसी प्रकार से हमारे अनुभाग 58 से बढ़कर 119 और तहसील की संख्या 96 से बढ़कर 252 हो गयी है। इसी तरह से हमारे राजस्व मंडल 229 से बढ़कर 793 गये हैं और पटवारी हल्का नंबर भी 5828 हो गये हैं और राजस्व निरीक्षक की स्वीकृत संख्या बढ़कर के 1090 हो गई है। अभी हमारी सरकार ने व्यपवर्तन को पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाते हुए व्यपवर्तन की प्रक्रिया को पूर्णत: ऑनलाईन कर दिया

गया है। इस व्यवस्था के तहत आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ही आटो डायवर्सन स्वत: हो जाता है। इसके लिये हमारे भूमि स्वामियों को बार-बार किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इनसे समय भी बचत होती है और ये राजस्व विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाती है। अब डिजिटल किसान किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। डिजिटल किसान किताब राज्य की राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और नागरिक केन्द्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब भूमि स्वामित्व ऋण की स्थिति एवं संबंधित जानकारी नागरिकों को ऑनलाइन और वास्तविक समय में उपलब्ध होगी। इससे हमारे भूमि स्वामियों के समय में बचत होगी और उनको कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमि हीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के बारे मे बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ऐसे भी मजदूर हैं जो खेती का काम करते हैं लेकिन उनक पास खुद की खेती नहीं है। वह भूमिहीन हैं। ऐसे भूमिहीन कृषकों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत उनके खाते में प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये अंतरित की जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष में 4 लाख 96 हजार 39 जो पात्र हितग्राही हैं, उनको 4 करोड़ 96 लाख रुपये का भुगतान किया गया था और इस साल नये वित्तीय वर्ष में इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिये 605 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान रखा गया है। हमारी सरकार ने उपहार योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन की एक प्रमुख डिजिटल पहल है इसके अंतर्गत सेटेलाइट इमेजरी रिमोट सेन्सिंग ड्रोन तथा मोबाइल वेब एप्लीकेशन जैसी आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर फसल क्षेत्र का आकलन, उत्पादन, पूर्वानुमान फसल स्वास्थ्य निगरानी तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का आकलन किया जाता है और साथ ही इस प्रणाली के माध्यम से धान खरीदी के लिये उत्पादन अनुमान, भूमि और किसान अभिलेखों की शुद्धता, फसल स्वास्थ्य विश्लेषण तथा आपदा निगरानी जैसे कार्यों में सरकार को सटिक और समयबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। केन्द्र सरकार की एक बडी महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना लागू की है। हमारे प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जो वर्षो से रह रहे हैं लेकिन उनके पास उस जमीन का कोई रिकार्ड नहीं है, स्वामित्व पत्र नहीं है। तो ऐसे लोगो के लिये वर्ष 2021 में ये योजना लागू की थी लेकिन हमारे यहां प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार ने काम नहीं किया। और अभी हमार सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और अभी तक 1 लाख 60 हजार हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड योजना का वितरण किया जा चुका है और प्रदेश के 10 लाख लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के हमारे सभी 105 उप पंजीयक कार्यालय ऑनलाईन हो करके तहसील कार्यालयों के साथ इंटरनेट के माध्यम से इंटरलिंक हो चुके हैं और पंजीयन के साथ स्वत: नामांतरण ये हमारे भूमि स्वामियों के लिये बहुत बड़ी सहूलियत है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 से जमीन की खरीदी बिक्री के पश्चात नामांतरण की प्रक्रिया को स्वचालन मोड़ में लाया गया है। जमीन का पंजीयन होते ही क्रेता के

नाम पर नामांतरण की प्रक्रिया हो जाती है। इससे पहले नामांतरण के लिये दो महीने, चार महीने का समय लगता था और उनको कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन अब इसमें पंजीयन के साथ ही नामांतरण हो जाता है और मोबाइल पर भूमि अभिलेखों की प्राप्ति अब खसरा, बी-1 ये सभी भू-अभिलेख संबधित जो जानकारी है, Whatsapp Chatbot के माध्यम से उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में बहुत से सुधार किये गये हैं, सरलीकरण किये गये हैं। धारा-33 संशोधन कर नोटिस सूचना प्रेषित करने के लिये डिजिटल प्लेटफार्म को मान्यता दी गयी है और जिसका जिक्र बार-बार किया जा रहा था कि अवैध प्लॉटिंग होती है तो सरकार ने अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिये 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि के विभाजन पर रोक लगाये हैं । धारा-110 में संशोधन करके स्वत: नामांतरण प्रक्रिया को वैधानिक आधार दिया गया है इसके तहत् पंजीयन विभाग को नामांतरण करने का अधिकार दिया है इसी धारा के तहत् अभिलेखों में सूचीबद्ध विधिक वारिसानों के पक्ष में स्वत: ई-नामांतरण का प्रावधान भी किया गया है और भूमि स्वामी को अधिकार दिये हैं कि वह जीते जी अपने वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेखों में सूचीबद्ध कर सकता है और उनके मरणोपरांत नामांतरण ऑटोमेटिक हो जायेगा । खसरों का प्रमाणीकरण प्रत्येक खसरे का प्रमाणीकरण किया जायेगा जिससे जब भी उसके खाते में कोई संशोधन होगा तो यह संशोधन की जो सूचना है वह उनको मिल जायेगी । कोर्ट ऑर्डर के साथ रिकॉर्ड में संशोधन जैसे किसी प्रकरण की सुनवाई कोर्ट में होती है, उनमें निर्णय होता है तो जैसे राजस्व न्यायालय का जैसे ही आदेश होगा उनके साथ ही उनके राजस्व अभिलेख में सुधार उसी समय हो जायेगा इससे लोगों को आदेश के पश्चात् फिर से रिकॉर्ड दुरूस्त कराने के लिये उनको पटवारी या तहसील कार्यालय का चक्कर नहीं मारना पड़ेगा । राहत आपदा प्रबंधन में हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को नष्ट हुए मकानों अथवा क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत, फसल की क्षति, पशु हानि, जन-धन की हानि तथा अन्य कारणों से होने वाली क्षति के लिये राजस्व पुस्तक पत्रिका 6-4 के प्रावधानों के तहत् प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2025-26 के लिये 325.57 करोड़ रूपये की राशि जिला कलेक्टर को आवंटित की गयी है । इसी तरह से हमारी राज्य आपदा नवीनीकरण मद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिये कुल 1504 कार्यों के लिये 270.89 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए संबंधित जिलों को 140 करोड़ रूपये का आवंटन जारी किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा-बाढ़, ओलावृष्टि, भूकंप, अग्निदुर्घटना, कीट प्रकोप आदि से होने वाले जन-धन की हानि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि में 588 करोड़ एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में 50 करोड़ तथा राज्य आपदा नवीनीकरण निधि में 147 करोड़ का वित्तीय वर्ष 2026-2027 में प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा विभाग में यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2026-27 के बजट में उच्च शिक्षा विभाग के लिये किये गये

महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा विभाग में किसी भी राज्य की सामाजिक-आर्थिक और बौद्धिक विकास की आधारशीला होती है । हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध हो । वित्तीय वर्ष 2026-27 में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 47 योजनाएं संचालित हैं तथा इसके क्रियान्वयन के लिये कुल 1816 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान किया गया है । इसमें जो राजस्व परिव्यय है 1584.65 करोड़ और पूंजीगत परिव्यय जो 231.35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । यह बजट प्रावधान प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और गुणौत्तर सुधार और अधोसंरचना के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा ।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2025-26 में हमारा जो एस.टी. बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां के लिये आवंटन 230.36 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2006-27 में बढ़ाकर 249 करोड़ 61 लाख रूपये हो गया है । वर्ष 2025-26 में एस.सी. बाहुल्य क्षेत्रों के लिये आवंटन 103.10 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2026-27 में बढ़कर के 120.23 करोड़ रूपये हो गया है । माननीय सभापति महोदय, प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपनाये जाने वाले विधिक रणनीतिक स्तम्भों में से एक स्तम्भ ज्ञान रखा गया था । ज्ञान अर्थात् G, Y गरीब व युवा, A अन्नदाता और N नारी । गरीब किसान और महिलाओं के साथ-साथ युवा हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु हैं । हमारे महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-2025 में राज्य में 335 महाविद्यालय थे, जो कि वर्ष 2024-2025 में बढ़कर 343 हो गये हैं। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र जैसे खड़गवां हैं, एमसीबी है, सुहेला है इन क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 1.30 करोड़ रूपये का प्रावधान, सरगुजा विश्वविद्यालय नवीन विषय प्रारंभ एवं रामचन्द्रपुर तथा घरघोड़ा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में उन्नयन एवं नवीन विषय हेतु 1.40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे उन क्षेत्रों के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, इस वित्तीय वर्ष 2026-2027 में कुल 25 महाविद्यालयों के नवीन भवन का निर्माण किये जाने हेतु 25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त निर्माण हेतु इस वर्ष 06 महाविद्यालयों का चयन का 4.5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से आहाता निर्माण और महाविद्यालय के छात्रावास में बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण के लिए कुल 1.80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। छात्रावास भवन बनने से दूरदराज के क्षेत्रों में आने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था मिलेगी। इससे उनके पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था होगी। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2025-2026 में 366 सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नत करके, प्राध्यापक पद पर पदोन्नति दी गयी है। 151 पदोन्नत प्राध्यापक को स्नातक प्राचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी

है एवं 7 स्नातक प्राचार्यों को स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयो में प्राध्यापक के 595 पदों पर अभी सीधी भर्ती प्रक्रियाधीन है। सहायक प्राध्यापक 625, ग्रंथपाल के 50, क्रीड़ाधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी स्वीकृति प्रदान की है। प्रयोगशाला एवं तकनीकी सहायक के 247 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की गयी है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों हेतु प्रयोगशाला परिचारक के 430 पद पर व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी हो चुका। वर्तमान में दस्तावेज परीक्षण प्रक्रियाधीन है। शासकीय महाविद्यालयों के 474 सहायक प्रावध्यापकों को वरिष्ठ वेतनमान का आदेश जारी किया गया है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 324 कर्मचारियों को उच्चतर समयमान वेतन प्रदान किया जायेगा। इसी तरह से हमारे राज्य के जो चयनित महाविद्यालय हैं उनको सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलिब्ध है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 36 शासकीय महाविद्यालयों को चरामा और दुर्ग से उत्कृष्टता केन्द्रों में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे उच्च शिक्षा गुणवत्ता, शोध क्षमता और रोजगारमुखी प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जा सकेगा। माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर वर्ष 2025-2026 में 25 महाविद्यालयों में से प्रत्येक को 3 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2026-2027 में 5 महाविद्यालयों को 3 करोड़ रूपये प्रस्तावित किया गया है। इन उपायों से महाविद्यालयों को नवाचार, पाठ्यक्रम विकास, अकादमिक निर्णय में अधिसूचिता प्राप्त होगी ...।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं कि माननीय सदस्य बाजू में बैठकर मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, उधर भी मंत्रमुग्ध हैं।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन तथा वर्ष 2025-2026 में राज्य के 335 शासकीय महाविद्यालयों 321 अशासकीय महाविद्यालयों, 08 राजकीय विश्वविद्यालयों...।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, ओ सोवत नइ हे। ओ हा चिंतन करत हे कि छत्तीसगढ़ के का हो ही।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- इसका कारण आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। इन्हीं की देन है कि आज बघेल जी भी सो रहे हैं।

सभापति महोदय :- वह भी सो रहे हैं। वह सो नहीं रहे हैं। माननीय बघेल जी जाग रहे हैं। वह चिंतन कर रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- उनका एंटिना कहीं और जुड़ा हुआ है।

श्री देवेन्द्र यादव :- हमारे संसदीय मंत्री जी आप सबको क्यों बता रहे हैं कि हमारे पूर्व मंत्री जी आराम कर रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- वे यहां से उठकर वहां तक चले गए हैं और उनसे पूरा ज्ञान ले रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वे वहां आराम कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं । कई लोग तो चलते हुए भी सो जाते हैं । मुझे दो, तीन लोगों का नाम पता चला है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, कितना समय लेंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- दो मिनट ।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करें ।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, शिक्षा हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतीक का आधार है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बड़ी प्रमुखता के साथ लागू किया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परम्परा और क्षेत्रीय संदर्भों को पाठ्यक्रम में समाहित करना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है । प्राचीन भारतीय विचारक, आधुनिक विचारकों छत्तीसगढ़ के इतिहास सांस्कृतिक परम्पराओं और पारम्परिक ज्ञान को अध्ययन का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही इलेक्ट्रानिक, फिशरीज़ टेक्नालॉजी, फूड प्रोसेसिंग,ए.आई., साईबर सिक्योरिटी और उद्यमिता जैसे विषयों को शामिल कर शिक्षा को रोजगारोन्मुख और नवाचार आधारित बनाया गया है । पी.एम. ऊषा कालेज की सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत राज्य के 12 महाविद्यालयों को प्रति महाविद्यालय 5 करोड़ रूपए का अनुदान राशि प्रदान की गई है । इस सहायता से इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजीटल संसाधन और आधारभूत सुविधा का उन्नयन किया गया है, जिससे शिक्षण वातावरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । विश्वविद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों को प्रति विश्वविद्यालय 20 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई है । इस अनुदान का उपयोग शोध एवं अनुसंरचना उन्नत, शैक्षणिक सुविधाओं, फैक्लटी विकास और अकादमिक नवाचार को बढ़ावा देने को मिलेगा । प्रदेश के युवाओं को उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण देने के साथ-साथ उनके शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के सुअवसर उपलब्ध कराएंगे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने किसानों की कठिनाइयों को समझते हुए राजस्व विभाग में बहुत से आमूलचूल परिवर्तन लाये हैं, नियमों को सरलीकरण किये हैं, ताकि हमारे प्रदेश के किसानों को तत्काल न्याय मिल सके, उनका समय बचे । राजस्व विभाग ऐसा विभाग है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है । जिसके पास जमीन है, उनको राजस्व विभाग से काम पड़ताहै या जिनके पास जमीन नहीं है, उन सभी आम आदमियों को भी राजस्व विभाग से काम पड़ता है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए और किसानों को

न्याय दिलाने, सरलतापूर्वक काम करने के लिए बहुत से कामों को ऑन लाईन और डिजीटलाईजेशन किया है ।

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विभाग से जो मांग की गई है, उसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये । धन्यवाद ।

मैं एक बात चूक गया था, उसे बताना चाहता हूं । तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम विजयपुर है, जहां पर उप तहसील बनाने की मांग की गई है तो विजयपुर को उप तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा करता हूं । उसी तरह से अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र के उदयपुर गांव देवगढ़ को उप तहसील बनाने की घोषणा करता हूं।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा ।

प्रश्न यह है कि- मांग संख्या-8, 9, 35,44 एवं 58 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को:-

मांग संख्या	-	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए- दो हजार दो सौ छः करोड़, दो लाख, सन्तानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए - बीस करोड़, बांसठ लाख, चौंसठ हजार रूपये
मांग संख्या	-	35	पुनर्वास के लिए - तीन करोड़ रूपये,
मांग संख्या	-	44	उच्च शिक्षा के लिये- एक हजार तीन सौ छः करोड़, चौदह लाख, तिरासी हजार रुपये तथा
मांग संख्या	-	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये- एक हजार दो सौ बहत्तर करोड, निन्यानबे लाख, दो हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2. मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा
मांग संख्या 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
मांग संख्या 56 ग्रामोद्योग

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को:-

मांग संख्या - 27 स्कूल शिक्षा के लिये- दस हजार एक सौ इकसठ करोड़, सैंतालीस लाख, छियासठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये- आठ सौ छियालीस करोड़, बावन लाख, तीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिये- दो सौ अठ्ठाईस करोड़, चौरासी लाख, नब्बे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-27

स्कूल शिक्षा

1.	श्री लखेश्वर बघेल	3
2.	श्री भोलाराम साहू	15
3.	श्रीमती अंबिका मरकाम	4
4.	श्री द्वारिकाधीश यादव	4
5.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	1
6.	श्री जनक ध्रुव	1

मांग संख्या-28

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

निरंक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या-56

ग्रामोद्योग

1. श्री लखेश्वर बघेल 1
2. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल 1

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए 36 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए 23 मिनट तथा गोडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए 1 मिनट का है। कृपया समय का ध्यान रखेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। श्रीमती चातुरी नंद।

श्रीमती चातुरी नंद (सराइपाली) :- माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 के विरोध मा बोले बर खड़े होय हव। बजट मा शिक्षा हेतु 22,360 करोड़ रूपया के प्रावधान करे गय हावय। यह बहुत अच्छा मुद्दा हे, हमर देश बर बहुत अच्छा मुद्दा हे। ये मुद्दा मा मैं कहना चाहव कि सबसे पहले शिक्षक के कमी हे। मैं पाईंटवाइस अपन बात ला रखत जाहूं। शिक्षक के कमी हे। प्रदेश मा लगभग 30,700 प्रायमरी स्कूल हावय ओमा मात्र 6,872 एकल शिक्षकीय स्कूल हावय। 212 स्कूल तो ऐसन हावय जिहा एक भी शिक्षक नइ हावय। मैं अब सीधा सीधी भर्ती पक्रिया 2023 में आहूं। सीधी भर्ती 2023 के पांचवा चरण मा शामिल 6,215 अभ्यर्थी मन ला शामिल करे गइस। शामिल करके ओमन ला दस्तावेज सत्यापन बर बलाय गइस। यह हमर संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ के अनुसार वर्तमान मा जो आदेश जारी होय हावय, ओखर बारे मा मैं हा कहत हंव। पांचवा चरण मा शामिल सत्यापन पर सूचना देय गइस। 19 मार्च से 3 अप्रैल, 2025 के बीचा मा दस्तावेज सत्यापन होइस। ये सत्यापन ला बस्तर और सरगुजा के जिला शिक्षा अधिकारी मन करिन। तो का जिला शिक्षा अधिकारी मन ला दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ी नहीं दिखाई दिस? मंत्री महोदय जी, मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहत हो, ये सत्यापन मा लगभग 38 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जे मन भर्ती के अर्हता पूरा नहीं करत हैं । रैंडमली आप मन लिस्ट ला उठा के ओमन ला भर्ती दे दे हौ। जेन मन अपात्र व्यक्ति हे, वो व्यक्ति मन ला आप मन भर्ती दे हौ। ये भर्ती मा उम्र के बंधन होथे, 21 साल से ले करके 35 साल तक के एकर उम्र के बंधन हावे। जे मा पहला अभ्यर्थी मधु दीवान, एकर उम्र हावे 41 वर्ष 11 महीना 17 दिन। एला भर्ती दे दे गे हे, ये अपात्र हे। एकर अलावा ऐसे बहुत सारा अभ्यर्थी हैं जे मन 21 साल पूरा नहीं करे हावे, फिर भी ओमन ला भर्ती दे दिए गे हे। ऐसे अभ्यर्थी भी हे जे मन डी.एड. के परीक्षा 2025 मा पास

करिन हे ओमन ला 2023 में भर्ती दे दिए गे हे। अतका बड़े गड़बड़ी माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके ध्यान में लाना चाहत हव, एकर जांच आप कराओ।

समय :
3.56 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

एकर अलावा एक ऐसे अभ्यर्थी हे, जेहा डी.एड. उत्तीर्ण नहीं करे हे, जेहा टी.ई.टी. पास नहीं करे हे, जबकि टी.ई.टी. अनिवार्य कर दिए गे रिस हे। ओकर बावजूद ओला भर्ती दिए गे हे। और कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जेमन के पोस्टिंग दूसर स्कूल मा हावे, उहूं मन ला उठा के दूसरा स्कूल में मैं भर्ती दे दिए गे हैं। तो ये मामला बहुत बड़े विडंबना आय। बहुत बड़े विडंबना के साथ मैं कहना चाहत हव कि ये अभ्यर्थी बिचारा मन जेमन अपन भर्ती के मांग ला लेकर के तूता में धरना देवत हैं। लगभग 80 दिन हो गे हे संगवारी हो, न शासन-प्रशासन ओकर संज्ञान लेथे, न जिला प्रशासन संज्ञान में लेथे। मंत्री महोदय जी करा कई बार हमर ये डी.एड. धारी युवा साथी मन मिले के प्रयास करिन, लेकिन ओमन के ऊपर सुनवाई तो दूर, ओमन ला जेल में डाल दिए गीस और आज स्थिति ये है कि लोक शिक्षण संचालनालय, जो संचालक हैं लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ के, ओमन के द्वारा बताए गे है कि वर्तमान में 1316 पद खाली हावे। तो का ये 1316 पद में वो अभ्यर्थी मन ला भर्ती नहीं दिये जा सके? दिए जा सकत हे, लेकिन शासन-प्रशासन उदासीन है। मैं मांग करत हंव कि उच्च न्यायालय के जो आदेश है, वो आदेश के पालन करे जाए और ये 1316 अभ्यर्थी मन ला ओमे भर्ती करे जाए। एकर अलावा मैं आना चाहत हंव..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप उनको बोलने दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन बस करना चाह रहा हूं। माननीय मंत्री जी, केवल 2300 पद हैं, बहुत ज्यादा नहीं हैं। जितना पद रिक्त है, शेष 2300 पद में उनकी भर्ती होनी चाहिए। वे लोग पहले न्यायालय में लड़े, न्यायालय के बाद अब उनको स्कूल में होना चाहिए। उसकी जगह में जेल जाना पड़ रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- रात 2 बजे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- न्यायालय के आदेश का सम्मान होगा या नहीं? संविधान है या नहीं? आखिर अब न्यायालय जाने के बाद भी परिणाम नहीं आएगा, तो कहां जाए आदमी और क्या परिस्थिति निर्मित होगी? इस प्रदेश में कानून का राज होगा, न्याय का राज होगा..।

सभापति महोदय :- हो गया द्वारिकाधीश जी, हो गया। आपने याद दिला दिया ना। चातुरी नंद जी, आप जारी रखिये।

समय :
4.00 बजे

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, अब शिक्षा विभाग ला मैं थोड़ा सा चालू कर हंव। शिक्षा, हमर बाबा साहब अंबेडकर कहे रीहिसे कि शिक्षा वह बघनिन के दूध ए। शिक्षा वह बघनिन के गोरस आय, जेन पिही ते दहाड़ी और मैं शिक्षा के शुरुआत एक शिक्षक से चालू होत हे और शिक्षक पढ़ाही का पुस्तक से। शासन के द्वारा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराए जात हे बच्चा मन ला। 2025-26 मा ये योजना बर लगभग 213.28 करोड़ रूपये के प्रावधान करे गे रीहिसे, जेमा 139 करोड़ रूपये व्यय करे गे हावे। मैं बताना चाहत हंव कि ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात ए। शासन नि:शुल्क पुस्तक उपलब्ध कराए के बात करथे, लेकिन मोर महासमुंद जिला में पुस्तक पहुंचथे 16 दिसंबर, 2025 के। आधा सत्र पूरा हो जाथे, जब अर्धवार्षिक परीक्षा चालू हो जाथे, तब तक भी पुस्तक नहीं पहुंचे रथे। मैं मंत्री महोदय जी के ध्यान आकर्षित करना चाहत हंव कि अइसने मा लइका परीक्षा दिही कैइसे? शिक्षा ला आप मन अतका कमजोर मत बनावओ कि लइका मन केवल साक्षर रहय, शिक्षित मत बन सकय। पिछले दू साल में आप मन आत्मानंद स्कूल ला बंद करे के प्रयास करे हौ। आप मन पी.एम.श्री स्कूल खोले हौ। पी.एम.श्री स्कूल प्लेसमेंट के आधार पर आप मन शिक्षक मन के भर्ती ले हौ। शिक्षक मन ला समय मा राशि नहीं मिल पात हे, ओमन के वेतन भुगतान नहीं हो पात हे, ओमन के तनखा नहीं मिल पात हे। साथ ही पी.एम.श्री स्कूल के विकास धड़ल्ले से होत हे, लेकिन वही जगह आत्मानंद स्कूल मा फर्नीचर के व्यवस्था नहीं हे। भवन जर्जर हो जात हे, लइका मन बर बइठे बर फर्नीचर नहीं हे, चाक डस्टर के व्यवस्था नहीं हो पात हे, शिक्षक ला ओकर तनखा नहीं मिल पात हे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ए तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहत हौं। हमर माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री रिहिन हे ता स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के स्थापना एक विचार ला लेकर के करे रिहिन हे। गरीब जनता के लइका काबर इंग्लिश नहीं पढ़ सके, यही विचार ला लेके हमर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना ला लाने रिहिस। जेमा गरीब बच्चा के लइका इंग्लिश पढ़ सकत रिहिसे हे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकत रिहिस हे। लेकिन आज उहो अधिकार खत्म होत दिखाई देत हावय। एकर अलावा सरस्वती साइकिल योजना के तहत आप मन हमर हाई स्कूल पढ़ोइया बेटी मन ला साइकिल देथौ। बेटी मन हर दूरिहा-दूरिहा से पढ़े आते और पैदल नहीं आए सकय, तेखर बर ओमन ला शासन के द्वारा बेटी मन ला साइकिल देकर एक सुविधा उपलब्ध कराए जाथे। लेकिन ये साइकिल अतका गुणवत्ताहीन होथे कि मात्र तीन-चार महीना मा ही टूटे ला धर जाते। एखर लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहत हौं कि जेन साइकिल आप मन बेटी मन ला देत हौं, ओ हर गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, उच्च क्वालिटी के होना चाहिए और हो सके त ओ बेटी मन ला साइकिल वितरण करे के बजाय ओमन के खाता में पैसा उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा विभाग के और

भी बहुत सारा योजना हे। जैसे कि युक्तियुक्तकरण होईस, ओमा लगभग 10,000 स्कूल बंद कर दिए गिस और एमा 16,616 शिक्षक मन ला समायोजित करे गिस। 16,616 शिक्षक के समायोजन के बाद भी आज स्कूल मन मा शिक्षक नई हे, पढ़ाई नई होत हे, स्कूल जर्जर हावय। मैं बताना चाहत हौं कि मोर विधान सभा के अइसे क्षेत्र हावय, जहां केवल एस.टी., एस.सी. के लइका मन पढ़े जात हे। जैसे कि हाई स्कूल पझरापाली हे। हाई स्कूल पझरापाली एक अइसे स्कूल हे, जहां केवल एके शिक्षक हावय, जेन हा सब्बो विषय ला पढ़ात हावय। ओहा ऑलराउंडर हे। अइसे शिक्षक ला तो सम्मानित करना चाहिए। मंत्री महोदय जी, मैं आपसे मांग करत हौं कि आप पझरापाली स्कूल मा साइंस के, मैथमेटिक्स के अउ इंग्लिश के, ये तीनों शिक्षक के व्यवस्था करौ ताकि मोर आदिवासी क्षेत्र के, मोर एस.टी., एस.सी. क्षेत्र के लइका मन पढ़ सकय। युक्तियुक्तकरण के तहत आप मन जो नियम देहे रहे हौ, जेमे 30 बच्चा मा एक शिक्षक, प्राइमरी स्कूल मा 25 बच्चा मा एक शिक्षक, मिडिल स्कूल मा 35 बच्चा मा एक शिक्षक और हाई स्कूल मा 40 बच्चा मा एक शिक्षक विषयवाइज हावय। ये जो युक्तियुक्तकरण के तहत आप मन नियम बनाए रहे हौ, ये नियम लइका मन बर ये ठीक है। जेन्हा ठीक है, तेकर मैं ठीक है कहके तारीफ घलो करथौं। लेकिन हमर ये लइका मन ला शिक्षा देने वाला जो शिक्षक साथी मन हे, मैं कहना चाहत हौं कि जुलाई 2018 में हमन शिक्षक साथी मन ला शिक्षाकर्मी पद ले आप मन संविलियन करे हौ और ओमन ला शिक्षक बनाए हौ। लेकिन आज 15,000 शिक्षक अइसे हें, जेमन ला पेंशन नई मिल सकय। काबर? काबर कि आप मन पेंशन के जो नीति बनाए हौ, ओकर से ओमन ला पेंशन नई मिल सकय। एकर नीति में आप मन कहे हौ कि जेन दिन संविलियन होय हे, उही दिन से 10 साल के नौकरी अगर पूरा होवत हे, तब जाके शिक्षक ला पेंशन मिलही। अब बताओ जेन हा 1998 से नौकरी करथे अऊ 2018 में संविलियन होय हे त वोखर काय गलती हे बबा ? मैं मंत्री महोदय जी से मांग करथंव कि प्रथम नियुक्ति ला आधार मानके वोमन के नौकरी के गणना करे जाय ताकि वोमन ला पेंशन घलो मिल सकय। एखर अलावा हमर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 म प्रावधान करे गे हे वोमा एक नियम हावय कि हमर कम से कम पांचवी तक के बच्चा मन ला स्थानीय बोली मा शिक्षा दे जाये । हमर छत्तीसगढ़ मा छत्तीसगढ़ी मा काबर शिक्षा नई दे जाथे, इंहा दूसर प्रदेश के भाषा म शिक्षा दे जाथे, लइका मन ला उर्दू मा पढ़ाय जाथे, ओड़िया म पढ़ाय जाथे, मोर छत्तीसगढ़ के लईका मन ला छत्तीसगढ़ी मा पढ़ाई काबर नई कराय जाय ? मैं मंत्री महोदय जी से मांग करथंव कि छत्तीसगढ़ के मोर लईका मन ला कम से कम पांचवी तक छत्तीसगढ़ी बोली म पढ़ाय जाये । सभापति महोदय, मैं एखर अलावा दू शब्द कहना चाहूँ कि शिक्षा हा एक उज्जवल और सार्थक भविष्य के कुंजी आय । हमन ला ऐहा अज्ञानता के अंधकार ले दूर ले जाके प्रकाश देथे । अऊ ए प्रकाश हा हमन ला जाने पहचाने के मदद घलो करथे । जेखर किताब से रिश्ता जुड़ जाथे, वही मनखे हा आगे बढ़ जाथे, शिक्षा ही वो हथियार आय, जो हर हालात ला बदल सकथे । पुस्तक एक व्यक्ति के सबसे बढ़िया साथी होथे । पुस्तक से दोस्ती करव, निश्चित रूप से

आपला सफलता मिलही । संगवारी हो, मैं अपन मांग ला अंत में रखना चाहथंव । मोर मांग हावय कि पझरापाली हाई स्कूल में भवन निर्माण, भंवरपुर में बालिका स्कूल हावय लेकिन भवन नइ ए, कन्या स्कूल में हायर सेकण्डरी स्कूल नइ ए, मोला ऊंहा भी भवन चाहिये, मोर क्षेत्र मा शिक्षक के कमी हावय, मोला शिक्षक घलो चाहिये ताकि मोर क्षेत्र के विकास हो सकय, एक चीज अऊ कहना चाहूं कि पूर्व में हमर प्रावीण्य सूची में आने वाले लइका मन ला हमर भूपेश जी वो मनके हौसला बढ़ाय बर प्रोत्साहन राशि देवत रहिसे । वो प्रोत्साहन राशि के व्यवस्था आपके पास घलो हावय । वोमन ला हवाई जहाज में सफर करावत रहिसे । मैं ए मांग रखथंव कि हमर लइका मन के हौसला अफजाई बर आप मन एला जरूर करिहव । मोर क्षेत्र के एक बालिका हे, जेखर मात्र श्रम कार्ड नइ मिले ले प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान अवइया वो लईका ला आप जो प्रोत्साहन राशि 2 लाख रूपया देथव वो 2 लाख रूपया नइ मिले हे । मैं निवेदन करथंव कि वो लइका ला 2 लाख रूपया उपलब्ध कराय के कष्ट करिहव । अतका कइके अपन वाणी ला इही मेर विराम देवथंव । आप मन बोले के अवसर देव तेखर पायके धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री मोतीलाल साहू ।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव जी के अनुदान मांग संख्या 27, 29, 56 का समर्थन करता हूँ । सभापति महोदय, शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करके अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है । हम सभी शिक्षा के महत्व को पौराणिक काल से समझते आ रहे हैं और आज वर्तमान व्यवस्था में काफी कुछ बदलाव आ चुका है । हम लोगों को ज्यादातर शाला के प्रवेश उत्सव के समय या वार्षिक उत्सव के समय जाने को मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा था कि शासकीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए माता-पिता, चाहे वह निर्धन ही क्यों ना हो, एक बार सोचा करते थे। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे स्कूलों में जाने का अवसर मिलता है, जब वहां के प्रधान पाठक या प्राचार्य अपने स्कूल की पूरी जानकारियां विस्तारपूर्वक रखते हैं तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि वहां कई कक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम रहता है और कहीं पर अस्सी, पचासी, नब्बे प्रतिशत तक रहता है। यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि शासकीय स्कूलों में अगर यह परिणाम है तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, माता-पिता उसको कितना सहयोग कर रहे हैं और शिक्षक उनको कैसे पढ़ाई करा रहे हैं, हम इसका अंदाज लगा सकते हैं। हमको वहां पर हर क्षेत्रों में बड़ी परिश्रम और मेहनत देखने को मिलता है, चाहे वह खेलकूद का विषय हो या अनन्य प्रकार की पेंटिंग हो। नैतिक शिक्षा के तहत् सभी चीजों में अपने क्षेत्र से बाहर जाकर भी वह अपना पारितोषिक लाते हैं और हम सबको सम्मानित करने का कार्य करते हैं। हमारे भविष्य की छात्र और छात्राएं शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत हैं, अच्छी कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको देखने को मिलता है। माननीय सभापति महोदय, अभी बार-बार शिक्षकों की

कमी के बारे में कह रहे थे। जैसे अभी चातुरी नंद जी बता रही थी कि एक शिक्षक है जो इतने क्लासों को सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने युक्तियुक्तकरण का प्रावधान लाया, जिससे अब नब्बे प्रतिशत स्कूलों में इस समस्या का समाधान हो चुका है और विषयवार युक्तियुक्तकरण करके शिक्षकों की कमी को दूर करने का कार्य हमारी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में किया है, ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। पाठ्यपुस्तक निगम से हमारे बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक दी जा रही है, उससे बच्चे और माता-पिता की किताबों को लेकर जो समस्याएं थी, वह दूर हो चुका है। हम स्वयं जाते हैं तो अपने हाथों से ही उनको यूनिफॉर्म और पुस्तक का वितरण करते हैं, बच्चों और शिक्षकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिलता है। सरस्वती साइकिल योजना के बारे में अभी हमारे विपक्ष की नेत्री कह रही थी। इनके कार्यकाल में पांच साल तक इस सरस्वती साइकिल योजना से वंचित रखा गया था। यह कितनी दुर्भाग्यजनक बात थी। भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व में सरकार थी, डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में इसकी शुरूआत की गई थी। पांच साल बाद अब फिर से जब विष्णुदेव साय जी की सरकार आई तो सरस्वती साइकिल योजना को पुनः आरंभ किया गया है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय सभापति जी, दो मिनट बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, मेरा इसमें सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सरस्वती साइकिल जो योजना है, कांग्रेस के समय 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी।

श्रीमती भावना बोहरा :- क्या छत्तीसगढ़ में 2005 में कांग्रेस की सरकार थी ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- केंद्र में 2005 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने उस समय सरस्वती साइकिल योजना की शुरुआत की थी।

श्रीमती भावना बोहरा :- वह स्पष्ट कर दीजिए, हम लोग घबरा गए थे कि छत्तीसगढ़ में 2005 में तो कांग्रेस सरकार नहीं थी।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मैं केंद्र की बात कर रही हूं तब से लेकर चली आ रही है और राज्य में कांग्रेस की सरकार ने ही इसको आगे बढ़ाया था। मैं जिला पंचायत सदस्य थी, अभी इन पांच सालों में कई जगह सायकल वितरण हुआ, उस समय हम लोग गए थे।

सभापति महोदय :- चलिए, मोतीलाल जी आप बोलिए।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति जी, शिक्षा के क्षेत्र में कमी लाने के लिए इनकी असहयोग की भावना रही है। NEP 2020, 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता और भविष्य के लिए हमारे नौनिहालों विद्यार्थियों के लिए NEP 2020 लाए, लेकिन इन्होंने उसे उसे लागू नहीं किया और अभी जब विष्णु देव साय जी की सरकार बनी तो यहां पर NEP-

2020 का संचालन किया गया और लागू किया गया। जिससे नई गुणवत्ता के साथ छात्रों में भी एक नया उत्साह, एक नई जोश और शिक्षकों में भी इस बदलाव को स्वीकारा गया है और उसका परिणाम अब धरातल पर भी दिखने लगा है। जब केंद्र सरकार पूरे देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था लायी तो उसको इन्होंने यहां पर लागू भी नहीं किया। इस तरह से चार साल तक इससे वंचित रखा गया। ऐसी इनकी मानसिकता रही है। शिक्षा को और भी गुणवत्ता और रोजगार से जुड़ा हुआ बनाने के लिए पी.एम. श्री योजना के तहत ऐसे स्कूलों को आधुनिकीकरण करके परिवर्तनकारी और सर्व सुविधायुक्त स्कूल में सारी व्यवस्था हो ताकि हमारे छात्र अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य को गढ़ सकें। इसलिए स्कूलों में ग्रीन स्कूल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशाला और खेल की सुविधा, करियर काउंसलिंग जैसे घटक इसमें शामिल किये गये हैं। यह हमारी पी.एम. श्री योजना बहुत ही कारगर साबित हो रही है और इसके लिए बजट में 250 करोड़ रूपये का प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है तो मैं उनको इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। अभी एक विषय आ रहा था- E.C.C.E., प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। जो बच्चे दूरांचल में रहते हैं, वनांचल में रहते हैं या दूर जगह पर रहते हैं, जहां पर उनकी क्षेत्रीय भाषा या बोली है, उनको पढ़ाई में शुरुआती दौर में शिक्षण कार्य में तकलीफ होती है, इसके लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बार-बार इस बात को कहते रहे कि क्षेत्रीय भाषाओं में उनकी मातृभाषा में उनको पढ़ाया जाए क्योंकि वह उस समय परिपक्व नहीं हो पाए रहते, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि का स्तर उतना विकसित नहीं रहता, इसलिए उनको उनकी ही भाषा में पढ़ाया जाए, जो वह घर में बोलते हैं, क्षेत्र में बोलते हैं। इसके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गयी है। जो शिक्षक है, वह उनकी भाषा को समझ सकें, उनकी भाषा में पढ़ा सकें, उनके लिए भी प्रशिक्षण कार्य की योजना लाए हैं और 18,900 शिक्षक इसका ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ताकि स्थानीय भाषा, बोली में उनको शिक्षण कार्य दिया जा सके। माननीय महोदय, R.T.E. (शिक्षा का अधिकार)। यह हम सभी लोग समझते हैं और जानते हैं कि इससे बड़ी क्रांति आयी है कि जो बच्चे अपनी आर्थिक तंगी के कारण बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे, वहां पर अब हमारे होनहार बच्चे R.T.E. के माध्यम से बड़े-बड़े विद्यालयों में, सर्व सुविधायुक्त विद्यालयों में भी जाकर पढ़ रहे हैं और उनकी शुल्क पूर्ति के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान माननीय मंत्री जी ने शिक्षा के अधिकार के तहत किया है। उसी प्रकार समग्र शिक्षा जिला कार्यालय का भी प्रावधान है ताकि वहां पर भविष्य में हमारे बच्चों के लिए अच्छी तैयारियां की जा सके। बढ़िया कार्यालयों की भी परियोजना लायी गयी है और 132 नवीन पदों का सृजन भी किया है। लाइब्रेरी की हम बात कहें तो इस बार बहुत सारी ऐसी-ऐसी लाइब्रेरियों का निर्माण हमारे इस छत्तीसगढ़ अंचल में किया जा रहा है कि जिससे अपने स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ उनको रोजगारोन्मुखी शिक्षा भी मिल सके और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनको अच्छा स्थान प्राप्त हो सके, इसका भी ख्याल रखा गया है। अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट

विद्यालय है। यहां पर भी पहली से लेकर बारहवीं तक के अध्ययनरत बच्चों के लिए पूरी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय की योजना लायी गयी है, जिसमें 100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। उसमें भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये और 50 करोड़ रूपये की राशि उन स्कूलों के संचालन के लिए दी गयी है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय के माध्यम से हमारे छात्र अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और उनको आगे भविष्य में उच्च शिक्षण संस्था में जाने के लिए उससे सहयोगी और कारगर मदद होगी। इसी प्रकार से पी.एम.ई. विद्या योजना, जिससे उनको 24 घण्टे लगातार ऑनलाईन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए क्लासवाईज अलग-अलग 6 चैनल को व्यवस्थित किया गया है। अब यदि बच्चे चाहेंगे तो पी.एम.ई. विद्या के माध्यम से घर में बैठे ऑनलाईन पढ़ाई कर पायेंगे। यह योजना आज के आधुनिक समय में बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। जैसे उनको इंस्ट्रक्शन करना है या आपस में पूछताछ करनी है, उसके लिए भी इसमें प्रावधान ला रहे हैं। वे टू-वे इंस्ट्रक्शन के माध्यम से अपनी बात को रख सकेंगे और उनको उत्तर भी मिलेगा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी छात्रवृत्ति की बात हो रही थी। छात्रवृत्ति के लिए 236 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है है, इस प्रकार हर शिक्षण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किया गया है। सभापति महोदय, मैं एजुकेशन सिटी के बारे में कहना चाहूंगा। हम लोग दूरस्त अंचलों की बात करें तो बस्तर, सरगुजा के लिए एजुकेशन सिटी का निर्माण करके वहां बच्चों की अच्छी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो सके, इस बात की चिंता भी हमारे विभाग के द्वारा की जा रही है। सभापति महोदय, मार्कशीट एवं टी.सी. का डिजिटलाईजेशन। पढ़ाई के बाद बच्चों को मार्कशीट और टी.सी. लेने के लिए भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इसका भी डिजिटलाइजेशन करने से यह समस्या का समाधान भी हो जायेगा। अब वह स्वयं उसको प्राप्त कर सकेंगे। उनको किसी प्रकार से कहीं भी भटकने की या मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्कशीट और स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए यह बड़ी सुविधा की जा रही है।

सभापति महोदय :- मोतीलाल जी, थोड़ा संक्षेप करिये।

श्री मोतीलाल साहू :- जी। सभापति महोदय, इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, हम सभी जानते हैं कि बच्चों को पौष्टिक आहार की कमी रहती थी। मध्यान्ह भोजन लंबे समय से चले आ रहा था और इस साल भी हमारी सरकार के द्वारा शक्ति निर्माण योजना के तहत 700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ खेल गतिविधियों को भी प्राथमिकता दिया जा रहा है। सभापति महोदय, अभी मैं स्कूलों में गया था। जितने जिला वाइस शासकीय स्कूल थे, उनमें मैंने अपने हाथों से बड़ी संख्या में फुटबॉल का वितरण किया। इस प्रकार से खेल के लिए भी सरकार के द्वारा और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा यह बड़ा कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। मैं अंत में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आपने हम लोगों के लिए

आधे घण्टे का समय निर्धारित किया है। अभी हमारे और भी वक्तागण हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां स्कूलों में जितनी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा संख्या में बच्चे हैं और बच्चों को बैठने में बड़ी दिक्कतें होती है। कहीं कहीं पर हमको अतिरिक्त भवन निर्माण की जरूरत है। मेरे क्षेत्र में स्कूलों के उन्नयन करने की बहुत जरूरत है। यह पूर्व में प्रस्तावित था और स्वीकृत भी हो चुका था परंतु त्रुटि के कारण हम लोग उसको नहीं कर पाये। उरकुरा हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करना अति आवश्यक है। पुरैना स्कूल लंबे समय से लंबित है और लाभांडी स्कूल का हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में बेटियां पढ़ती हैं और हाई स्कूल पढ़ने के बाद उनकी पढ़ाई छूट जा रही है। यदि आप उस स्कूल को हायर सेकेण्डरी कर देंगे तो बेहतर होगा। आप उसकी दर्ज संख्या देख सकते हैं। वहां कैपेसिटी से भी ज्यादा बच्चियां पढ़ रही है। यदि आप उसका उन्नयन कर देंगे तो बेटियां 12वीं तक वहीं पढ़ पायेंगी और उसके बाद कॉलेज की बात अलग हो जायेगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उरकुरा, पुरैना, लाभांडी के हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने की कृपा करे। मैं यही कहते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही इस अनुदान मांग का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय गजेन्द्र यादव जी के विभाग की अनुदान मांग संख्या 27, 29, 56 के विरोध में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग है। प्रदेश में नौनिहालों को जब अच्छी सुविधा दी जायेगी तो शिक्षा में सुधार गुणवत्तापूर्वक होगी। प्रदेश में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में विकास होगा, किन्तु प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं। यदि कहीं पर शिक्षक हैं तो भवन नहीं है, भवन है तो भवन अित जर्जर है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। धमतरी जिले में 876 प्राथमिक शाला, 447 माध्यमिक शाला, 57 हाईस्कूल तथा 111 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं। जिले में भवनविहीन तथा डिसमेंटल योग्य 62 स्कूल हैं जिसमे अधिकांश भवन प्राथमिक शाला के हैं। भवनविहीन डिसमेंडल योग्य स्कूलों में धमतरी ब्लाक के 24, कुरूद में 12, मगरलोड में 8, नगरी में 18, कुल 62 स्कूल भवन डिसमेंटल योग्य हैं। सभापति महोदय, मैं इसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित की थी कि जहां प्राथमिक शाला अन्य जगहों में लग रहा है, वहां पर भवन दिया जाये। जो जर्जर शालायें हैं, उसकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कई जगह पर पी.डब्ल्यू.डी. से आर.ई.एस. विभाग के द्वारा गत वर्ष 74 लाख रुपये भवन मरम्मत के लिये पंचायतों को दिये गये थे जो राशि काफी नही थी। आज 215 स्कूलों की मरम्मत कराया जाना आवश्यक है। इसी तरह नगरी ब्लाक के भवन विहीन, अति जर्जर स्कूलों में तत्काल नवीन भवन की आवश्यकता है। माननीय सभापित महोदय, मैं उसको बाद में विस्तार से बताऊंगी।

माननीय सभापति महोदय, आर.टी.ई. शिक्षा के अधिकार अधिनियम स्थापित करने का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिलाना था। छत्तीसगढ में यह अधिनियम 2011 से लागू हुआ। 15 साल में ही इस महत्वाकांक्षी योजना की सांसें उखड़ती नजर आ रही हैं। इसका ताजा उदाहरण यह है कि इस साल से नर्सरी, के.जी.1 और के.जी. 2 प्रवेश बंद कर दिया गया है। यही नहीं हर साल निजी स्कूलों में आरक्षित सीटें घटती जा रही हैं। सीधे-सीधे गरीब बच्चों की सीटों पर डंडी मारी जा रही है। धमतरी जिले में पिछले 8 साल में 1449 सीटें कम हो गई हैं। यह संख्या बता रही है कि किस तरह से आर.टी.ई. योजना का माखौल उड़ाया जा रहा है। पहले से ही इस योजना के तहत प्रवेश लेने वालों की संख्या हजारों में होती रही है, लेकिन इस योजना में अब तक सीधे 1449 सीटें कम हो गई हैं ऐसे में प्रतिस्पर्द्धा और ज्यादा बढ़ गई है। नये नियम के अनुसार 2025-26 के लिये प्रथम चरण में पिछड़े जिले के 220 स्कूलों में 477 सीट निर्धारित है। लगातार आर.टी.ई. में घट रही सीटों की संख्या चिंताजनक है। सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, उसी तरह से छात्राओं हेतु सेनेटरी नेपकिन स्कूलों और कालेजों में छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाने एवं बेटियों को जागरूक करने के लिय छत्तीसगढ़ सरकार यूनीसेफ के सहयोग से स्कूलों में शूचिता योजना शुरू की थी जो प्रदेश के लगभग 2000 स्कूलों में पेन्डिंग व भस्मक मशीन लगाई थी और सरकार को इसका अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा था, लेकिन मेन्टेनेंस के अभाव में योजना ने दम तोड़ दिया है। इसका ताजा उदाहरण है कि उक्त योजना के तहत वर्ष 2024-25 में मुंगेली जिले के 25 स्कूलों सहित 5 कालेजों में सेनेटरी नेपकिन की मशीनें लगाई गई थीं जो आज कई स्कूलों और कालेजों में रखरखाव के अभाव में बंद पड़ी है या फिर कबाड़ हो गई है। उक्त योजना में दो चरणों में लगभग 25 लाख से अधिक बजट खर्च कर सुविधा से लैस किया गया था जो बंद पड़ी है। इसको चालू कराया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान शिक्षकों के संलग्नीकरण की ओर आकर्षित करना चाहूंगी । संलग्नीकरण दिनांक 5 जून, 2025 को समाप्त माना जाये, ऐसा कहना है । स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के कंडिका क्रमांक 3-17 में लेख है । उक्त आदेशों का परिपालन निचले स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है । शिक्षा विभाग के कर्मचारी अन्य विभाग में संलग्न हैं । जिला स्तर समग्र शिक्षा कार्यालय में शिक्षक आज भी संलग्न हैं । विकासखंड स्तर पर डी.आर.सी. के पद पर शिक्षक संलग्नीकरण तथा छात्रावासों में शिक्षक-शिक्षिकाएं दहाई की संख्या में आज भी संलग्न हैं जिससे शिक्षकों की कमी तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है ।

माननीय सभापति महोदय, संलग्नीकरण के नाम पर उन्हें हटाया गया, ऐसा कहते हैं लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है । मैं युक्तियुक्तकरण के संबंध में कहना चाहूंगी कि इसी सदन में माननीय

बृजमोहन अग्रवाल जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम 35,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे लेकिन आज तक आप शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाये हैं । अभी आप लोगों ने युक्तियुक्तकरण किया, युक्तियुक्तकरण में जहां पर संख्या कम थी वहां पर स्कूलों को मर्ज कर दिया गया । शिक्षकों को यहां से वहां किया गया । उसी तरह मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगी कि जो शहरी क्षेत्र में शिक्षक हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे धमतरी जिले में आप देखेंगे कि वह चाहे धमतरी हो या कुरूद हो। इन दोनों जगहों पर पर्याप्त शिक्षक हैं लेकिन मेरे सिहावा नगरी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हैं और वहां से बल्कि शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत स्थानांतरित कर गरियाबंद जिला में भेज दिया गया । जबकि यहां पर ऑलरेडी पद खाली हैं तो आपको यदि उनको संलग्नीकरण करना ही था तो इसी ट्राईबल ब्लॉक में करना चाहिए, दूसरे ब्लॉक में भेजने की क्यों जरूरत पड़ रही है ? तो इनको जो खाली पद हैं उसमें तत्काल भर्ती कराया जाये, यह मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं ।

सभापति महोदय :- अंबिका जी, संक्षेप करेंगे ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी-अभी तो बोलना शुरू किया है । आपका संरक्षण चाहिए ।

सभापति महोदय :- प्रथम वक्ताओं ने डिटेल में बात रखी है, आप थोड़ा संक्षेप करेंगे ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, जैसे शिक्षकों की पदौन्नति, प्रमोशन आप नहीं कर पा रहे हैं । आज बहुत से लोग उम्र पार कर चुके हैं, अगर अभी आप प्रमोशन नहीं देंगे तो उनका समय निकल जायेगा । जैसे अभी टीचरों को बी.एड. और डी.एड. के बच्चों को भी निकाल दिया गया, बी.एड. के लोगों को भर्ती में प्राथमिकता देना चाहिए और डी.एड. की जो परीक्षा है उसको टीचरों के लिये आपने अनिवार्य किया है लेकिन अभी जो टीचर हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आपने अनिवार्य किया है और कई लोग रिटायरमेंट के करीब हैं तो क्या अभी नये बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन में वह भाग ले पायेंगे, अगर ले पायेंगे तो वह तो पीछे हो जायेंगे क्योंकि आजकल नयी जनरेशन की जो शिक्षा है वह बहुत ज्यादा एडवांस है लेकिन जो ऑलरेडी शिक्षक हैं उनकी अनिवार्यता को आप समाप्त नहीं करेंगे और उनका नंबर कम आयेगा तो उनको प्रमोशन नहीं मिल पायेगा इस ओर ध्यान देने की जरूर है । चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं, हम लोगों ने अभी देखा कि वह टी.ई.टी. की परीक्षा दिये हैं और टी.ई.टी. की परीक्षा में जो पास नहीं होगा उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा और प्रमोशन नहीं मिलेगा तो उनका नुकसान होगा, उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो बहुत सारी परेशानियां आयेंगी । माननीय सभापति महोदय, मैं इसी तरह यह कहना चाहूंगी कि साईकिल वितरण । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवमीं से अध्ययनरत छात्राओं को नि:शुल्क साईकियों का वितरण किया जाता है । वर्ष 2025-26 में भी 16 हजार 728 बालिकाओं को सायकल प्रदाय किया गया है। इस आयोजन हेतु कई लाखों में

बजट का आवंटन व्यय किया गया है। प्रदेश में वितरण सायकल के स्थान पर बालिकाओं को नगद राशि का भुगतान किया जाना चाहिए ताकि उनके द्वारा अपनी पसंद अनुसार गुणवत्तायुक्त सायकल खरीदा जा सके। इस पर भ्रष्टाचार न हो। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने आपको मेरे क्षेत्र में मैंने प्राथमिक शाला की जर्जर स्थिति को अवगत करवाया है। अमलीपारा है, खड़पथरा है, सरईटोला है, अभी अमलीपारा और बनोरा का आया है उसके लिए आपको धन्यवाद् देती हूँ। लेकिन और भी स्कूलों को जोड़ने की जरूरत है। चिखली है, बासिन है, प्रेमनगर है, नवागांव है, जोगीडिपो, बोड़रा, गाताबाहरा है, मातागिरी है, अमलीपारा है, गिधावा है, खमनापारा है, खरघा है वहां पर नवीन भवनों की आवश्यकता है और मेरे विधान सभा क्षेत्र नगरी विकासखण्ड मगरलोड में निम्नांकित स्कूलों के उन्नयन हेतु प्रस्तावित किया गया था जो कि इस वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में शामिल नहीं किया गया है। पूर्व माध्यमिक शाला रतावा को हाईस्कूल में उन्नयन, कोटरवाही, तिरलासिल्ली, कपालफोड़ी, किसोरा, परसट्टी को हाईस्कूल में उन्नयन करना है। हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन के लिए तुमड़ी बहार के लिए, मेरे क्षेत्र के लोग आपके पास कई बार आयें, लेकिन रिसगांव क्षेत्र से है, अभ्यारण्य क्षेत्र से है माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तुमड़ीबहार को बहुत प्राथमिकता से जोड़े। घटुआ, सुकलाभाठा, नवागांव, तरैया, भोथापारा, उमरगांव, बाजार कुरीडीह, भैंसामुड़ा, ऐसे उक्त विद्यालय हैं, जिनका हायरसेकेण्ड्री में उन्नयन नहीं हो पाया है तो उसको कराने का कष्ट करें। दूसरी एक बात और है धमतरी जिले में नगरी में सिर्फ एक डाइट है जो कि उस डाइट का संचालन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वहां पर स्टाफ की भी कमी है। मैंने पत्राचार भी किया है और वहां पर जो बच्चियां डाइट में आती हैं, जो छात्राएं होती हैं उनके लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। वहां पर छात्रावास बहुत पहले से था, वह बीटीआई था और बाद में उसको डाईट कर दिया गया। वहां पर छात्रावास था जिसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। तो आप उसकी व्यवस्था को अच्छा बनायें ताकि धमतरी जिले के डाईट का संचालन अच्छे से हो सके। क्योंकि हमारे पास बार-बार शिकायत आती है कि इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि आप नगरी में आयें और वहां पर विजिट करें। आप वहां की स्थिति को देखें, वहां बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर ट्रेनिंग लेकर जाते हैं तो उनको उसका लाभ मिले। वहां की व्यवस्था को अच्छे से दुरूस्त करें क्योंकि वहां पर प्रतिनियुक्ति में टीचर्स की व्यवस्था की गयी है। मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह है कि वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इस बजट की अनुदान मांगों का घोर विरोध करते हुए, अपनी बात को यही पर समाप्त करती हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी हमरो भावना ला समझकर बोलहूं..।

श्रीमती भावना बोहरा :- मैं नइ सुनेव, एक बार फेर से बोल।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय भावना बोहरा जी, जब-जब खड़ी होती हैं रामकुमार जी दुर्भावनाओं के साथ खड़े हो जाते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, नहीं।

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार जी, इसके बाद आपको ही बोलना है।

श्रीमती भावना बोहरा :- जतका तो शिक्षा में भावना हे ओ ला मोर बोले के बाद बताबे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग में बोलने का अवसर दिया। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और शिक्षा विभाग पर कहना चाहूंगी। महोदय जी जैसे ही शिक्षा शब्द हमारे दिमाग में आता है। किसी भी समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा या शिक्षित व्यक्ति की क्या भूमिका होती है। साथ ही साथ इसकी भी छवी हमारे दिमाग में आती है और इस महत्वपूर्ण विभाग में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के मागदर्शन में और वित्त मंत्री आदरणीय ओ.पी. चौधरी जी जिस तरीके से इसमें बजट का प्रावधान किया है। निश्चित ही आने वाले समय में और वर्तमान में पिछले 2 साल की बात करूं तो शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार हमारी सरकार कार्य कर भी रही है और आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको निरंतर आगे लेकर चल रही है। लगातार चाहे हम आज की बात करें या 2030 की बात करें या फिर विजन 2047 की बात करें, जिसको देखते हुए विपक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है । विजन में 2047 में शिक्षा का स्तर कैसा होगा । तो कहीं न कहीं आज जो बजट हमें मिला है, वह एक दर्पण है कि 2047 तक चाहे भारत की बात करें, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की प्रगति की बात करें, अगर समाज शिक्षित होगा, समाज की बेटियां शिक्षित होंगी, समाज के बेटे शिक्षित होंगे, अगर समाज की महिलाएं शिक्षित होंगी तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरा देश आगे बढ़ेगा ।

सभापति महोदय, शिक्षा सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं है, बल्कि समाज के लिए राष्ट्र निर्माण का काम करती है और जिस तरीके से हो, चाहे वर्तमान केन्द्र सरकार में हम मोदी जी की योजनाओं की बात करें, जो शिक्षा से संबंधित है । चाहे छत्तीसगढ़ में हम अपने शिक्षा विभाग की बात करें तो जिस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन पिछले दो साल में हो रहा है । मैं सबसे पहले तो आदरणीय मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करती हूं कि उनकी कार्य अवधि में स्कूल शिक्षा विभाग का संचालक अच्छे से हो रहा है । चाहे मैं बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करूं, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, चाहे गजेन्द्र यादव जी की बात करूं, बहुत अच्छे तरीके से विभाग और उनकी जितनी योजनाएं हैं, उनका संचालन हो रहा है और जिस तरीके से पिछले दो साल में चाहे हम न्यौता भोज की बात करें, सरस्वती साईकल योजना की बात करें, नि:शुल्क गणवेश वितरण की बात करें, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण की बात करें, हर योजनाएं धरातल पर बच्चों तक बिल्कुल पहुंच रही हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी, एक ही मिनट लूंगा । भावना जी, आप इतना अच्छा बोल रही हैं, मैं टोक नहीं रहा हूं ।

सभापति महोदय :- आप उन्हें बोलने दीजिए न ।

श्रीमती भावना बोहरा :- बिल्कुल टोकिए, आपके टोकने के लिए मैं तैयार हूं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं खुद चाहता हूं कि आप ज्यादा समय तब बोलें। आपकी बातों का लाभ छत्तीसगढ़ के बच्चों को मिले, लेकिन अभी-अभी आपने 10-15 मिनट पहले महाविद्यालय की मांग की । माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा किए मात्र तीन महीने हुए हैं और उन घोषणाओं के बाद तीन कालेजों के बिल्डिंग की घोषणा हुई थी, उसमें से दो स्वीकृत हो चुकी हैं । आप चिंता न करें ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं दूसरी बात बोल रहा हूं ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, स्कूल शिक्षा के अनुदान मांग पर बात हो रही है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उदाहरण तो चलेगा ।

सभापति महोदय :- आप पहले भी बोल चुके हैं । उनको बोलने दीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इसमें मेरी बात नहीं है । मैं उनको टोक नहीं रहा हूं। भावना जी, आप सरकार की शिक्षा नीति की तारीफ कर रही हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद मंत्री जी से निवेदन कर रही हैं और मंत्री जी ने आपके निवेदन को स्वीकार करते हुए घोषणा करने की बजाय उल्लेख भी नहीं किया है । केवल और केवल आप ही नहीं, आप ही के दल के सदस्य ने मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी महाविद्यालय की मांग की है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- यादव जी, मैं सभापति जी के माध्यम से आपकी जानकारी में लाना चाहूंगी कि जब उच्च शिक्षा की बात हो रही थी, आदरणीय टंक राम वर्मा जी यहां उपस्थित भी हैं । जब शुरूआत विपक्ष से हुई और इस ओर आते तक के लगभग 30 से 40 कॉलेजों की मांग आ चुकी थी और ज्यादा तो इधर ध्यान कम था । कॉलेज की मांग विपक्ष से ज्यादा आ रही थी ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूरी नहीं हो रही है । हम इतने सदस्यों ने मांग की, लेकिन मंत्री जी ने एक भी घोषणा की क्या ?

श्रीमती भावना बोहरा :- कॉलेज की मांग विपक्ष के सदस्यों से ही ज्यादा आ रही थी तो आप यह बोलना चाहते हैं कि क्या विपक्ष कॉलेज खुलवाने के लिए हमारी सरकार का इंतजार कर रही थी कि इनकी सरकार आए और हम मांग करें । ज्यादा मांग विपक्ष के सदस्यों से ही आई है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उन्होंने एक घोषणा की क्या ?

श्री दीपेश साहू :- बेमेतरा में दो कॉलेजों की स्वीकृति हुई है ।

सभापति महोदय :- भावना जी, आप अपनी अनुदान मांगों पर बोलिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उन्होंने एक भी कॉलेज की घोषणा की क्या ?

श्री आशाराम नेताम :- अभी करेंगे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मुख्यमंत्री जी की घोषणा तो पूरी हो जाये, फिर बाद में बात करेंगे ।

श्री आशाराम नेताम :- घोषणा की चिन्ता इनको है, चिंता हमको होनी चाहिए, लेकिन इनको चिंता है ।

सभापति महोदय :- समय की बाध्यता है, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अभी बहुत सारे विषय बचे हैं, काफी विलंब होगा ।

श्री आशाराम नेताम :- अभी सदन में बजट पास होगा, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो इनको चिंता करने की क्या बात है । मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हम मानते हैं, लेकिन जब बजट पूरा होगा, तब देंगे ।

श्री दीपेश साहू :- घोषणा हुआ है, दो कॉलेज बेमेतरा को मिल गया है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- आशाराम जी कह रहे हैं, वह भी बापू ।

सभापति महोदय :- भावना जी, अपनी बात रखें ।

श्री रामकुमार यादव :- एक आशाराम जेल में हे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भावना जी के भावना के साथ अन्याय हो रहा है।

श्रीमती भावना बोहरा :- मेरी भावनाओं के साथ कोई अन्याय कर ही नहीं सकता, खासकर हमारी सरकार तो बिल्कुल अन्याय कर ही नहीं सकती । मैं आपकी भावना समझ रही हूं । मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि विपक्ष को उम्मीद है कि कहीं न कहीं विष्णु देव साय जी की सरकार में ही उनकी मांग पूरी होगी इसीलिए जितना सत्ता पक्ष से नहीं, उससे ज्यादा विपक्ष से कॉलेज की मांग आई है और जब वहां से कॉलेज की मांग आती है तो यह स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे भाइयों को, हमारे सदस्यों को एक भी कॉलेज की स्वीकृति आदरणीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से नहीं मिली थी इसलिए उनको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, आपकी उम्मीद जरूर पूरी होगी, चिंता मत कीजिए । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, अभी कुछ समय पहले सायकल योजना का विषय आ रहा था। हालांकि उस विषय पर मैंने उस समय नहीं बोला । चूंकि जब तक ठोस जानकारी न हो, सदन में कोई चीज प्रस्तुत करना मुझे नहीं लगता कि सदस्यों को अधिकार है । हमारी आदरणीय सदस्या यहां से जा चुकी हैं । शायद उन्हें अंदाज हो गया था कि मैं इस विषय पर चर्चा करूंगी । 2004-05 में जब आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय छत्तीसगढ़ में पहली बार सरस्वती सायकल योजना की शुरूआत छत्तीसगढ़ से हुई थी । केन्द्र में चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे किसी की सरकार रही

हो, केन्द्र सरकार का सरस्वती सायकल योजना में कोई योगदान नहीं है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं । यह सब ऑन रिकार्ड है, रिकार्ड सबके पास उपलब्ध है। मैं चाहूंगी कि अगर वह मेरी बात सुन रही हों तो वह अपनी जानकारी थोड़ी सी करेक्ट कर लें।

श्री लखेश्वर बघेल :- उस समय चातुरी नंद भी बोलीं कि सायकल वितरण योजना डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ। रमन सिंह के जमाने में सिर्फ नाम बदला गया था। पहले कन्या साक्षरता योजना के अन्तर्गत सायकल वितरण होता था। कांग्रेस के जमाने में नकद 2 हजार वितरित होता था। सन् 1980 के दशक में कन्या साक्षरता योजना के तहत सायकल वितरण योजना शुरू हुई है। आप रिकार्ड देख लीजिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- आपने बहुत अच्छी बात बताई है।

श्री लखेश्वर बघेल :- रमन सिंह के जमाने में सरस्वती सायकल योजना, सिर्फ नाम बदला है।

श्रीमती भावना बोहरा :- आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है।

श्री लखेश्वर बघेल :- हर बार बात आता है कि कांग्रेस द्वारा नहीं किया गया है, सिर्फ बी.जे.पी. के द्वारा किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख लीजियेगा। सत्य बोलियेगा। यह पवित्र सदन है। कांग्रेस कुछ भी नहीं की है, ऐसा यह सोचते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- हमने कब कहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है।

श्री लखेश्वर बघेल :- हम लोगों ने भी उस जमाने में सायकल दिया है, वितरण किया है। उस जमाने में, 1980 के दशक में।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री लखेश्वर बघेल) :- तब आप बी.जे.पी. में थे। आप भूल रहे हैं। (हंसी) तब बी.जे.पी. में थे, बी.जे.पी. की सरकार ने किया था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, तब छत्तीसगढ़ में बी.जे.पी. का कुछ था ही नहीं।

सभापति महोदय :- चलिये, भावना जी।

श्रीमती भावना बोहरा :- बच्चियों के खातों में पैसे जरूर आते रहे होंगे। लेकिन इनके ही पार्टी के बहुत वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि हम एक रूपया भेजते हैं, लेकिन 25 पैसा पहुंचता है। उस 2 हजार रूपये में कितना रूपया बच्चियों के खाते में पहुंचता था, तब वह बेहतर पायेंगी कि कितना खाते में पहुंचता था। क्योंकि डायरेक्ट बेनीफिट का ट्रांसफर हो रहा है, वह मोदी जी के कार्यकाल में ही हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सौ रूपया आता है तो खाते में सौ रूपये जाता है। उसमें बीच में कोई भांजी नहीं मारता है।

सभापति महोदय जी, मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा के अन्तर्गत बहुत अच्छा प्रावधान रखा गया है, जिसमें मुख्यत: 3 बड़ी योजना है। सर्व शिक्षा अभियान जो प्राथमिक शिक्षा के लिए है, राष्ट्रीय

माध्यमिक शिक्षा अभियान जो माध्यमिक शिक्षा के लिए है एवं तीसरा, टीचर्स एजुकेशन, जो शिक्षकों का प्रशिक्षण है, वह इसके लिए है, जो बहुत जरूरी है। इसमें बहुत अच्छा प्रावधान रखा गया है। लगातार पी.एम. श्री स्कूल की भी चर्चा हो रही थी। सभापति महोदय, पी.एम. श्री स्कूल को अगर देखेंगे तो हमारे जिन क्षेत्रों में बना है, उसका जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसकी गुणवत्ता है, निश्चित ही।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। रामकुमार जी, आप तो अभी भाषण दोगे तब भी, उसके पहले जितने भाषण दिए हो, आपको सरकार का पूरा काम ही खराब दिखता है। द्वारिकाधीश जी, आप भी हर बात में गलती निकाल रहे हो।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप बोलिये न, मैं बता दूंगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- जब से द्वारिकाधीश जी, रामकुमार जी के साथ बैठे हैं तब से ऐसे हो गए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बोल दूंगा। अभी को मालूम है या नहीं, यू.पी.एस.सी. में छत्तीसगढ़ के 7-8 बच्चे चयनित हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट) कैसे चयनित हो गए ? आप समझिये, दो मिनट सुनिये। आपको तो बधाई देना चाहिए कि हमारी सरकार ने शिक्षा का इतना बढ़िया इंतजाम किया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आई.ए.एस. में चयनित हुए हैं। अगर हमारी सरकार उनको पढ़ाने की व्यवस्था नहीं करती, अगर यहां पर शिक्षा की अच्छी गुणवत्तायुक्त व्यवस्था नहीं होती तो कैसे चयनित होते ? आपने पहले कभी आई.ए.एस. में छत्तीसगढ़ के बच्चों के चयन होने का नाम सुना था ? हम लोग बहुत पहले, 30-40 साल पहले छत्तीसगढ़ से कोई एकाध आई.ए.एस. चयनित हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि ओहो कितनी बड़ी बात हो गई। आपके जो लायन्स नेता हैं, वह चरवाहा यूनिवर्सिटी खोले हैं।

श्री रामकुमार यादव :- मैं गरवा चाराथव अउ आदमी भी चराथव।

श्रीमती भावना बोहरा :- अभी तक एको ठन गरवा रखे नइ हस, बतास नहीं कतका ठन गरवा रखे हस। गरवा रखे हव, गरवा रखे हव, कहथस बस।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तो आप आदमी चरा रहे हो।

श्री सुशांत शुक्ला :- ओ तो अभी दिखत हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- यू.पी.एस.सी. में चयन हुआ है, इससे ज्यादा प्रमाण की और कोई जरूरत नहीं है। कमी किसके यहां नहीं रहती है बताओ ? आपके घर में सब चीज है क्या ? मेरे घर में तो नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- शत-प्रतिशत हो ही नहीं सकता, मैं भी इस बात से सहमत हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- कभी टी.व्ही. लेते हैं तो फ्रिज खराब रहता है। फ्रिज लेते हैं तो कभी कुछ खराब हो जाता है। और कुछ लेते हैं तो और कुछ खराब हो जाता है। यह विकास सततशील प्रक्रिया है

और यह जीवनभर चलते रहा है, आगे भी चलते रहेगा और यह सरकार उसको पूरा करेगी। आप गलतियां बताईये, मंत्री जी नोट करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री केदार कश्यप :- अभी नहीं पाये तो फिर अगले 5 साल में फिर और कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- ये दारी तुमन ला मौका नइ मिलय, येकर चिंता मत करा। अब छत्तीसगढ़ के जनता धान ला बेचे के पहिली जान डारे हे।

श्री सुशांत शुक्ला :- तै दूध पी-पी के कुछ अउ पीए लगथस का। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट भांचा। माननीय धर्मजीत भैया, आप विद्वान हैं, काफी सीनियर हैं, आप जो बात बोल रहे हैं, उसके लिए मैं बधाई दे रहा हूं, लेकिन उस U.P.S.C. को पास करने में...।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, यह मेरे समय पर न गिना जाए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हां, हां, ठीक है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं बधाई दे रहा हूं, लेकिन धरातल की बात यह है, सरकार की शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन उन बच्चों को वहां तक ले जाने में माता-पिता का भी योगदान है। आज माताएं घर पर पढ़ा रही हैं..।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, स्कूल विभाग पर चर्चा चल रही है।

श्रीमती भावना बोहरा :- महिला एवं बाल विकास का बजट इसीलिए तो बनाया गया है कि माताएं सक्षम बनें। महिला बाल विकास का बजट इसीलिए बनाया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। उन बच्चों को बस नहीं, उन बच्चों को नहीं, यहां इस सदन में बैठे हुए सबके जितने लोग हैं, हमारे भी मां-बाप लोगों ने हमको यहां तक पहुंचाने में अपना पसीना, खून सब बहाया है। ये तो मां-बाप का धर्म है, कर्तव्य है और होना भी चाहिए। लेकिन आपने बधाई दिया, व्यवस्था सुधर रही है बोले, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बैठिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, समझ गया। मैं U.P.S.C. में जो सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई दिया हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, आपसे एक आग्रह है । स्कूल शिक्षा विभाग पर चर्चा चल रही है, तो पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के घोटालों पर भी द्वारिकाधीश जी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके घोटाले का जवाब देता ही हूं, सुनिए न।

श्री सुशांत शुक्ला :- बच्चों के नाम पर करोड़ों डकारे जाने वाले लोग आज व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- चलिए न, आप बात बोलिए।

सभापति महोदय :- चलिए, सुशांत जी बैठिए। द्वारिकाधीश जी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक मिनट।

सभापति महोदय :- अब मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक-दूसरे को जवाब देते हैं, यह उचित नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- आदरणीय सदस्य महोदय जी, उच्च शिक्षा पर भी एक घंटा भाषण दिए हैं, उसके बाद भी कमी हो गई है।

श्री आशाराम नेताम :- न्योता भोजन भी लेंगे न?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक मिनट, इसमें जो बात आयी है। भावना जी, एक मिनट बस, इसमें आपका समय नहीं जुड़ रहा है ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, समय तो जुड़ नहीं रहा है, लेकिन समय बीत रहा है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, धर्मजीत भैया, आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हर वर्ष यह अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं प्रदेश के हित में बोल रहा हूं, हायर सेकेंडरी में कितने बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं और हायर सेकेंडरी पास हो रहे हैं और आपके महाविद्यालय में कितनी दर्ज संख्या है, उससे स्पष्ट हो जाता है। आप प्राइवेट कॉलेज को भी जोड़ लीजिए, कितने परसेंट बच्चे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पा रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- कहिए न सर।

सभापति महोदय :- भावना जी, आप चलिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- जी, धन्यवाद सभापति महोदय जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहुत बढ़िया।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय जी, मैं पी.एम. श्री स्कूल की बात कर रही थी, जो लगभग 14,500 स्कूल पूरे भारत में जिसका चयन हुआ है और छत्तीसगढ़ में काफी सारे स्कूल, जिस जिले से मैं आती हूं, वहां भी पी.एम. श्री स्कूल है। निश्चित ही हम जब बाहर से देखते हैं, तो लगता है कि वाकई में कुछ यह अलग करने का एक प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, चाहे एक मॉडल स्कूल में जो सुविधाएं होती हैं, चाहे स्मार्ट क्लासेस की बात करें, आपको सारी गुणवत्ता उस पी.एम. श्री स्कूल में निश्चित तौर पर दिखाई देगी। महोदय जी, पी.एम. श्री स्कूल के साथ-साथ एक बहुत महत्त्वाकांक्षी योजना जो पी.एम. जनमन मॉडल स्कूल के तहत, विशेष तौर पर जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है, उस जगह के लिए जिस तरीके से योजनाएं लाई गई हैं,

महोदय जी, हमारा वनांचल क्षेत्र जहां यह पी.एम. जनमन स्कूल जो शुरू होने वाला है, वहां ऐसी जगह पर जहां पर रोड की भी सुविधाएं उतनी नहीं होती थीं, या फिर माता-पिता उतने पढ़े-लिखे नहीं होते थे कि अपने बच्चों को बाहर भेज पाएं, उन जगहों पर चिन्हांकित करके आज अगर कोई स्कूल के लिए इतना अच्छा 30 करोड़ का बजट हमारे आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी ने रखा है, तो निश्चित ही वे बधाई के पात्र हैं कि सुदूर वनांचल क्षेत्र के बच्चों की भी चिंता हमारे स्कूल शिक्षा का जो बजट है, उसमें की गई है। महोदय जी, अभी लगातार बात आ रही थी कि स्कूल का युक्तियुक्तकरण में यहां टीचर कम हो गया, वहां टीचर कम हो गया, यह हो गया, वह हो गया। लेकिन महोदय जी, आज यह बात हम सब देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी स्कूल आज नहीं बचा है, जहां पर शिक्षक न हो। जब बात आती है कि 30 बच्चे के पीछे एक शिक्षक देना है, 60 बच्चे के पीछे एक शिक्षक देना है, एक ही शिक्षक पूरी पढ़ाई करा रहा है। महोदय जी, हर सरकार का अपना एक रेश्यो रहता है कि इतने बच्चों के पीछे हम इतना शिक्षक रखने वाले हैं। 60 बच्चों के पीछे एक टीचर का कॉन्सेप्ट एक जगह का है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, एक सेकंड।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, उनको बोलने दीजिए न ।

श्री जनक ध्रुव :- मेरा नंबर नहीं आया।

सभापति महोदय :- मैं अनुरोध करूंगा बीच में टोका मत करें। आप इसके बाद बोल लीजिएगा न। भावना जी, आप बोलिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- जी, धन्यवाद सभापति महोदय जी। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जो लगातार शिक्षक नहीं होने से जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, 100 में से कम से कम एकाध स्कूल अगर हम आज छोड़ दें तो 99 स्कूल में आज लगभग-लगभग शिक्षक हैं और शिक्षा की गुणवत्ता भी उसमें सुधरी है। आज लगातार चाहे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जैसे अभी बात आ रही थी कि स्थानीय भाषाओं में होना चाहिए, लोग यह भाषा क्यों पढ़ाते हैं, वह भाषा क्यों पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे माननीय सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने शायद वह पॉलिसी पढ़ी नहीं कि नई शिक्षा नीति है क्या। नई शिक्षा नीति में आपकी मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, जो आपकी मातृभाषा है, उसमें आपकी प्राथमिक जो आपकी शिक्षा है, आपके पास वह अधिकार है, वह ऑप्शन है कि आप उसे चयन कर सकते हैं। इसलिए निश्चित ही हम जिस हिंदी मातृभाषा की बात करते हैं, हमारे पास एक Option है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस समय हम स्कूल में थे, जब हम क्लास 1 से 5 तक थे, क्लास 6 से 8 तक जब हम पहुंचे, तब उस समय संस्कृत भाषा को compulsory एक subject के रूप में चलाया जाता था, जिसकी थोड़ी सी मान्यता भी कम होते जा रही है। इसलिए अगर हम संस्कृत को भी बराबर Option न लेकर के compulsory language के रूप में, एक compulsory subject के रूप में

चलाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए वह और ज्यादा beneficial होगा। हम जिस राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो संस्कृत से ही बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। अगर हम उसमें संस्कृत को भी शामिल कर पाएं तो उसमें आने वाले समय में हमारे बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा, उनको जानकारी मिलेगी, हमारे इतिहास के बारे में भी उनको कहीं न कहीं बहुत जानकारी मिलेगी। उसके अलावा निश्चित ही स्कूल की गुणवत्ता सुधरी है। हम जिस डिजिटलीकरण की बात करते हैं, उसमें मैं एक अनुरोध करूंगी कि कोई मॉडल स्कूल, हालांकि आज भी बहुत सारे स्कूलों में अच्छे Computers and Labs के निर्माण हो चुके हैं। लेकिन अगर हम प्रत्येक जिले में ऐसे मॉडल स्कूल तैयार कर लें, जिसको देखकर बाकी स्कूल और सीख सकें, तो मुझे लगता है कि हम इसमें काफी अच्छी पहल कर सकते हैं। दूसरी चिंता drop out बच्चे की है। जो विशेष तौर पर लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, जो स्कूल किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाती हैं या 10वीं-12वीं के बाद Awareness के कारण से, शिक्षा में कमी के कारण से पढ़ाई छोड़ देती हैं, इसलिए drop out बच्चों के लिए भी कुछ Awareness प्रोग्राम हम चला पाएं तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल हमारे शिक्षा विभाग के माध्यम से होगी। सभापति महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, पाठ्यपुस्तक निगम में अगर निर्माण कार्य आता है, तो स्कूल की जो बाउंड्री है और विशेष तौर पर शौचालय की जो जरूरतें हैं। हमारी बच्चियों के लिए स्पेशली अगर मैं गर्ल्स टॉयलेट की बात करूं, उसके माध्यम से भी हम वह व्यवस्था करा पाएं तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल हो जाएगी। इस बार हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बहुत सारे स्कूलों के बिल्डिंग के लिए बजट में प्रावधान रखा है। इसलिए विश्वास है कि जो स्कूल भवन विहीन थे, निश्चित ही आने वाले समय पर उनको वह भवन मिलने वाला है। क्योंकि कई बार स्थिति यह होती है कि किराए के भवन में अगर स्कूल चलता है, तो कमरा छोटा होने से और बाकी सुविधाओं की कमी उसमें होती है। इसलिए जहां तक मुझे जानकारी है कि इस बार आदरणीय मंत्री जी के माध्यम से बहुत सारे स्कूलों के लिए बिल्डिंग की स्वीकृति मिली है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करती हूं। सभापति महोदय, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हमारे बच्चे जितनी शिक्षा लेंगे, उतना ही हमारा समाज निरंतर आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से शिक्षा विभाग का बजट रखा गया है, इसमें कोई शंका नहीं है कि शिक्षा की गुणवत्ता ऊपर उठाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। अगर मैं विशेष तौर पर अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि विधान सभा क्षेत्र पंडरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। वह लगभग 150 से 200 किलोमीटर का विधान सभा क्षेत्र है। जब छत्तीसगढ़ में भा.ज.पा. की सरकार थी, तब 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल की एक बहुत अच्छी शुरुआत की गयी थी कि हर 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल स्टार्ट किया गया था। आज भी वह स्कूल निरंतर चल रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उनका उन्नयन होना है, क्योंकि उन्नयन नहीं होने से बच्चों को 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उनको थोड़ा सा संज्ञान में ले लिया जाए। उसमें से

सोमनापुर में जो स्कूल संचालित है, वह उन्नयन के लिए है। रणवीरपुर-मगरवाह रोड पर जो स्कूल स्थित है, उसको एक मॉडल स्कूल के रूप में उन्नयन करना है। मोहगांव में एक नवीन हाई स्कूल है, उसके उन्नयन एवं उसके निर्माण के लिए प्रस्ताव है, साथ में कोलेगांव का जो हाई स्कूल है, उसका उन्नयन करना है। इस तरीके से कुछ सूची है, जो मैंने आदरणीय मंत्री जी को उपलब्ध कराई है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस तरीके से जहां स्कूल भवन की और स्कूल उन्नयन की आवश्यकता है, वहां पर कृपया आप संज्ञान में लेकर उसे बजट में जोड़ने का प्रयास जरूर करें। चूंकि शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। निश्चित ही हमारे आदरणीय मंत्री गजेंद्र यादव जी का बहुत अच्छा फोकस हैं और बहुत कम कार्य अवधि पर कार्य किया गया है क्योंकि ज्यादा दिन उन्हें मंत्री बने हुआ नहीं था, लेकिन इतनी कम अवधि के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने स्कूल का विजिट किया, जिस तरीके से बजट में एक-एक चीजों के लिए प्रावधान रखा है, इन सारे विषयों के लिए हमारे समस्त सदस्यों के माध्यम से मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूं कि इसी तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ का शिक्षा का बजट और शिक्षा का स्तर दोनों ऊंचा उठे और हमारा समाज निरंतर आगे बढ़े। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूं, आपका अभिनंदन करती हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती भावना बोहरा :- अब बने कन बोल लेबे ना जतका बांचे सबे ल, फेर दूसरा के में खड़े झन होबे।

श्री रामकुमार यादव :- तोर भावना ला मैं सफा समझत हंव।

श्रीमती भावना बोहरा :- नहीं, तैं हर भावना ला छोड़ के बाकी सब में बोल ले।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- रामकुमार भाई, पहले ते का कहत रहे कि हरा-हरा देख के चरे के मन करथे। कहत रहे ना? ता ओ समय का हरा ला देखे रहे, तोर वीडियो-वीडियो जारी होय रिहीस, ओला बता?

श्री रामकुमार यादव :- सुना ना, तुम मन मोला कुछू करके रोके के प्रयास करा, मैं मिथुन चक्रवर्ती हौं, ऊपज ले आ जाहूं। तुम मन कुछू भी बतावा, चाहे वीडियो बनावा मोर पर कुछु फेकव।

श्री केदार कश्यप :- ते खूब चरथस, ते खूब चरथस।

श्री रामकुमार यादव :- AI एक ठन आ गे हे, ओमा कुछु-कुछु वीडियो बनावत हे। ओमा मोला कोई दिक्कत नहीं हे।

श्री केदार कश्यप :- AI के समय के नहीं, भाई। तोर पहिली के हे।

श्रीमती भावना बोहरा :- टेंशन मे तोर बाजू वाले सदस्य चल दे हे, तोला सुनना नइ चाहथे । अपन बात ला बोल के खसक गे हे।

श्री सुनील सोनी :- रामकुमार तैं कोन स्कूल में पढ़े हस ?

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति महोदय, देखव पहली संसार ला कौन पढ़ाइसे ?

श्री सुनील सोनी :-वो स्कूल ठीक है ना ? मैं ए पूछथंव । स्कूल ठीक हे ना ।

सभापति महोदय :- सारे लोग आपका ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं । बोलिये ।

श्रीमती भावना बोहरा:- सभापति महोदय, नही भटकता है । बंडल देखकर भी ध्यान नहीं भटकता है तो आज कहां से भटक जायेगा।

श्री रामकुमार यादव :- मेरा हुजूर आ गया है । देखना तो क्या तैयारी है ? सभापति महोदय, मैं महतारी के कोख ले पैदा होय हंव, मोला महतारी के कोई जरूरत नइ ए । माननीय सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी, जो शिक्षा विभाग, ग्रामोद्योग, विधि विधाई में घलो ए, मैं शिक्षा में ज्यादा फोकस करिहंव । मैं वोखर अनुदान मांग के विरोध करे बर खड़ा होय हावंव । चूँकि शिक्षा विभाग ले शुरू करथंव त श्लोक से शुरू करहूँ वोहा गुरूजी मल ला समर्पित हे कि गुरू ब्रम्हा, गुरू विष्णु, गुरू देव: महेश्वर: गुरू साक्षात परम ब्रम्हे, तस्मै श्री गुरूवे नम: ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बढ़िया बोल रहे हैं । बोलिये ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं तमाम गुरूजी मन ला प्रणाम करथंव ।

श्रीमती भावना बोहरा:- तैं बोलेस अऊ गुरूजी आगे ।

श्री रामकुमार यादव :- ए गुरूजी नो हे, महाघंटाल आदमी ए।

एक माननीय सदस्य :- प्राचार्य हरै गुरूजी नो हे ।

श्री रामकुमार यादव :- प्राचार्य नो हे महाघंटाल हरै । ए बाबा जी के टूल्लू ए।

सभापति महोदय :- आप विषय पर आओ ना ।

समय
5.00 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुये)**

श्री रामकुमार यादव :- शिक्षा ला समय समय में देश के महापुरूष मन अपन अपन शब्द में संबोधित करे हे । कोई शिक्षा ला शेरनी के दूध कहे हे, कोई कहे हे कि जैसे हम अपन मां के कोख ले जनमथन त एक मास के लोथड़ा बरोबर रहिथन । जइसे कुम्हार माटी ला नाना प्रकार के स्वरूप देथे, जब हमन मा के कोख ले जनमथन अऊ मास के लोथड़ा रहिथन गुरूजी के दरवाजा में जाथन, गुरूजी हमला शिक्षित बनाथे, हमला दुनिया के भला बुरा के बारे में बताथे। अइसे शिक्षा विभाग होथे । लेकिन अइसने आज पहली सरकार ए मैं तारीफ ला सुनथ रेहेंव जो स्कूल ला बंद करके दारू भट्ठी खोलथे ।

श्रीमती भावना बोहरा :- सोच समझ के बोल बे । हमर गजेन्द्र यादव भईया जौन मंत्री ए वोहा गाय बिकट अकन पालथे ना ।

श्री रामकुमार यादव :- गाय घलो पालथे अऊ खिरसा घलो होथे । खाय बर चल दिहा । सभापति महोदय जी, ए पहली सरकार ए जइसे चंदा में दाग लगे हे वइसने प्रकार के दाग लग गे । छत्तीसगढ़ के जनता जान डरिस के स्कूल ला बंद करके भट्ठी खोलथव ।

श्री सुनील सोनी :- कौन से स्कूल ला बंद करके दारू भट्ठी खोले हे ?

श्री रामकुमार यादव :- मैं मोरे क्षेत्र मा बताथंव ।

श्री सुनील सोनी :- उदाहरण देव ना ?

श्री रामकुमार यादव :- मोरे क्षेत्र मोर अढ़ार में स्कूल बंद होय हे । (व्यवधान) आप चेक करा लव मैं दावा के साथ कइ सकथंव कि...। (व्यवधान)

श्री सुनील सोनी :- त बताना अइसे । कोई बंद करे हे का ?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आज शिक्षा व्यावसायिक हो गे हे । एखर पहली क्षेत्र मे चिंतन चलथ रहिसे ।

श्री आशाराम नेताम :- देखो, शिक्षा को दारू से मत जोड़ो । उसे प्रमाणित तो करिये ? सभापति महोदय जी, शिक्षा को दारू से जोड़ा है और स्कूल में कोई दारू दुकान खोलता है क्या ?

सभापति महोदय :- उसको दिखवा लेंगे ।

श्री आशाराम नेताम :- दिखवा नई, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा ना ? आशाराम बैठिये तो ?

सभापति महोदय:- ऐसे नहीं होता । बैठिये तो बैठिये । उसको भाषण देने दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर:- रामकुमार तोर तबियत ठीक हे । तबियत ठीक हे नई तोर ?

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन तुंहर दोनो के सूजी लगाय रेहेव तेखर काय होइस ? तुंहर पार्टी के मन दे हावय, मैं नइ देहंव ।

सभापति महोदय :- देखिये, आपको अपने भाषण में ध्यान देना है । आप ऐसा टोका टाकी में अपनी बात नइ कह पाओगे । बोलिये ना, मैं तो बोल रहा हूँ ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, सब के चिन्ता रहिथे कि ये प्रदेश में शिक्षा के गुणवत्ता कइसे बढ़य । मैं ये बात ला फिर सोचथंव कि गरीब के लइका, गड्ढ़ा माटी कोढ़ने वाला के लइका, रिक्शा चलाने वाला के लइका, किसान के लइका सरकारी स्कूल म, अऊ तुंहर हमर जइसे लइका, नेता के लइका, अधिकारी के लइका, उद्योगपति के लइका, प्रायवेट स्कूल मे पढ़ने लइका के ओखर सियान हा सरकारी स्कूल के अध्यक्ष बने हे। अब मैं पूछना चाहता हौं, अपन लोग लइका हा वहां पढ़ही त ओला चिंता करिहव, चल तो कोई शिक्ष मंत्री के, मुख्यमंत्री के बेटा, कोई कलेक्टर के बेटा सरकारी स्कूल मे पढ़

रहाय तो एक नजर ओखर स्कूल में रही, मोर स्कूल में मोर बेटा जिहां पढ़े ला जाथे, वहां अच्छा पऱाई होथे या नहीं होय।

श्री अजय चंद्राकर :- सुन, गोदी कोड़ईया, बरदी चरईया, पानी भरईया तैं जतका प्रकार के बोलत हस न, ओमन एक साथ अतका कन नोट कभू नई देखे हे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मैं चंद्राकर जी ला ही कही देथों, ऐला जब देखव त गरीब के वोट लेथे, अउ जब भी गरीब के बात आथे त ओ गरीब मन बर ए ह दुश्मन हो गे।

सभापति महोदय :- आप बोलिए न।

श्री रामकुमार यादव :- गरीब के लइका पढ़ही त तुमन ला अच्छा नई लागे का।

श्री अजय चंद्राकर :- गरीब के लइका हा एक साथ तोर असन नोट देखे हे का। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मैं ऐखरे खातिर कथों।

सभापति महोदय :- आप मेरी तरफ देखकर बोलिए न। मैं भी तो यहां बैठा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- हुजूर, मैं आपके तरफ ही देखत हों। शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहत हौं, सरकार में आप हो, कलम आपके हाथ में हे, पॉवर आप ला मिले हे, कइसे अमूलचूल परिवर्तन करहू तेला देखव, ताकि प्राईवेट स्कूल के तरफ से हमर सरकारी तरफ नजर जाए। हुजूर, मैं कई झन कलेक्टर ला पूछथंव, मैं मंत्रालय में जात रथव, जैसे आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू तरफ के अधिकारी मन ला पूछथंव त ओमन मोला स्वयं कहिन, एक झन प्रसन्ना साहब हे, अभी दिल्ली में हे, ओ बतईस कि मैं सरकार स्कूल में पढ़ा लिखा हूं। हमन ला दूसरा प्रदेश में कतका अकन खुशी होथे, उसी प्रकार के आज हम देखथन, गांव में थोकन भी अच्छा हे, चपरासी में नौकरी लग जहि त ओखर लईका प्राईवेट स्कूल में चल देथे। ये सरकारी तरफ ज्यादा रूझान आए, ये हम सब इंहा जो नेता बन के बैइठे हाबन, ये हमर मन के चिंता ए, कइसे प्राईवेट स्कूल कम हो और सरकारी स्कूल के तरफ रूझान ज्यादा हो, येला हमला चिंता करना चाहिए। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ी में कहावत हे, भरे ला भरे अउ जुच्छा ला ढरकाय। ये छत्तीसगढ़ के कहावत ए। जे बड़े हे ते अउ बड़े होत जात हे, गरीब ह अउ गरीब हो जात हे। मैं गांव के बात कहत हंव, काखरो गांव में कोनो एको झन नौकरी लग जाए, ओखर घर में नौकरी के लईन लग जाथे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, इहां सब गांव वाले मन ही हे, अमेरिका वाले कोई नई हे।

श्रीमती रायमुनी भगत :- ए रामकुमार भाई, पहले लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति सीखाए। तो ओ मन ला तो बाबू बना के लिए पढ़ाए रिहिन न।

श्री रामकुमार यादव :- मोला दुख ऐ बात के होथे, शिक्षा ओ होथे जेला आज कतको बड़े अधिकारी रही, कलेक्टर भी गुरू जी ला नमस्ते कथे। सर नमस्कार। शिक्षा के ओ मान सम्मान रथे। लेकिन जब वही शिक्षक ह कुकुर खेदही (हंसी), वही शिक्षक ह बिलई खेदही, त ओखकर कइसे दशा होत

होही, आप तो बहुत ज्ञानी ओ, समझ सकत हो। ओला कइसे बेइज्जती लगत होही, एक मान सम्मान वाला व्यक्ति जेला कलेक्टर भी कहत हे गुरू जी नमस्कार, काबर ए दुनिया में चाहे हवाई जहाज उड़ाने वाला हो, चाहे आप जैसे नेता हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, पैदा करने वाला अगर कहीं पर हे तो गुरू जी ए, गुरू जी ही पैदा करथे, एक इंजीनियर अगर कुछ गलती करही त ए बिल्डिंग ही गिरही, एक हवाई जहाज चलाने वाला गलती करही त 100, 200 आदमी ही मरही, लेकिन अगर एक गुरू जी गड़बड़ हो गे, तो कई पीढ़ी समाप्त हो जही। एखर खातिर मैं आप ला कहना चाहत हौं, ओतका अकन अपमान गुरू जी के मत करव, गुरू ओ होथे, गुरू गोंविद दोऊ खड़े, काके लागूं पांए, भगवान से भी बड़े गुरू होथे, अगर हो गुरू के अपमान होही त तु रहा चाहे मैं रहा, ओखर बबा नई बांचे, ए बात ल याद रखिहा। सभापति महोदय, मोहले जी तो सफा समाप्त हो जही। (हंसी) सभापति महोदय, मैं जो महसूस करथंव ओला सिर्फ सरकार ल बतात हंव। मैं आंकड़ा वाला नो अव। आप भी बोलथो न मोला बहुत अच्छा लगथे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, ये मुझे पापड़ बनाने के लिए बोल रहे हैं, इनकी शादी में पापड़ बनाने के लिए इन्हीं के घर जाऊंगा। (हंसी)

सभापति महोदय :- आप बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, सरकार समय समय पर कुछ गरीब बच्चा मन ला कुछ वितरण भी करथे। लेकिन मैं आज विधान सभा में दावा के साथ कहत हंव, स्कूल में जो साइकिल दिए जाथे, ओमे हमर बेटी, बहिनी मन एक्को झन पीछे में अउ बैठाही त केरियल टूट जाथे। ओ गरीब के लइका हे। हमर लइका हा चमचमाती स्कूटी में जाथे। देना हे तो ठीक से दो। आज हर चीज में भ्रष्टाचार होवत हे। मैं खुद मोर क्षेत्र में देखो हो।

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार जी, बच्चा ला पढ़े बर साइकिल दे गेहे, ओला पीछे में सामान ढुलाए बर नहीं देहे अउ तेहा कइसे जाने?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं सरकार ला तर्क देथो। मानना, नहीं मानना अलग बात हे।

श्री आशाराम नेताम :- तर्क का? ते सही-सही बोल न।

श्री रामकुमार यादव :- मैं साइकिल ला देखे हो।

सभापति महोदय :- आप आपस में बात मत करिये। आप इधर बोलिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं साइकिल ला देखे हो कि किस प्रकार के साइकिल रहिथे। ओ साइकिल हा बिल्कुल गुणवत्ताहीन रहिथे। ओमा कोई क्वालिटी नहीं रहाये। काबर सरकार मा हमन रोज साइकिल ला देखथन। शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करथो, चूंकि आप भी एक संघर्षशील व्यक्ति हो।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति जी, तुंहर सरकार मे तो उहुं साइकिल हा नहीं बदत रीहिस हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, हमर सरकार में पूरा 5 साल तक साइकिल बटे हे। हमने खुद बाटे हन अउ आपो मन बाटे हो। आपके जो विधायक रीहिसे हे, जो ए तरफ बइठे, ओ सब झन बाटे हे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- तुमन 5 साल तक चांदी के साइकिल बाटत रहे हव का?

श्री आशाराम नेताम :- हमर बचे रीहिस हे, तेला बाटत रहे हव। तुमन खुद नहीं खरीदे रहे हव।

सभापति महोदय :- ऐसा नहीं होगा। आप बोलिये और समाप्त भी करिये।

श्री रामकुमार यादव :- जी, सभापति महोदय। केवल 5 मिनट। मंत्री जी, मोर आपसे निवेदन हे कि आप ओखर जांच कराओ। ओ कतको बड़े भी ठेकेदार रहाय, काखरो भी आदमी राहय, आप ओला कड़ाई से कहो कि यह मेरे बच्चों का मान-सम्मान है, इसमें यदि क्वालिटी में गड़बड़ करोगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा, कपड़ा बांटथन। लइका मन जाथे, पहिन के देखिहो। ओमन अइसे पहिनथे कि एकदम थर्ड क्वालिटी के कपड़ा ला देथे। हम इहां से पइसा देथन, हमर मंत्री जी देथे। सरकार काखरो रहाये, ए मेर सब हिस्सेदारी हन। जात हे, ओ गरीब के टैक्स के पइसा हे। पइसा तो न तुंहर हे अउ न हमर हे। ओ गरीब मन कमइन। मैं आप ला एक छोटे से उदाहरण अउ देत हो, सब ला सुनिहो। ओहा काखर पइसा हे? जइसे पानी गिरथे, ओइच हा दोबारा हमर छानही मा फिर आ जाथे। पानी पहिली ज्वार भाठा से उत्पन्न होथे, आकाश में गिस, आकाश से मानसून आइस। ओ हमर छानही में, आपके लोरमी में गिरगे अउ गिरके कहां चल दीस, खोल में अउ खोल ले चल दीस नरवा में, नरवा ले महानदी में, महानदी ले समुद्र में चल दीस अउ फिर समुद्र ले ज्वार भाठा तुंहर अंगना में आगे। उसी प्रकार से जो पइसा होथे, ओ गरीब के पइसा हे। अउ गरीब के पइसा ला हमन होशियारी मारत हन। ओहा उहीच मन के पइसा हे। मोर आपसे प्रार्थना हे कि कम से कम जो कपड़ा देथो, ओ कपड़ा में क्वालिटी होना चाहिए। मैं देखत हो कि कपड़ा ला देबर, साइकिल ला देबर बड़े-बड़े बैग ला धरे किंजरत रहिथे। चाहे तुंहर सरकार रहे या हमर सरकार रहे। बड़े-बड़े महंगा गाड़ी ले उतरही, उतरते साथ ओला पहिली सेल्यूट मारत हे। आइये सर, मैंने वहां सप्लाई की, मैंने वहां सप्लाई की। अच्छा, आपका कितना का टर्न ओव्हर है? मेरा ज्यादा नहीं है, 500 करोड़ रूपये का टर्न ओव्हर है। आइये बैठिये अउ ओला फिर ऑर्डर मिल गे। फिर ओहा टूटहा साइकिल ला कमीशन मा दे दीस। आपसे प्रार्थना हे कि ओ गरीब आदमी भले बोले नहीं, लेकिन देखथे जरूर। जब उही हा जाके बिलासपुर में खुद के पइसा से साइकिल खरीदथे तो बढ़िया साइकिल रहिथे अउ घर में जो साइकिल रहिथे, ओला देखथे अउ दोनों ला तुलना करथे अउ कहिथे वाह रे रामकुमार।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपको 15 मिनट हो गये हैं। अब आप अपने क्षेत्र की बात करिये।

श्री रामकुमार यादव :- वाह रे रामकुमार, तोला गरीब हे अउ गरीब के बात करबे करके भेजे रहे हन रे। तहुं एमन संग मिंझर गे हस कहके महुं ला गरी देत हे। तेखर खातिर मैं मोर फर्ज ला अदा करत हो। आप मानिहो चाहे न मानिहो, 4 दिन के जिंदगी हे। जिंदगी नहीं रहही तो पद नहीं रहाये। जब मिलीस कलम में पावर तो आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए ताकि जुग-जुग ले याद करे। मोर क्षेत्र के एक ठन मांग हे, ओ मांग ला आपके आदेश से रखना चाहहूं।

सभापति महोदय :- हां, करिये। मैं तो स्वयं बोल रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापित महोदय, मोर क्षेत्र में एक ठोक चारपारा गांव हे। मोला विधायक बने हो, तब ले ओमन कहात आत हे कि इहां हाई स्कूल कर देतेव। हमर लइका मन अब्बड़ दूरिहा पढ़े बर जाथे। ओमन के हाई स्कूल के मांग हे। एक ठन हवे चारपारा, तहसील मालखरौदा में अउ एक ठन हवे सूखापाली, ओ हा डभरा तहसील में आथे। उहां हायर सेकेण्डरी स्कूल खोल देतेव। एला अगर कर देतेव तो आपके बड़ा कृपा होतीस। चूंकि लइका हा सबके हे। आप मोला बहुत अच्छा बोले के मौका देहो तो मैं पुन: कहात हो कि सरकार आथे-जाथे। जब भी मौका मिले तो काखरो मत सुनो। सब कहात हे कि ए मंत्री मन गिरही तो हमन बनबो। तुमन चिंता मत करो। जिंदगी के चिंता मत करो, पद के चिंता मत करो। जब मौका मिले हे तो बिल्कुल काम करो। अइसे काम करो कि आने वाले मन याद रखे कि ओ मंत्री हा दिल से काम करिस। अइसे हम सब ला काम करे बर हे। सभापति महोदय, आप मोला बोले के मौका देहो, आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री रिकेश सेन।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग हमारे प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। यह हर परिवार से जुड़ा हुआ विभाग है। यहां सम्मानित मंत्री जी बैठे हुए हैं। उन्होंने जब से कार्यभार संभाला है, वे शिक्षा को लेकर एक बेहतरीन दिशा में अच्छा काम भी कर रहे हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि यहां सभी चीजों पर चर्चा हो गयी है तो मैं कुछ मांग और कुछ चीजों को आपके समक्ष रखूंगा। निश्चित रूप से अभी सम्माननीय सदस्यों ने सरस्वती सायकल योजना को लेकर अपनी-अपनी बातों को रखा था। मुझे लगता है कि हमारे मंत्री जी और विभागीय अधिकारियों को सरस्वती सायकल योजना को गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि सभी जगहों पर तो नहीं लेकिन कुछ-कुछ ब्लॉक में, कुछ-कुछ तहसील में, कुछ-कुछ जिलों में सरस्वती सायकल योजना के तहत जो सायकल वितरण की जा रही है, कहीं न कहीं उसकी क्वालिटी खराब है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। उन सायकलों में दिक्कतें आती हैं। मेरे विधान सभा में भी यह स्थिति आयी है। मैंने इस संबंध में प्रश्न लगाया था और मुझे उस प्रश्न का सही उत्तर भी नहीं मिला है। मेरे विधान सभा में लोग

कहीं न कहीं सायकल लेने से मना कर दे रहे हैं। उसके लिए हमें अपनी जेब से, अपने मानदेय से अतिरिक्त 1,000, 1,500 और 2,000 रूपये सायकल को ठीक करने के लिए देना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी, मैं इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र में सुपेला में मिडिल स्कूल है, मैंने उसके हायर सेकेण्डरी के उन्नयन के लिए याचिका और कई बार प्रश्न भी लगाये हैं, जिसमें मुझे सदन से भी आश्वासन मिला है। सुपेला के साथ-साथ कृष्णा नगर में भी मिडिल स्कूल है, उसे भी हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने की आवश्यकता है। स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो अब पी.एम.श्री स्कूल हो चुका है, उसके तहत आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नयी स्कूल खोली है और आपने उसे मिडिल से तत्काल हायर सेकेण्डरी में उन्नयन कर दिया है। उसके लिए मैं आपको और आपकी इच्छाशक्ति को धन्यवाद देता हूं। इसे तत्कालीन शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। आपने कर तो दिया, आप लोग उन्नयन कर भी रहे हैं लेकिन इनका उन्नयन करते वक्त इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वहां कमरे का निर्माण है, क्या वहां शिक्षक हैं ? आपने मेरे विधान सभा में जे.पी. नगर स्कूल को मिडिल से सीधे हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन कर दिया लेकिन आपने उसमें कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी। वहां न शिक्षक है, न कमरे हैं। इस साल यह चिंता हो गई है कि वहां बच्चे कहां बैठेंगे और उन्हें कौन पढ़ायेगा ? इसके अतिरिक्त वहां पर न ही वॉशरूम की व्यवस्था है। मुझे लगता है कि यदि किसी भी स्कूल का उन्नयन हो रहा है तो कागज के साथ-साथ बिल्डिंग की क्या स्थिति है, उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे शिक्षा मंत्री जी, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्र में आप बस्तर क्षेत्र में भी शिक्षा को लेकर लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ चिंताजनक बातें भी हैं। वह चिंताजनक बातें यह है कि मैं कई बार आपको देखता हूं कि आप कई वीडियो में विद्यार्थियों से बातचीत करते दिखते हैं और आपके साथ आपके अधिकारी भी रहते हैं। हम कई बार वीडियो और रील में देखते हैं कि जो बच्चे हैं, आप उनसे संवाद करते हैं और उन बच्चों के बैठने के लिए कोई बेंच की व्यवस्था नहीं होती बल्कि वे बच्चे जमीन में बैठे रहते हैं और आप उनसे संवाद करते हैं। यदि आज छत्तीसगढ़ 26 साल की युवावस्था में है और उसके बाद यदि बच्चों को बैठाने के लिए हमारे पास फर्नीचर नहीं है तो यह चिंता का विषय है। मैंने यह आपके ही वीडियो और रील में देखा है कि आप जब भी बस्तर, अम्बिकापुर या बलरामपुर की तरफ जाते हैं और जब आप बच्चों से संवाद करते हैं तो वहां पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, वे बच्चे आज भी टाटपट्टी में बैठकर पढ़ रहे हैं। यह बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि छत्तीसगढ़ की 26 साल की युवावस्था में यह चीजें नहीं आनी चाहिए। इसके साथ-साथ जो मध्यान्ह भोजन है, मुझे लगता है कि उसको लेकर भी आपको चिंता करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को मध्यान्ह भोजन में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही है, जिसका संज्ञान आपको स्वयं लेना होगा। खासतौर पर उन्नयन वाले विषय

में आपको ध्यान देना होगा। आप पी.एम.श्री स्कूलों का उन्नयन कर रहे हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में अभी वर्तमान स्थिति में पी.एम.श्री स्कूलों में सुविधा नहीं है। आप इसको ध्यान देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, रिकेस सेन जी सच-सच बोल रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री रिकेश सेन :- देखिये, आप तो जानती हैं कि जो विषय रहता है, उस विषय को मैं यदि अपनी सरकार में कोई कमी है तो हमारे अंदर तो यह है कि कई बार सरकार के संज्ञान में नहीं आ पाता, लेकिन हम लोग उस विषय को रखते हैं। उसके लिये धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, विधायक जी के ओकर भाभी आये हवय।

श्री रिकेश सेन :- मोर भाभी नई हे, मोर धर्मपत्नी आये हे। तोर भाभी आये है।

श्री रामकुमार यादव :- मोर भाभी आये हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- एकरे सती और ज्यादा अच्छा बोलत हस।

श्री रिकेश सेन :- माननीय, मैं तो पहले भी बोलत हवं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भाभी जी निवेदन की रही होंगी कि असत्य मत बोलना।

सभापति महोदय :- आप उनको बोलने दीजिए।

श्री रिकेश सेन :- अभी जिस प्रकार से नि:शुल्क पुस्तक वितरण हो रहा है।

श्री दिलीप लहरिया :- भैया, आज वहां आकर आप कहां एक घंटा फोन में बात कर रहे थे। (हंसी)

श्री रिकेश सेन :- तैंहां भड़काये के बात करत हस।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इसलिये अभी आप सच बोल दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, पूरे समय सदस्य महोदय चार्जिंग लगाकर किससे बात करते हैं, मालूम नहीं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पार्किंग में रोज लगाकर कहां फोन में बात करत रहथव।

सभापति महोदय :- एक मिनट, एक साथ बोलेंगे तो बात समझ में आती नहीं है। सुशांत शुक्ला जी, आप क्या बोल रहे हैं?

श्री रिकेश सेन :- सुशांत शुक्ला जी तो भड़काये बर बोलत हय।

सभापति महोदय :- आपको कुछ बोलना है ?

श्री सुशांत शुक्ला :- हां, मैं बोल रहा था कि रिकेश जी आज बहुत अच्छा बोल रहे हैं। नहीं तो पहला प्रारंभ करते में ही बोलते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूं, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उसमें अभी वह आयेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, हम जब भी विधायक जी ला देखथन, आज भले कैसे हय, ते नई जानव, लेकिन मैं सदन में कहनेच वाला रहेवं कि उहा फोन में गोठियाचेत हस। हमन एक दिन कहने कि ये कौन ददा रे कहेय, फ्री में फोन मिल जाथ हे, कौन इतना बात नई करय करके, थोड़ा शांत करिहा भई।

अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री (श्री गुरू खुशवंत साहेब) :- भाभी घर में रहय तो बात करत रहय, अभी भाभी यही हैं तो नई बात करत हय।

सभापित महोदय :- हो गया, अब आप समाप्त करिये।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना चल रही है, समय पर लोगों को पुस्तक मिल रही है। रामकुमार यादव जी, सबको लगातार पुस्तक मिल रही है। किसी भी प्रकार की शिकायत इस 02 साल में सरकार की तरफ से कहीं भी, कहीं पर भी नहीं आई, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। साथ में जो खेल गतिविधियां होती हैं, उसमें कुछ कमी भी है, जिसको मैं बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का और अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि खेल गतिविधि में हमारे जो बच्चे आगे बढना चाहते हैं, उसके लिये उन्हें साधन और संसाधन की भी आवश्यकता पड़ती है। हर सरकारी स्कूलों में आजकल योग टीचर और स्पोटर्स टीचर ये दोनों प्राथमिकता के आधार पर भर्ती भी हुए हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उनको खेल की सामग्री, साधन और संसाधन उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि यही बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं। इसके लिये मुझे लगता है कि खेल गतिविधियों में आगे बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है और इसके लिये माननीय मंत्री जी आगे बढेंगे। इसमें आपने खेल में इनाम की भी राशि रखी है। इनको अगली बार से मेरे बाजू से हटा देना। बहुत तकलीफ देता है। आपने स्वर्ण पदक के लिये 21 हजार रुपये, रजत पदक के लिये...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कौन-कौन तकलीफ नहीं देता, यह बताओ। सभी तकलीफ देने वाले हैं।

श्री रिकेश सेन :- अरे, हमें तो अपनो ने लूटा, आप क्या करोगे।

सभापति महोदय :- आप बोलिये, आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए।

श्री रिकेश सेन :- मेरे को मत टोकना, इतना मालूम है। 25 साल से नगर निगम मे रहा हूं।

श्री दिलीप लहरिया :- अपने बनाते हैं इसलिए अपने ही लूटते हैं रिकेश भाई।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, मेरी एक और बात थी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में वाशरूम की समस्या है। देखिये, शिक्षा विभाग में करोड़ों, अरबों रुपये का बजट है और तमाम चीजें आप कर रहे हैं। लेकिन छोटा-छोटा विषय जिसके लिये लगातार लोग विधायकों के पास आते हैं, उसमें वाशरूम जो है, आज भी आप चले जायेंगे तो आपको हायर सेकेण्डरी स्कूल चमचमाता हुआ मिलेगा, लेकिन अगर वाशरूम का देखेंगे तो वहां

पर हमारे बच्चों के लिये वाशरूम तक की व्यवस्था नहीं रहती है। उसके लिये मैं चाहता हूं कि कम से कम यह सारी व्यवस्थाओं को देखा जाये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री के संज्ञान में एक और विषय लाना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, वह सत्तापक्ष के आपके विधायक ने किया। मैंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से पहला प्रश्न पूछा था कि 33 हजार शिक्षकों की भर्ती कब होगी ? उसमें माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लेते ही सबसे पहले विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 5000 शिक्षकों की भर्ती कर दी है उसके लिये मैं बधाई और साधुवाद देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई और साधुवाद देता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, तो बाकी का क्या होगा?

श्री रिकेश सेन :- होगा न होगा, अभी इंतजार करो । अभी 3 साल बचे हुए हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोगों की सरकार को बने हुए ढ़ाई साल हो गये हैं ।

श्री रिकेश सेन :- होगा, होगा । हम लोगों ने कम से कम भर्ती प्रक्रिया तो चालू की ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सब बेरोजगार घूम रहे हैं ।

सभापति महोदय :- बैठिए न । हो गया ।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- दैनिक कार्यसूची के पद क्रमांक-6(3) से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा सोमवार, दिनांक 16 मार्च को ली जायेगी । दैनिक कार्यसूची के पद क्रमांक- 7 एवं 8 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूं कि सदन सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

वित्तीय वर्ष 2026 - 2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार टोप्पो ।

श्री सुशांत शुक्ला - माननीय सभापति महोदय, आज रिकेश जी का धन्यवाद। भाभी जी आयी हैं तो आज वह पूरे समय सदन में उपस्थित हैं इसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं ।

सभापति महोदय :- ठीक । श्री रामकुमार टोप्पो ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक ही मिनट कुछ सलाह देना चाह रहा हूं । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि साईकिल तो स्कूलों में पहुंच जाती है, बच्चे रोज देखते रहते हैं लेकिन 3-4 महीने भी कोई अतिथि के नाम पर या कौन सी वजह से विलंब होता है, आप इसकी जांच करवाईये और टाईम लिमिट शासन से स्पष्ट हो कि 10 दिन, 15 दिन के अंदर वितरण होना चाहिए । वितरण में सरकार की धनराशि भी लगती है और वितरण में 3,4,5 महीना हो जाता है तो वितरण तत्काल हो ।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गयी । रामकुमार टोप्पो जी बोलिए ।

श्री रामकुमार टोप्पो (सीतापुर) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर माननीय गजेन्द्र यादव जी के विभागों की मांग संख्या-27, 29 और 56 के समर्थन में चर्चा के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग के सफर के बगैर कोई बड़ी छलांग नहीं लगायी जा सकती । इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है, सफर यहीं से शुरू किया है । जैसे डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने इतने गरीब और अतिपिछड़े वर्ग में जन्म लेने के बावजूद भी केवल भारत में ही नहीं वह पूरे विश्व के लिये प्रेरणा बने हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के लिये संविधान बनाने में अहम योगदान जिन्होंने निभाया । उन्होंने भी इसी स्कूल शिक्षा विभाग से प्रारंभ किया था इसलिये स्कूल शिक्षा विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि एक कहावत है कि जिसके घर का बेटा या बेटी पढ़-लिख जाये तो शायद गरीब घर का भी बेटा या बेटी हो तो वह उनके जीवन को परिवर्तन कर सकता है, इतना महत्वपूर्ण है । किसी भी राज्य के विकास की अवधारणा केवल अधोसंरचना पुल-पुलिया, सड़क या सुरक्षा की तर्ज पर ही नहीं शिक्षा के मापदंड को प्रथम दृष्टया देखा जाता है और आज मैं उसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय ओ.पी. चौधरी, माननीय गजेन्द्र यादव जी का धन्यवाद करता हूं जो कि आज स्कूल शिक्षा विभाग के लिये एक बड़ा बजट 22,000 करोड़ रूपये से अधिक का यह बजट प्रावधान किये हैं । मैं इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, सदन में जब से बजट सत्र आया है तब से एक बात जब भी नक्सली मामला समाप्त करने की बात आती है तब-तब हमारे माननीय विपक्ष द्वारा एक बात जरूर कही जाती है कि नक्सलियों को खत्म करने के बाद बस्तर का क्या होगा ? बस्तर में माईनिंग किये जायेंगे, बस्तर में जंगल काटा जायेगा लेकिन आज मैं इसमें पढ़ रहा था, मैं कुछ अतिनक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताना चाहता हूं । जैसे ओरछा, अबूझमाड़, जिला नारायणपुर, जिला जगरगुंडा, जिला सुकमा यहां पर एजुकेशन सिटी के लिये 9 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान शिक्षा विभाग ने किया है, मैं इसके लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि वहां कोई माईनिंग नहीं खुल रही

हैं, कोई जंगल नहीं कट रहे हैं, वहां एजुकेशन सिटी स्थापित किये जा रहे हैं । यह विष्णु देव जी के सुशासन की सरकार है कि आतंकवाद के नाम का खात्मा करके वहां किताबें और कलम और वहां के लागों के लिये अच्छा जीवन देने के लिये ऐसा एजुकेशन सिटी बनाने के लिये 9 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है । अभी भी 31 मार्च बचा है लेकिन सोचिए कि 31 मार्च से पहले ही हमारी सरकार ने वहां इतने बड़े बजट का प्रावधान किया है तो मैं इसके लिये हमारी सरकार को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चातुरी नंद दीदी ने अपने उद्बोधन में लोकल शिक्षा के विषय में एक बात कही थी, मैं बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ भाषायी चित्रण, लैंग्वेज मैपिंग करने वाला देश का पहला राज्य है । माननीय सभापति महोदय, इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर और सरगुजा में जिस तरीके से लोकल भाषाओं के आधार पर शिक्षा विभाग में शामिल किया गया और हिन्दी जैसे मेरे पास अभी सरगुजिहा भाषा, हिन्दी भाषा की किताब है, यह कक्षा पहली का है, लेकिन मैं इसमें माननीय माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह जो पहली कक्षा का किताब है यह हिन्दी और सरगुजिहा भाषा में है। मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो इसमें मुझे कुछ अजीब लगा। इसमें मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें हिन्दी भाषा में जो कविता लिखी गयी है यह पहली क्लास का है। जब कोई भी कक्षा के लिए किताब बनायी जाती है तो मानसिक स्तर और बच्चे की उम्र के आधार पर उसका आंकलन किया जाना चाहिए। लेकिन इस कविता को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह भाषा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य शुद्ध हिन्दी की भाषा नहीं है। यह कहीं और की भाषा और कहीं और के कल्चर को दर्शाता है जैसे मैं इसमें पढ़कर बताना चाहता हूँ। यह मुझे तब ध्यान आया जब मैं किसी विद्यालय में जाकर बच्चों से पूछा कि कोई कविता बताओं तो मुझे बच्चों ने कविता बतायी। जैसे छः साल की छोकरी भरकर लायी टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। दिखा-दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। हमको देती आम है नहीं बताती नाम है। आम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। यह जो कविता है यह पहली क्लॉस के बच्चों के मानसिक स्तर का नहीं है मुझे ऐसा लगता है। इसमें सुधार किये जाने की जरूरत है। दूसरा यह जो छोकरी वाला शब्द है ये राजस्थान, गुजराती और हरियाणा की भाषा है। यह छत्तीसगढ़ या हिन्दी भाषा नहीं है। यह जिसने भी बनाया होगा, इस तरीके से पहली क्लास में नहीं होना चाहिए और दूसरा यह है कि यह जो डबल मिनिंग्स वर्ड है है इससे कहीं न कहीं बच्चों की मानसिकता में बचपन से ही पहली क्लास से ही ताना मारने वाला सीखाने का काम, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए इस कविता को जरूर दिखवायें और ऐसी अन्य भी कविताएं होंगी। जो इस स्तर का नहीं लगता है इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारी सरकार ने अलग-अलग खेलकूद और गतिविधियों के भी बजटीय प्रावधान किया है। जिसमें सभी स्कूलों में रेडक्रास, एन.एस.एस., स्काउट गाईड जैसे प्रारंभ करने

के लिए योजना चलाने का इस बजट में प्रावधान किया है। इतना ही नहीं स्कूलों में प्रतिदिन अंतिम कालखण्ड में खेलकूद को अनिवार्य करने का विषय इसमें लाया गया है। जैसे अभी हम लोग सिलेबस में देख रहे थे कि पूरे दिन खेलकूद न हो, बीच में स्कूल के टाईम टेबल में परिवर्तन हुआ तो प्रतिदिन जो खेल का क्लास था, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन आज हमारी सरकार उसको पुन: चालू करने जा रही है। क्योंकि खेल महत्वपूर्ण विषय है इसमें मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसमें हम मीडिल स्कूल से ही बालिकाओं के लिए जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों की टीम बनाने के लिए विशेष सुझाव विद्यालयों को जारी किये जाएं ताकि तब जाकर ग्रामीण अंचलों में ऐसे खेलों में बालिकाओं की सहभागिता होगी। लेकिन आज की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी इन खेलों में सहभागिता नहीं है। वहां पर इन खेलों की समान की भी उपलब्धता होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना में अग्निवीर बनाने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण शाला स्तर पर किया जाना, यह भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे इस योजना से कुछ ही सालों में भारत देश के हर एक सेक्टरों में सैन्य प्रशिक्षण पाये हुए योग्य जवान हमारे देश को मिलेंगे। यानी कभी भी आपात स्थिति आने पर किसी भी सेक्टर में काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी हैं, वह हथियार उठाकर, देश के लिए लड़ पायेंगे। ऐसा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में अग्निवीर जैसी योजना लायी गयी थी। इसके लिए हमारी सरकार ने इस बजट में विशेष प्रावधान करके, शाला स्तर में प्रशिक्षण देने का काम किया है। मुझे यह बहुत अच्छे से याद है। जब वर्ष 2010 और वर्ष 2011 में हम भी सेना में जाने की इच्छा रखते थे । गांव में जब फौजी छुट्टियों में आते थे तो उनके पास जाकर, पूछते थे कि आप हमें बताईये कि हमें कैसे फौज में जाना है और कैसे दौड़ना है। तो हम लोगों को बहुत कम जवाब मिल पाता था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की उन पीढ़ियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज सुशासन की सरकार में उनको सेना और अग्निवीर में जाने के लिए महत्वपूर्ण विषय पर स्कूल से ही प्रशिक्षण जो मिलेगा, इसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद् करता हूँ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मुझे भी इस पर कुछ कहना है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए। फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। इनका भाषण होने दीजिए।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, स्कूलों के रखरखाव और अधोसंरचना के लिए 105 करोड़ रूपये 20 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें 500 प्राथमिक शाला, 100 पूर्व माध्यमिक शाला, 50 हाई स्कूल एवं 50 हायर सेकेण्डरी स्कूल बनाने का प्रावधान किया गया है । अभी हम लोग अपने क्षेत्र के कई विद्यालयों में जाते हैं तो पता चला कि अधिकतर विद्यालयों में छत टपक रहा है । रिकॉर्ड निकलाने पर पता चलता है कि पिछली सरकार के समय में स्कूल जतन की कोई स्कीम आई और उन स्कूलों के मेंटमेंस में लाखों रूपए लगे हैं । अब उसमें हमें यह दिक्कतें आ रही हैं कि दो

साल पहले मरम्मत के लिए राशि जारी हुई थी तो फिर नया राशि जारी करने में फिर दिक्कत आ रही है । पता यह चला कि स्कूल जतन का पैसा तो आया, लेकिन काम उस स्तर पर नहीं हुए । तब इसमें भ्रष्टाचार कौन किया ? पता चला कि प्रधान पाठक ने, वहां के प्रिंसिपल ने क्लीयरेंस दिया है । जब उनको पूछा कि ऐसा क्यों किए तो पता चला कि राजनीतिक दबाव के कारण से उन्होंने हस्ताक्षर किया है । तो सोचिए कि स्कूल जैसी जगहों को भी नहीं छोड़ा गया तो दारू की बात अलग है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य राजनीति दबाव की बात कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रही हूं । अभी जतन योजना के अंतर्गत जितनी राशि आई है, वह ऐसे स्कूल में भी आई है, जहां पर कमरे बनाने के लिए जगह ही नहीं था । कोलिहामार में अतिरिक्त कमरे के लिए फंड आया था, लेकिन कोलिहामार में जगह ही नहीं था । अब बताईए कि भ्रषटाचार अधिकारी लोग कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं भटकाना चाहता।

सभापति महोदय :- आप इधर ध्यान देकर बोलिए ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- मैं आपको ही देखकर बोल रहा हूं । माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस ओर भी लाना चाहता हूं । अभी-अभी मैंने एक प्रश्न लगाया था कि ऐसे कितने हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल और प्राईमरी हैं, जहां शौचालय तो हैं, पर ईस्तेमाल करने योग्य नहीं हैं । या तो शौचालय नहीं है तो उस प्रश्न में जो उत्तर आया है, जहां शौचालय नहीं है, वहां भी ओके करके जवाब आया है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं, जो जवाब बनाते होंगे । ग्राउण्ड स्तर पर झूठा रिपोर्ट बनाने के लिए ऐसा करते होंगे । क्योंकि जब तक आपके पास सही जवाब नहीं आएगा, तब तक कैसे सुधार करेंगे । कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कर्मचारी और अधिकारी पक्ष से कई लोग सरकार को गुमराह करने का काम भी करते होंगे, इस ओर आप जरूर ध्यान दें, ताकि बच्चों को बेहतर और अच्छी सुविधा मिल सके और शौचालय उपयोग युक्त हो । इसमें कई ऐसे काम प्रधान पाठक स्तर या प्राचार्य स्तर पर सुधार वाले होते हैं, लेकिन वे लोग काम नहीं करते होंगे, छोटी-छोटी मेंटनेंस वाली चीजें होती होंगी । जैसे सफाई की व्यवस्था होती होगी, पर वह नहीं होता है । धर्मशाला की तर्ज पर विद्यालयों के शौचालय दिखते हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि शुरू से हम शैक्षणिक समय में ही बच्चों को हम सफाई के प्रति जागरूकता नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे जाकर भी ऐसे सीन कई बार आएंगे कि शौचालय करने के बाद पानी नहीं डालेंगे इसलिए केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखा जाये, उन बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी शिक्षा के साथ-साथ दें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं ।

सभापति महोदय, नि:शुल्क सरस्वती सायकल योजना में 66 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मैं इसके विषय में सीधा बात बोलता हूं । मुझे इस बार यह महसूस हुआ कि संबंधित ठेकेदार द्वारा जब सायकल का प्रस्तुतिकरण मंत्री स्तर पर या किसी जांच समिति के स्तर पर किया जाता होगा तो शायह

वह सायकल बहुत क्वालिटीयुक्त होता होगा, लेकिन जब वह स्कूलों में सप्लाई करता है तो उस समय वह क्वालिटी को डाऊन कर देता है । यहां तक कि ऐसी कई साइकिलें देखने को मिलती है, जिसमें जी.आई. टेकिंग प्लास्टिक युक्त रहता है, उसको उखाड़कर कहीं भी लगा सकते हैं । जो संबंधित ठेकेदार हैं, जो सप्लाई में हिस्सा लेते हैं, उनको सख्त निर्देश दिया जाना चाहिए कि मापदण्ड के प्रति सख्त निगरानी हो, ताकि ऐसा न किया जा सके क्योंकि यह महत्वकांक्षी योजना है क्योंकि अगर सायकल का वितरण हो रहा है तो साईकिल का वितरण होने के बाद अगर हम दोबारा रिपेयरिंग सेन्टर में ले जाएंगे तो सोचिए कि वह सायकल कितना दिन चलेगा। इसके पीछे कहीं न कहीं मुझे यह लगता है कि गड़बड़ी है ।

सभापति महोदय :- टोप्पो जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- बस दो मिनट । सभापति जी, मैं बस दो-चार विषयों की ओर ध्यान दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा । एक विषय है, मैंने एक बार बैठक ली थी, उसमें यह बात पता चली कि प्राथमिक विद्यालय में 5वीं पास करने के बाद जब ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी जब 6वीं में जाता है तो 6वीं क्लास में उसको पिछले क्लास की पढ़ाई दोबारा करानी पड़ती है । उसके बाद जब वह 8वीं क्लास पास करके 9वीं क्लास में जाता है तो 9वीं में उसको सिलेबस समझ में नहीं आता, उसको क, ख, ग नहीं मालूम होता तो फिर दोबारा उसको मीडिल स्कूल में पढ़ाया जाता है । अब इस चैनल में हायर सेकेण्डरी और हाईस्कूल के प्राचार्य और वहां के तमाम अध्यापक यह कहते हैं कि यह विद्यार्थी 8वीं क्लास से पढ़कर नहीं आया है इसलिए ऐसा गड़बड़ है । अब 8वीं क्लास के शिक्षक को पूछने से वे बोलते हैं कि यह विद्यार्थी प्राईमरी से ठीक से पढ़कर नहीं आया है इसलिए ऐसा बोलते हैं । फिर प्रायमरी में जाने से वे आंगन बाड़ी की ओर बोलते हैं कि व्यवहारिक शिक्षा इधर से सीखकर नहीं आया है । इसलिए ऐसा गड़बड़ हो रहा है। यह जिम्मेदारी किसकी है, माननीय मंत्री जी एक बार इस पर जरूर ध्यान दें। कहते है कि पुराने जमाने में, जब आपके जमाने का चौथी पास व्यक्ति भी आज के डिग्री वाले को फेल कर देगा। वह अपनी मात्रा और तमाम चीजों में फेल कर देगा। लेकिन आज हम लोगों को इस गुणवत्ता के प्रति केवल कागजों में ही नहीं, वास्तविकता में बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। तभी वे बच्चे आगे आकर बड़े-बड़े काम्पटीशन की दुनिया में भाग ले पायेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विषय में जरूर ध्यान दें। एक कमियां और थीं, हमारे कई हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के जो प्राचार्य हैं, उनमें कमाण्ड कन्ट्रोल और लीडरशीप की क्वालिटी नहीं है। इस कारण से भी संस्था बिगड़ता है। किसी-किसी हायर सेकेण्डरी को विद्यालय देखेंगे तो बच्चे बहुत अनुशासित रहते हैं, वहां का एजुकेशन, डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सेम दर्जे के किसी दूसरे जगह के सेम विद्यालय को देखने में आता है कि वहां के बच्चे बहुत उद्दण्ड रहते हैं। वहां के बच्चों के पढ़ने का स्तर डाऊन रहता है। इस पर शोध करने के बाद पता चलता है कि इसमें केवल और केवल

कमाण्ड कन्ट्रोल की कमी है। इसके लिए साल में विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाये, जिसमें सभी प्राचार्यों को कमाण्ड करने के लिए कसावट कैसे करना है, उस पर उनको प्रशिक्षण मिल पाये।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये। श्री किरण देव जी।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की दो मांग है। माननीय मंत्री जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है। मैंने इसको बजट में शामिल करने के लिए दिया था। मैं इसके लिए बहुत आग्रह करूंगा कि आप आज इसको सम्मिलित करने की घोषणा करेंगे। कन्या विद्यालय सीतापुर का भवन बहुत पुराना है, यह जर्जर स्थिति में है। यहां लगभग 1300 बच्चों की उपस्थिति रहती है। उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। अगर आप नया भवन के लिए राशि दे देंगे तो हमारे क्षेत्र के मुख्यालय का विद्यालय है, वहां के बच्चों को बहुत लाभ होगा।

सभापति महोदय, दूसरा, कन्या हायर सेकेण्डरी विद्यालय बतौली, इसमें भी हजार से ऊपर विद्यार्थी हैं। इनके लिए हायर सेकेण्डरी का सेटअप नहीं है। बहुत पुराना भवन है। यह भी जर्जर स्थिति में है। शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय बटईकेला, यह स्कूल सन् 1982 का बना हुआ है। लेकिन सन् 1982 के बाद न अतिरिक्त कक्ष बने न कुछ बना। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि यहां के लोग बाहर में बैठकर पढ़ते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस भवन को भी बजट में सम्मिलित करें। महेशपुर हायर सेकेण्डरी विद्यालय, यहां बच्चों को छाता लेकर बैठने की स्थिति है। वह भवन टूट रहा है। वहां कभी भी घटना हो सकती है। ये मेरी चार मांगे महत्वपूर्ण है। इसको सम्मिलित करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से एक लाईन की बात कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि उसको अधिकारी नोट भी कर लें, यहां वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे हुए हैं। हमारे जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव है, जिसका नाम सभी जानते हैं, झीरम। इसे पूरा देश भी जानता है। जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र का अंतिम गांव है। वहां काफी वर्षों से प्रायमरी स्कूल है। लेकिन प्रायमरी स्कूल पास करने के बाद वहां के बच्चे-बच्चियां 18 किलोमीटर दूर तोंगपाल जाते हैं। मेरा वहां बीच में जाना हुआ था। मैंने इस विषय को देखा और समझा, इसलिए वहां मीडिल स्कूल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मेरा आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें न किसी प्रकार की राजनीति, न किसी प्रकार की बात हो, लेकिन वहां पर धीरे-धीरे सड़कें बनना चालू हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अगर वहां यह सुविधा मिल जायेगी तो उनका शैक्षणिक जीवन आगे अच्छा हो जायेगा। वहां प्रायमरी स्कूल है, मीडिल स्कूल खुल जाये। धन्यवाद।

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- सभापति महोदय, मेरा खाली एक मांग है। दानी स्कूल के बाद सबसे स्ट्रेंथ वाली स्कूल सरस्वती स्कूल पुरानी बस्ती है। अभी हाल ही में वहां का छत

गिर गया था। मैंने विधायक निधि देकर ठीक कराने की व्यवस्था जरूर की है। उसका निर्माण आप जिस एजेंसी से करवाना चाहे, करवा दीजिये। दूसरा टिकरापारा स्कूल, यह स्कूल भी बहुत जर्जर है। यह भी बहुत पुराना स्कूल है। माननीय मंत्री जी,..।

सभापति महोदय :- ठीक है, वह सुन रहे हैं। आप बोलिये न।

श्री सुनील कुमार सोनी :- वही नहीं सुन रहे हैं न।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) मैं आपकी ही बात लिख रहा हूं।

श्री सुनील कुमार सोनी :- अच्छा, लिखे हैं न। पुरानी बस्ती का सरस्वती स्कूल और टिकरापारा का स्कूल।

सभापति महोदय :- श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री।

श्री दीपेश साहू :- सभापति महोदय जी।

श्री गजेन्द्र यादव :- बहुत-बहुत धन्यवाद, भैया।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मेरी एक मांग है। सिर्फ एक मांग है। एक मिनट।

सभापति महोदय :- सुनिए न। दो मिनट सुनिए न।

श्री दिलीप लहरिया :- आधा-आधा कर दीजिए। मुझे बस मांग रखना है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी।

श्री जनक ध्रुव :- मांग बस है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, शिक्षाकर्मियों को लेकर है।

सभापति महोदय :- मैं अगर बोल रहा हूं तो आप सुनेंगे या नहीं ? दो मिनट सुनेंगे या नहीं? जी। मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा 2 मिनट आप सुनने को तैयार नहीं हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी।

श्री दिलीप लहरिया :- नहीं-नहीं, सुनेंगे।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, केवल मांग बस है।

सभापति महोदय :- बैठिए न।

श्री दीपेश साहू :- मांग बस है।

सभापति महोदय :- आप भी बैठिए। मांग है वह तो समझ गए, आप मांग ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? समय की बहुत मर्यादा है, समय बहुत कम है, अभी काम बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक डिपार्टमेंट की चर्चा को postpone करके आगे बढ़ा दिया गया है। तो अभी मंत्री जी का जवाब आएगा,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

फिर आधे घंटे की चर्चा आएगी, फिर उसके बाद अशासकीय संकल्प आएगा। तो कृपा करके जो भी है, लिखकर दे दीजिये। अब मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यह शिक्षाकर्मियों को लेकर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

सभापति महोदय :- एक को अनुमति दूंगा तो सारे लोग बोलेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं, सिर्फ एक सभापति महोदय। ये टीचर्स को लेकर है, मेरे को मौका दिलवाइये।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, मेरे को एक मिनट लगेगा।

सभापति महोदय :- एक मिनट ही तो लगता है भाई, पर एक मिनट मिला कर 60 मिनट होता है न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है।

श्री दिलीप लहरिया :- आधा-आधा कर दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यह सिर्फ शिक्षाकर्मियों को लेकर है। सभापति महोदय, एक मिनट मैं बोलना चाह रही हूं। शिक्षाकर्मियों के बारे में कहना चाह रही हूं, शिक्षाकर्मी के रूप में प्रथम नियुक्ति 1998 में हुई थी और इसके बाद नियुक्ति का संविलियन..।

श्री गजेन्द्र यादव :- नहीं, वह विषय आ गया है। सभापति महोदय...

सभापति महोदय :- चलिए, मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री गजेन्द्र यादव :- वह विषय आ गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- तो उसके लिए मैं मांग करती हूं कि वह पेंशन आप देने की कृपा करें।

सभापति महोदय :- जब समय रहता है तो खुद बोलकर हम सबको बोलने के लिए अवसर देते हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- आप भी समय की मर्यादा में आसंदी को सहयोग करिये। आप लोग भी रात को नौ-नौ, दस-दस बजे तक बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सहयोग कर दीजिये न। हमेशा तो नहीं रोका जा रहा है।

श्री जनक ध्रुव :- एक ही मांग है।

सभापति महोदय :- बोल लीजिये आप तो बहुत देरी से परेशान हैं, बोल ही लीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि आप उनके पेंशन का घोषणा कर देंगे ।

सभापति महोदय :- आप बोल दिये, वे क्या करेंगे, वे करेंगे।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के ऐसे स्कूल हैं, जहां स्कूल नहीं है, लेकिन वहां के बच्चे अभी पिछले साल बारहवीं में प्रावीण्य सूची में आए हैं और जिला में प्रथम आए हैं।

सभापति महोदय :- चलिए, अब आप भी बोल लीजिये।

श्री जनक ध्रुव :- दूसरी बात, मेरे क्षेत्र में तीन ऐसे हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो भवन विहीन हैं, बच्चे पेड़ के नीचे में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। गांव के लोग अपने...।

सभापति महोदय :- आप स्कूल का नाम बतायें।

श्री जनक ध्रुव :- स्कूल का नाम रुवाड़ है। हायर सेकेंडरी रुवाड़ है।

सभापति महोदय :- तो इसी को तो पहले बताना चाहिए न।

श्री जनक ध्रुव :- हायर सेकेंडरी रुवाड़ है, बाजाड़ी है, सालेभाठा है। प्राथमिक शाला 32, प्राथमिक शाला विद्यालय भी एक भी नहीं है जो कि प्राइवेट मकान में लगते हैं या सामुदायिक भवन में लगते हैं।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात रख लिए न, उनके नोटिस में आ गया।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, हमारे मस्तूरी क्षेत्र में चार ऐसी जगह हैं, जहां का वर्षों से उन्नयन की मांग है । ईटवा है, धनगंवा है, भरारी स्कूल है, कुकुर्दीकेरा है, जो हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी उन्नयन की मांग है। एक और एक निवेदन है सर, अहाता निर्माण सभी स्कूल में सुनिश्चित किया जाए और शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- ठीक है, हो गया। ठीक है। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- आदरणीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी, माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने राज्य के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्राथमिकता दी। यह जो नया बजट है, वह हमारी नई सोच, नए उद्देश्य, जन-जन के विकास को साकार करने वाला बजट है तथा यह छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य के छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास का बजट है। मुझे बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि 1,72,000 करोड़ से ज़्यादा के बजट में सर्वाधिक किसी विभाग को अगर राशि छत्तीसगढ़ शासन ने दी, तो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग को दी–22,466 करोड़ की राशि दी गई है। (मेजों की थपथपाहट) उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं हमारे सभी विधायक साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, जो शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता आज यहां प्रदर्शित हुई, जो लगातार हाथ उठाकर आपसे मांग की। मैं चातुरी नंद जी, मोतीलाल साहू जी, श्रीमती अंबिका मरकाम जी, श्रीमती भावना बोहरा जी, श्री रामकुमार यादव जी, भाई रिकेश सेन जी, श्री रामकुमार टोप्पो जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे आदरणीय किरण सिंह देव जी, आदरणीय श्री सुनील सोनी जी, श्री जनक ध्रुव, श्री दिलीप लहरिया जी, जिन्होंने शिक्षा विभाग

के विषय में, क्षेत्र के संबंध में, राज्य के संबंध में अपनी-अपनी मांग भी व्यक्त की और अपने सुझाव भी दिये। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक मंत्र हमको सुनाया जाता था :-

अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्।

अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः॥

सभापति महोदय, इसका अर्थ यह होता था दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे अक्षर न बनता हो, दुनिया में ऐसा कोई मूल नहीं है जिसकी औषधि न बनती हो, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जिसके अंदर कोई गुण न हो। जरूरत है तो उसको जोड़ने वाले व्यक्ति की और हम लोगों के अंदर का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक आदि सभी प्रकार का विकास का मूल अगर देखा जाए तो वह स्कूल शिक्षा है। मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री विष्णुदेव साय जी ने स्कूली शिक्षा जैसे, ग्रामोद्योग जैसे तथा विधि एवं विधायी कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि हम इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के संकल्प के आधार पर, माननीय ओ.पी. चौधरी जी के बजट के अनुरूप पी.एम.श्री योजना के तहत जितने भी स्कूल हैं, उसको आधुनिक, परिवर्तनकारी और सुविधायुक्त शिक्षा देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जिसमें जितने भी हमारे प्रदेश में स्कूल हैं, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सारे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हों, उन स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, ग्रीन स्कूल बनाया जाए, स्मार्ट क्लास बनाया जाए, डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाए, आधुनिक प्रयोगशाला बनाया जाए, खेल की सुविधाओं में विस्तार हो, करियर काउंसिल जैसे घटक स्कूल शिक्षा विभाग में जुड़े, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बार छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक प्रगति जानने के लिए हम इस बार Holistic Progress Report Card भी बनाने वाले हैं। इस योजना के तहत अधोसंरचना और मानव संसाधन कौशल बढ़ाने के लिए इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आत्मानंद स्कूल और पी.एम.श्री स्कूल उसी पैटर्न में है। चूंकि अभी यहां बहुत सारे सदस्यों ने अपनी सरकार की बहुत सारी गाथाएं गाईं। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि काम कछु नहीं करना, लईका मन ला टूहू दिखाना। लईका मन ला [xx][5] बना दिस कि तुमन ह मेरिट मा आओ, हर साल तुमन ला हेलीकॉप्टर में घुमाबो। आपने कितना किया, यह मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी सरकार में पिछले 2 साल में हम लोगों ने पहली बार 250 ऐसे छात्र-छात्राएं, जो मेधावी छात्र हैं, जिनका मेरिट में स्थान है, जिनका प्राप्तांक 90% से अधिक है, उन प्रत्येक छात्र/छात्राओं के खातों में हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्रवृत्ति योजना के तहत 1.5 लाख की राशि पहुंचाने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय सभापति महोदय, हमने

[5][xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

पहली बार इस बजट में स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय की कल्पना की है। आज समय की मांग है कि सब जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल चले, इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ अत्याधुनिक स्कूल चले, अत्याधुनिक के साथ-साथ स्मार्ट स्कूल चले। एक कंपोजिट बिल्डिंग में कैसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, कैसे बेहतर उनका खेल की पद्धति हो, कैसे बेहतर उनकी योग की पद्धति हो, कैसे बेहतर बच्चों का शैक्षणिक, बौद्धिक सब प्रकार का विकास हो। यह विकास की परिकल्पना अगर किसी ने की तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने की। (मेजों की थपथपाहट) उसका एक बहुत जीता-जागता प्रमाण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनके नाम पर हम छत्तीसगढ़ के 150 स्थानों पर स्वामी विवेकानंद आदर्श स्कूल खोलने वाले हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार के बजट में 100 करोड़ की राशि दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि वर्ष 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब कोई कल्पना नहीं की गयी थी, उस समय दंतेवाड़ा में एक एजुकेशन सिटी का निर्माण किया गया। वह ऐसी एजुकेशन सिटी थी, जिसको पूरे देश और दुनिया के लोगों ने जावंगा में देखने आए। अभी कुछ देर पहले हमारे एक सम्मानित सदस्य बोल रहे थे कि इस बार यू.पी.एस.सी. में छत्तीसगढ़ के 13 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम लगातार यू.पी.एस.सी. का रिजल्ट देख रहे हैं, उसमें पिछले 3-4 वर्षों से हर साल सुकमा, दंतेवाड़ा के बच्चों का चयन यू.पी.एस.सी. जैसे इतने बड़े संघर्षशील फाइट में होता है। अगर उसका सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है तो हमने जावंगा में शिक्षा की एक छोटी सी जो दीप जलाई थी, हमने वहां एजुकेशन हब बनाया था, आज उसका पूरा प्रभाव पूरे बस्तर में दिख रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, जिस पैटर्न में बस्तर में आने वाले समय में हम शांति की ओर जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर शांति को बहुत व्यापक करना है, सुखद बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, उसके लिए चाहिए कि हम वहां शिक्षा की अलख जगायें। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने पहली बार ओरछा, अबुझमाड़, नारायणपुर जिला, जगतगुड़ा, सुकमा में एजुकेशन सिटी के लिए 9 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि का बजट में प्रावधान किया है । (मेजों की थपथपाहट) अभी हम एक एजूकेशन सिटी का लाभ हम देख रहे हैं, पूरे बस्तर में तीन एजूकेशन सिटी की स्थापना हो जायेगी तो समझते हैं कि बस्तर कहां से कहां पहुंच जायेगा, हम इसकी परिकल्पना कर सकते हैं । आदरणीय सभापति महोदय, बहुत से विधायकों की चिंता रहती है कि गांव-गांव में जाते हैं तो मांग आती है, भवन मरम्मत की मांग आती है, अतिरिक्त कक्ष की मांग आती है, स्कूल उन्नयन की मांग आती है इन सब चीजों के लिये अलग-अलग मदों के लिये हमने बजट में 105 करोड़ 20 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया है । इसमें स्कूल भवनों का निर्माण होगा, भवनों का अनुरक्षण होगा

और हमारी कोशिश यह भी रहेगी कि बच्चे स्वच्छ जगहों पर पढ़ाई-लिखाई करें, जो हमारे सदस्य ने कहा है । सभापति महोदय, शौचालय की व्यवस्था सही नहीं होती है, सेनेटरी पैड की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, उसकी भी चिन्ता हमारी सरकार कर रही है । आने वाले समय में सारे स्कूलों में जहां हमारी बेटियां पढ़ती है, वहां सेनेटरी पैड लगेगा, जहां हमारे शौचालय हैं, स्वच्छ रहे और सुरक्षित रहे, बहुत अच्छा रहे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं । सभापति महोदय, मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है कि 500 प्राथमिक शाला, 100 पूर्व माध्यमिक शाला, 50 हाई स्कूल, 50 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन भवन निर्माण का प्रावधान इस बजट में हमने किया है । (मेजों की थपथपाहट) जिससे शिक्षा में प्रगति आयेगी । सभापति महोदय, यह नीचे स्कूलों की बात आती है, इसको संचालन करने में जिला स्तर पर बड़ी भूमिका होती है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, एक मिनट । यह जो भवन के लिये आप बताये हैं, अच्छा लगा । हम लोगों का भी ख्याल करना, हम लोग वहां बैठे तो बोल नहीं पाये हैं । मैं आपसे बहुत ही विनम्रता दो चीज की जानकारी चाहता हूँ जिसे आप बतायेंगे । हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अपग्रेड करेंगे और इसके साथ ही हाई स्कूलों में भी अपग्रेड करेंगे क्या ? कृपा करके हमारी भी चिट्ठी पर ख्याल करियेगा । हम बोल नहीं पाये थे तो आपसे निवेदन यही कर रहे थे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, हम स्कूलों के संचालन की व्यवस्था देखते हैं तो जिले में जिला शिक्षा अधिकारी हैं, पिछले कुछ समय में कई नये-नये जिले बने हैं । कोई भी जिले के ऊपर ग्राम पंचायत बना दिया गया है । उसका साईड इफेक्ट हुआ कि जिला के एक आफिस हैं, उसके अधीनस्थ बहुत से आफिस आवश्यक होते हैं । इस बार हमने 6 जिलों में समग्र शिक्षा, चूँकि भारत सरकार की जितनी भी योजनायें है, उसमें राशि समग्र शिक्षा के माध्यम से आती है । 6 जिलों में जिला परियोजना कार्यालय के लिये 132 नवीन पदों के सृजन के लिये राशि इस बजट में प्रावधानित किया है । (मेजो की थपथपाहट) इससे आने वाले समय में हमारे जिले में स्कूल के साथ-साथ जो अन्य गतिविधियां होती है, जो निर्माण के काम होते हैं, जो कार्यालय स्टॉफ की कमी होती है, उसे पूरा कर पायेंगे । माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि एनसीसी स्कूलों में भारतीय सेना का बहुत बड़ा विंग है, इस बार हम लोग रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में एनसीसी प्रशिक्षण एकादमी खोलने जा रहे हैं, जिसके लिये 46 पदों के सृजन हेतु बजट प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, मध्यान्ह भोजन की चिन्ता सभी को रहती है, इस बार हमने मध्यान्ह भोजन के लिये केन्द्रीय योजना के तहत एक बड़ी राशि का प्रावधान किया है । सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नवाचार किया है, पहले स्कूल जो है गांव से जुड़ा रहता था और स्कूल सभी लोगों के लिये एक आस्था का केन्द्र हुआ करता था । हम समय आते ही स्कूल से दूर होते गये । हम वापस लोगों को स्कूल से कैसे जोड़ें, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिन्ता की है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों से, प्रदेश के

जनप्रतिनिधियों से और तमाम लोगों से निवेदन किया है कि आप न्यौता, भोज का आयोजन करेंगे । आपका जन्म दिन है, आपका एनीवर्सरी है, आपके पिताजी का जन्म दिन है, सुख और दुख की स्मृति में दिन में एक टाईम बच्चों के साथ बितायें, बच्चों के साथ भोजन करें । माननीय मुख्यमंत्री के आव्हान पर न्यौता भोज का आयोजना हुआ और मुझे यह बताने में बहुत खुशी होती है कि सैकड़ों स्थान पर बड़े-बड़े लोगों ने, जो कई वर्षों से स्कूलों से दूर हैं, वापस स्कूलों से जुड़े...।

समय :
6.00 बजे

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, ये बड़े-बड़े लोग कौन होते हैं ?

श्री गजेन्द्र यादव :- कोई व्यापारी हैं, कोई बाहर चले गए हैं, नौकरी में चले गए हैं, जो उम्र में स्कूल से दूर हो गए।

श्री अजय चंद्राकर :- वे लोग बड़े होते हैं, उन लोगों को बड़े-बड़े लोगों ने कराया बोलते हैं। देखिए, आप शैक्षणिक विषय में बोल रहे हैं। भाषा का सौंदर्य, भाषा की गरिमा भी अपना स्थान रखती है। छत्तीसगढ़ में कौन बड़े-बड़े लोग है? कितने बड़े-बड़े लोग हैं? किसको बड़े-बड़े लोग बोलते हैं? इसको थोड़ा क्लियर कीजिए ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मेरा कहना है कि जो लोग स्कूल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए, पढ़ने चल दिए, नौकरी में चल दिए, जिनका स्कूल से वापस जुड़ाव नहीं हुआ, फिर से उनको स्कूल से जोड़ने के लिए न्योता भोज का आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया ताकि वापस स्कूल की ओर जुड़ें।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि रसोइयां जो खाना बनाथे, महतारी मन के बारे में थोड़ा से सोच लेते तो ज्यादा अच्छा रतिस।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, हम उसकी भी चिंता कर रहे हैं। हमने बजट में उसकी राशि बढ़ा दी है। हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बजट के पहले ही राशि बढ़ चुकी है। इन सबके अलावा मुझे यह बताने में बहुत खुशी होती है, बार-बार शिक्षक भर्ती का विषय आता है। माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष 5,000 शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है, हम गुणवत्तापूर्ण नियमित शिक्षक के लिए संकल्पित हैं और शिक्षक भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा निर्देश आदेश जारी कर दिया गया है। आगामी अक्टूबर-नवंबर में उसकी परीक्षा का आयोजन भी किया जाना सुनिश्चित कर दिया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट चाहूंगा।

सभापति महोदय :- नहीं बोलने दीजिए ना, सारे सदस्य अनुदान मांगों पर बोले हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, भर्ती की बात आई है। मेरा प्रश्न इसी विधानसभा में पिछले सत्र में आया था, उस समय माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे, उनका स्पष्ट कहना था कि 34,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, मेरे प्रश्न के जवाब में आया था। उसके बाद उन्होंने कहा था, फिर हमने पूरक प्रश्न पूछा, छत्तीसगढ़ी डिप्लोमा और जो डिग्री किए हैं उनकी भर्ती होनी चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया था, उनकी भर्ती होगी। लेकिन यह सरकार संकल्प पत्र में 57,000 से 34,000 उसके बाद 5,000 शिक्षकों की भर्ती में आ गई है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के पास डेट है, तिथि है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपने तिथि निर्धारित कर दी है? क्या वाकई आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति है कि आप या आपकी सरकार कर पाएगी, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, पिछले 12 साल से किसी भी प्रकार की पदोन्नति नहीं हुई थी, 13 साल से पदोन्नति नहीं थी। 2,813 स्कूल ऐसे थे जो प्राचार्य विहीन थे। हमने पदोन्नति करके 2,813 स्कूलों में प्राचार्य की पदस्थापना की। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय सभापति महोदय, हमने पहली बार 2,877 व्याख्याताओं का प्रमोशन किया। साथ ही साथ हमने प्राथमिक माध्यमिक शाला, मिडिल स्कूल के शिक्षकों की पदोन्नति की। हमने शिक्षकों की, सामान्य शिक्षकों की भर्ती की। इस वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों का प्रमोशन किया। आज तक का इतिहास है, इतनी बड़ी संख्या में किसी सरकार ने प्रमोशन नहीं किया, कहीं भी एक आवाज नहीं आई, कहीं एक आपत्ति नहीं आई, कहीं एक कोर्ट केस नहीं लगा। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति जी, युक्तियुक्तकरण में कितने स्कूल बंद हुए हैं उसकी भी सदन में बात बिल्कुल आनी चाहिए।

सभापति महोदय :- निषाद जी आप उनको बोलने दीजिए, मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, मुझे बताने में खुशी हो रही है, नई राष्ट्रीय नीति NEP जो 2020 से लागू हुआ, लेकिन पिछली सरकार ने उसको लागू नहीं किया। हमारा सौभाग्य है जो नई शिक्षा नीति है, उसको हम प्रदेश में फिर से लागू कर रहे हैं, जिससे सभी विद्यालयों में हम बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था दे सकें। साथ ही साथ इस नई शिक्षा नीति के तहत मुख्य घटकों को समावेशित करके हम शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी करने वाले हैं। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है हमारी नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर कार्ययोजना है। कार्ययोजना के संबंध में बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय भाषा और संस्कृत को जो इन लोगों ने ऑप्शनल भाषा जोड़ा था, उसको अनिवार्य भाषा के रूप में हम आने वाली शिक्षा नीति में देंगे। साथ ही साथ कक्षा तीसरी से ही संस्कृत भाषा एवं बहुभाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों में अनिवार्य जोड़ेंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय सभापति जी, एक सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ी भाषा भी होगी?

श्री गजेन्द्र यादव :- छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा तो है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- छत्तीसगढ़ी बोली जो है उसको भाषा में पढ़ने में सुविधा हो।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, योग शिक्षा को हम पहली कक्षा से ही चालू करने वाले हैं। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में भारतीय धर्म दर्शन, चिकित्सक, खगोल शास्त्र, गणितज्ञ आर्यभट्ट, वैज्ञानिक वराहमिहिर के कार्य और कालिदास की रचनाओं को भी हम पाठ्यपुस्तकों में जारी करने वाले हैं। सभापति महोदय, वैदिक गणित को भी हम अपनी पाठ्यपुस्तकों में नई शिक्षा नीति के तहत लागू करेंगे। साथ ही साथ मुझे यह बताने में बहुत खुशी होती है कि इस नई शिक्षा नीति में हम आने वाले समय में हमारे शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छे ढंग से करेंगे, उनका वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, आप वैदिक गणित और भारतीय ज्ञान परंपरा में बोल रहे हैं कि इसको-उसको शामिल करेंगे। आपको लगभग सवा दो साल हो गये हैं तो एक किताब बनने में कितने दिन लगते हैं और उसको स्वीकार करके लागू करने में टोटल कितना समय लगेगा और जो आप बोल रहे हैं, वह कब तक लागू हो जाएगा? आप थोड़ा यह बताइयेगा।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, उसके लिए एक टीम बनी हुई है, उसमें लगातार काम चल रहा है। S.C.E.R.T. उसके साथ ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहा है और शिक्षक प्रशिक्षण का काम इस वर्ष जैसे ही यह सत्र समाप्त होगा, उसमें हम उसको करेंगे। उसके विशेषज्ञ लोग एक बार वह प्रशिक्षण में जा चुके हैं। जब शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा तो हम उस रूप में उन्हें मास्टर ट्रेनर देंगे। जो सब लोगों को वैदिक गणित और सब प्रकार के धर्म दर्शन को पढ़ाएंगे। साथ ही साथ इस बार हमने ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश स्वीकृति को बजट में शामिल किया। मुझे बताने में खुशी होती है कि विद्या समीक्षा केंद्र विभागीय H.R.M.I.S. पोर्टल के माध्यम से 1,80,000 शिक्षकों की हम ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम उनके अवकाश आवेदन और स्वीकृति के काम को भी ऑनलाइन करने वाले हैं। मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि शिक्षा सत्र में शिक्षा व्यवस्था में हम नई शिक्षा नीति के अनुरूप बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम सारे शिक्षकों के पेंशन प्रकरण को भी ऑनलाइन पद्धति से करना चाहते हैं। आने वाले समय में वह ऑनलाइन पद्धति से आवेदन दें। उनको किसी ऑफिस या किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पद्धति से ही उनका पेमेंट हो, ऐसी व्यवस्था हम आने वाले समय में करेंगे। डिजिटलाइजेशन मार्कशीट और टी.सी. की व्यवस्था भी हम हमारे विभाग के द्वारा करने वाले हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों की अंकसूची एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल में उपलब्ध कराने का लक्ष्य हम सबने रखा है। जिससे विद्यार्थी एवं अभिभावक पोर्टल के दस्तावेज डाउनलोड या प्रिंट कर सकें। दस्तावेज में क्यू.आर. कोड, यूनिक कोड की आई.डी. के माध्यम से डिजिटल सत्यापन की सुविधा भी हम देने वाले

हैं। जिससे कि पांचवी, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं कक्षा की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डिजिटल रूप से उसको मिल सके। साथ ही साथ पी.एम. ई-विद्या के माध्यम से शिक्षा को सभी विद्यार्थियों को सुगम बनाने के लिए हम डिजिटल, ऑनलाइन, ऑनएयर शिक्षा से संबंधित प्रयासों का एकीकरण कर रहे हैं। जिसके तहत छत्तीसगढ़ में कक्षा ग्यारहवीं, बारहवीं, नौवीं और दसवीं के लिए 5 चैनलों का विषयवार, कक्षावार प्रसारण किया जा रहा है। प्रतिदिन 6 विषयों पर अध्यापन 4 बार, दोबारा उसको रात में भी वह प्रसारित कर सकें, ऐसी पद्धति का विकास हम इस बार नयी पी.एम. ई-विद्या के माध्यम से करने वाले हैं। स्मार्ट क्लास के तहत शालाओं में इंटरनेट, प्रोजेक्टर आदि की सहायता से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे बच्चों को विभिन्न विषयों की रिकॉर्डेड वीडियो दिखाकर भी विषयगत शिक्षा प्रदान कर सकें, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार 10 सितंबर, 2008 को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम इसी विधान सभा में पारित किया गया था और वर्ष 2011 में पहली बार राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन किया गया। राज्य ग्रंथालय प्रकोष्ठ के द्वारा राज्य के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में संचालित ग्रंथालयों के लिए साहित्यिक, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकें एवं अन्य उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसके लिए इस वर्ष के बजट में हमने 5 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया है। सेंट्रल लाइब्रेरी की व्यवस्था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना शंकर नगर, रायपुर में हमारी सरकार के द्वारा की गई। वर्तमान में उसमें 5,000 से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं और इस लाइब्रेरी में सप्ताह के पूरे दिन बच्चों को पढ़ने की सुविधा हम दे रहे हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए बजट में इस वर्ष 2 करोड़ रूपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान हमने किया है। साथ ही साथ स्कूल शिक्षा के साथ-साथ जो टाईपिंग बोर्ड होता है, हमने उसके लिए भी इस बजट में 75 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, हमारे सम्माननीय सदस्य खेल गतिविधियों के लिए चिंता जाहिर कर रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे शासकीय, अशासकीय स्कूल के बच्चों को जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के 42 खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय शालेय खेल फेडरेशन के द्वारा किया जाता है और इस साल राज्य के 17,155 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें इस बार छत्तीसगढ़ के बच्चों ने 15 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक और 36 कास्य पदक प्राप्त किये। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आज मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया की मेडल सूची में 44 राज्यों में आज हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 17वें स्थान पर रहा है, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता के पदक विजेताओं में स्वर्ण पदक लाने वाले बच्चों को 21 हजार रूपये, रजत पदक लाने वाले बच्चों को 15 हजार रूपये, कास्य पदक में जीतने

वाले बच्चों को 10 हजार रूपये की राशि देने का प्रावधान किया है। इस बार की शिक्षा में विद्यालय के प्रथम कालखण्ड में हम योग शिक्षा, नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा को रखेंगे। साथ ही साथ योग शिक्षा के लिए हमने इस बजट में 30 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। सभापति महोदय, इस बार बच्चों के देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सेवा के भाव को ध्यान में रखते हुए एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सभी स्कूलों में अनिवार्य प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। स्कूल में प्रतिदिन अंतिम कालखण्ड खेलकूद के लिए अनिवार्य करेंगे। इसके साथ ही साथ जो बच्चे भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए प्रशिक्षु हैं, उन बच्चों को हम स्कूल स्तर पर शारीरिक प्रशिक्षण देंगे और हम उसमें पूर्व सैनिकों का भी सहयोग लेंगे ताकि हमारे बच्चे सेना में भर्ती हो सके। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाह रहा हूं। साथ ही साथ पुस्तक में जो सहायक वाचन है, उसके तहत हमारा छत्तीसगढ़ तीज-तिहार और पर्व का छत्तीसगढ़ है। यहां अलग-अलग भाषा, बोली, अलग-अलग खेती, अलग-अलग प्रकार के बीज, अलग-अलग प्रकार की फसलें होती हैं। इस बार के सहायक वाचन में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक बच्चों की क्षमता के अनुरूप छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले महापुरूष, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की पर्वतीय विशेषताएं, छत्तीसगढ़ की खेतिहर विशेषताएं, छत्तीसगढ़ में कब हरेली है, कब भोजली है, कब रक्षाबंधन है, कब राउत नाचा है, कब देवारी है, कब जेठौनी है, हम इन सारे त्यौहारों को पाठ्यक्रम में लाने वाले हैं। जिससे जो बच्चा 12वीं कक्षा में पढ़कर युवा बनकर बाहर निकलेगा तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के भौगोलिक, वहां के खेतिहर, वहां की बोली, वहां के महापुरूषों की विशेषताएं, सब प्रकार की संपूर्ण जानकारी उन बच्चों को रहे, इसकी चिंता हम आने वाली शिक्षा नीति में करने वाले हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा कि अर्जुंदा के स्वामी आत्मानंद स्कूल की बच्चियां वेट लिफ्टिंग कर रही है, वे लगभग 64 बच्चियां हैं। मैंने पूर्व में आपको भी इससे अवगत कराया था। वह खेलती है, प्रशिक्षण लेती है, उसके लिए मैंने जगह की व्यवस्था की थी, लेकिन उस स्कूल से भी उनको खाली करा दिया गया, उनके पास जगह नहीं है। वह बच्चियां हैं। अभी उनमें से दो का चयन राष्ट्रीय स्तर के खेल में हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके लिए एक व्यवस्थित जगह सुनिश्चित कर दें ताकि वह बच्चियां वहां पर अपना अभ्यास कर सके और हमारे लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए मेडल ला सके।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, साथ ही साथ जो आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं। पहले आत्मानंद स्कूल जिला कलेक्टरों के रहमो करम पर चलता था। यदि जिले में पैसा है तो शिक्षकों को तन्ख्वाह मिलती थी और यदि जिले में पैसा नहीं है तो उनको तन्ख्वाह नहीं मिलती थी। कई-कई महीने तक उनको तन्ख्वाह नहीं मिलती थी। हमने राज्य बजट की राशि से, डी.पी.आई. से उसको दूर करने का प्रावधान किया। आत्मानंद स्कूल के जो शिक्षक हैं, हम उनके तन्ख्वाह की व्यवस्था कर रहे हैं।

आने वाले समय में आत्मानंद स्कूल की तन्ख्वाह की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, स्कूल में किसी प्रकार का विघ्न न हो, किसी प्रकार की बाधा न हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यायलों के लिए इस बजट में 800 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, शिक्षा का अधिकार, अशासकीय विद्यालयों में भी हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों की भी फीस तीन-तीन सालों से लंबित थी, हमारी सरकार के आने के बाद हम लगातार उनका पेमेंट कर रहे हैं। आने वाले समय में उन बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए इस बार बजट में हमने 300 करोड़ रूपये की राशि प्रावधानित की है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय मंत्री जी, आप प्राइवेट स्कूल की बात किये, इसलिये मैं खड़ा हूं। वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति का आपके पास में जो एप्लीकेशन पड़े हैं, उसका निराकरण आप कब करेंगे? जो ग्रांट प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अनुदान मागों में चर्चा में सभी भाग लेते हैं और उसके बाद माननीय मंत्री जी का बोलने का समय रहता है। आप लोग बीच में टोकाटाकी करेंगे तो व्यवस्था में दिक्कत होगी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- सुझाव का समय था न, सभी सदस्य लोग अपने सुझाव दिये हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जितना सुझाव देना है, सब लोग बाद में दे देना। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये हमने इस वर्ष इस सत्र में 236 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि प्रावधानित की है। साथ ही साथ हमारे सदस्यों को चिंता थी कि हमारे स्कूल के बच्चों के लिये जो यूनीफार्म की चिंता कर रहे थे, आने वाले समय में पूरा यूनीफार्म प्रदान के लिये हमने 55 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित की है। हमारे ही शासकीय उपक्रम हथकरघा बोर्ड है, हथकरघा बोर्ड के द्वारा ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप बहुत अच्छा बोले रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी छत्तीसगढ़ की रेटिंग 34 से 28 हो गई है, आपके अधिकारी लोगों को भी बधाई दे देता हूं। आपने 6 स्थान इम्प्रूव किया है। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं कि पूरे 33 के 33 डी.ई.ओ. के खिलाफ जांच चल रही है। उसमें आप क्या करेंगे, कैसे सुधारेगे, उसको मेरे को बताईये। पूरे 33 डी.ई.ओ. के खिलाफ जांच रही है। आप बोलिये तो मैं पूरी जानकारी टेबल कर देता हूं। एजुकेशन में ऐसा विभाग है, किसी भी विभाग में पूरे अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं चल रही है, सिवाय आपके एजुकेशन को छोड़कर।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह जो 33 जांच चल रही है, यह सब पुरानी सरकार का है। हमारी सरकार में कहीं कोई जांच नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पुरानी, नई सरकार नहीं, यह विधान सभा में 26 तारीख का उत्तर है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जांच आपकी सरकार में हो रही है। आप जांच करिये न। उसके खिलाफ अगर कोई तथ्य आ रहा है तो कार्रवाई करें। पुरानी सरकार को बोलकर आप क्या बोलना चाह रहे हैं। .. (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, यदि सही जांच हो तो हर विभाग में यही स्थिति है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इस बार नि:शुल्क गणवेश योजना के तहत छात्र-छात्राओं को गणवेश प्रदान करने के लिये 55 करोड़ रुपये की राशि हम प्रदान कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि इस वर्ष हमने टारगेट किया है। जब 16 जून को स्कूल खुलेगा तो स्कूल खुलने पर बच्चा खाली हाथ आयेगा, लेकिन उसको गुणवत्तापूर्ण सरस्वती साइकिल मिलेगी, बुक मिलेगी और अच्छा कपड़ा मिलेगा। हम लोगों ने इस बार यह तय किया है कि सब बच्चों को संतोषजनक सामान मिलेगा और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि सरस्वती सायकिल योजना की जो राशि है, वह राशि को इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बढ़ाया है। आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण और बेहतर सायकिल हम लोगों को प्रदान करेंगे। यह मैं आपके समक्ष बात करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि स्कूल शिक्षा के साथ-साथ मैं तो गांव का आदमी हूं, ग्रामोद्योग विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है। ग्रामोद्योग विभाग में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये 228 करोड़ रुपये, 84 लाख 90 हजार रुपये की अनुदान मांग के लिये खड़ा हो रहा हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोकल फार वोकल की परिकल्पना करते हैं। उसको आगे बढाते हुए हमारे छत्तीसगढ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले परंपरागत बुनकरों, परंपरागत शिल्पकला को हम जीवंत आगे बढ़ाने के लिये कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग में हम नयी दिशा की ओर आगे जा रहे हैं जिससे की गांव की अर्थव्यवस्था बढ़े। उसके लिये हम ग्रामोद्योग से से संबंध रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, माटीकला बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण अंचलों की हितग्राहीमूलक योजनाओं के माध्यम से 3 लाख 15 हजार 350 व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र मरकामटोला में जो कि हथकरघा के शिल्पकार हैं, उनको सोसायटी उपलब्ध करा देते। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में टसर, रेशम विकास और विस्तार को बढ़ावा देने के लिये इस वर्ष हम लोगों ने नैसर्गिक और पाली टसर कोसा उत्पादन विकास योजना के तहत इस मद में 59 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। जिसके द्वारा राज्य में 21 करोड़ 59 हजार टसर कुकुन का उत्पादन होगा। वैसे ही प्रदेश में मलबरी रेशम विकास और विस्तार को

बढ़ाने के लिये मलबरी रेशम विस्तार योजना, उत्प्रेरण विकास योजना के तहत् इस वर्ष 4 करोड़ 25 लाख रूपये की राशि हमने बजट में प्रावधानित की है।

माननीय सभापति महोदय, प्रशिक्षण और अनुसंधान योजना के तहत् हम लोग 76 लाख रूपये की राशि बजट में प्रावधानित किये हैं जिससे कि रेशम हितग्राही को नवीन तकनीक से अवगत कराते हुए 450 हितग्राही को प्रशिक्षण दिया जा सके । माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के बुनकरों को प्रशिक्षण उन्नत कैसे प्रदान करना है, अधोसंरचना जैसे कर्मशाला भवन, गोदाम निर्माण, डिजाईन विकास आदि मद में समग्र हाथकरघा विकास योजनांतर्गत वर्ष 2025-26 में कुल राशि 5 करोड़ 3 लाख 54,000 स्वीकृत करके 1206 बुनकरों को हमने इसमें लाभांवित किया है और इस वर्ष आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाते हुए 5 करोड़ 60 लाख रूपये की राशि नये बजट में हमने प्रावधानित किया है । इसके साथ ही साथ आवासहीन बुनकरों को आवास निर्माण हेतु वर्ग वर्कशेड सहआवास योजना अंतर्गत कुल राशि 4 करोड़ 90 लाख की राशि स्वीकृत करके हमने 196 बुनकरों को लाभांवित किया और आगामी वर्ष के बुनकरों के लिये फिर से हमने बजट में 4 करोड़ 90 लाख की राशि प्रावधानित की है । शासकीय वर्ष प्रदाय के माध्यम से प्रदेश के 335 बुनकर समितियों के 47,640 बुनकरों को छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । इसी प्रकार गणवेश व सूट सिलाई के माध्यम से 1921 महिला स्वसहायता समूह के 23,052 महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खादी ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर को सृजित करने के लिये छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यरत है जिसके लिये हम खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 502 इकाईयों को 11 करोड़ 3 लाख रूपये की राशि स्वीकृत करके, 3 करोड़ 67 लाख 80,000 रूपये की राशि अनुदान के रूप में हमने दी है । जिससे कि हमारे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में काम करने वाले खादी ग्रामीण कुटीर उद्योग को उसमें लाभ मिलेगा । इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड, यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे यहां परंपरागत शिल्प है । बेलमेटल है, लौह शिल्प है, बांस शिल्प है, पत्थर शिलप है, गोदना है, भित्ती है, तुंबज शिल्प, टेराकोटा शिल्प, कालीन शिल्प है इन सबको आगे बढ़ाते हुए इस बार हमने उसमें 3 करोड़ 90 लाख रूपये की राशि प्रावधानित की है । आजकल के समय में एक विवाह होता है, एक विवाह में मेंहदी लगाने वाले भी अगर घर में जाते हैं । माननीय रिकेश सेन तो 1 रूपये में लगवा देते हैं लेकिन बाकी अगर आप किसी को बुलायेंगे तो एक जगह आने में 5000 रूपये से कम नहीं लेता है । हम हमारी बहनों को प्रशिक्षण का काम देंगे ताकि उनको हस्तशिल्प के माध्यम से स्वरोजगार मिल सके । अलग-अलग प्रकार के टैटू, अलग-अलग प्रकार की मेंहदी, अलग-अलग प्रकार के रंगोली सजाने का काम, प्रशिक्षण देने का काम हमारा राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड करेगा जिससे कि हमारे बच्चों को रोजगार का एक साधन मिले । इसके साथ ही साथ प्रदेश में शिल्प कला और उसकी संस्कृति के

आधारित उत्पाद वन डिस्ट्रिक वन पोर्टल, एक जिला के एक उत्पाद को बढ़ावा देते हुए रायपुर में पी.एम. एकता माल की स्थापना हम करने वाले हैं । जिसके लिये इस वर्ष के बजट में वर्ष 2026-27 में पी.एम. एकता माल के लिये 93 करोड़ रूपये की राशि प्रावधानित की गयी है । हमारे जो शिल्पकार हैं, वे बना तो लेते हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलता उसके लिये हम लोग रायपुर में एक बड़ा पी.एम. एकता माल बना रहे हैं जिससे एक बड़ा मार्केट भी मिलेगा और साथ ही साथ मुझे बताने में खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ के बने सारे उत्पादों को माननीय ओ.पी.चौधरी साहब ने देश के टॉप के 5 शहरों में उनका एक सेंटर खोलने की घोषणा इस बार हमने बजट में प्रावधानित किया है जिससे हमारे यहां के शिल्पकार, हमारे यहां के कलाकार जो काम करते हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा । इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड आत्मनिर्भर रोजगार उपलब्ध कराने के लिये हमने माटीकला बोर्ड में पंजीकृत शिल्पियों को नि:शुल्क विद्युत चॉक भी वितरण किये हैं । हमने ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना की है जिसके लिये हमने इस वर्ष के बजट में 3 करोड़ रूपये की राशि प्रावधानित की है जिससे हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटे स्थानों में काम करते हैं, कुंभकार समाज के जो लोग काम करते हैं उनको सहयोग मिलेगा और मुझे बताने में खुशी होती है कि ग्लेजिंग यूनिट के संचालन ग्राम गोरिया विकासखंड कुनकुरी जिला जशपुर में नवीन ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना के लिये वर्ष 2026-27 के बजट में 4 करोड़ 30 लाख रूपये की राशि हमने इस बार बजट में किया है । इन सब के अलावा मेरा यह सौभाग्य है कि मैं विधि और विधायी विभाग का भी मंत्री हूँ। हम सब यह जानते हैं कि शिक्षा, समृद्धि और उसके साथ में न्याय हो। सरकार से किसी आदमी को बहुत इन तीन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है और मेरा यह सौभाग्य है कि तीनों विभागों का मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दायित्व सौंपा है। मैं उस संबंध में बताना चाहता हूँ कि हमने न्याय व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस बार वर्ष 2025-2026 में 1265 करोड़ 46 लाख 78 हजार रूपये का बजट प्रावधान किया है। वैसे ही नये-नये अधोसंरचना विकास के लिए हमने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए, अधोसरंचना विकास के लिए विभिन्न न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों के आवास गृह के निर्माण के लिए 88 करोड़ 63 लाख रूपये का बजट में प्रावधान किया है। साथ ही साथ न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए, कंम्प्यूटीकरण के लिए इस बार बजट में 15 करोड़ रूपये की राशि बजट में प्रस्तावित किया है और हमने छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए भी हमने 2 करोड़, 50 लाख रूपये की राशि इस बार बजट में लिये हैं। इसके साथ ही साथ विधिक सहायता और सलाह के लिए नि:शुल्क लोगों को विधिक सहायता और सलाह मिले, उसके लिए हमने बजट में राशि का प्रावधान किया है। मुझे यह बताने में खुशी होती है कि विधिक सहायता और सलाह में पिछले वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के 94 हजार 959 लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता, सलाह मिली है। साथ ही साथ इस वित्तीय वर्ष में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के 100 नवीन पदों के लिए 9 करोड़ रूपये की राशि बजट में प्रावधानित किया है। इस बजट

में जगदलपुर के नवीन एन.आई.ए. कोर्ट की स्थापना हेतु 1 करोड़ की राशि प्रावधानित की है। इस वित्तीय वर्ष में व्यवहार न्यायालय धमधा जिला दुर्ग के 06 पद हेतु, जिला न्यायालय बेमेतरा के 06 पद हेतु, जिला न्यायालय महासमुंद के लिए 55 पद हेतु, जिला न्यायालय बिलासपुर के 18 पद हेतु, जिला न्यायालय पखांजूर, कांकेर के लिए 07 पद, जिला न्यायालय कोरबा हेतु 09 पद, जिला न्यायालय जगदलपुर हेतु 06 पद, जिला न्यायालय जांजगीर-चांपा हेतु 03 पद के सृजन हेतु, इस प्रकार कुल 110 पद के सृजन हेतु, सिविल न्यायालय एवं जिला न्यायालय दुर्ग रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा बस्तर में 46 विभिन्न पदों के सृजन एवं प्रत्येक जिला न्यायालय में अनुवादक के 01-01 पद यानी कुल मिलाकर, 23 पदों के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि बजट में प्रावधान किया है। साथ ही साथ आर्थिक एवं अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित लोगों के लिए भी आपराधिक मामलों में सक्षम एवं प्रभावी नि:शुल्क कानून की सेवा प्रदाय करने के लिए एक करोड़ रूपये की राशि बजट में प्रावधानित की है। मुझे यह बताने में खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद देश के बड़े संस्थान माननीय अजय चन्द्राकर जी की बड़ी भूमिका रही। उनके द्वारा माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने बड़ी संस्थायें लायीं, उसमें एक बड़ा संस्थान संस्थान हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मूक कोर्ट की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमने एक करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया है। साथ ही साथ हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना व्यय के लिए हमने 13 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि बजट में प्रावधानित किया है। अंत में मेरा यही कहना है कि मेरा सदन से यह अनुरोध है कि स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामोंद्योग विभाग, विधि विधायी विभाग और सभी विभागों की अनुदान मांगों पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दिलाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27, 29 एवं 56 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को:-

मांग संख्या	-	27	स्कूल शिक्षा के लिये- दस हजार एक सौ इकसठ करोड़, सैंतालीस लाख, छियासठ हजार रूपये,
मांग संख्या	-	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये- आठ सौ छियालीस करोड़, बावन लाख, तीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिये- दो सौ अठ्ठाईस करोड़, चौरासी लाख, नब्बे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय :-

6:30 बजे **नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा**

दिनांक 27 फरवरी, 2026 की प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित पर्यटन मंत्री से पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-07 (क्रमांक-879) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं दिनांक 27 फरवरी, 2026 की प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित पर्यटन मंत्री से पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-07 (क्रमांक-879) के विषय में चर्चा प्रारंभ करता हूं । माननीय मंत्री जी, चर्चा सुनने वाले कोई हैं ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :- मैं हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप हैं, लेकिन जिसके लिए मैं चर्चा ला रहा हूं, उनमें से एक भी नहीं है । आधे घंटे की चर्चा की गंभीरता क्या है, आसंदी कैसे स्वीकार करती है, वह गंभीरता दिख रही है । मैं ट्रेजरी बैंच का सदस्य हूं इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, बोलने की मेरी मर्यादा है । माननीय मंत्री जी, मैं भूमिका में कम, आपसे सीधे प्रश्न पूछता हूं । जो छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद बनी है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, पहले सब अधिकारी आ जायें, तब आप चर्चा शुरू करते तो ज्यादा अच्छा होता । मेरा आपसे निवेदन है । भले ही कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही रोक दी जाये । सरकार का कितना असर है, वहीं से दिखता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय भूपेश बघेल जी ने दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को संस्कृति परिषद बनाई । संस्कृति परिषद में लगभग उन्होंने 9 संस्थानों का एक अम्ब्रेला बनाया । उस अम्ब्रेला को छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद कहा गया । अब उन्होंने 9 संस्थाओं के काम विभाजित किये हैं । मैं आपसे पहला प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि जो तीन संस्थाएं आपकी हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी, पदुमलाल पन्नालाल बक्शी पीठ और श्रीकांत वर्मा पीठ । इन तीनों पीठ के उद्देश्य और कार्य में लिखा है-हिन्दी साहित्य, हिन्दी साहित्य, हिन्दी साहित्य । ये संस्थाएं हिन्दी साहित्य की किस विधा में क्या काम करती हैं और 2020 के बाद 2026 तक तीनों संस्थाओं ने क्या-क्या काम किया, अलग-अलग बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, ये जो तीन संस्था हैं, वह हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में कार्य करती है । पदुमलाल पन्नालाल बक्शी पीठ हिन्दी साहित्य के सृजन एवं संबंधित क्रियाकलाप और श्रीकांत वर्मा पीठ हिन्दी साहित्य एवं मानविकी के क्षेत्र में शोध, अध्ययन एवं संबंधित क्रियाकलाप ।

समय :-
6:33 बजे **(सभापति महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, मैं भूल जाऊंगा । सभापति महोदय, इसमें विशेषाधिकार भंग का मामला बनता है । विधान सभा में जो मुझे लिखित में दिया गया है, उसे मैंने आपको भी दिया है । आप उस तारीख की प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं । हिन्दी साहित्य, हिन्दी साहित्य और हिन्दी साहित्य ही लिखा है । मंत्री जी उत्तर में एक संस्थान के कार्य में सृजन बता रहे हैं, दूसरे संस्थान के कार्य में दूसरी गतिविधि बता रहे हैं तो आपने जो प्रिंटिंग में प्रश्न का उत्तर दिया है, वह सच है या जो बोल रहे हैं, वह सच है । आप विधान सभा में ही बोल रहे हैं और विधान सभा में ही मुझे उत्तर प्रिंट में, लिखित में मिला है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, ये सच है कि उत्तर में हिन्दी साहित्य, हिन्दी साहित्य और हिन्दी साहित्य ही लिखा है, लेकिन तीनों हिन्दी साहित्य के ही हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप रूकिए न, आप नये मंत्री हैं, मैं आपको कोई परेशान नहीं करूंगा । आप बिल्कुल चिंतित मत होईए । लोगों में कितनी हिम्मत और हिमाकत है, जो लोग माननीय मंत्री जी को जानकारी दे रहे हैं । जिन्होंने दर्द दिया, वही हमको दवा दे रहे हैं । विधान सभा में दो-दो बात रिकार्ड करने की और जानकारी देने की हिम्मत हो गई और हम लोग स्वीकार करेंगे, आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे । इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता । मेरा आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आप अच्छा काम कीजिये। लेकिन उन लोगों को समझिये, जो सदन में एक हफ्ते में दो-दो बात कर रहे हैं। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, अब आप यह बताईये कि हिन्दी साहित्य में छत्तीसगढ़ में इतना क्या-क्या काम है जिसके लिए 3 संस्थाएं बनाई गईं। मैंने कहा है कि तीनों में वर्ष 2026 तक क्या-क्या काम हुए हैं ? आपने वर्ष 2026 तक तीनों आकदमी या 2 पीठ बनाया है, इसके आफिस ने क्या-क्या काम किया है ? इसका आफिस कहां पर है ? इसके अध्यक्ष कौन हैं ? यह सब थोड़ा बताईयेगा। आप परेशान मत हाईये, नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप नोट करते जाईये। क्योंकि आपको आगे इनको सुधारना पड़ेगा, यदि आप स्वीकार करेंगे तो ?

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैं सभी उत्तर रखा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। यदि मेरी बात सही है तो आप सुधार लेंगे। उत्तर आने दें ? माननीय मंत्री जी, आप उत्तर देंगे या आगे बढ़े ?

श्री राजेश अग्रवाल :- मेरे पास उत्तर है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये उत्तर दीजिये। आफिस कहां पर है ? तीनों पीठें हिन्दी साहित्य के विभिन्न आयामों में जो आपने गिनाया है, अलग-अलग कहां-कहां, क्या-क्या काम किया है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, पदुम लाल पुन्नालाल बक्शी पीठ वर्ष 2022-23 द्वारा किए गए काम किया गया। बक्शी जयंती 27 मई को भिलाई में किया गया। पं. माधव राव सप्रे स्मृति का समारोह 1 जुलाई, 2022 को आयोजित किया गया। डॉ. खूबचंद बघेल जयंती एवं समारोह एवं मुंशी प्रेमचंद की जयंती समारोह 19 जुलाई, एवं 31 जुलाई, 2022 को भिलाई में आयोजित किया गया। काव्य पाठ प्रथम श्रृखला काव्यान 28 अगस्त, 2022 को आयोजित किया गया। गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति समारोह एवं समकालीन परिदृश्य एवं हिन्दी व्यंजन की चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 17 नवम्बर, 2022 को आयोजित किया गया। वीर नारायण सिंह एवं गुरूघासीदास स्मृति समारोह एवं संगोष्ठि ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, एक मिनट। अच्छा चलिये, बोल लीजिये।

श्री राजेश अग्रवाल :- 18 सितम्बर,2022 को आयोजित किया गया। श्रीकांत वर्मा पीठ के द्वारा वर्ष 2022-23 में कार्यक्रम किया गया। श्रीकांत वर्मा की पुण्यतिथि 25.5.2022 को बिलासपुर में आयोजित किया गया। श्रीकांत वर्मा के जन्मदिन पर 3 दिवसीय सृजन, संवाद, साहित्यिक आयोजन 18 से 20 सितम्बर, 2022 में आयोजित किया गया। गांधीवादी चिंतक विचारक एवं साहित्यकार श्री सोपान जोशी दिल्ली का व्याख्यान 10 नवम्बर, 2022 बिलासपुर में आयोजित किया गया। कहानी पाठ 30 सितम्बर, 2022 बिलासपुर में आयोजित किया गया। लेखन एवं रचना प्रक्रिया पर चर्चा 04 मार्च, 2023 ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक काम करियेगा। आप जो पढ़ रहे हैं, उसको मुझे दे दीजियेगा। आपने 2 पीठ का बताया है, आप अकादमी का भी लिखकर दे दीजियेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप पूरे काम को देखेंगे तो मैंने 6 साल का पूछा है। पीठ, जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए नहीं बनाई जाती है। यह पहली बात उनके अधिकारी स्पष्ट कर लें। यदि छत्तीसगढ़ में जयंती और पुण्यतिथि मना रहे हैं तो उसके लिए एक संस्था काफी है। मैं दूसरा प्रश्न करने के लिए आपको बता दूं कि 7 पीठ विभिन्न विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। उसके बाद संस्कृति विभाग में अलग से पीठ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ? पहली बात यह है क्योंकि यह उसी से जुड़े हुए विषय हैं। जो हिन्दी साहित्य, हिन्दी साहित्य मेरे पास पेपर है, मैं उसी पर बात करूंगा। माखन लाल चतुर्वेदी, शंकर शानी जी जगदलपुर के बैठे हैं। क्यों साहब ? शंकर शेष, सत्यदेव दुबे, पुन्ना लाल

पदुम लाल बक्शी, गजानंद माधव मुक्तिबोध, ऐसे अन्यान्य व्यक्तित्व गिना दूंगा, जिन्होंने पूरे हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया। क्या आप उन विषयों पर काम कर रहे हैं? इसमें योगदान करेंगे क्या? हिन्दी साहित्य के लिए 3-3 संस्थाएं सिर्फ बनाये हैं। उनके गद्य में करेंगे, उसकी आलोचना में करेंगे, उसके पद्य में करेंगे, हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, उसमें आपने कोई काम किया है क्या? मुझे एक भी बताइए। हां, इस विधा पर, इस साहित्यकार पर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ में सीमित हूं न? मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, जहां से हिंदी शुरू हुई या रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह जी या दूधनाथ सिंह पर बात नहीं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के जिन लोगों ने यह काम किया है, उस पर 6 साल में कोई काम हुआ है क्या? और ऐसे नाम गिना दूंगा, जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य के सुझाव बहुत अच्छे हैं। पूर्व में काम नहीं भी हुआ होगा, लेकिन आपके द्वारा सुझाव मिल रहा है, तो आगे हम ज़रूर काम करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक, चलिए मैं इतने में संतुष्ट हूं। मैं आगे बोलूंगा । अब आप जो मुझे जानकारी दिए हैं, 7 नंबर पढ़िए– छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम। ठीक है? उसमें लिखा है– छत्तीसगढ़ भाषा एवं बोली को बढ़ावा। आप संविधान की आठवीं अनुसूची पढ़ लीजिए, उसमें छत्तीसगढ़ भाषा है क्या? यह बताइए। उसके बाद आपने प्रिंट किया है भाषा, यह क्यों किया है? इसमें ऐसा गलत प्रिंट करने पर फिर विशेषाधिकार, आप कार्रवाई करेंगे क्या किसी अधिकारी के ऊपर जो ऐसे गुमराह करते हैं? या यह साबित करें कि छत्तीसगढ़ भाषा है, आठवीं अनुसूची में जुड़ा है।

श्री राजेश अग्रवाल :- नहीं, अभी तक छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास चल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, माननीय मंत्री जी, मैंने यह बोला कि किस तरह से गलत प्रिंटिंग, गलत राजपत्र जैसी चीजों में प्रकाशित, राजपत्र में भी ऐसा प्रकाशित है न। तो इस तरह की चीजें हैं, जब छत्तीसगढ़ी भाषा हो गई, तो राजभाषा परिषद का, आयोग का मतलब क्या है फिर? जब आप भाषा स्वीकार कर चुके हैं, तो ऐसे करने में कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है, यह आप मुझको बताइए । या तो उसको भंग कीजिए, दोनों में से एक बात कीजिए। जब छत्तीसगढ़ी भाषा बन चुकी है। अब दूसरी बात, आप यदि राजभाषा परिषद बनाए हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ भाषा लिख दिए हैं, तो सुझाव को मैं बाद में दे दूंगा, इसमें तो मुझे कार्रवाई ही करेंगे या नहीं करेंगे, यह बताइए। मुझे कार्रवाई से मतलब है या सुधारेंगे, यह बताइए।

श्री राजेश अग्रवाल :- अगर कोई गड़बड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से सुधारेंगे भी और ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, महोदय, प्लीज। या तो नोटिस देकर भाग लीजिए। अब आपको बता दूं, आप खड़े हो तो आप कलाकार हो, माननीय निषाद जी। हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य– तीन। तीन चीजों के अध्ययन के लिए तीन चीज़, तीन संस्थाएं बनी हैं, वह छत्तीसगढ़ ही है और कहीं नहीं। एक बता दूं, हम लोग इतने उर्वर हैं, हम लोग फर्टाइल हैं, एक। दूसरा, आपने दो बैठक की, तो एक बार बैठक तो आपने वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए की। यह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया का आशय आपको बता रहा हूं। अब मेरी भाषा विकृत हो जाएगी, इसलिए वहीं रोक देता हूं। तो मैं आपसे यह पूछ रहा था– इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि आपने विधान सभा में छत्तीसगढ़ी को भाषा कहा? राजपत्र में जो यह संस्था प्रकाशित हुई है, उसमें आपने भाषा लिखा। अब इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो कार्रवाई करेंगे, इसका मतलब क्या है?

श्री राजेश अग्रवाल :- परीक्षण कराकर...।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें परीक्षण, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? विधान सभा की प्रश्नोत्तरी आपके पास रखी है, मैं राजपत्र की कॉपी आपको दे रहा हूं, इसमें परीक्षण की क्या ज़रूरत है?

श्री राजेश अग्रवाल :- फिर भी जांच कराकर जो भी आवश्यक होगा, कार्रवाई करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए भाई, छत्तीसगढ़ी की जो दुर्दशा है, वह इसी कारण से है, आप नोट कर लीजिए। आपको अवसर मिला है। अब आपको बता दूं– कला अकादमी, गुरु घासीदास शोधपीठ, अनुसूचित कला अकादमी, आदिवासी लोक कला अकादमी। यह तीन हैं, 4, 5, 6 जो हैं, समझ रहे हो साहब? पढ़ लीजिए। आप मुझे इनकी बैठकें बता सकते हैं? अब पृथक से बैठक होनी है, आपके नियम-निर्देश में 6 साल का कोई कार्य बता सकते हैं? गठन होने के बाद का बैठक बता सकते हैं? छत्तीसगढ़ी रंगमंच की परंपरा जानते हैं क्या? छत्तीसगढ़ी रंगमंच पर कुछ लिखा-पढ़ा गया है, उसकी आपके अधिकारी कोई किताब जानते हैं क्या? एकाध किताब बताएंगे क्या? क्या वह बहस करेंगे? तो इनकी बैठकें हुईं, इनकी नियुक्ति हुई, इनमें कोई काम हुआ? यह आप बता सकते हैं तो एक-एक लाइन में बता दीजिए। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य क्या है, उसको मैं आखिरी में बोलूँगा। राजेश जी, अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप मुझे बाद में बता दीजियेगा। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- चंद्राकर जी, राजेश अग्रवाल जी बहुत अच्छे मंत्री हैं। वे सहृदय व्यक्ति हैं और छत्तीसगढ़ के लिए उनके दिल में कूट-कूट कर प्रेम भरा हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) अब आप उनके ऊपर एकदम बोफोर्स तोप टाइप का मत चलाइये। आप थोड़ा-सा दूसरा गन चला दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है।

श्री केदार कश्यप :- मंत्री जी, आप एक बार माननीय वरिष्ठ विधायक को बुला लीजिये और उनके माध्यम से क्या-क्या और अच्छा हो सकता है, उनसे सुझाव लेकर के उसको इंप्लीमेंट करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- राजेश अग्रवाल जी नए सदस्य हैं और अभी उनको ज्यादा अनुभव भी नहीं हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। उनको मेरे साथ अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारियों की मनमानी और भूपेश बघेल जी के **कुकृत्य,** यह मुझको रिकॉर्ड में लाना है। सुधरे या मत सुधरे, कार्यवाही हो या मत हो, यह अलग विषय है। आपने सात संस्था को एक कर दी। उसमें एक बैठक नहीं हुई, एक नियुक्ति नहीं हुई और एक काम नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति-साहित्य को आप कहां ले जाना चाह रहे थे? छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए यह सबसे बड़ा मैटर है, जिसमें कुछ नहीं हो रहा है। जिसको राजेश जी कुछ करेंगे। राजेश जी, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी मांग है। चलिए, आप बाद में मुझे जानकारी दे देंगे। क्या आप इन सातों संस्थाओं को अलग-अलग करेंगे? क्या इसको स्वतंत्र निकाय का दर्जा देंगे? एक। आप चाहेंगे लिख तो लीजिये, मैं बहुत धीरे-धीरे बोल देता हूँ। दूसरी बात, आपने यह जो तीन चीजें बना रखी है, साहित्य अकादमी, पन्नालाल पदुमलाल बख्शी पीठ, श्रीकांत वर्मा पीठ और गुरु घासीदास शोध पीठ। या तो शोध पीठ यूनिवर्सिटी के पास जाए या शोध पीठ है तो एक संस्था के अंदर में नहीं होती, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। संस्कृति में पीठ नहीं होती, उसका अकादमी में कहीं ऑफिस चेयर नहीं होता। अकादमी भी है और पीठ भी है, यह छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है या इनकी बुद्धि में हो रहा है? इसलिए क्या आप इसको अलग-अलग करेंगे? जो संस्कृति परिषद बनी है, उसको हटा कर या विचार करूँगा बोल दीजियेगा और तीनों संस्थाएं जो अलग-अलग हैं, वह अलग-अलग संस्थाएं एक ही काम कर रही हैं, क्या आप उसको एक करेंगे?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वह उनकी जानकारी में है और परीक्षण कराने के बाद निश्चित रूप से उसको अलग करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर 3- चलिए ठीक है, साहब। आपके ध्यान में आ गया है?

श्री राजेश अग्रवाल :- हाँ, बिल्कुल।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, सात नंबर में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली बनाए जाने वाले फीचर फिल्म, वृत्तचित्र गतिविधियां का उल्लेख है। एक तो राजपत्र से और इसके नोटिफिकेशन से आपने विधान सभा में जो जानकारी भेजी है, उस भाषा को आप डिलीट कर दीजिये। आप पुनर्प्रकाशन के लिए भेजिये। आप कार्यवाही तो करेंगे नहीं क्योंकि उन लोगों के हाथ-पैर बड़े लंबे होते हैं। वे विद्वानों के विद्वान होते हैं। मैं ऐसी भाषा बोलूँगा तो हुल्लड़ हो जाएगा। मेरे मन में इतना गुस्सा है। जो इसमें छेड़छाड़ भूपेश बघेल जी, जिसको अभी तक हम लोग झेल रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, ओखर विभाग मा बोलत हे अउ हमेशा हमन के नाव लेथे। भैया, एक मिनट।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्लीज, अतका गंभीर चर्चा कभू-कभू होथे।

श्री रामकुमार यादव :- हाँ, मैं तुंहर गंभीर ला समझ गय हौं। मंत्री जी, मैं ओकर भावना ला समझ गये हौं। ओकर बर कैटरीना कैफ जैइसे एको ठन कलाकार ला लान के नचवा देवओ, फिर ओहा शांत हो जाही। ओहा इही चाहत हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कितनी बोलियाँ हैं? यहां सरगुजिया बोली है, आप सरगुजा से आते हैं। गोंडी, हल्बी, कुड़ुख बोली है। ठीक है? और भी बोलियाँ हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम ने और आपने सिर्फ छत्तीसगढ़ी भर का उल्लेख किया है। क्या इन बोलियों को भी आप उसमें जोड़ेंगे कि इनकी भी लिपि बनाएँ, इनके भी प्रकाशन करें, इनके भी भाषा में हम फिल्म बनाएँ? क्योंकि जब आप गन डाउन करवा रहे हैं तो गन डाउन के बाद जो हमारी लड़ाई शुरू होगी, उसको जड़ मूल से खत्म करें, जो हो नहीं सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि विचार कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके पहनावे, उनके खान-पान को संरक्षण देना, उसको समृद्ध बनाना, इनके उद्येश्य में उन बोलियों को भी शामिल करेंगे क्या ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, टोटल...।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप उसमें मत जाईये कि कितनी बोली और कितनी भाषा...।

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, जो मुख्य बोली है, मानकीकरण का कार्य चल रहा है..।

सभापति महोदय :- आप उसमें डिस्कसन मत करो । आपको भी मालूम है और इनको भी मालूम है । वह जो बोल रहे हैं, अब जो बाकी बोली और भाषा है आप उसको शामिल करेंगे ।

श्री राजेश अग्रवाल :- पूरी 42 बोलियों के मानकीकरण का काम चल रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अकादमी अलग काम करती है, विभाग अलग काम करता है, संस्थायें क्यों बनाई है ? आपके यहां तो पूरा विभाग एक आदमी चलाता है, उसी से बोली भाषा का अध्ययन करा लीजिए, इतनी विशेषज्ञता हिनदुस्तान के संस्कृति विभाग में और नहीं है । अच्छा खैर छोड़िये । आपके ध्यान में आ गई ना? अब आप देखिये, कला अकादमी में लिखे हैं रंगमंच, शिल्पकला, संगीत, नृत्य । आप इसको अलग निकाय नहीं बनाते हैं, संस्कृति परिषद के अंदर ही रखते हैं तो आपने इसमें आदिवासी चित्रकला लिखा है और एक में अनुसूचित जाति कला संस्कृति लिखी है । कला संस्कृति किसी जाति की होती नहीं है, यह संकीर्णता निकाल दीजिए, उसके बाद फोपाज की जितनी विधायें हैं, उसको इस उद्येश्य में शामिल करोगे क्या, इन सभी चीजों को चाहे वह जिस तरह की परम्परा संस्कृति हो ? आपने अनुसूचित जाति के लिये एक में लिखा है और दूसरे में लिखा है कि आदिवासी लोक कला अकादमी बनाई है, उसके अतिरिक्त और लोक कलायें हैं । छत्तीसगढ़ में उसको संरक्षण कौन देगा ?

श्री राजेश अग्रवाल :- बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जितनी भी लोककलायें हैं, लोक संस्कृति हैं, चाहे वह किसी भी जाति या समाज की हो, सभी को संरक्षित और विस्तार करने पर जोर दिया जायेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर:- देखिये, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ । राऊत नाचा या डण्डा नृत्य है, यह न किसी अनुसूचित जाति की है या किसकी है, यह दीवाली पर होता है । लोककलायें जो अन्य है, सुआ नृत्य है, यह जाति-पाति से परे है । आप इससे जातिगत शब्दों को हटाईये । संस्कृति या कला को जाति में बांटना बहुत संकीर्णता है । मैं अभी सुबह इंदिरा कला विश्वविद्यालय में जब बोल रहा था तो यही बात बोला हूँ । अब मुझे यह बता दीजिए कि वर्तमान अकादमी में कोई प्रशासक काम कर रहा है या प्रतिनियुक्ति में कोई आते हैं, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डायरेक्टर, अलग-अलग में स्वीकृत है कि एक ही में स्वीकृत है ? मेरा एक ही का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के नियम निर्देश में नियुक्ति का प्रावधान है कि यह जो 9 संस्थायें बनाई है उसमें अलग-अलग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रशासक और उसके क्वालिफिकेशन्स में विषय विशेषज्ञता है कि सिर्फ राजनीतिक है ? यह थोड़ा बता दीजिए ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय...।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजेश जी, आप परेशान बिल्कुल मत हो ।

श्री राजेश अग्रवाल :- मैं परेशान नहीं हूँ ।

सभापति महोदय :- आप अपने स्टाईल में बोलो ना ?

श्री राजेश अग्रवाल :- संस्कृति विभाग के लिये मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं, हिन्दी साहित्य में अध्यक्ष हैं और एक विभाग में अध्यक्ष हैं । तीन विभाग में अध्यक्ष हैं, बाकी में...।

श्री अजय चन्द्राकर :- विभाग नहीं है सरकार ।

श्री राजेश अग्रवाल :- जो भी है ।

श्री अजय अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंदर 9 हैं, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद में एक नियुक्ति होगी, उसके अंतर्गत जो संस्थायें अलग-अलग नियुक्ति होगी, उसका कार्यकाल क्या होगा, वेतन भत्ते क्या होंगे, इसकी एक स्पष्ट जानकारी चाहता हूँ कि अगले सत्र में सदन में पटल पर इसके नियम रखवा दें ।

श्री राजेश अग्रवाल :- संस्कृति परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं और विभागीय मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं और उसी के अंतर्गत सभी आते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, अब आखिरी की ओर बढ़ते हैं। इन ढाई सालों में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की कभी एक साथ बैठक हुई है ? कितनी बार बैठक हुई है? क्या अलग-अलग संस्थाओं की बैठक हुई है? बैठक भर को बता दीजिए, कितनी बार हुई है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- पूर्व में बैठक नहीं हुई है लेकिन अभी अगले महीने प्रस्तावित है।

श्री अजय चंद्राकर :- अगले महीने का छोड़िए न। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। युधिष्ठिर प्रतिदिन दान करते थे तो एक ब्राम्हण बैठे-बैठे लेट हो गया तो एक ब्राह्मण आया, वे उसको अब कल आना बोले तो भीम हंसने लगे। बोले क्यों हंस रहे हो? बोले, आपने काल को जीत लिया, आपने कल को देख लिया, ब्राम्हण देवता को कल बुला रहे हो। युधिष्ठिर ने उनको बुलाया, आ भाई, अभी ले और जा। तो कल क्या होगा उसको देखने के लिए हम मौजूद नहीं रहेंगे।

श्री राजेश अग्रवाल :- नहीं, मोदी जी हम लोगों को 2047 तक बैठने के लिए बोले हैं। हम लोगों को कैसे भी 2047 तक रहना ही पड़ेगा। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- राजेश भैया, 2047 में पूरा होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, आप सुन लीजिए, मैं आपको शुरू से ये बोल रहा हूं, मैंने सभी को कहा है, मोदी जी के एक शब्द को हमको ध्यान में रखना है - रिफॉर्म एंड परफॉर्म। हम लोग यदि उनके विजन को ग्रहण कर रहे हैं तो हमको रिफॉर्म और परफॉर्म शब्द को रटना पड़ेगा। इसके नियमित करने से कोई भी वित्तीय भार अलग से नहीं पड़ेगा। उनकी तरह बैठक मत कीजिएगा, केवल वेतन भत्ते बढ़ाने भर के लिए बैठक हुई है। बिल्कुल अब आखिरी की ओर हूं। एक चीज और टेबल करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- चंद्राकर जी एक मिनट। उनकी गलती का गुस्सा राजेश अग्रवाल जी के ऊपर मत उतारिए। आप उनको सलाह दे दीजिए, वे सब मान जाएंगे। वह तो हमारे सदन के लालू यादव हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, बिल्कुल नहीं उतार रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- सर, तुंहर बुद्धि ला देख के मोला एक ठन सुरता आ थे। हुजूर, हमर यहां एक झन कम बुद्धि रहिसे तेला कहय हाप माइंड, अउ एक झन के ज्यादा बुद्धि रहिसे तेला कहय ज्ञान बईहा। त तू कौन केती के ओ तेला पहचान लेव।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- ऐला पागलखाना कब भेजत हो, ओला बताव न पहले। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ज्ञान बईहा ओ हरे, मैं नो ओ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, डोगरी जैसी चीजें भी आठवीं अनुसूची में आ गई हैं, जिसके बोलने वाले हमसे छत्तीसगढ़ी से कम हैं। हमारे यहां जितनी बोलियां हैं, आप छत्तीसगढ़ के इतिहास संस्कृति को पढ़ लीजिए। कभी हम सीपी बरार में रहे, कभी मध्यप्रदेश में रहे, कभी मध्य प्रांत में रहे, अब छत्तीसगढ़ बना। 25 साल में भी जो भावनात्मक एकता बननी चाहिए, हमारी कल्चर रीति-रिवाज ऐसी नहीं हैं जो अभी भी एक छत्तीसगढ़ के लिए स्थापित हों। आप 62-63 महोत्सव करवाते हैं, उसमें एक भी छत्तीसगढ़ स्तर का महोत्सव नहीं है। एक सिरपुर महोत्सव हमने स्थापित करने की कोशिश की थी, मेरे हटने के दो साल बाद वह बंद हो गई जिसमें बड़े-बड़े लोग आते थे। एक बार कोरिया के राजदूत आए थे, एक बार जापान के राजदूत आए थे। उनको बौद्ध संस्कृति को बताना था जो

18 बुद्धिस्ट कंट्री है, उनके डेलीगेट्स लोग आए थे। मैं ये बोल रहा हूं कि भाषा भावनात्मक रूप से एक करती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का व्याकरण हिंदी से पुराना है, 1890 में छपा है, समझ रहे हैं ना? एशियाटिक सोसाइटी में भी वह हिंदी से पहले छपा। छत्तीसगढ़ की बोली में, छत्तीसगढ़ी में कोई भी ऐसी चीजें नहीं हैं जो भाषा नहीं बन सके। आठवीं अनुसूची में जुड़वाने के लिए कमी कहां-कहां पर है, उसके लिए एक गंभीर प्रयास की जरूरत है। राजभाषा आयोग ने क्या-क्या प्रयास किए हैं आप बता सकते हैं? नहीं तो अगले सत्र में आप हम ये-ये कदम उठा रहे हैं, एक टेबल कर देना, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता चल जाए कि आप गंभीर हैं। क्योंकि टेबल होगा तो सभी माननीय सदस्यों को पता लग जाएगा, उससे छत्तीसगढ़ में एक भावनात्मक एकता आएगी उससे।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें।

श्री अजय चंद्राकर :- जी, बस आखिरी है।

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश निर्माण समिति का गठन किया है। जिसका काम कंप्लीट की ओर है। जैसे ही कंप्लीट होगा, आठवीं अनुसूची के लिए सभी कार्रवाइयां कंप्लीट हो जाएंगी।

समय :
7.00 बजे

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, यह जो उत्तर आप दे रहे हैं कि भाषा कोष बनाने, व्याकरण बनाने, येयों-त्यों का, इसको मैं 20 साल से सुन रहा हूं। ये मेरे फेवरेट विषय हैं। आप समझ रहे हैं? यह क्यों नहीं हो रहा है वह मैं जानता हूं, लेकिन मेरी अपेक्षाएं तो आपसे हैं। बहरहाल, मुझे इशारा हो गया है। ये पूरी संस्थाएं छत्तीसगढ़ की जरूरत का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। आपको छत्तीसगढ़ के साहित्य, छत्तीसगढ़ के नृत्य, छत्तीसगढ़ के फोक आर्ट, छत्तीसगढ़ के लेखन को मंथन करने की जरूरत है। यह समृद्ध और छोटा राज्य है तो 20 संस्थाएं पॉलिटिकल सैटिस्फेक्शन के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यदि सब चीजें बना दी तो जरूरी नहीं है। एक अकादमी बनाकर हम अलग-अलग सेक्शन बना सकते हैं। मसलन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ कितना समृद्ध है। दुनिया में नहीं मिलेगा। हमें गर्व करना चाहिए और यह हम कर नहीं रहे हैं, मेरी पीड़ा यह है। राजा चक्रधर जी की किताबें, देवेन्द्र जी हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, यदि हो जाए तो वह संगीत की दुनिया की पहली किताब होगी। ताल तोय निधि या नर्तन सर्वस्व। दो और हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसकी चार किताबें थीं। मेरा एक अंतिम आग्रह है, जो थोड़ा सा भाषण की शक्ल ले रहा है, लेकिन मेरा भाषण देने का कोई मूड नहीं है। सभी क्षेत्रों के लिए एक संस्था बने, जिसके अम्ब्रेला में ऐसी छोटी-छोटी संस्थाएं रहें। अध्यक्ष कौन है, कुछ नहीं, लेकिन उसमें काम हो। अभी काम कैसा हो रहा है, उसको मैं आपको एक उदाहरण के

साथ बता देता हूं, फिर समाप्त करूंगा। एक मेरी कांस्टिएंसी में एम्फीथिएटर स्वीकृत हुआ। ठीक है। 6 महीने से उसमें काम बंद है। मैं अधिकारियों से पूछता हूं कि एम्फीथिएटर किसको बोलते हैं? यदि उनको एम्फीथिएटर समझ में नहीं आया तो उसको स्वीकृत नहीं करना था और यदि स्वीकृत हुआ तो उसको बनवाना था और नहीं बनवाते तो मुझे बता देंगे कि नहीं बनवाये तो मेरे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। मैं उसकी फोटो खींचकर गजेन्द्र सिंह शेखावत से लेकर प्रधानमंत्री तक जाऊंगा। मैं इसलिए जाऊंगा कि छत्तीसगढ़ में नासमझ लोग लोक धन का दुरुपयोग ऐसा करते हैं। या तो आप उसको डिस्मेंटल करवा दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, वह नासमझ कौन है? थोड़ा बताइये, हम लोग भी जानें।

श्री अजय चंद्राकर :- ममा, एक मिनट बइठ, नहीं तो अंते-अंते में गड़बड़ हो जाही। आप कृपा करके ऐसा काम हाथ में मत लीजिए, जिससे विभाग बदनाम हो। अभी आपका विभाग बदनाम हो रहा है और ऐसी कई चीजें मैं आपको बता दूंगा। चाहे वह साडा बनाया हो, चाहे सिरपुर के संग्रहालय के हों, चाहे आपके अभिलेखागार हों। आज छत्तीसगढ़ के बारे में किसी को रिसर्च करना हो तो अभिलेखागार नहीं खोल पा रहे हैं। मैं 25 साल से मांग कर रहा हूं और मैं क्यों नहीं कर पाया उसको भी बता दूंगा। यदि अनुमति मिलेगी तो मैं नाम लिखकर बता दूंगा। ऐसी चीजें हैं कि छत्तीसगढ़ में इस काम को करने का जिम्मा आपके पास है। यह एक माध्यम था, जिसके उत्तर सही नहीं आए। मैंने आज तक हिंदुस्तान में नहीं देखा है कि हिंदी साहित्य के लिए तीन संस्थाएं काम करती हैं। मैं लगभग सभी प्रदेशों, मुख्य प्रदेशों की जगहों में गया हूं। चाहे देखने गया हूं, चाहे भाषण देने गया हूं, चाहे किसी भी भूमिका में गया हूं। तो कृपा करके इस विषय को ठीक करने के लिए आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? आप यह बता दीजिएगा या आगे बता दीजिएगा। मेरा विषय इतना है।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वास्तव में यह जो चर्चा हुई, निश्चित रूप से इससे मुझे बहुत सी चीजों की जानकारी मिली है। हालांकि अभिलेखागार का इस बजट में स्वीकृत हो गया है और हमारे भोपाल के भी पुराने रिकॉर्ड हम संरक्षित करके यहां मंगवा रहे हैं और आपके सुझाव पर पूर्णतः अमल करते हुए आगे हम काम करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप मेरा सुझाव मत लीजिये, मेरे सुझाव में जो एम्फीथिएटर बना है, वह विश्व रिकॉर्ड बना रहा है।

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, हम उसको भी बनावाएंगे।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त कीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी का एक दिन इसमें उद्बोधन करवा दीजिये। जिसमें कला, संस्कृति की बात होगी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बिना आरोप-प्रत्यारोप के एक एकेडमिक सब्जेक्ट में आधे घंटे की चर्चा कराई। आरोप-प्रत्यारोप का कोई उद्देश्य नहीं था। एक गंभीर काम छत्तीसगढ़ के साहित्य, संस्कृति, कला पर हो, यह इसका उद्देश्य था। ऐसी चर्चा कराने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- एक मिनट। संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अजय चंद्राकर जी की विद्वता को आपने देख भी लिया है, परखा भी है। वह उद्बोधन और प्रबोधन दोनों दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के कला, छत्तीसगढ़ के साहित्य, छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ की बोली। अब संसदीय कार्य मंत्री को यह तय करना है कि वे हाउस के बाहर ऑडिटोरियम का उद्घाटन कब करायेंगे और उसे कब करा सकते हैं ? आप उसी में माननीय अजय चन्द्राकर जी का उद्बोधन और भाषण करा दीजियेगा। धन्यवाद।

श्री केदार कश्यप :- बिल्कुल। सभापति महोदय, सत्र के दौरान ही करायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, पुराने समय में मैटिनी शो पहले लग जाते थे। अब तो मैटिनी शो भी बंद हो गये हैं और अब तो ओ.टी.टी. का जमाना है। केदार जी, अब उनको लेकर ओ.टी.टी. में आयेंगे।

श्री रामविचार नेताम :- सर, माननीय वरिष्ठ सदस्य अपने जमाने के बहुत धांसू हीरो हुआ करते थे। (हंसी) जब इनका कारवां निकलता था तो कुरूद की गली सुन्न हो जाया करती थी। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बताया जाता है कि अभी-भी ऐसा ही है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हम पार्लियामेंट को एक दिन लाईव देख रहे थे। ममता बैनर्जी जी विरोध में बैठकर लालू यादव जी से पूछ रही थी कि रेल का यह हुआ, वह हुआ। ममता जी रेल विभाग मांग रही थी तो वह खड़े होकर बोली कि मैं नहीं मांग रही हूं तो लालू यादव जी ने खड़े होकर बोला कि जाओ नहीं मिलेगा। अजय जी हमारे सदन के लालू यादव सरीके है। आपने बहुत बिढ़या और बिंदास जवाब दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय रामविचार नेताम जी ने जो कहा वह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन उन्होंने आज अचानक इस बात को क्यों कहा, क्या आपको मालूम है ? मैंने सुबह यह कहा था कि छत्तीसगढ़ के गौवंशी पशु है, उनका भविष्य आपके हाथ में है।

समय:

7.07 बजे **अशासकीय संकल्प**

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "भिलाई नगर स्थित सेक्टर-09 हॉस्पिटल को सर्वसुविधायुक्त मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के रूप में पुन: स्थापित किया जाये।"

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति महोदय, भिलाई शिक्षा धानी, खेलधानी और कलाधानी है। वर्ष 1958 में सेक्टर-09 हॉस्पिटल की स्थापना हुई और उस समय जब मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य समाहित थे, तब मध्य भारत में सेल का एक ही ऐसा हॉस्पिटल था, जिस पर पूरा मध्य भारत डिपेंड रहता था। माननीय सभापति महोदय, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों के लिये..।

(कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर)

सभापति महोदय :- रिकेश जी, जारी रखें।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, पूरी रेल की पटरियां भिलाई में बनती है, जिसमें पूरा भारत दौड़ता है, उसी के कर्मचारियों के लिए सेक्टर-09 हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था। वह हॉस्पिटल टोटल 66 एकड़ में बना हुआ है और करीब 5 एकड़ में उसका बिल्ड अप एरिया है। यह हॉस्पिटल स्टार्टिंग में सर्वसुविधायुक्त था लेकिन आज के समय में कहीं न कहीं बीमारियों से संबंधित बहुत से ऐसे विभाग हैं, जो आज उस हॉस्पिटल में नहीं है। अब धीरे-धीरे वह हॉस्पिटल खत्म होते जा रहा है। कहीं न कहीं हमारे बी.एस.पी. के कर्मचारियों के इलाज के लिए भी बड़ी तकलीफ हो रही है और भिलाई के इस अस्पताल को बचाने के लिए मैं आज अशासकीय संकल्प लेकर आया हूं। इसमें आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि यह दिखता तो सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल है लेकिन उसमें सर्वसुविधायुक्त कुछ भी नहीं है। अब लोग उस हॉस्पिटल में न जाकर अधिक पैसा देकर प्राईवेट हॉस्पिटल की ओर निकल रहे हैं। यहां तक कि मध्य भारत में जब सिर्फ यही एक हॉस्पिटल होता था तो उस समय पूरे लोग इस हॉस्पिटल पर डिपेंड होते थे। आप चाहे बिलासपुर की बात कर लीजिये, चाहे अम्बिकापुर की बात कर लीजिये। यहां तक कि मध्य प्रदेश था तो भोपाल की बात कर लीजिये और जब साथ में महाराष्ट्र था तो उस समय भी गोंदिया से लेकर नागपुर तक और उड़ीसा के लोग भी इसी हॉस्पिटल पर डिपेंड थे। मेरा आपसे यहीं अनुरोध है कि इसे लखनऊ के पी.जी.आई. की तरह या तो इसे एम्स के रूप में स्थापित किया जाये या तो मेडिकल कॉलेज के रूप में या इस हॉस्पिटल को मिनी एम्स के रूप में स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि पूरा भिलाई ही नहीं, पूरा प्रदेश आज भी सेक्टर-09 हॉस्पिटल में विश्वास करता है और लगभग ये विश्वास कायम भी है। हमारे जो भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, उनका तो इतना अटूट विश्वास है कि वहां के अलावा वो कहीं पर भी विश्वास

नहीं करते हैं। वहां कि चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर से लेकर जितने स्टाफ हैं, उनका व्यवहार कुशल होना है। और सेल की यह जो महत्वाकांक्षी योजना थी, इन्होंने जो सेक्टर-09 हॉस्पिटल को अपने कर्मचारियों के लिये बनाया है, मुझे लगता है कि इसका काफी सदुपयोग भी हुआ है। मैं सदन से भी इस विषय में अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे केन्द्र सरकार को भेजा जाये ताकि इसको एम्स या लखनऊ पी.जी.आई. की तरह या तो मिनी एम्स की तरह या मेडिकल कालेज के रूप में स्थापित किया जाये। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिये बड़ा ही गौरव का विषय होगा। क्योकि आज भी सबसे बडा बर्न यूनिट छत्तीसगढ़ में एक भी जगह कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी ऐसा अत्याधुनिक तरीके से बर्न यूनिट नहीं है। आज भी लोगों को उसी बर्न यूनिट में आना पड़ता है। आज भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिये लोग सेक्टर-09 हॉस्पिटल की तरफ रूख करते हैं। हम लोग इतने सरकारी हॉस्पिटल खोल रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग बिल्डिंग, इक्यूपमेंट से लेकर सारी चीजों में करोड़ों, अरबों रुपये खर्च भी करते हैं। ऐसे भी बाहर से अलग-अलग कंपनियां भी, अलग-अलग ब्रांड के लोग भी हमारे प्रदेश में अपना हॉस्पिटल लेकर आने वाले हैं। लेकिन कम दर पर इलाज का आज भी किसी को विश्वास है तो सेक्टर-09 हॉस्पिटल में लोगों का विश्वास है जहां पर बहुत कम दर पर लोगों का इलाज हो जाता है। जो भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर्ड बी.एस.पी. कर्मचारी हैं, उनका वहां पर नि:शुल्क इलाज होता है। इसलिए इस बात की चिंता को लेकर आज अशासकीय संकल्प लाया हूं कि बीच में खबर उड़ी, यहां तक माहौल बहुत खराब हुआ और कुछ राजनीतिक दल के लोग आंदोलन करने लगे कि सरकार इस हॉस्पिटल को बेच रही है। सरकार इसको बेच नहीं रही है। केन्द्र सरकार की भी महत्वाकांक्षा है कि इसे कुछ अच्छा बनाया जाये। लेकिन उसके लिये कभी-कभी सरकार कई विषयों को संज्ञान नहीं ले पाती है। लेकिन मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि एक बड़ा संज्ञान केन्द्र सरकार को जाये ताकि इस सेक्टर-09 हॉस्पिटल का स्वरूप बदल जाये। और जो इस छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास है, वह विश्वास उस हॉस्पिटल पर कायम रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि यही वो हॉस्पिटल है जो लोगों को सही तरीके से, सही चिकित्सा पद्धति से लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे सकता है। मेरा आप सबसे निवेदन है इस अशासकीय संकल्प को केन्द्र सरकार को भेजा जाये।

सभापति महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि '' भिलाई नगर स्थित सेक्टर-09 हॉस्पिटल को सर्वसुविधायुक्त मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के रूप में पुन:स्थापित किया जाये।'' श्री रामकुमार यादव ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय जी, धन्यवाद। निश्चित तौर पर माननीय विधायक जी बहुत अच्छा मुद्दा ला लाये हे। एकर से जहां भी हो शिक्षा के माध्यम से इही ला दुनिया के आगे बढ़य के, लोक लइका ला आगे बढ़य के एहा एक ठे रास्ता हे। पहले भी शिक्षा विषय में जब चर्चा होत रहिस तब बहुत भूरि-भूति प्रशंसा सब माननीय सदस्य मन शिक्षा के बारे मे करिन हे।

चूंकि जैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाये तो शिक्षा के एक ठे हब बिलासपुर हे और दूसरा हम देखथन रायपुर से बड़े हमर भिलाई, दुर्ग हर शिक्षा के हब की तरफ जात हे। तो निश्चित तौर पर माननीय सदस्य जी जो अशासकीय संकल्प लाये हे, ऐसे विषय ला बहुत काबिलेतारीफ हे। मैं ओकर समर्थन करत हवं। निश्चित तौर से ऐसे कार्यों से प्रदेश का मान सम्मान बढ़थे। मैं बस समर्थन देय के नाम से ही खड़ा हुआ हूं। बाकी तो पूरा हमर माननीय विधायक जी बोल चुके हे। मैं इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करत हवं। यह निश्चित तौर पर अच्छा चीत हे। माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोलय बर समय देव, ओकर लिये धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, श्री रिकेश सेन जी ने जो कि वैशालीनगर के विधायक हैं, उन्होंने भिलाई के सेक्टर-9 स्थित अस्पताल को सुपर स्पेशियालिटी, सुपर स्पेशियालिटी नहीं लिखा है न। मल्टी स्पेशियालिटी और सुपर स्पेशियालिटी दोनों में अच्छा कौन होता है? हेल्थ के हिसाब से सुपर स्पेशियालिटी अच्छा है या मल्टी स्पेशियालिटी अच्छा है?

श्री सुनील कुमार सोनी :- मल्टी स्पेशियालिटी एम्स की तर्ज पर सबसे अच्छा होता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिये, आप बोल रहे हैं तो मल्टी ही बोल देता हूं । मल्टी स्पेश्यालिटी हॉस्पिटल के लिये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव रखा है ।

माननीय सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ तो इस बात का सौभाग्य हमारे भिलाई को मिला कि वहां पर भिलाई ईस्पात संयंत्र की नींव रखी गयी । उसको बनाने के लिये वहां के सैकड़ों और कई गांव के लोगों को विस्थापित किया गया और जब यह ईस्पात संयंत्र बना तो कई लोगों को रोजगार भी मिला और यहां पर कीर्तिमान स्थापित हुए, इस स्टील के उत्पादन में, इस प्लांट ने पूरे देश में, पूरे एशिया में इसका नाम हुआ और इनको हम लोग भी सहयोग करते हैं, आप भी करते हैं और हम भी करते हैं क्योंकि इनको लौह अयस्क की आपूर्ति आपके विधानसभा क्षेत्र से भी आती है और मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी खदानों से वहां हम लोग भेजते हैं और इसका जो लोहा है उस पर बड़े-बड़े विदेशों में रेल की पटरियॉ बिछाई जाती हैं और वहां वह प्रगति की रफ्तार पर तेजी से ट्रेन दौड़ाते हैं । यहां का लोहा अंतरिक्षयान के लिये भी बनाकर दिया गया है और उसके माध्यम से चंद्रयान तक भी हम पहुंच चुके हैं, आमदनी के हिसाब भी यह भिलाई का कारखाना है वह नवरत्नों में एक है लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ होती है कि कोई भी संस्थान जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित होते हैं, स्थापना के पहले उनसे चाहे आप जितनी बात कर लो, सबमें हां बोलते हैं लेकिन स्थापना के बाद इसको शोषण की जगह बनाकर वह लोग रखते हैं और मैं उसके लिये तर्क भी दे रहा हूं और तथ्य भी देकर के बात कर रहा हूं ।

माननीय सभापति महोदय, एक अस्पताल जो सेक्टर-9 में था । रिकेश सेन जी ने आज यहां पर जो प्रस्ताव रखा है, उनकी उम्र जितनी है उसके पहले से हम लोग जान रहे हैं कि वह भिलाई का स्टील

प्लांट का अस्पताल छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा अस्पताल था जहां मौत और जिंदगी से संघर्ष करते हुए लोगों की जिंदगी बचाने के लिये छत्तीसगढ़ के दूर-दूर से लोग आते थे । अगर कभी कोई बर्न केस होता था तो भिलाई के बर्न यूनिट में ही ले जाने की बात होती थी मतलब उस समय रायपुर में भी उतनी सुविधा नहीं थी जो भिलाई में थी । अब उस अस्पताल को मल्टी स्पेश्यालिटी बनाने की मांग इसलिये की जा रही है कि वहां के मरीजों को, वहां के गरीबों को, वहां के निवासियों को छत्तीसगढ़ के दूसरे क्षेत्र के भी निवासियों को यह सुविधा मिल सकती है । अब प्रश्न उठेगा, वह तर्क देंगे और मैं पहले और बोलने के पहले एक बात और कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी शायद आप जवाब देंगे । यह प्रस्ताव यहां से और भी पास हो चुका है और अभी फिर नये सिरे से पास हो रहा है । प्रस्ताव पास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । प्रस्ताव आप भेजेंगे, इसमें भी संदेह नहीं है लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहीं पर आपके कर्तव्यों की इतिश्री खत्म नहीं होगी क्योंकि यह प्रस्ताव आपको इस बात का आधार देगा कि आप जाकर के दिल्ली में केंद्रीय इस्पात खान मंत्री जी से मिलिए और बात करिये और अगर आपके प्रयास से छत्तीसगढ़ में यह मल्टी सुपर स्पेश्यालिटी बन सकता है तो कहीं आपके लिये भी अच्छा होगा और छत्तीसगढ़ की जनता के लिये भी अच्छा होगा । आपको इस बात के लिये व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहिए । इस प्रस्ताव की कॉपी लगाकर के पत्र लिखना चाहिए, छत्तीसगढ़ के तमाम् सांसदों को चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, राज्य सभा के हों या लोक सभा के हों और मैं इस सदन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं । सारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट से किसी भी दल के हों, मैं सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि यह हमारे अधिकार में नहीं है, हम प्रस्ताव भेज रहे हैं लेकिन इस प्रस्ताव को हमारी आवाज, छत्तीसगढ़ की आवाज बनकर के पार्लियामेंट में और मंत्री के सामने में बोलने की हिम्मत करिये और इसको स्वीकृत कराने का कष्ट करें । मैं यह भी नहीं बोल रहा हूं कि भिलाई स्टील प्लांट का प्रबंधन या स्टील मिनिस्ट्री यह बोल सकता है कि यह काम हमारा नहीं है इतना बड़ा अस्पताल चलाना तो मैं उनको उदाहरण बता रहा हूं कि बिलासपुर में कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है । साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का वहां पर हेड क्वार्टर है और साऊथ फील्ड कोल्ड लिमिटेड और अपोलो के बीच में टाईअप हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है और बिलासपुर में अपोलो अस्पाल एस.ई.सी.एल. के टाईअप में चल रहा है । भिलाई के भी हॉस्पिटल को स्कॉट में, बाम्बे हॉस्पिटल में या रिलायन्स की कंपनी में या हैदराबाद में बड़े-बड़े अस्पताल हैं वहां सैकड़ों अस्पताल हैं अगर उनसे भिलाई स्टील प्लांट टाईअप करे तो 66 एकड़ जमीन किसको बोलते हैं। मैंने तो एम्स दिल्ली को देखा है। वह 66 एकड़ नहीं है मैं मुकेश अंबानी के रिलायन्स अस्पताल को देखा है। वह 6 एकड़ भी नहीं है और भी एक एकड़ भी नहीं है और भी कई अस्पतालों को देखा है जो 5 एकड़ और दो एकड़, चार एकड़ में सीमटते हैं । 66 एकड़ क्या होता है। भिलाई में तो छत्तीसगढ़ के लोगों की आस्था है। हमने भिलाई में इतना बड़ा संयंत्र देकर, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। भिलाई के स्टील प्लांट के माध्यम से हम देश के नवनिर्माण का

काम करते हैं। तो यह इस्पात विभाग के अधिकारियों का धर्म है कि वह भिलाई के अस्पताल को बनाने के लिए काम करें। और मैं तो यह भी कहता हूँ कि उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए और यह अस्पताल जरूर बनना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी मेहनत है और फिर आप गरीब संस्था तो नहीं हैं, अगर आप भिखारी संस्था होथे तो हम खुद बात नहीं करते । हम भिखारियों से क्या बात करेंगे। हम उनसे बात नहीं करते हैं हमें भिखारियों से बात करने की आदत नहीं है। पर यह लोग तो पैसे वाले लोग हैं इनके पास क्षमता है, यह सक्षम हैं और हमारी ही धरती का पत्थर और हमारी ही धरती का खदान वहां जाकर लोहा बनता है, आप एशोआराम करेंगे। आपको मालूम है कि वहां पर एक ब्लास्ट फरनेस हुआ था, उस समय नरेन्द्र सिंह तोमर जी इस्पात मंत्री थे, उसमें 25 लोग झुलस गये थे, मर गये थे, वह देखने गये थे, मैं बहुत दिनों से भिलाई भी नहीं गया। मैं बचपन में पढ़ता था तो वहां गया था। हम बाहर से देखते हैं कि यह भिलाई है, पर बाकी किस्सा तो दूसरा सुनते हैं भिलाई देखने नहीं जा पाये हैं। तो ठीक है जब वहां पर लोग, मजदूर जलें तो माननीय मंत्री जी देखने गये। उनको आर्थिक सुविधा दी गयी, लेकिन उसी दिन इस बात को सोचना चाहिए था कि भिलाई के मजदूरों के ईलाज के लिए वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए वहां पर इतने बड़े संस्थान के कर्मचारियों, मजदूरों और आम नागरिकों एवं उन परिवारों को जिन्होंने अपना जमीन देकर भिलाई इस्पात को बसाने के लिए अपना बलिदान दिया है। उनके वंशज, परिवार के लोग रहते हैं तो छत्तीसगढ़ के दूरदराज के लोग आशा भरी निगाह से भिलाई को देखते हैं। इसलिए वहां यह मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल बनना ही चाहिए। यह मांग बिल्कुल जायज है और यह केवल मांग ही नहीं है यह हमारा हक है और हमारा अधिकार है। इस अधिकार को प्रस्ताव के माध्यम से भेज रहे हैं। इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी माननीय सांसदों एवं सभी माननीय विधायकों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सिर्फ एक संकल्प, वैधानिक प्रक्रिया में जो संविधान में या विधान सभा से प्रदत्त अधिकार में एक प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के लोगों की जनभावना का प्रतीक है, प्रतिबिम्ब है और उस पर अमल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी जरूर आश्वस्त करिएगा, यह प्रस्ताव तो पास होगा ही। लेकिन आप यह जरूर आश्वस्त करियेगा कि आप अपने लेवल पर जाकर, स्टील मिनिस्टर से बात करेंगे और इसकी पहल करेंगे। रिकेश सेन जी, आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। मैं आपको उसकी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति महोदय, साथी विधायक के द्वारा भिलाई स्टील प्लांट स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के स्पेशलाईजेशन को लेकर अशासकीय संकल्प लाया गया है, जो पूर्व के वक्ताओं ने बात कही है, वह पूर्णत: सत्य है। हम सब लोग भिलाई को आशा और उम्मीद की नजरों से देखते हैं। भिलाई में पूरे भारत की संस्कृति बसती है, भिलाई के अंदर कन्या

कुमारी से लेकर कश्मीर तक लोग रहते हैं। भारत की विविधता भिलाई में साफ झलकती है । हम जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल की बात करें तो वह एक ऐसी संस्था है, जिस पर लोगों का भरोसा दशकों से बना हुआ है । हमने पिछले कुछ दशकों में देखा कि पूरे भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है (पी.एस.यूज.) हैं, वे सब प्राईवेटाईजेशन की मार झेल रहे हैं । पब्लिक सेक्टर यूनिट में भिलाई स्टील प्लांट का एरिया भी प्राईवेटाईजेशन की मार झेल रहा है । भिलाई स्टील प्लांट में पहले 65-70 हजार नियमित कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब 12-13 हजार कर्मचारी बच गए हैं । प्राईवेटाईजेशन के चलते वहां ठेके पर काम कराया जाता है । साथ ही साथ कुशल और अर्धकुशल मजदूर हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के भाई-बहन वहां काम करते हैं, उन लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, वह धीरे-धीरे करके दरकिनार कर दिए। मैं सेक्टर 9 अस्पताल पर आऊं तो सेक्टर 9 अस्पताल से केवल बी.एस.पी. में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी ही नहीं, पूरा दुर्ग जिला, लोक सभा क्षेत्र, राजनांदगांव जिले के सभी लोग उस अस्पताल में एमरजेंसी हो या स्पेशल केशेस में ईलाज कराने आते हैं । अब वहां की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है । आदरणीय पूर्व वक्ता बर्न यूनिट की बात कह रहे थे । बर्न यूनिट तो अभी ठीक है, लेकिन बाकी कुछ बचा नहीं है । पिछले समय में यह भी चर्चाएं आई, प्रेस मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि जो बहुत सारे विभागों को ठेके पर दिया जा रहा है । विधायक के रूप में हमने इस विषय पर आवाज भी उठाई, हम बिल्कुल सहमत हैं कि सेक्टर-09 हॉस्पिटल सर्वसुविधायुक्त मल्टी स्पेशियालिटी, लेकिन वह जमीन छत्तीसगढ़ के जनता की, भिलाई के लोगों की जमीन है । उस जमीन को किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को उसका मालिकाना अधिकार नहीं देना चाहिए, ये जनता की आवाज वहां से निकली । सभी के समर्थन से बीएसपी प्रबंधन ने हमें इस बात के लिए वादा भी किया कि वह जमीन किसी को लीज़ पर नहीं दी जाएगी, उसका स्पेशलाईजेशन किया जाएगा । साथी विधायक रिकेश जी ने अशासकीय संकल्प लाया, उनके पूरे विषय से मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, एक समय वह पूरे मध्यप्रदेश में नम्बर वन अस्पताल हुआ करता था, आज के समय में भी वह पहले की तरह वह अस्पताल छत्तीसगढ़ का नम्बर वन अस्पताल रहे, उसकी पुरानी सुविधा, खूबसूरती वापस लौटे । वह किसी के निजी हाथों में या किसी के पैसे कमाने में उपयोग में न आये और वह शासकीय रहे ओर उसमें लोगों की स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बने, उसका संचालन हो । मैं इस मांग का समर्थन करते हुए आप बात समाप्त करता हूं ।

श्री ललित चन्द्राकर (दुर्ग ग्रामीण) :- सभापति महोदय, हमारे साथी सदस्य भाई रिकेश सेन जी के द्वारा अशासकीय संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया गया है । निश्चित तौर पर सेक्टर-9 हॉस्पिटल सर्वसुविधायुक्त मल्टी स्पेशियालिटी के रूप में पुन: स्थापित होना चाहिए । हम सब जानते हैं कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल मध्य भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था और वहां मध्य भारत से लोग ईलाज

कराने आते थे । लोगों को उस हॉस्पिटल पर बहुत विश्वास था । साथी सदस्य ने बताया कि भिलाई स्टील प्लांट में पहले 65 से 70 हजार कर्मचारी काम करते थे । उसके साथ-साथ नागपुर (महाराष्ट्र) के लोग हों, उड़ीसा के लोग हों, चाहे झारखण्ड के लोग हों, बिहार के लोग हों, सभी जगह के लोग वहां ईलाज कराने के लिए आते थे । उस हॉस्पिटल के प्रति लोगों को बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था । निश्चित तौर पर जब उस हॉस्पिटल में हम लोग जाते थे तो वहां का जो ईलाज है और वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, ईलाज करने के लिए सभी प्रकार की मशीन वहां पर हुआ करती थी और उस जमाने में वहां पर स्पेशलाईज्ड डॉक्टर हुआ करते थे, जिसका धीरे-धीरे कहीं न कहीं उस अस्पताल में वह सुविधा कम होती गई, वहां पर डाक्टर नहीं होने के कारण मरीजों का ईलाज नहीं हो पाया। एक जमाने में उस अस्पताल का जो एक नाम था, एक विश्वास था, वह काम होते गया। मैं इसका समर्थन करते हुए चाहूंगा कि यहां पर जितने भी माननीय सदस्य हैं, इसको सभी का समर्थन मिले। यह आने वाले समय में फिर से उनका स्वरूप वापस लौटे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने काअवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधायक साथी माननीय रिकेश सेन जी द्वारा सेक्टर-9 जिसमें हम पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अनुसंधान केन्द्र के नाम से जानते हैं। आज निश्चित ही सुविधा के अभाव में यह अपनी अस्मिता और अपनी पहचान खो चुके हैं। एक समय था जब वहां पर किसी को भर्ती कराने के लिए या तो प्रबंधन से जुगाड़ लगाना पड़ता था या किसी बड़े राजनेता से जुगाड़ लगाना पड़ता था। तब वहां पर मरीज की भर्ती हो पाता था। वहां मरीज रोते हुए आते थे और हंसते हुए चेहरे पर मुस्कान लेते हुए वहां से निकलते थे। सबको पता था कि सेक्टर-9 में भर्ती हो गया है तो वह बचकर जायेगा। चाहे वह नागपुर से हो, चाहे झारखण्ड से हो, चाहे उड़ीसा से हो, जहां से भी मरीज आते थे, उनको एक उम्मीद थी कि हम सेक्टर-9 में आ गए हैं। अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बचकर जाऊंगा। लोगों में यह उम्मीद होती थी। लेकिन आज कहीं न कहीं जिस अव्यवस्था के कारण, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रबंधन की लापरवाही ई या प्रशासनिक त्रुटि हुई या फिर हम उसका सही संचालन नहीं कर पाये। आज वहां काफी बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, आपको नया इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। यदि हम उसी इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नयन करके रिकेश भाई ने जो बोला है, सुपर मल्टी स्पेशयलिटी हास्पिटल बनाया जाये, मैं तो कहता हूं कि अगर पी.जी.आई. के स्तर की सुविधा हो जाये तो यह केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जो लोग पहले सेक्टर-9 को जानते थे, वह फिर इस ओर रूख करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के लोग नागपुर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, मुम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इसी स्वास्थ्य सुविधा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। यदि आज हम बड़ा हृदय करके, हम नया रायपुर में हार्ट स्पेशयालिटी के लिए भवन दे रहे हैं तो हम भी वही चाहते हैं कि आप भी एक पुण्य का काम करे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे भी आग्रह करूंगा कि एक

पुण्य का काम करें, एक पुनीत काम करें। क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। यदि शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है तो लोग क्या नहीं कर सकते है। भिलाई सेक्टर को मिनी भारत कहते हैं, जहां समूचे भारत के लोग निवास करते हैं। भिलाई संस्कृति के लिए जाना जाता है और शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। भिलाई में एक ग्लोब चौक है, क्यों रिकेश भाई ? वह चौक यह इंगित करता है कि हम दुनिया को 25 बार लपेट सकते हैं, इतना लोहा उस स्टील प्लाण्ट से बना चुके हैं। काफी बड़ा इतिहास है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका पी.जी.आई. की तर्ज पर उन्नयन हो। निश्चित ही केवल दुर्ग-भिलाई की जनता का ही नहीं, पूरे मध्य भारत की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सर्वसुविधायुक्त अनुसंधान केन्द्र को पी.जी.आई. की तर्ज पर सुविधा मिले, यह आपसे आग्रह है। आप इसमें जरूर पहल करेंगे, यह हम सबकी एक जनभावना भी है और आपसे निवेदन भी है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- सभापति महोदय, अभी तक रिकेश भाई, देवेन्द्र यादव ललित चन्द्राकर की बात आ रही थी। हालांकि हम सब दुर्ग-भिलाईवाले हैं। लेकिन रिकेश भाई आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों के आसपास सेक्टर-9 है, वैसे ही आस्था उससे भी ज्यादा हमारे नवागढ़ विधान सभा क्षेत्र और बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र वालों की है। आज जो एम्स है, हम एम्स में विश्वास करते हैं।

सभापति महोदय :- आप समर्थन में हैं ? आप इतना ही बोल दीजिये कि मैं समर्थन करता हूं।

श्री दीपेश साहू :- मैं समर्थन कर रहा हूं। मैं वही बताना चाह रहा हूं हम इसके पहले सेक्टर-9 ही जाया करते थे।

श्री देवेन्द्र यादव :- वह भी वही बता रहे हैं, वह भी उतनी ही आस्था रखते हैं। एम्स के पहले सब लोग वहीं सब लोग जाते थे।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रिकेश सेन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े लोक महत्व का यह अशासकीय संकल्प लाया है। श्री रिकेश सेन जी के समर्थन में सम्माननीय रामकुमार यादव जी, सम्माननीय धर्मजीत सिंह, सम्माननीय देवेन्द्र यादव जी सहित दीपेश भाई, कुंवर सिंह निषाद जी ने भी अपने सुझाव दिये हैं तो सभी लोगों की चिंता स्वास्थ्य जैसे मसले पर रहती है और जिस हॉस्पिटल भिलाई सेक्टर 9 का की बात कर रहे हैं तो वह पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। प्रदेश में राज्य बनने से पहले जब उतनी उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं थीं, तो लोग रायपुर न आकर भिलाई सेक्टर 9 जाते थे। बर्निंग वगैरह की बहुत अच्छी यूनिट था। लेकिन समय के साथ-साथ और उस समय मैन पावर भी ज्यादा था। अब हमारी सुविधाएं भी कई जगह बढ़ रही हैं, जैसे कि माननीय सभापति जी, हर जगह

स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं। तो इस दृष्टि से अब लोग वहां उतना केंद्रित नहीं हो पाते। कई प्राइवेट सेक्टर में भी खुल गए, लेकिन वह भिलाई सेक्टर 9 का हॉस्पिटल मेरे लिए भी और सभी के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार का उद्देश्य ही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर वृद्धि करना। यदि हमारे मन में यह नहीं होता कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना है, तो हम हॉस्पिटल को उद्योग का दर्जा में क्यों लाते? हम 40 से 50% तक सब्सिडी दे रहे हैं । अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की चिंता नहीं होती तो हम 10 मेडिकल कॉलेज से 15 क्यों करते? बस्तर जैसे जगह में सुपर स्पेशलिटी हमारी सरकार दो सालों में चालू कर दी। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी आप सब लोगों के क्षेत्र में चालू कर दी। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं लगातार नित नए, हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को और प्रयास भी कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में विकसित करें। यदि टूरिज्म विकसित करना है तो सभी जगह घूमने की भी व्यवस्था हो और मेडिकल की भी व्यवस्था हो तभी तो होगा। उधर बस्तर साइड में भी इलाज भी हो तब लोग चित्रकोट देखने भी जाएंगे । उनके साथ जो देखभाल में आएंगे बोलेंगे, चलिए चार घंटा वहां भी देखकर आएं। तो ऐसी सुविधा हम कर रहे हैं। इसीलिए नया रायपुर को मेडिसिटी हब के रूप में भी डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें अच्छा मौका है, मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आपको भी खुशी होगी कि जो रायपुर का मेकाहारा हार्ट का स्कॉट हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, मध्य भारत का बड़ा केंद्र था। थोड़े कुछ समय से परिस्थितियों के अनुसार धीरे-धीरे वह डाउनफॉल में जाने लगा। अब उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि वहां हार्ट के स्पेशलिस्ट हों, तो दो सीट का आज ही माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से हमको पूरे देश का जारी होता है, कोई हमारे लिए नहीं है अलग-अलग में, तो दो डी.एम. कार्डियक का सीट हमको मिल गया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। अब फिर से हम इस मध्य भारत का एक बड़ा हार्ट का स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर पाएंगे। इसी प्रकार जो पैसे वाले हैं, जो सक्षम लोग हैं, कृत्रिम गर्भाधान की आज बात हो रही थी...।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, सेक्टर 9 में केंद्रित करिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं-नहीं मैं थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात करके उस पर केंद्रित कर दे रहा हूं। तो हम आई.वी.एफ. सेंटर गरीबों के लिए भी खोल रहे हैं। तो हमारी मंशा है, इसलिए मैंने उद्योग का दर्जा ये सब ब्रीफ रखा कि हमारी मंशा साफ है कि छत्तीसगढ़ में हेल्थ सुविधाएं हर दृष्टि से हों। वैसे भी आपने जो मांग किया है कि उसको सुपर स्पेशलिटी के रूप में सर्व सुविधा युक्त मल्टी सुपर..।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पी.जी.आई. की तर्ज पर।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं इसमें जो आप लोगों ने ये संकल्प लाया है, वह सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुनः स्थापित किया जाए। यदि हम इस आधार पर चाहें तो ऑलरेडी वह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसमें नौ विषयों में स्पेशलिटी विभाग चलते हैं। उन नौ का मैं नाम भी आपको बता सकता हूं कि उसमें जैसे यूरोलॉजी, बर्न प्लास्टिक...।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- स्वास्थ्य मंत्री जी, वह सब पता है। हम यह कह रहे हैं कि उसको पी.जी.आई. की तर्ज पर। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपको विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो उसको स्वीकार करें और स्वीकार करके सर्वसम्मति से भेजें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, हम पी.जी.आई. के तौर पर या एम्स के तौर पर हम नहीं भेज सकते। आपकी जो मंशा है, उस मंशा को मिलाते हुए हम सुपर...।

श्री रिकेश सेन :- नहीं, यह गलत है, यह गलत है देखिए सभापति महोदय...।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सुपर स्पेशलिटी, आपने मल्टी स्पेशलिटी बोला है, हम उससे बढ़कर सुपर स्पेशलिटी के रूप में यहां से भेज सकते हैं। इस्पात मंत्री जी से बात कर सकते हैं।

श्री रिकेश सेन :- नहीं-नहीं, आप यहां पर confusion क्रियेट कर रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- परंतु आप बोल देंगे कि इसको ताजमहल बना दो, कैसे हो सकता है? जो संभव नहीं है, आप एम्स बोलते हैं, क्या 62 एकड़ में एम्स चल सकता है?

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- नहीं, इसमें मल्टी स्पेशलिटी लिखा है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- क्या 62 एकड़ में एम्स चल सकता है? क्या 61-62 एकड़ में आपका पूरा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज चल सकता है? क्या पी.जी.आई. चल सकता है?

श्री रिकेश सेन :- आपको पांच एकड़ में नया रायपुर में एम्स दिया जा रहा है और यह 66 एकड़ है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- तो पांच एकड़ का वह होगा, आपने जो संकल्प लाया है।

सभापति महोदय :- बैठ जाइए भाई, इसमें चर्चा नहीं होती । आप अपना विषय रख दिए, हो गया। मंत्री जी, आप उसको यह स्पष्ट करिए कि इसको पारित करना है न, जो उन्होंने लिखा है और उसको सर्वसम्मति से पारित करें । फिर मैं आगे बढ़ता हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ये जो लिखा है, माननीय विधान सभा में जो संकल्प आया है, उसको बड़ी सहृदयता के साथ हम उस विषय को केंद्र सरकार को भेजेंगे और इस्पात मंत्री जी से मैं खुद बात भी करूंगा कि हमारी सहमति है।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - "यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि भिलाई नगर स्थित सेक्टर-9 हॉस्पिटल को सर्वसुविधायुक्त मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के रूप में पुनः स्थापित किया जाए।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) सदन का यह मत है कि "आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की रहवासी-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित आश्रम-छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष सहायता राशि की मांग की जाये।"

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि सदन का यह मत है कि "आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की रहवासी-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित आश्रम-छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष सहायता राशि की मांग की जाये।"

सभापति महोदय :- इसमें 30 मिनट का समय है। सभी लोग सहयोग करेंगे और समय का ध्यान रखेंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- जी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं एक मिनट का निवेदन कर लेता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज दिन भर केवल इसी विषय में जा रहा है, आप राइट साइड देखिए तो क्या स्थिति है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आज पूरे दिन भर इसी बात में जा रहा है। जब सदन में यह स्थिति है, तो बाकी दिन कार्यालय में क्या स्थिति रहती होगी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- किस चीज का, यादव जी?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप उधर की उपस्थिति को तो देख लीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवा :- अभी हमारे अधिकारी तो थे। पूरा सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सभी यहां थे।

श्री लाखेश्वर बघेल: केवल और केवल दो-तीन बैठे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभी अधिकारी हैं। जिस विभाग से संबंधित है, केवल वही रहेंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, यह जनजातीय क्षेत्रों और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मामला है, जिसमें बालिका छात्रावासों को अत्यधिक सुविधा देने की बात है। अक्सर यह देखा गया है कि 50-60 के दशक से खुले हुए छात्रावास, आश्रम, विशिष्ट संस्थाएं व कई संस्थाएं छत्तीसगढ़ के

जनजातीय क्षेत्रों में हैं। लगभग 1078 कन्या छात्रावास, आश्रम, पोस्ट-मैट्रिक से लेकर विशिष्ट संस्थाएं हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में हैं और 90,000 से अधिक छात्राओं की सीटें स्वीकृत हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र है और हमारे आदिवासियों की महिला साक्षरता पुरुषों से बहुत ही कम है। इसीलिए छात्रावासों में अत्याधुनिक सुविधा दी जाए। जो छात्रावास जर्जर अवस्था में है, कई छात्रावास भवन विहीन हैं, कहीं बाउंड्री नहीं है, कहीं अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं। भवन है भी तो वह जर्जर अवस्था में है। पिछले समय में कई घटनाओं की खबरें आई थीं। पखांजुर साइड के, ओरछा साइड के छात्रावास में बाथरूम में लड़कियां सो रही थीं। ऐसी स्थिति बन रही है। सभापति महोदय, इसीलिए मेरी मंशा थी कि केंद्र सरकार से एक विशेष सहायता ली जाए। ऐसा सोचकर यह अशासकीय संकल्प लाया गया था। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि यह संकल्प प्रस्ताव अगर राज्य सरकार..। अधिकांश छात्रावास-आश्रम तो केंद्रीय योजनाओं से संचालित होती है, फिर भी जितनी राशि आ रही है, उससे हम उतनी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से और मांग कर सकते हैं। मैं विस्तृत रूप से कहूँगा कि अगर राज्य सरकार दे देगी तो हम चर्चा नहीं करेंगे। यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो आश्रम-छात्रावास जर्जर स्थिति में है, जहां कहीं दरवाजे नहीं, खिड़की नहीं, बाथरूम नहीं, कई-कई अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। इस स्थिति को देखते हुए अगर राज्य सरकार चाहती है कि छात्रावास-आश्रमों में सुविधा दें तो यह संकल्प केन्द्र सरकार को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा यही निवेदन है कि अगर राज्य सरकार सक्षम नहीं है तो केन्द्र सरकार से राशि की मांग की जाए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, बालिकाओं का मामला है। इसलिए उनको एक अत्याधुनिक सुविधा देने के लिए सर्वसम्मति से इस अशासकीय संकल्प को पारित करने के लिए मैं सदन से निवेदन करता हूँ।

सभापति महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि ''आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की रहवासी-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित आश्रम-छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष सहायता राशि की मांग की जाये।''

सभापति महोदय :- माननीय श्री रामकुमार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति जी, हमर दल के उप नेता...।

सभापति महोदय :- क्या है, रामकुमार जी । अभी स्पेसलिस्ट की बात आ रही थी ना..।

श्री रामकुमार यादव :- हमर दल के उप नेता ह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ला संकल्प में लाय हे । मैं अपन बात ला दो मिनट में समाप्त कर दिहंव । मोर एमा समर्थन हे । हमर प्रदेश में 32 परशेंट आदिवासी समाज होथे । 32 परशेंट आदिवासी समाज के अंतिम छोर के लइका मन हॉस्टल में रथे अऊ आप मन जेन-जेन क्षेत्र मे हवव वोमन देख सकथव हमी बेटी मन जो हॉस्टल में रइथे, वोमा दरवाजा नइये, पानी गिरथे त उपर ले टपकथे, हवा गर्रा करथे त वोखर मन जो भी समान रइथे, वह उड़िया जाथे । कोई सुरक्षा नइ ए । हमर वरिष्ठ नेता ह ए विषय ला गंभीरतापूर्वक लाय हे । मैं हमर वरिष्ठ

मंत्री जी, पहली जब वह मंत्री नइ रहिसे त दिल्ली में राज्य सभा सांसद रहिसे, कई पइत मंत्री जी के साथ चाय पियत देखे हन । विशेषकर फग्गनसिंह कुलस्ते जी हे, कई झन सेंटर के मिनिस्टर हे, एक प्रकार से सरल भाषा में कइहंव त वोखर लंगोटिया ए । डबल इंजिन ए कथे । कई प्रकार ले बताथे कि हमर डबल इंजिन ए । ए इंजिन में तुंहर बस नइ हे त ऊहू इंजन के उपयोग कर लव, अइसे आप मन से निवेदन हे । हमला भरोसा हे कि हमर माननीय हुजूर साहब अध्यक्ष जी बइठे हे, हमला भरोसा हे कि आप ए इंजन नइ बल्कि डबल इंजिन का उपयोग करिहव । अऊ अतका पइसा लानिहव कि हमर प्रदेश के बेटी बहिनी मन के जो हॉस्टल हे, अतका सुंदर रहे कि हमर गरीब आदिवासी मन के हॉस्टल ला देखके प्रायवेट स्कूल वाले मन लजा जाये । अइसे निवेदन हे । मैं हमर उप नेता के पुन: समर्थन करथंव कि अइसे विषय ला लाय हे । मैं सम्मान करथंव अऊ 32 परशेंट आदिवासी समाज की ओर से कोटि-कोटि बधाई देत हंव ।

सभापति महोदय :- श्रीमती गोमती साय ।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- धन्यवाद, सभापति महोदय जी । आज हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय लखेश्वर बघेल जी अशासकीय संकल्प लाये हैं । मैं इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करती हूँ । छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे बालिकाओं का विषय है, आश्रम छात्रावास वर्षों से बने हुये हैं । वैसे हमारे मंत्री जी बेहतरी के लिये बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारे बच्चों की सुरक्षा का भी विषय है, हमारे आदिवासी बच्चों में बहुत ही टैलेंट भी है । आश्रम छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं, कहीं पर बाऊंड्रीवाल नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसको सुधार करने के लिये माननीय मंत्री जी वहां व्यवस्था अच्छा कर देंगे। अगर नहीं भी है तो केन्द्र सरकार से मांग करेंगे कि वहां अच्छा से अच्छा पैसा आ जाये और हमारे आदिवासी बच्चे लोग जहां पढ़ाई करते हैं, वहां सभी प्रकार की सुविधायें आश्रम और छात्रावास को मिले । मैं इसका समर्थन करती हूँ । मेरे को लगता हे कि पूरा सदन इस पर सहमत होगा । आप सभी से मेरा निवेदन है, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, यह बहुत ही अच्छी मांग है, हम इसे सब मिलकर एक साथ मांगेंगे तो यह बहुत बड़ा विषय है, अत: सदन इसे एकमत होकर पारित करे और इसको ऊपर भेजा जाये । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ । धन्यवाद ।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति जी, हमारे वरिष्ठ उपनेता ने बहुत ही अच्छा विषय लाया है। वैसे आज कहें तो हमारा तीनों अशासकीय संकल्प बहुत ही बढ़िया है। आश्रम छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण, हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों या किसी भी वर्ग से आते हों, अगर उनके लिए सुविधा और संसाधन हेतु केंद्र बनाया गया है, उसमें उनको और सुदृढ़ करने के लिए सरकार बेहतर तरीके से उनका उन्नयन करती है जिसमें

हमारे बच्चों को सुविधा मिल सके, वे वहां पर अपने भविष्य का सपना देख सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, इसके लिए मैं इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- आप बोलेंगे?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जी। इतना महत्वपूर्ण विषय है, हम भी आदिवासियों के पड़ोसी रहे हैं। इसलिए बोलना मैं थोड़ा उचित समझ रहा हूं।

सभापति महोदय :- इसके बाद एक और अशासकीय संकल्प है, यदि इसमें नहीं बोलेंगे तो उसमें बोलवा देंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे उपनेता के द्वारा जो अशासकीय संकल्प लाया गया है, वह काफी महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण इसलिए महसूस कर रहा हूं, वर्तमान परिवेश में जो छात्रावास है, आज की आवश्यकता के मुताबिक वह कहीं से सुविधा युक्त छात्रावास नहीं है, मैं इसमें दलगत बात नहीं कर रहा हूं। समाचार पत्रों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बच्चे देखते हैं, प्राइवेट हॉस्टल में काफी सुख-सुविधा है, यह भी सही है, जब ऑफिस सही रहता है तो बैठने का मन करता है, जब छात्रावास अच्छा रहेगा तो पढ़ने का मन करेगा। अभी-अभी माओवादी अंतिम दौर पर है तो बस्तर के जो छात्रावास बंद थे, वहां नए छात्रावास भी होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, ऐसा छात्रावास बनाइए कि उस छात्रावास से पढ़ने वाले बच्चियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरह बने। मैं इसी बात का निवेदन कर रहा हूं, मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूं, दलगत से हटकर लेकिन परिणाम की बात है। माननीय मंत्री जी।

श्री रामविचार नेताम :- मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं। मैं जहां भी रहूंगा, आपकी बात को सुनता रहूंगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, अभी तक के जितने अशासकीय संकल्प आए हैं, आप इस सदन में अभी ऊपर बैठे हैं लेकिन बहुत ही वरिष्ठ हैं। जब भी अशासकीय संकल्प आता है तो इस सदन की ऐसी व्यवस्था रही है कि सर्वसम्मति से पारित हुआ है लेकिन जहां तक मुझे याद है, किसी भी अशासकीय संकल्प में दिल्ली सरकार से परिणाम नहीं आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ ने आपके ही दल के दस-दस सांसद दिए हैं लेकिन एक भी अशासकीय संकल्प का परिणाम नहीं आ रहा है । मंत्री जी आप इसको पारित कीजिए, आप दिल्ली में भी रहे हैं और यहां ताकतवर मंत्री हैं, इसमें परिणाम लाइए, इसी बात का निवेदन करता हूं। मंत्री जी अगर इसमें परिणाम नहीं आएगा तो हम समझ लेंगे कि आपकी मुट्ठी बंद हैं। अभी हम ताकतवर मान रहे हैं लेकिन खुल जाएगी। मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बालिकाओं के लिए आप सर्वसुविधायुक्त छात्रावास बनाइए। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ही नहीं, बड़े वरिष्ठ लोकप्रिय नेता आदरणीय लखेश्वर बघेल जी के द्वारा अशासकीय संकल्प लाकर प्रदेश भर के जो हमारे जनजाति समाज के बच्चे-बच्चियां छात्रावासों में, आश्रमों में, मॉडल स्कूल में यहां पर निवास करती हैं, उसके लिए चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस तरह से भी अपनी इच्छा को व्यक्त किया है कि वहां की व्यवस्था के लिए, वहां के संसाधन के लिए, वहां शौचालय निर्माण से लेकर कुर्सी, टेबल, गद्दा, मरम्मत, खेल मैदान, इन सबकी भी केंद्र से मांग की जाए। आप इतने वरिष्ठ हैं, सारे सदन के तमाम माननीय सदस्यगण हैं, आपको यह मालूम होगा कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लॉन्चिंग की गयी है। (मेजों की थपथपाहट) जनजाति धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर पूरे देश में यह योजना लॉन्चिंग हुई। जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव शामिल हैं। (मेजों की थपथपाहट) उन गांवों का बेहतर तरीके से विकास हो। उन गांवों में यदि छात्रावास, आश्रम, मॉडल स्कूल, स्कूल, अस्पताल, जर्जर सड़क और बाकी कमियां हैं तो उन सबके लिए वृहद कार्य योजना बनाकर भारत सरकार के पास सबमिट किया गया है, उनको भेजा गया है। यह हेल्थ व टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी संबंधित है। यह इतनी बड़ी योजना है। मैं समझता हूं कि यह 5 साल की 80,000 करोड़ रूपये से ऊपर की योजना है। सभी छात्रावास-आश्रम उसमें समाहित हैं और मुझे आज कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने पिछले विधान सभा सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर में ही बताया था कि जो 300 से ऊपर भवन-विहीन छात्रावास आश्रम थे, उनका नव निर्माण कराया जा रहा है। उसका काम कई जगहों में चालू है। (मेजों की थपथपाहट) एकलव्य मॉडल स्कूल की बात कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में उसकी संख्या लगभग 75 है। जो भवन-विहीन थे, भारत सरकार के द्वारा उनमें से 21 की स्वीकृति पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार को देकर उसकी भी टेंडर प्रक्रिया हमने पूरी कर ली। चूंकि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को बुलाना था तो ऐसा भी आरोप न लगे कि यहां छत्तीसगढ़ में टेंडर कर दिया, यहां मैनेज हो गया, यहां पर यह हो गया, यहां भी इस तरह से हो गया, इसलिए उसकी टेंडरिंग करके नेशनल लेवल के हमारे जो संस्थान हैं, कंस्ट्रक्शन विंग हैं, कंपनियां हैं, N.B.C.C. से लेकर जो बड़े-बड़े रिकंस्ट्रक्शन के काम दिल्ली, हैदराबाद वगैरह में कर रहे हैं, इन संस्थानों को हमने आमंत्रित किया है और उनको गुणवत्ता के साथ टेंडर दिया है। एक-एक भवन 40 करोड़ रूपये से लेकर 50-60 करोड़ रूपये तक के हैं। उसका D.P.R. बना है। उसकी टेंडरिंग का राष्ट्रीय स्तर में पूरा विज्ञापन जारी हुआ, टेंडर प्रोसेस हुआ और उसका भी काम चल रहा है। करीब 2 करोड़ रूपये की लागत का हमारा पिछला जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था, वह 1 करोड़ 91 लाख रूपये के लगभग था। उसका हम लोगों ने हर A.C. को हर जिले में अधिकार दे दिया कि आप टेंडर करो। टेंडर करके कलेक्टर के अधीन रहकर वह टेंडर प्रोसेस कर दिया गया। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, नारायणपुर हो, इन सभी जगहों में एकसाथ टेंडर प्रक्रिया कर ली गयी है और बड़े पैमाने पर

काम चालू है। आज हम सबको गर्व होना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ की जनजातीय समाज की बेटियां देश के किसी भी मंच में जा रही हैं तो छत्तीसगढ़ के मान-सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने का काम कर रही हैं और इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह छत्तीसगढ़ सरकार माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में चल रही है और यह संवेदनशील सरकार है। इसलिए मैं समझता हूं। बाकी आप लोगों को कहना चाहिए कि भाषण दे सकते हैं। लेकिन मुझे उस हॉस्टल में रहकर उस जिंदगी को जीने का भी अनुभव है। मैंने वह जिंदगी जी है। मैं उस छात्रावास में रहा हूं, जिस छात्रावास में मुश्किल से कोई टॉयलेट होता था, हम लोग लोटा लेकर बाहर जाया करते थे। उस समय बच्चियां टॉयलेट के लिए बाहर जाया करती थी। आप यह बताईये कि हम आपसे पिछली सरकार के बारे में तो प्रश्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इधर ऊंगली उठाते हैं तो कुछ ऊंगलियां आपकी तरफ भी होती है। आपने पांच सालों में कितने छात्रावास और आश्रमों का निर्माण कराया, कितनों का रिनोवेशन करवाया, कितने का फर्नीचर और बाकी चीजों को करवाया ? आज बहुत सारे छात्रावासों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा जैसे क्षेत्रों में डी.एम.एफ. के तहत बेतहासा छात्रावास आश्रमों की मरम्मत से लेकर सामग्री आपूर्ति तक में खरीदी दिखाई गयी। सब कहा गया ? (शेम-शेम की आवाज)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय।

श्री रामविचार नेताम :- मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बात रख रहा हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, मैं व्यक्तिगत बात के बारे में नहीं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, यह अशासकीय संकल्प है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं वही बात बोलने जा रहा था।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं यही बोल रहा हूं कि इस योजना के तहत, धरती आबा के तहत हमारे जितने भी आश्रम छात्रावास भवनविहीन थे, हम उन भवनों को शत प्रतिशत बनवा रहे हैं। हमारे जितने छात्रावास जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, जहां टॉयलेट और बाकी सुविधाएं नहीं है, हमने उसके भी निर्माण कार्य की स्वीकृति ले ली है और हम उसका भी काम बहुत जल्दी करेंगे। जहां बिजली नहीं पहुंच पा रही है, हम वहां पर बिजली की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से मैं समझता हूं कि माननीय लखेश्वर जी हमारे वरिष्ठ सदस्य और अनुभवी नेता हैं। वे भी इसी जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप बस्तर की आवाज हैं। आपकी आवाज गूंजती है तो पूरा बस्तर याद करता है कि लखेश्वर जी बोल रहे हैं।

श्री सुनील सोनी :- बताईये, रामविचार जी पॉवरफुल है कि नहीं है ?

श्री रामकुमार यादव :- बहुत पॉवरफुल है।

श्री रामविचार नेताम :- आप दोबारा आये हैं। आप भरोसा रखिये। यह भरोसे की सरकार है, आदरणीय विष्णु देव साय जी की सरकार है और मोदी है तो मुमकिन है इसलिए भरोसा करिये। (मेजों

की थपथपाहट) एक-एक का पूरा काम होगा। हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे बेटे और बेटियों के छात्रावास और आश्रम के लिए इतनी सुंदर, सुसज्जित व्यवस्था करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, भरोसा करते झन। 15 लाख रूपये के भरोसा करे रिहीन तहान बैठे हन, का करबो।

श्री रामविचार नेताम :- द्वारिकाधीश जी, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप मेरे साथ अभी चल सकते हैं। आप किसी भी छात्रावास को देखिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आप मूल बात को बोल दीजिये ना। आप मूल बात को नहीं बोल रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- आप यहां के चित्र को खराब मत करिये। मैं यही आग्रह करता हूं कि इससे गलत संदेश जाता है। आप किसी भी छात्रावास आश्रम में जाकर देखिये। आज वहां इतनी सुसज्जित व्यवस्था हो रही है। वहां के चमचमाते हुए रूम, वहां के गद्दे, वहां के तकिये, वहां की लाईट, वहां पर बच्चों के किताब रखने की जगह, खेलने की जगह, पढ़ने की व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाएं की जा रही है। वहां पर भोजन की अच्छी-अच्छी व्यवस्था की जाती है। जो हम नहीं खाते, वह व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। यही नहीं हमने इस वर्ग के बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाओं में काम कर रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप अपने विभाग की योजना बता रहे हैं। आप इसमें अंतिम बात बोलिये ना।

श्री रामचविचार नेताम :- मेरा यह आग्रह है और मैं आपसे यही चाहता हूं कि हम बारी-बारी से सभी काम पूरा कर रहे हैं। आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप भरोसा रखिये। हम और आप उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने यह संकल्प लाया है और हमारा और सदन का ध्यान आकर्षित कराया, तो मैं निश्चित ही इस दिशा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि इसे ससम्मान से वापस ले लीजिये और इसे पूरा करिये।

सभापित महोदय :- माननीय मंत्री जी का आग्रह है कि क्या माननीय सदस्य संकल्प वापस लेने हेतु सहमत है ?

श्री लखेश्वर बघेल :- मंत्री जी, यदि यह सपना नहीं और हकीकत है और बहुत से काम करने की बातें आ गयी हैं और यदि वह करते हैं तो मैं इसे वापस ले लेता हूं।

सभापति महोदय :- उन्होंने सारी बातें तो बता दी है। क्या आप इस संकल्प को वापस लेने में सहमत है ?

श्री लखेश्वर बघेल :- जी।

सभापति महोदय :- क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है ?

अनुमति प्रदान की गयी।

संकल्प वापस हुआ।

(3) सदन का यह मत है कि " विभिन्न विभागों के रिक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से पदों की पूर्ति की जाये।"

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत हूं कि सदन का यह मत है कि " विभिन्न विभागों के रिक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से पदों की पूर्ति की जाये।"

सभापति महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि "विभिन्न विभागों के रिक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से पदों की पूर्ति की जाये।"

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान की स्थापना की गई है, उसी के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शासकीय पदों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा आरक्षण में विधान सभा और लोक सभा में राजनीतिक आरक्षण भी किया गया है तथा शासकीय सेवाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था है। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रिक्त हैं, उन्हें या तो संविदा के माध्यम से भर्ती कर उनकी पूर्ति की जा रही है और स्वीकृत पद में भर्ती नहीं की जा रही है। तथा उस श्रेणी के पद को प्रभारी बनाकर उस पद के कार्य का संचालन किया जा रहा है। मैं उदाहरण के लिये आपको बताना चाहूंगा कि पूरे विभागों में अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने पद रिक्त हैं। मैं पशुपालन विभाग से शुरू करना चाहता हूं। पशुपालन विभाग में प्रथम श्रेणी के 54 पद में से 24 पद भरे हैं, 30 पद रिक्त हैं, द्वितीय श्रेणी के 805 पद हैं, 717 पद भरे हैं और 92 पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी में 350 पद में 280 पद भरे हैं और 70 पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी में 2445 पद में से 1709 पद भरे हैं और 624 पद रिक्त हैं। इस प्रकार पशुपालन विभाग में कुल 7798 पद के विरूद्ध 2444 पद है, इसमें 3514 पद रिक्त हैं। दूसरा लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी में 153 पद में से 124 पद भरे हैं, 29 पद रिक्त हैं, द्वितीय श्रेणी में 341 पद में से 272 पद भरे हैं, 69 पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी में 3051 पद हैं, उसमें 2938 पद भरे हैं, 1213 पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी में 829 पद में से 242 पद भरे हैं और 557 पद रिक्त हैं। जेल विभाग में 2868 पद में 1457 पद भरे हैं और 1001 पद रिक्त हैं। श्रम विभाग में 23 पद में 19

पद भरे हैं और 4 पद रिक्त हैं, द्वितीय श्रेणी में 58 पद में से 31 पद भरे हैं और 27 पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी में 399 में से 232 पद भरे हैं।

सभापति महोदय :- मोहले जी, लगभग बातें आ गई हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे विभाग की बात करूंगा। क्योंकि मैंने अपने अशासकीय संकल्प में सभी विभागों की बात कही है तो फिर ये बात रिकार्ड में आ जाये। मैं उसको पढ़ देता हूं। 10 मिनट लगेगा। आपने आधे घंटे का टाइम दिया है।

सभापति महोदय :- आधा घंटा सब मिलाकर है न।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मुझको 10 मिनट लगेगा न। मैं आधा घंटा थोड़ी बोल रहा हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- हो गया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप हो गया कैसे बोल रहे हैं। ऐसा नही है न। मैं बडे-बड़े विभाग की बात कर देता हूं, छोटे विभाग को छोड़ देता हूं।

सभापति महोदय :- छोटे विभाग ला छोड दे, बड़े-बडे ला पढ दे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वन विभाग में 2187 पद में से 1591 पद भरे हैं और 507 पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी में 11,098 में 7786 है 3112 पद रिक्त हैं । स्वास्थ्य विभाग में समस्त श्रेणी में स्वास्थ्य संचनालय स्तर पर 817 में 624-193 पद रिक्त हैं । स्वास्थ्य विभाग में संचानालय में 310 में 133 भरे हैं, 177 रिक्त है । खेल-युवा कल्याण में 189 पद रिक्त हैं और इसी तरह पंचायत विभाग में, पंचायत स्तर से 664 में 247 भरे हैं, 417 रिक्त हैं और समस्त श्रेणी के पद में 1667 है, 549 भरे हैं, 1248 पद रिक्त हैं और जेल विभाग में 66 में 11 और 25 पद रिक्त है । जल संसाधन में प्रथम श्रेणी में 61 में 140-21 पद रिक्त हैं, द्वितीय श्रेणी में 518 है, 514 पद भरे हैं, 4 रिक्त है, तृतीय श्रेणी में 4679 है, 1868 पद भरे हैं, 2811 पद रिक्त हैं । चतुर्थ श्रेणी में 803 में 268 भरे हैं, 568 हैं । इस प्रकार जल संसाधन विभाग में 6161 पद स्वीकृत के विरूद्ध 3371 पद रिक्त हैं । आबकारी विभाग में प्रथम श्रेणी में 33, 24 पद भरे हैं, 9 रिक्त है । द्वितीय श्रेणी में 132 है, 117 भरे हैं, 15 रिक्त हैं, तृतीय श्रेणी में 1248 में 379 है, 859 पद रिक्त हैं और तृतीय श्रेणी लिपिकीय में 343 है, 146 भरे हैं, 157 रिक्त है । चतुर्थ श्रेणी में 241 में 135 हैं, 167 रिक्त हैं ।

सभापति महोदय :- टोटल बता दीजिये न ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, इस तरह 1100 पद, 146 रिक्त है ।

सभापति महोदय :- टोटल जो रिक्त है उसको एक-बार बता दें कि इतना रिक्त है करके ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस आखिरी कर रहा हूं। इसमें कुल स्वीकृत पद श्रेणी भरे गये हैं । राजस्व विभाग में 9000, 600 में 6053 है जो 2300 पद रिक्त हैं इस

प्रकार प्रदेश के विभिन्न विभागों में से मात्र अभी 21 विभाग है । मैं अन्य विभाग को नहीं पढ़ रहा हूं, इस तह 68,809 भरे हुए पद हैं। उसमें भरे हुए पद में 21,275 है तथा 37,534 पद सभी विभागों में रिक्त है । यह मतलब है कि आबादी के मांग से अनुसूचित जाति वर्ग का शासकीय सेवा में लगभग 48 प्रतिशत पद रिक्त है उसी प्रकार उपरोक्त गणना के अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति के लगभग 73 प्रतिशत शासकीय सेवा में पद रिक्त हैं । जिसके कारण उपरोक्त अनुसूचति जाति, जनजाति लोगों को शासकीय सेवा देने में विशेष भर्ती अभियान चलाकर उस पद की पूर्ति की जाये, ऐसा मैं निवेदन करता हूं ।

सभापति महोदय :- रामकुमार यादव जी ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं अइसे विषय के लिये समर्थन के लिये खड़ा होए हंओं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब वर्ष 1947 में देश आजाद होइस तो वर्ष 1947 में जब देश आजाद होइस ता यही ला तो सोचिस कि आखिर में जो गरीब तबके के हैं, दबे-कुचले लोग हैं ओ मन कइसे मुख्य धारा में आकर कइसे मजबूत होही, विशेष करके...।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता और देश के प्रख्यात राजनीतिज्ञ उनके पूरे जीवन परिचय का, अगर वित्त का अध्ययन करें तो सर्वाधिक तौर पर उनको प्रताड़ित करने वाले लोग कौन थे, कांग्रस के । हराने में लगे थे, उनको निपटाने में लगे थे, आज बड़ी उनकी प्रशंसा करके गीत गाये जा रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, जेखर नाम से तुमन राजनीति करथओ न ।

सभापति महोदय :- रामकुमार विषय में ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, जवाब तो देना पड़ेगा न । अटल बिहारी बाजपेयी जी को भी मंत्री बनाने वाला कांग्रेस है । वह कांग्रेस पार्टी है । माननीय सभापति महोदय, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब इही बात ला सोचिस कि कइसे मैं अनुसूचित जाति जेला सरल भाषा में हमन सतनामी, चौहान कथन । अनुसूचित जनजाति जेला सरल भाषा में हमन आदिवासी समाज कथन, ये कइसे मजबूत हो । ये बात ला चिंतन करिस अउ चिंतन करके आरक्षण के व्यवस्था करिस अउ चिंतन करके आरक्षण के व्यवस्था करिस। अनुसूचित जाति अउ अनूसचित जाति ला डायरेक्ट आरक्षण अउ ओमे पिछड़ा वर्ग अउ अन्य पिछड़ा वर्ग ला भी जोड़ दिस। लेकिन जिस प्रकार से हमर सामने वाले सत्तापक्ष के मन कहिथे कि हम लोग 15 साल सरकार चलाये। फिर हमर मन के ढाई साल होगे तो 15 अउ साढ़े 7 मतलब साढ़े 17 साल के कार्यकाल में माननीय हमर वरिष्ठ नेता हमर गरीब दबे कुचले मन के आवाज बनके यहां पर उठाये हे अउ जे प्रकार के बतात हे कि अतेक कन पद रिक्त हे मैं सुनके बेहोश होगेव, अइसे लागिस। यहां पर 29 विधायक अनुसूचित जनजाति के हे, अउ लगभग 12-13 झन

अनुसूचित जाति के हे, तुमन अतकीच झन खड़ा हो जात हो तो सरकार गिर जही। खुद अपन के लिए तुमन नइ संरक्षण दिहा तो कोन दिही, तेखर खातिर मैं..।

सभापति महोदय :- आप संकल्प में बात करें।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं ए संकल्प के समर्थन देवत हौं अउ एला पूरा आज मोर वरिष्ठ नेता ला धन्यवाद् दिहा, जे आज दूध के दूध अउ पानी के पानी बता दिस। ए सरकार चलत हे चलत हे, अइसे कहात हन। आज अतेक कन एमन नौकरी पेशा ला रोकके राखे हे, अइसे रोकना नइ चाहिए, ओ मन के भर्ती होना चाहिए। मैं पूरा ताकत के साथ समर्थन करते हुए, अपन वाणी ला विराम देवत हौं।

श्री रामकुमार टोप्पो (सीतापुर) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद्। आज सदन के बहुत वरिष्ठ नेता माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने जो अशासकीय संकल्प लाया है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य है और यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक बड़ा वर्ग निवासरत है और उतना ही यह कहें कि हजारों और लाखों की संख्या में यहां पढ़े-लिखे युवा एक सपने देख रहे हैं। जब युवा काल में कोई सपने देखता है तो सच में उसे तब तक जीने नहीं देता तब तक वह उसे पूरा न कर पाये। उन सपनों के अलग-अलग स्तर होते होंगे कोई किस स्तर का इंक्रीमेंट पाना चाहता होगा। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए वह युवा निरंतर संघर्ष करता है उस समय के लिए इंतजार करता है और एक-एक दिन करके उसकी उम्र उसके साथ खत्म होती जाती है। एक-एक दिन करके उसकी तैयारी करने की लगन है, वह भी कम होते जाती है और समय के साथ जो कॉम्पीटिशन का पैटर्न है, वह उम्र के साथ जब नई पीढ़ी आती है तो उनके साथ एक चुनौती भरी सफर है, उसके लिए वह बहुत कठिन हो जाता है। आज राज्य में इतनी बड़ी संख्या है, जिसमें आरक्षण के आधार पर रिक्तियां हैं, तो उसके लिए सोचिए कि उनके सपने टूटने और उनका जो इंतजार का पल है, वह निश्चित ही हर सरकारों की तरफ देखते हैं कि हमारे सपने कब पूरे होंगे। इसलिए आज मैं आप इस अशासकीय संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूँ। इसको पारित किया जाये। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, सभी विभागों ने जैसे हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सदस्य पुन्नूलाल मोहले जी ने जो रिक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से पदों की पूर्ति हेतु जो अशासकीय संकल्प लाया है, मैं उस विषय पर कहना चाहूंगी कि सभी विभागों में वर्ष 2012 से बैकलॉग भर्ती नहीं हुई है और साथ ही किसी भी विभाग में आरक्षण रोस्टर का संधारण नहीं किया गया है। आउट सोर्सिंग प्लेसमेंट, संविधान के अनुच्छेद 309 के विरूद्ध है, आज हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे भाई बहन लोग इतनी डिग्री लेकर बैठे हैं। वह अपने लिए भविष्य के सपने सजाकर बैठे हैं कि हम पढ़े-लिखे हैं तो हमारी

सरकार हमें कुछ नौकरी दे सकती है। लेकिन यह जो आउट सोर्सिंग प्लेसटमेंट हुआ है, इनके पात्र लोगों की जगह में जो आऊट सोर्सिंग के लोग भरे हुए हैं। मैं यह चाहती हूँ कि सरकार प्रक्रिया के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को देखते हुए, उनको सभी विभागों में जो रिक्त पद हैं, उनमें भर्ती की जाये। मैं माननीय मोहले जी के अशासकीय संकल्प का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के अशासकीय संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूँ। हमारे रामकुमार भाई जी बोल रहे थे कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने दबे कुचले की चिंता की है। उन्होंने वास्तव में की है। एस.टी., एस.सी. और साथ-साथ उनकी तो चिंता की है । वास्तव में उन्होंने चिंता एस.टी., एस.सी. की चिन्ता की है । साथ-साथ उनकी तो चिंता की, यह बहुत बड़ा विषय है और ये प्रस्ताव होना भी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग है । उनकी भी चिंता इस विधान सभा के माध्यम से होनी चाहिए, उनके लिए भी मैं समर्थन करता हूं ।

श्री प्रेमचंद पटेल (कटघोरा) :- सभापति महोदय, शासन के विभिन्न पदों में जो रिक्तियां हैं और जो पद भरे हुए हैं, उनको हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य ने विस्तार से बताया । उन्होंने संकल्प लाया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को विशेष भर्ती अभियान से उन पदों पर उनकी नियुक्ति दी जाये। साथ-साथ हमारे पिछड़े वर्ग के लोग भी लगभग आधी आबादी से ज्यादा हैं, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं । साथ ही साथ हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की भी नियुक्ति है, उनको भी भरा जाये । उनकी मांग का समर्थन करते हुए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह संकल्प लाया ।

श्री रामकुमार यादव :- राज्य सरकार कनी अटके हे, 27 प्रतिशत आरक्षण हे, उही ला दे वा देवव, हो जही ।

श्री ललित चन्द्राकर (दुर्ग ग्रामीण) :- माननीय सभापति जी, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं । साथ में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वर्ग ओबीसी भी है, जो 52 से 54 परसेंट है । मैं चाहूंगा कि उनको भी इस संकल्प के साथ जोड़ा जाये । बाकी पूर्व में जो संकल्प आये हैं, उसमें भी ओबीसी वर्ग का ख्याल रखा जाये ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- सभापति महोदय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक पुन्नूलाल मोहले जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति बर अशासकीय संकल्प लाए हे, मैं भी ओकर समर्थन करथौं । ऐला सर्वसम्मति से पारित करे जाये अउ हमर समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति के लईका मन पढ़े-लिखे हे, ओला भी नौकरी मिले जाए, अईसे मोर निवेदन हे ।

श्री प्रणव कुमार मरपची (मरवाही) :- सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य मोहले जी ने यह संकल्प लाया है । चूंकि मैं भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हूं । ऐसे में इस विधान सभा में इतना

बड़ा संकल्प लाया गया है तो मुझसे भी नहीं रहा गया क्योंकि यहां के अनुसूचित जाति, जनजातियों के भविष्य का सवाल है । यह आंकड़ा बहुत बड़ा है । इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री जनक ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- सभापति जी, हमारे पुन्नूलाल मोहले जी इस सदन के और इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं । उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए संकल्प लाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । चूंकि काफी समय से इस प्रदेश में लगभग आधी आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और इस आधी आबादी में जहां पर अलग-अलग क्षेत्रों में हमारे बच्चे काफी पढ़ाई करके पिछले कई सालों से शिक्षा प्राप्त करते नौकरी का इंतजार कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद खाली पड़े हैं, उसमें तत्काल भर्ती की जाये । मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य माननीय मोहले जी द्वारा जो अशासकीय संकल्प लाया गया है, उस अशासकीय संकल्प के समर्थन में माननीय सदस्य श्री रामकुमार यादव जी, श्री रामकुमार टोप्पो जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी, श्री प्रेम पटेल जी, श्री ललित चन्द्राकर जी, श्री दीपेश साहू जी, श्री प्रणव मरपच्ची जी, जनक ध्रुव जी, ऐसे हमारे सभी विधायक साथियों ने अपनी-अपनी बातों को यहां पर व्यक्त किया है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लगातार पिछले 2 वर्षों के इस कार्यकाल में विभिन्न पदों की स्वीकृति दी है और उनमें भर्तियां की हैं, वह एक अद्भुत है। मैं आप लोगों को वह आकड़ा बताना चाहूंगा। सरकार ने 35 विभाग के लगभग 32 हजार पदों की स्वीकृति और भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की है। हमारी सरकार की मंशा है कि एस.टी/एस.सी. वर्ग के जो आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सामान्य प्रशासन के माध्यम से अलग-अलग समय में दिशा निर्देश जारी हुए है, उन दिशा-निर्देशों का पालन हमारे समस्त विभाग करें, ऐसा मेरा आग्रह है। उस दृष्टि से जो आरक्षित रिक्त पद हैं, उन पदों की भर्ती के लिए विभागों को विशेष भर्ती अभियान निरंतर तब तक चलता रहेगा, जब तक उस विभाग के समस्त बैकलॉग के रिक्त पद भरे नहीं जाते हैं। यह जो कार्यवाही है, यह बैकलाग पदों को शीघ्र से शीघ्र भरने की प्रक्रिया है, इसको प्राथमिकता के आधार पर एक विशेष भर्ती अभियान के तहत किया जाना है। बैकलाग पदों की भर्ती में शिथिलता बरते जाने पर सीधी जिम्मेदारी विभाग प्रमुख की होगी और संबंधित अधिकारी के गोपनीय चरित्रावली में उल्लेख किया जायेगा। नियुक्ति देने वाले सक्षम अधिकारी की जिम्मेदारी भी उसके अनुसार होगी, ऐसा निर्देश है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की पूर्ति हेतु प्रतिवर्ष समस्त विभागों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत मांग-पत्र भेजे जाते हैं, पश्चात अभ्यर्थियों का चयन, नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। विभागों के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रिक्त बैकलॉग के पदों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग की सहमति उपरांत नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही विभागों के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इसमें प्रदेश के विभिन्न विभागों के प्रथम श्रेणीवर्ग या द्वितीय श्रेणी वर्ग, तृतीय श्रेणी वर्ग या चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने की कार्यवाही की जाती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार लगातार इस दिशा में चाहे एस.टी वर्ग हो चाहे एस.सी. वर्ग हो, चाहे ओ.बी.सी. वर्ग हो चाहे सामान्य वर्ग हो, इनमें जो बैकलाग के पद हैं, उनकी भर्ती के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। उसके तहत हमने कार्यवाही भी की है। मैंने शुरू में ही आकड़ा बताया है कि 32 हजार पदों भर्ती की स्वीकृति और भरे जाने की प्रक्रिया भी की गई है। इसमें सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इसको भरने की कार्यवाही कर रही है। मेरा सदन से और माननीय विधायक जी से आग्रह है कि आपने जो संकल्प लाया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस संकल्प को वापस लें। सरकार पूरी गंभीरता के साथ तत्परता के साथ कार्यवाही कर रही है।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि तत्परता से कार्यवाही कर रही है। मेरा भी वही कहना है कि विशेष भर्ती अभियान चलायें। आप कार्यवाही तो कर रहे हैं। क्या भर्ती के लिए विशेष अभियान चलायेंगे ? यही हमारा कहना है। दूसरा, इसमें दो प्रकार का कैडर होता है। अनुसूचित जाति का एक प्रदेश स्तर पर रिक्त पदों का कैडर और रोस्टर बनाया जाता है और दूसरा जिला स्तर पर बनाया जाता है। जिला स्तर पर जिले की जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या के अनुसार रोस्टर तैयार कर भर्ती होती है। आप इन दोनों को क्लीयर करें। क्या आपने आरक्षण के लिए प्रदेश स्तर का रोस्टर बनाया है ? यदि जिला स्तर का रोस्टर बनाया है तो भर्ती कैसे हो रही है ? रोस्टर बना ही नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने पद रिक्त हैं, आपने यह भी नहीं बताया है तो कृपया आप इसको स्पष्ट करें कि प्रदेश स्तर का जिले में कितने-कितने अनुसूचित जाति, जनजाति के श्रेणीवार पद रिक्त हैं ? फिर इसके बाद यदि अभियान चलायेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूं, जो आप बोल रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस बात को स्पष्ट किया कि जिन रिक्त पदों के विरुद्ध में हम विशेष अभियान चलाकर इसको भरने की प्रक्रिया प्रारंभ किए हैं। इसमें चाहे वह प्रथम वर्ग का हो, चाहे द्वितीय वर्ग का या तृतीय या चतुर्थ वर्ग, संवर्ग का हो, सभी वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखकर हम उसकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ किए हैं और इसके तहत में कार्यवाही भी सुनिश्चित किया गया है। तो आप निश्चित रहें, सरकार पूरी तरीके से इसके लिए कृतसंकल्पित है ताकि किसी भी वर्ग के साथ में कोई अन्याय न हो, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है।

सभापति महोदय :- क्या माननीय सदस्य संकल्प वापस लेने हेतु सहमत हैं?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, विशेष भर्ती अभियान प्रक्रिया चल रही है, तो अभी आपने बताया, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन सदस्य को शायद मालूम हो तो मैं नहीं कह सकता। क्या यह क्लियर करें कि विशेष भर्ती अभियान चलाई जा रही है? दूसरा यह भी क्लियर करें कि जितने पद रिक्त हैं, उनकी समय सीमा बता दें–महीना, दो महीना, छः महीना, साल भर में हम भरेंगे– तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, समय सीमा बताना संभव नहीं है, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया के तहत में जब 100 पद आते हैं, 100 पद में यदि 75 पद भरे जाते हैं और बाकी 25 रिक्त रह जाते हैं, तो फिर उसको फिर अगले में किया जाता है। तो इसके तहत में कहीं पर भी माननीय विधायक जी को संशय नहीं होना चाहिए। सरकार इस दिशा में लगातार कार्यवाही कर रही है और उसके तहत में मैंने पहले ही बताया कि पिछले दो वर्षों के इस कार्यकाल में लगभग 35 विभागों के 32,000 से ऊपर पदों पर रिक्तियों को स्वीकृति मिली है और उन पदों को भरने की कार्यवाही भी कर रहे हैं।"

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, इसी में..।

सभापति महोदय :- नहीं, मोहले जी का है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ है और भर्ती करेंगे– माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आश्वस्त कर दिये हैं तो मैं भी आश्वस्त हूं। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति महोदय :- क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है?

अनुमति प्रदान की गई।

संकल्प वापस हुआ।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 16 मार्च, 2026 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(8 बजकर 32 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, 16 मार्च, 2026 (फाल्गुन 25, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गयी)

दिनेश शर्मा

नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक : 13 मार्च, 2026 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**